CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. XII, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No. 24, Friday, August 27, 2010/ Bhadra 5, 1932 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 441 to 443	1-24
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 444 to 460	25-69
Unstarred Question Nos. 5054 to 5283	70-427

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 428-444

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 445

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 446
Minutes

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 446
Minutes

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 446
8th to 11th Reports

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 447
5th Report

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS 447
Statements

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS 447
8th and 9th Reports

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) General discussion relating to Jharkhand Budget, 2009-10.

Shri Pranab Mukherjee 448-449

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Urban Development on the "National Capital Region Planning Board", pertaining to the Ministry of Urban Development.

Prof. Saugata Roy 450

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Power.

Shri Bharatsinh Solanki 452

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 149th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the "Development of Tourism Infrastructure and other Amenities for Tourists during the Commonwealth Games – 2010", pertaining to the Ministry of Tourism.

Shri Sultan Ahmed 453

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO. 49, DATED 28.07.2010 REGARDING RELOCATION OF VILLAGERS ALONGWITH REASONS FOR DELAY

Shri Jairam Ramesh 451

SUBMISSION BY MEMBERS 458-467

(i) Re: Alleged threat to the life of Member of Parliament by Maoists in Aurangabad, Bihar 458-461

(ii) Re: Need to review the procedure seeking details for issuance of Passes to the Members of Parliament for Commonwealth 465-467

FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL, 2010 468-552

Motion to Consider 468-519

Shri Ajay Maken 468-469
514-518

Shri Nishikant Dubey 470-477

Shri P.T. Thomas	478-481
Shri Shailendra Kumar	482-483
Dr. Baliram	484-485
Shri Mangani Lal Mandal	486-488
Dr. Ratna De	489-491
Shri R. Thamaraiselvan	492-494
Shri A. Sampath	495-497
Shri Rudramadhab Ray	498-500
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	501-503
Shri Prabodh Panda	504-505
Shri Prasanta Kumar Majumdar	506-507
Dr. P.L. Punia	508-510
Shri Dhananjay Singh	511-512
Shri Prem Das Rai	513
Clauses 2 to 54 and 1	519-521
Motion to Pass	523
SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL, 2010	523-562
Motion to Consider	523-559
Shri Pawan Kumar Bansal	523-526 554-558
Shri L.K. Advani	527-528
Dr. Ram Chandra Dome	529-530
Shri Sanjay Nirupam	531-534
Shri Shailendra Kumar	537-538
Shri Dhananjay Singh	539-541
Shri Sharad Yadav	542-543
Shri Pinaki Misra	544-545
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	547-549

Dr. N. Sivaprasad 550-551
Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary 552-553
559
Clauses 2 to 6 and 1 559-560
Motion to Pass 561

ENEMY PROPERTY (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2010 562

Motion to Consider 562
Shri Ajay Maken 562

DISCUSSION UNDER RULE 193

Flood and drought situation in the country 563
Shri Navjot Singh Sidhu 563-565
Shrimati Annu Tandon 566-571
Shrimati Usha Verma 572-574
Shri C. Sivasami 575-576
Shri Dara Singh Chauhan 577-579
Shri Satpal Maharaj 580-584
Shri Vishwa Mohan Kumar 585-587
Shri Sudip Bandyopadhyay 588-589
Shri Pulin Bihari Baske 590-591
Shri Arjun Ram Meghwal 592
Shri Nityananda Pradhan 593-595
Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar 596
Shri P.Kumar 597-598
Shri Ramesh Rathod 599-600
Yogi Aditya Nath 601-605
Shri Mithilesh Kumar 606-607

Dr. Jyoti Mirdha	608-610
Shri P.L. Punia	611-612
Shri Prabodh Panda	613-615
Shri Jagdanand Singh	616-618
Shri Shailendra Kumar	619-620
Shri Virender Kashyap	621-630
Shri Prasanta Kumar Majumdar	631-632
Shri R.K. Singh Patel	633-634
Shri Ashok Argal	635-636
Shri Nripendra Nath Roy	637-638
Shri S.S. Ramasubbu	639-640
Shri N. Cheluvaraya Swamy	640-643
Shri Vijay Bahuguna	644-645
Shri Virendra Kumar	646-647
Shrimati Bijoya Chakravarty	648-649
Shrimati Bhavana Patil Gawali	650-651
Shri Narayan Singh Amlabe	652
Shri Jagdambika Pal	653-654
Dr. Tarun Mandal	655-656
Shri Hemanand Biswal	657-658
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	659
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	668
Member-wise Index to Unstarred Questions	669-673
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	674
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	675

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY-GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 27, 2010/ Bhadra 5, 1932 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

(Q. No. 441)

MADAM SPEAKER : Q. No.441, Shri Yashbant Languri.

श्री यशवंत लागुरी : अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्न में जिस बिन्दु को सबसे महत्वपूर्ण समझा, वह यह है कि विभिन्न परियोजनाओं से जितने लोग विस्थापित हुए हैं, वे अभी किस स्थिति में हैं। मंत्री महोदय द्वारा उसका उत्तर अति सहजता से दिया गया कि हमारे पास इसका कोई ब्यौरा नहीं है और हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय दो लाख से अधिक आदिवासी लोग विस्थापित हुए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन लोगों की अभी की स्थिति क्या है? जिस समय वे विस्थापित हुए, उस समय उनकी सामाजिक स्थिति जैसी थी, क्या वे उससे अच्छी स्थिति में हैं या बुरी स्थिति में हैं? क्या सरकार के पास इसका कोई हिसाब है? वे लोग परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन और घर छोड़कर विस्थापित हुए हैं। इसलिए सरकार का दायित्व होना चाहिए कि उन्हें पहले की स्थिति से बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा किया जाए। क्या इस बारे में सरकार का कोई विचार है?

श्री कांति लाल भूरिया : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो जनजातीय भाइयों के हित में है। निश्चित ही यूपीए सरकार ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है जिससे उन लोगों को पूरा संरक्षण दिया जा सके। वर्ष 2007 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना जनजातीय भाइयों और गैर जनजातीय लोगों के लिए बनाई गई। जनजातीय भाइयों के संरक्षण के बारे में हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। इसी तरह माननीय सदस्य राज्यवार स्थिति जानना चाहते हैं। इससे 2,15,800 जनजातीय भाई प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 15 परियोजनाएं, अरुणाचल प्रदेश में 1 परियोजना, झारखंड में 1 परियोजना, छत्तीसगढ़ में 2 परियोजनाएं, हिमाचल प्रदेश में 1 परियोजना, केरल में 1 परियोजना, महाराष्ट्र में 10 परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में 4 परियोजनाएं, उड़ीसा में 11 परियोजनाएं, राजस्थान में 11, उत्तराखंड में 1 परियोजना, इस तरह 58 परियोजनाएं हैं। कुल 75 परियोजनाएं आई थीं जिनमें से हमने गुण-दोष के आधार पर 58 परियोजनाओं को सहमति दी है। 17 परियोजनाओं को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है जिससे हम हर तरह से काम कर सकें। भूमि अधिग्रहण के समय यह ख्याल रखा जाता है कि 200 से अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध न हटाया जाए। उनके विकास के लिए कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जैसे ईंधन विकास, चारा तथा जनजातीय समुदाय को वन तक पहुंचने की आवश्यकता पूरी करने, वाणिकी भूमि पर गेम्स मार की लकड़ी आदि सारी चीजें हैं। इसी तरह भूमि अधिग्रहण के मामले में आदिवासी भाइयों को वहां से हटाने से पहले एक-तिहाई मुआवजा देना है।

उनके लिए समुचित मकान, रहने के लिए जमीन की व्यवस्था आदि के बारे में ध्यान रखा गया है। इसी तरह उन परिवारों को भूमि के बदले दूसरी जगह जमीन देने का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही उन्हें पुनर्वास, पुनर्स्थापित किया जाये यानी एक ही ब्लाक में साथ-साथ बसाया जाये ताकि उनकी भाषा, रहन-सहन, परम्पराएं आदि की एक साथ पहचान की जा सकें। इन सब चीजों के लिए हमने कहा। इसके साथ-साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम, सामुदायिक भवन समेत कई चीजें हमने वहां पर रखी हैं। हमें हर राज्य से लगातार इस बारे में पता लगता रहता है।

श्री यशवंत लागुरार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जो लोग इससे पहले विस्थापित हो चुके हैं यानी अपना घर-बार छोड़ चुके हैं, क्या उनकी अभी की स्थिति में कुछ परिवर्तन लाने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है? क्या सरकार उन लोगों का फिर से सर्वे करवा रही है जिससे पता चल सके कि उनकी अभी क्या स्थिति है और उन्हें कैसे उससे आगे लाया जा सकता है? क्या इस बारे में सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री कांति लाल भूरिया : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। हमारा मंत्रालय इस बारे में हर राज्य को जानकारी उपलब्ध कराता रहता है। यदि कहीं से कोई शिकायत आती है, तो निश्चित ही हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं, राज्य सरकारों से भी अनुरोध करते हैं जिससे जनजातीय भाइयों को कोई परेशानी न हो। लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है।

डॉ. प्रभा किशोर ताविआड : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं सदन को यह बताना चाहती हूं कि प्रोजैक्ट गांवों में बनते हैं, फॉरेस्ट में बनते हैं। लेकिन जो सफर करते हैं, वे सिर्फ गरीब या ट्राइबल जाति के व्यक्ति होते हैं। उन्हें पानी की सहूलियत नहीं मिलती। उस पानी को कोई और इस्तेमाल करता है। पिछले 30 सालों से विस्थापितों को जो जमीन दी हुई है, वह एडमिनिस्ट्रेशन की आटी-गुटी में फंसी हुई होती है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि आप जो नैशनल ट्राइबल्स पालिसी बनाने वाले हैं, वह कब तक इम्प्लीमैंट होगी, ताकि हमारी आवाज सरकार तक जा सके?

श्री कांति लाल भूरिया : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने अच्छा सवाल किया है। हमारा मंत्रालय सब चीजों पर ध्यान रखता है। पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन योजना की अनुमति के संबंध में परियोजना का जो प्राक्कलन बनता है, हम उसे मंगवाकर देखते हैं। जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय और गैर जनजातीय लोग रहते हैं। जनजातीय भाइयों की चिन्ता को देखते हुए परियोजना का प्राक्कलन, किस ब्लाक में सिंचाई करने के लिए हैंडपम्प नहीं हैं, विस्थापित प्रभावित जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जनजातीय परिवारों का विवरण किस तरह से है और उसमें अशक्त जनजाति यानी पीटीजी को किस तरह से महत्व दिया जाना चाहिए, उनकी मदद की जानी चाहिए, यह देखते हैं। यदि परियोजना अनुसूचित क्षेत्र से प्रभावित हो रही है, तो पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए वर्ष 2007 में ग्रामीण विकास की जो योजना, पालिसी बनी है, उसका पालन किया जा रहा है या नहीं, इस बात को भी हम लोग देखते हैं। उसके साथ

ही वहां पर उनकी जमीन के रख-रखाव के लिए क्या हो सकता है, यह भी देखते हैं। उन्हें भूमि के बदले भूमि उपलब्ध हो रही है या नहीं, आवास आवंटित हुआ या नहीं, मवेशी के लिए बड़ा बाड़ा, उनके रहने और परिवहन के लिए जैसे यदि सामान दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो परियोजना के खर्चे से उन्हें बसाया जाए, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है।

उसका भी ध्यान रखा जाता है। उनके लिए वहां रोजगार की व्यवस्था है या नहीं, अगर उसको एक जिले से दूसरे जिले में भेजा रहा है, तो उसको जितना भी मुआवजा बनता है, उसका 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा उसे देना पड़ेगा। उसके ऊपर भी हमारा ध्यान पूरी तरह से रहता है। जहां लोग रह रहे हैं, वहां प्रशिक्षण की व्यवस्था है या नहीं क्योंकि जब वह ट्रेन्ड होगा, प्रशिक्षित होगा, तभी रोजगार मिल पाएगा, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। 25 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के लिए भी वहां व्यवस्था करते हैं। एक साल का पूरा मुआवजा एक साथ उनको देना जरूरी समझते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, 50 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, उनकी पेंशन कांटिन्यू करने के लिए 500 रुपये का प्रावधान रखा गया है और उसमें अन्य कई चीजें शामिल की गयी हैं। इस तरह से हमारा मंत्रालय बारीकी से इन सभी चीजों को देखता है और जब तक ये सभी चीजें पूरी नहीं होती हैं, हम लोग अनुमति नहीं देते हैं। यही हमारी प्राथमिकता होती है।

दूसरी एक बात माननीय सदस्या ने जनजातीय नीति के बारे में जानना चाहा है, उसमें भी हम लोगों ने सोच-समझकर यह नीति तैयार की है क्योंकि उसके पहले आदिवासी नीति नहीं थी। इसकी वजह से राज्यों में और केन्द्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनती थीं, सभी अपने-अपने हिसाब से बनाकर वे आदिवासी क्षेत्रों में काम करते थे। हमारी यूपीए सरकार ने सोनिया जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर एक आदिवासी जनजाति नीति तैयार की है और केन्द्रीय मंत्रिमंडल का भी किया है। ...(व्यवधान) राष्ट्रीय पुनर्वास का काम भी हम कर रहे हैं और उसको बहुत जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आदिवासी नीति जनजातियों के हित में हो सके, उसको हम लोग पूरा करके मंत्रिमंडल में ले जाएंगे और उसको बहुत जल्दी करेंगे।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन मुण्डा : महोदया, माननीय मंत्री जी बहुत लंबा उत्तर दिया है। मैं उनसे केवल एक स्पेशिफिक बात जानना चाहता हूं। जब मंत्री जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो इतना और बता दीजिए कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहां पर देश का सबसे अधिक, 40 प्रतिशत मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां आज तक कितने लोग विस्थापित हुए हैं और उन विस्थापितों के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है? विस्थापित होने वालों की संख्या और कितने एरिया में लोग विस्थापित हुए हैं, यह बता दीजिए। कब आपने इसका सर्वे कराया है, कब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की है? ये सारी चीजें सदन को बता दीजिए तो हमें यह महसूस होगा कि आप कुछ कर रहे हैं।

श्री कांति लाल भूरिया: महोदया, माननीय सदस्य भी जनजातीय क्षेत्र से आते हैं और वह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। आदिवासी भाइयों के लिए यूपीए सरकार ने पूरी तरह से सावधानी रखकर काम किए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शान्त रहिए। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। जरा शान्ति से उत्तर सुनिए।

श्री कांति लाल भूरिया: महोदया, जनजातीय क्षेत्रों का पूरा ख्याल रखा गया है। पूरे देश के आंकड़े मैं आपको बताना चाहूगा। कुल 2,15,800 लोग विस्थापित किए गए हैं। अगर आप राज्यवार आंकड़े चाहते हैं, तो मैं वह भी बता देता हूं कि राज्यवार कितने आदिवासी विस्थापित हुए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब मंत्री जी बता रहे हैं, तो उनकी बात सुनिए।

श्री कांति लाल भूरिया: महोदया, आन्ध्र प्रदेश में कुल 3,16,242 निवासी हैं जिनमें से 1,23,946 आदिवासी हैं। अरूणांचल प्रदेश में एक परियोजना आई, वहां कोई आदवासी डिस्टर्ब नहीं हो पाया। झारखण्ड की एक परियोजना में कुल 21,000 आदिवासी विस्थापित हुए। छत्तीसगढ़ की दो परियोजनाएं हैं, 455 लोग उनके दायरे में रहते थे, जिनमें से 115 आदिवासी थे। उनको भी वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहें और मंत्री जी को जवाब देने दें। वह आंकड़े बता रहे हैं, जो आपने पूछे थे।

श्री कांति लाल भूरिया : आपने आदिवासियों की संख्या के बारे में पूछा है कि कितने आदिवासी कहां-कहां पर विस्थापित हुए हैं, तो मैं वह बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में 836 टोटल लोग रहते थे, उनमें से केवल नौ आदिवासी प्रभावित हुए हैं। केरल में एक परियोजना में 20 आदिवासी थे, वे सारे प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र में दस परियोजनाएं थीं, उनमें 1,14599 टोटल लोग थे, जिनमें से 1,21015 आदिवासी प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश में चार परियोजनाएं हैं, उनमें 19508 लोग रहते थे, जिनमें 12261 आदिवासी प्रभावित हुए हैं। उड़ीसा में 11 परियोजनाएं हैं। उनमें 64674 लोग थे, उनमें से 42036 आदिवासी प्रभावित हुए। राजस्थान में 11 परियोजनाएं हैं, जिनमें 3,44052 लोग थे, जिनमें से 42058 आदिवासी प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड में एक परियोजना है, उसमें कोई प्रभावित नहीं हुआ। इस तरह से 75 में से 58 परियोजनाएं बाकी हैं, उनमें से 2,15800 आदिवासी प्रभावित हुए हैं।

DR. TARUN MANDAL : The plight of tribals and *advasis* all over the country in general is deplorable. The policy of reservation in education and in services has met with limited success down the years, keeping majority of the tribal people in the dark, below the poverty line.

In the State of West Bengal, the so-called progressive Left Front Government, which claims to be the champion of tribals, dalits and minorities, has miserably failed to spend even the allotted money for the development of Jangal Mahals, Lalgarh and other areas. I would like to know from the hon. Minister whether the Government of West Bengal has submitted to the Centre any composite plan demanding aid for the all round development of tribals of West Bengal.

श्री कांति लाल भूरिया: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने आदिवासी नीति और उन लोगों की मदद करे की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार ने सदैव उन लोगों का ध्यान रखा है। समय-समय पर जब भी जरूरत पड़ती है, मेरे मंत्रालय के द्वारा और लाइन मिनिस्टरी के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में उनके विकास, एजुकेशन, रहन-सहन, हर तरह से उन्हें न्यायिक अधिकार देने और संवैधानिक अधिकार देने के लिए पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। बंगाल के बारे में जो आपने पूछा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां की सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। हमसे जो भी बनता है, जनजातीय क्षेत्रों की आबादी के हिसाब से जो भी राशि बनती है, वह देते हैं। उसके किसी प्रकार की देरी नहीं की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार अगर कोई कार्य योजना बनाती है, तो हमने यह भी कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा मिलना चाहिए। इस सिलसिले में हमारी वहां के मुख्य मंत्री

जी और जनजातीय कल्याण मंत्री जी से बात भी हुई है। लालगढ़ की जो बात आपने कही है, तो आपको मालूम है कि हमारा गृह मंत्रालय उसे देख रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आदिवासियों के विकास के लिए काफी काम कर रहे हैं।

(Q. No. 442)

SHRI ANANDRAO ADSUL : Madam Speaker, the Integrated Child Development Services Scheme is widely introduced and the aim behind the Scheme is that the child should go to school and parents should easily send the child to school. In practice, it is seen that the food grains amounting to Rs. 10,200 per month per Balwadi Centre are sent, but unfortunately, my own observation is that half of the food grains are not reaching to the Centre.

Further, the food that is sent is sub-standard food.

I would like to know this from the hon. Minister. Is there any mechanism of monitoring system or any accountability is fixed on anybody for this scheme?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, जो प्रश्न इन्होंने किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि इंटिग्रेटिड चाइल्ड स्कीम जो हमारी है, आईसीडीएस स्कीम, वह वर्ष 1975 में शुरू की गयी थी to improve the nutritional and health status of children in the age-group 0-6 years; to lay the foundation for proper psychological, physical and social development of the child; to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropout; to achieve effective co-ordination of policy and implementation amongst the various departments to promote child development; and to enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education.

दूसरा, इन्होंने कहा है कि इसमें 6 विभिन्न कोर्सेज हैं, supplementary nutrition, immunization, health check-up, referral services, pre-school non-formal education and nutrition & health education.

इन्होंने दूसरी बात यह कही कि खाद्यान्न बहुत घटिया क्वालिटी का भेजा जाता है। आपने अपने प्रश्न में पूछा था कि इसमें कितनी जगहों से शिकायतें आईं, तो पिछले तीन सालों में से, इस साल एक शिकायत एसएनपी की आई। दो शिकायतें फूड प्रीक्योरमेंट की थी, बाकी छोटी-छोटी शिकायतें थीं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और दो उत्तर प्रदेश और दो बिहार की शिकायतें थीं। प्रीक्योरमेंट की जो समस्या आपके अनुसार आई, फूड जहां से लेते हैं, हमारे यहां से फूड-ग्रेन स्टेट्स लेती हैं और उनका जो माइक्रो-मैनेजमेंट है वह स्टेट का अपना होता है। स्टेट्स की अपनी कमेटीज हैं, जो वहां पर आंगनवाड़ी सेंटर्स पर गर्म-फूड, हॉट-फूड कोर्ट के आदेश से है, बनाकर

देना और आगे बच्चों के जो 6 कोर्स मैंने बताए, उनका ध्यान रखना, ये स्टेट्स में अपने जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, स्टेट्स का अपना-अपना मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के द्वारा वे अपना काम करते हैं।

SHRI ANANDRAO ADSUL : Madam, the answer that has been given by the hon. Minister is there in the written reply also. I am not satisfied with the answer because I had asked about the monitoring system and accountability system. The specific verdict of the Supreme Court is there, and apart from the verdict of the Supreme Court, some States are appointing contractors for procurement, storage and supply of food grains.

It is mentioned in the reply that only one case is there, but my experience in my State of Maharashtra is that this is happening. I along with six MPs had visited Melghat area, which is a tribal area and I have seen it myself. The contractors are there and there is misappropriation in the quality and prices of food grains. Further, the stocks that are there are also not properly maintained. We have to look into this matter, and accountability should be fixed on somebody for this. I feel that nothing will happen if it is not done, and the scheme will be there for namesake only. Hence, I wish that the hon. Minister will provide some answer for this issue.

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, यह अपने स्टेट महाराष्ट्र के बारे में जानना चाहते हैं। 11.6.2010 को एक शिकायत मिली थी, जिसमें ग्रुप ऑफ एसएजीज, सेल्फ-हैल्प-ग्रुप की यह शिकायत थी, जिसमें इन्होंने कहा था, that there was misappropriation of SNP funds. It alleged misappropriation of ` 1,500 crore meant for Take Home Ration (THR) by allocating it to the manufacturing units.

इसमें राज्य सरकार का तीन नाम से फाइल हुआ, कोर्ट केस हुआ और कोर्ट की डायरेक्शन्स मिलीं। इसमें कुछ पाया नहीं गया। इसके बाद रिट पेटीशन जो इंडिविजुअल और महिला कोआपरेटिव सोसायटी ने मुम्बई और नागपुर हाई कोर्ट में की थी, ये पेटीशन्स कोर्ट द्वारा डिसमिस की गईं और कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को फिर भी पूछना है, तो दोबारा वहां आएं, लेकिन आपके यहां से कोई भी कोर्ट में नहीं गया, इसलिए दोबारा इसके अगेन्स्ट कोई बात नहीं हुई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वह जवाब दे रही हैं।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: महाराष्ट्र में जो कोआर्डिनेटर सिस्टम बंद किया गया है, एसएचजी का खाना दिया जाता है। कांट्रेक्टर सिस्टम खत्म हो गया है। मेरा मानना है कि कहीं भी कोर्ट के आदेश अनुसार कांट्रेक्टर सिस्टम नहीं है। आंगनवाड़ी को मैनुफैक्चरर सप्लाई करता है, टेक होम वही राशन दिया जाता है। महाराष्ट्र में छह लोगों ने कोर्ट में जो

कम्प्लेंट की है, यह कोर्ट का निर्णय है। उसमें कहा कि इसके बाद भी अगर कोई शिकायत है, तो कोर्ट में आएं। कोई भी कोर्ट में नहीं गया, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उसे ठीक मान लिया है। ...(व्यवधान)

श्री गजानन ध. बाबर : महोदया, महिला बाल विकास मंत्रालय करोड़ों रुपए बाल विकास योजनाओं पर खर्च कर रहा है। प्रदेश में लगभग साठ प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। बाल विकास के लिए चल रही सम्पूर्ण योजनाओं का लाभ गरीब और निचले वर्ग के बच्चों को नहीं मिल रहा है। यह चिंता का विषय है। इस बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने प्रतिवर्ष कुपोषण से होने वाली अप्रिय घटनाओं को कम करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है तथा पिछले एक वर्ष में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को अदब से बताना चाहती हूं कि कुपोषण केवल खाने से नहीं है। हम एसएनपी द्वारा कुपोषण को दूर करने की बात कहते हैं, उसे यूनीवर्सलाइज किया गया। देशभर में 14 लाख आंगनवाड़ी सैंक्शन की गईं। कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पैसा बढ़ाया गया, उस पैसे से हर सैंटर को आईसीडीएस स्कीम है, उस सैंटर पर सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाता है। उसके साथ जो मोनिटरिंग कमेटी बनाई गई, उसमें पांच एमएलएज़ और पांच जनता के प्रतिनिधि सांसद हैं, उन्हें भी स्टेट लेवल पर रखा जा रहा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर, पंचायतों को, मदर कमेटीज़ की इसमें इन्वोल्वमेंट की जा रही है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस कुपोषण को दूर करने के लिए आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत जिन बच्चों को आंगनवाड़ी पर एसएनपी दिया जा रहा है और उसके साथ व्हीट बेस्ड न्यूट्रीशन प्रोग्राम दिया जा रहा है। जिन-जिन राज्यों ने मांग की है, उनके लिए यहां से बीपीएल रेट पर गेहूं और चावल हर राज्य को दिया जाता है। इससे कुपोषण को दूर करने की प्रक्रिया जारी है।...(व्यवधान) यह अख्तियार राज्यों को दिया गया है कि जिस राज्य ने भी जहां आंगनवाड़ी खोलने की बात कही, वहां आंगनवाड़ी खोली जा रही हैं और उनका जितना एलोकेशन है, वह एलोकेशन राज्य मांगते हैं।

जितना एलोकेशन राज्य मांगते हैं, उतना एलोकेशन हम देते हैं। मैं बताती हूं कि जो राज्य न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोग्राम के अन्तर्गत फूडग्रेन्स ले रहे हैं, जैसे 25 राज्यों ने हमसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अन्तर्गत गेहूं और चावल मांगा है, वे अंडमान निकोबार, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर, नागर हवेली, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और पूरा उत्तर प्रदेश है। 25 राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए हमसे गेहूं और चावल मांगा है, और जिन्होंने नहीं मांगा है,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया मंत्री जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बतानी चाहती हूं कि जिस जिस राज्य ने फूडग्रेन्स मांगे, हमने उन्हें प्रोपर दिये हैं। बाकी सभी राज्यों को हमने पत्र लिखा है कि आप फूडग्रेन्स मांगिए और यह जो व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसको आंगनवाड़ी सेंटर पर पूरा चलाइए। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, वे अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, दिल्ली, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली है। हमारे बार बार कहने के बावजूद ये राज्य फूडग्रेन्स मांगने को तैयार नहीं हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि आप जो प्रश्न पूछें, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपने कहा कि न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा है। राज्यों की अगर कोई ऐसी शिकायत हो तो उस विशेष राज्य के पास शिकायत भेजिए। हमारी मोनीटरिंग कमेटी में मैं खुद चाहे वह आदिवासी क्षेत्र है, चाहे वह बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उत्तरांचल का है, मैंने खुद सभी राज्यों में दौरा किया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मैंने जैसे पहले कहा कि 14 लाख आंगनवाड़ी सैंक्शन्ड हैं लेकिन जो राज्य और चाहते हैं, वे हमें लिख सकते हैं। बाकी जो राज्य अभी नहीं मांग रहे हैं। हमारे बार बार पत्र लिखने के बावजूद वे राज्य हमसे नहीं मांग रहे हैं। यह जिम्मेदारी राज्यों की भी है। जब राज्य मांगें कि हमें इसकी डिमांड है, हम वह देने के लिए तैयार हैं। हमारी मोनीटरिंग कमेटी काम करती है। मैं खुद राज्यों में जाकर दौरा करती हूं।...(व्यवधान) इस देश के बच्चे और महिलाएं हमारी हैं। जो प्रश्न उन्होंने किया, मैंने उसका उत्तर दिया। अगर उनका कोई और प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि एक तो जो खाना आपका बन रहा है, उस पर शिकायत पूरे हाउस को है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे, यह कहना चाहूंगा कि जो खाना तीन टाइम मिलता है, हमें ऐसा बताया जा रहा है, वह खाना एक टाइम भी नहीं मिलता है। खाने की जो हालत है, वह बहुत खराब है। इसके पीछे क्या कारण है? जो आंगनवाड़ी वर्कर को ओनरेरियम दिया जा रहा है, वह 1800-1500 रुपये दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हं कि जो ओनरेरियम आप दे रहे हैं, देखा जाए तो उसे मिनिमम वेजेज भी नहीं मिल रही है। असली कारण ढूंढ़िए। एक औरत जिसे पार्ट टाइम आपने रखा है, उसे फुल टाइम कर्मचारी

* Not recorded

की तरह आना पड़ता है और दोपहर को खाना खिलाने के बाद जाना पड़ता है। अगर उसको तनख्वाह नहीं देंगे तो वह कहां से आएगी, कहां से खर्च करेगी? असली कारण यह है कि उसका ओनरेरियम कम से कम 5000 रुपये होना चाहिए।

श्रीमती कृणा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहती हूं कि यह प्रश्न ऑनरेरियम से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्य ने खाने के बारे में कहा है, जो खाना आंगनवाड़ी में बन रहा है, वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार से जितनी डिमांड राज्य करता है, उसे दी जाती है। अगर किसी राज्य की शिकायत है तो वह मुझे शिकायत भेज सकता है, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा।

संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न में छः खंड हैं और इन खंडों का साधारण सा जवाब है कि भ्रटाचार में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यही जवाब मिला है। मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि तीन सालों में केवल आठ भ्रटाचार के मामले आए हैं। इनमें सारे सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या कोई एक जनप्रतिनिधि बताएगा कि एक पंचायत में आठ भ्रष्टाचार के मामले नहीं हैं? आईसीडीसी का पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।

दूसरी बात है कि स्कूल के बच्चों की मॉनिटरिंग कमेटी बनती है। क्या इसी तरह से आईसीडीएस के लिए, जो बच्चे वहां जाते हैं, उनके गार्जियन की कमेटी बनेगी? उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए। मैं जन प्रतिनिधि हूं मेरे यहां ऐसी भी पैरवी आती है कि आप सीडीपीओ को बोलो कि 2000 रुपए महीना फिक्स कर दे। तब हमें इतनी शर्म महसूस होती है जब इस तरह की पैरवी आती है। वे कहते हैं कि नहीं इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर को पैसा चाहिए, सीडीपीओ को पैसा चाहिए। जब सब भ्रष्टाचार में डूबे रहेंगे तो कैसे कोई काम करेगा? मेरा कहना है कि जिस तरह स्कूलों में बच्चों की मॉनिटरिंग कमेटी है, उसी तरह गार्जियन की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। अगर व्यापक अधिकार न देकर शिकायत का अधिकार रहेगा तो हर आंगनवाड़ी वाला महीना देता है तो एक्शन क्या होगा? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके गार्जियनों को व्यापक अधिकार देने की कोई योजना है या नहीं?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि बार-बार कहा जा रहा है कि हमारे पास आठ केसिस आए हैं। अगर इनके पास और केसिस हैं तो वे भेज सकते हैं। जिस राज्य की शिकायत है उसे भेजिए क्योंकि उसी राज्य को पत्र लिखा जाता है। उस पर क्या एक्शन लिया गया और सच्चाई क्या है, मांगा जाता है।

माननीय सदस्य ने मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में पूछा है। मैं कहना चाहती हूं कि कई राज्यों में मदर्स कमेटी बनी है। राज्यों ने अपने हिसाब से कमेटी बनाई है। हमने सबला में मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल स्टेट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट, ब्लाक और विलेज लैवल तक कमेटी बनाई है। हमने इसमें कम्पोजिशन दिया है, सैक्रेट्री, मिनिस्ट्री

ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का चेयरमैन होगा। सैक्रेट्री प्लानिंग, सैक्रेट्री मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सैक्रेट्री मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर होंगे।...(व्यवधान) माननीय महोदया, अगर ये बात सुनें तो मैं उत्तर दूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उत्तर सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ: माननीय सदस्य ने कमेटी की बात कही है। कई राज्यों में मदर्स कमेटी हैं और हमने जो कमेटी सबला में बनाई है, उसी कमेटी को आईसीडीएस की कमेटी के साथ जोड़ेंगे जिसकी निगरानी आईसीडीएस रखेगी। हम यह कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं।

(Q. No. 443)

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने पूरी दुनिया की एक ऐसी बीमारी के संबंध में प्रश्न किया था जिसे बीमारी की मां कहा जाता है क्योंकि जिसे यह बीमारी हो जाती उसे 25 बीमारियां घेर लेती हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने डायबिटीज की भारतीय चिकित्सा पद्धति के संबंध में जो उत्तर दिया है, उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। क्लिनिकल एस्टाबलिशमेंट बिल चंद दिनों पहले पास हुआ है। इसके अनुसार अगर कोई योग कराने वाला पार्कों, स्टेडियम में जाकर योग कराता है तो उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा। जबकि आपने अपने जवाब में कहा है कि इसके माध्यम से डायबिटीज जैसी बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति का ऐसा तरीका जिसमें योग हो, आहार का नियंत्रण हो, प्राणायाम हो, क्या इस संबंध में कोई योजना है जिसके माध्यम से आम आदमी को सस्ता सुलभ इलाज मुहैया कराया जा सके?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का ध्यान आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ है। हमारे यहां आयुर्वेद और एलोपेथिक इलाज है। आयुर्वेदिक का एक फुल ट्रैंच डिपार्टमेंट है और सैक्रेट्री भी हैं। इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। डायबिटीज के बारे में उत्तर में भी कहा है कि आयुर्वेद में बहुत सी कॉम्बिनेशन हैं - आयुर्वेद, युनानी और सिद्धा। इसमें डाइट कंट्रोल है, दवाइयां हैं, योगा है और एक्सरसाइज है। ये तमाम चीजें सिर्फ डायबिटीज के लिए हैं, बाकी चीजों के लिए भी दवाइयां हैं। माननीय सदस्य ने सवाल में पूछा है कि क्या ये उपलब्ध हैं? पहले आयुर्वेद डिसपेंसरी अलग थी, इसका आइसोलेशन था। हमने एक चीज नेशनल रूरल हैल्थ मिशन में की है और मिशन में कोलोकेशन किया है। जहां भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नई बिल्डिंग बनेगी, उसी में कुछ कमरे आयुर्वेद डिसपेंसरी के रखे जाएंगे। सब-डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग प्राइमरी हैल्थ सैंटर लैवल तक बनेगी, उसमें इनका कोलोकेशन होगा। जहां नई बिल्डिंग्स बनी हैं वहां कोलोकेशन हुआ है। एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे हुआ है। जहां नई बिल्डिंग बन रही हैं या अगले पांच सालों में बनने वाली हैं, हम सब जगह कोलोकेशन की बात करते हैं। आपने तीन-चार चीजों के बारे में विशेष रूप से बात की है, यह आसनों में है, वज्रासन, मंडूकासन, भुजंगासन, सर्वांग आसन, हलासन, प्राणायाम, कपाल भाति, अनुलोम विलोम है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने यह पूछा है, आपने शायद उस तरफ ध्यान नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप इधर संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय सदस्य ने पूछा है कि दवाई और डाइट के अलावा आसन और बाकी चीजें हैं? उन्होंने सिर्फ एक आसन बताया था, मैंने बहुत से आसन बता दिए।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : अध्यक्ष महोदया, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्लीनिकल एस्टेबिलिशमेंट बिल के माध्यम से इन्होंने पूरे देश में योग और प्राणायाम जैसे योग बंद करा दिये हैं। आप एक आम आदमी की बात करते हैं। अगर योगा के माध्यम से वह अपनी डॉयबिटीज या रक्तचाप कंट्रोल करना चाहता है तो उसमें आपने आर्थिक दंड का प्रावधान किया हुआ है। ऐसी स्थिति में योगा और आसन किस तरीके से हम किसी गांव में जाकर बैठ कर करवा सकते हैं?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैडम, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो क्लिनिकल इस्टाब्लिशमैन्ट रेगुलेशन बिल लाया गया है, उसमें हम किसी चीज को बंद नहीं कर रहे हैं। उसका सिर्फ यही मतलब है कि आज हमारे देश में चाहे पब्लिक सैक्टर हो या प्राइवेट सैक्टर हो, उसमें कितने डाक्टर्स हैं, उनकी क्या संख्या है, उनके पास क्या इक्युपमैन्ट्स हैं, क्या उस डाक्टर और इक्युपमैन्ट की यह क्षमता है कि वह पेशेन्ट का इलाज कर सके? यदि माननीय सदस्य पूछते हैं कि आज हमारे देश में कितने डाक्टर्स हैं, प्राइवेट सैक्टर में कितने हैं और गवर्नमैन्ट सैक्टर में कितने हैं? आज हमारे पास प्राइवेट सैक्टर और गवर्नमैन्ट सैक्टर में कितने बैड्स हैं? आज हमारे पैरामैडिकल और नर्सेज कितनी हैं? आज हमारे इक्युपमैन्ट्स की क्षमता कितनी है? ये तमाम चीजें अंदाजे से बताई जाती हैं, हमारे पास इनका कोई रिकार्ड नहीं है। इसीलिए जब क्लिनिकल इस्टाब्लिशमैन्ट बिल दोनों सदनों में पास हुआ तो उसकी नेशनल लैवल ,स्टेट लैवल और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एक अथारिटी बनी। जो नेशनल लैवल पर है, वह केवल उनके लिए बनायेगी और इसे एक साल में कैटेगराइज करना है। हिंदुस्तान में जो भी हास्पिटल्स हैं, चाहे वह एक डाक्टर का हो, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हो या गवर्नमैन्ट सैक्टर में हो, उसका नाम होगा। उसके पास कितने कमरे हैं, उसकी क्षमता, उसकी मशीनरी कितनी है? ताकि हमारे देश में ब्लाक लैवल, गांवों से लेकर नेशनल लैवल तक हमें स्वास्थ्य के बारे में मालूम पड़ेगा कि हमें कितनी जरूरत है और हमारी कितनी क्षमता है। हम किसी को बंद नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता जो क्वैक्स थे, उन्हें इससे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि वे लोग बैग उठाते हैं और चल देते हैं। वे जिसको मर्जी आये बुद्धू बनाते हैं। परंतु अब वे लोगों को बुद्धू नहीं बना पायेंगे। क्योंकि जिसके पास एक क्षमता होगी, जो रिकार्डेड होगा, वही इलाज करेगा, यदि नहीं होगा तो वह नहीं कर पायेगा। ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न खत्म नहीं हुआ है।

श्री धनंजय सिंह : अध्यक्ष महोदया, क्वैश्चन के सी. पार्ट के संदर्भ में मंत्री जी से पूछा गया था कि डायबिटीज के कितने केसिज पिछले तीन वर्षों में हुए हैं। इस पर आपकी तरफ से जवाब आया है कि इस तरीके के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरीके के आंकड़ों को केन्द्रीय स्तर पर रखने में दिक्कत क्या है? जब हमारे पास भारतीय सांख्यिकीय संगठन मौजूद है और अक्सर मैं देखता हूं कि संसद में हमारे माननीय सदस्यों के

द्वारा आंकड़े जानने के संबंध में बहुत से सवाल आते हैं। जब केन्द्रीय स्तर पर हम ऐसे संगठनों को मजबूत नहीं करेंगे और जब सवाल पूछे जायेंगे तो हम लोग आंकड़े इकठ्ठे करते हैं। हम लोगों ने स्पेशली भारतीय सांख्यिकीय संगठन बना रखा है तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस तरीके के आंकड़े राष्ट्रीय महत्व के हैं, इस तरीके के आंकड़ों को केन्द्रीय स्तर पर जरूर रखना चाहिए। इससे जब हम सवाल पूछते हैं तो समय जाया हो जाता है और जो अतिरिक्त खर्च आता है, उस पर भी अंकुश लगेगा।

हम देखते हैं कि आम आदमी भी आरटीआई के तहत आंकड़े संबंधी सवाल बहुत पूछते हैं। जब इस तरीके के सवाल बार-बार हम लोगों के सामने आ रहें हैं तो सरकार इसके लिए यह प्रयास करे कि हमारे सांख्यिकीय संगठन और इंडियन सैम्पल सर्वेज आदि संगठनों को मजबूत करे और सारे डाटा नेशनल लैवल पर होने चाहिए। ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाये। चूंकि आपने स्पेशली कहा कि इस तरीके के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसे मजबूत करने की दिशा में क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं, ताकि भविष्य में ये आंकड़े तैयार रहें? कृपया इस बारे में बतायें।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लेकिन दोनों सवालों में बराबर कंट्राडिक्शन है। पहले वाले कहते हैं कि आप आंकड़े मत जमा करिये और दूसरे वाले कहते हैं कि आंकड़े जमा करिये। जबकि क्लिनिकल इस्टाब्लिशमैन्ट बिल इसीलिए लाया गया है ताकि हमारे पास स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पूरे देश के आंकड़े आ जाएं। लेकिन इन्होंने विशेष तौर पर डायबिटीज के बारे में बताया है, लेकिन यह केवल डायबिटीज के बारे में नहीं है, जितनी भी बीमारियां हमारे देश में हैं, उनका आकलन अंदाजे और सर्वे के आधार पर किया जाता है।

मेरा अपना अनुमान है जिससे बहुत सारे उससे एग्री करते हैं, नहीं करते हैं कि जब हम आंकड़े लगाते हैं तो सर्वे शहरों में होता है, वह लद्दाख के पहाड़ों पर नहीं होता है, हिमालय के पहाड़ों पर नही होता है, यह लाहौल-स्पीति में नहीं होता है, भरमौर में नहीं होता है, आईलैंड्स और रेगिस्तान हैं, उनमें सर्वे नहीं होता है। हम जानते हैं कि सर्वे कैसे होता है? इसलिये, मैंने हैल्थ मिनिस्ट्री में दुनिया का कार्डियो-वैस्कुलर और डॉयबटीज़ का सब से पहला और बड़ा कार्यक्रम शुरु किया है। हमने एक साल पहले उसे कंसीव किया। मेरे व्यक्तिगत तजुर्बे की बुनियाद पर किया है। मैंने खुद कभी डॉयबटीज़ टैस्ट नहीं किया था। जब इत्तफाक से किया तो थोड़ा सा बॉर्डर पर निकला। मैंने सोचा कि जब 31 साल पार्लियामेंट में रहकर खुद नहीं कर पाया तो हिन्दुस्तान में ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिन्हें जानकारी नहीं होगी। मैंने उस दिन निर्णय ले लिया कि अब इन आंकड़ों से काम नहीं बनेगा। जब मेरा किसी को मालूम नहीं है कि दिल्ली में बैठकर मुझे डॉयबटीज है तो गांवों में किसका आंकड़ा कहां से होगा? इसलिये हमने यह स्कीम बनायी। मैं इसके लिये माननीय. प्राइम मिनिस्टर और फाईनैंस मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अप्रूवल दिया, कैबिनेट

से हुआ और हम लांच कर रहे हैं। हम सैम्पल के तौर पर 100 जिले ले रहे हैं। माननीया स्पीकर साहब का जिला मुझे याद है क्योंकि वह मैंने उस स्कीम में डाला है। हम इस साल सैम्पल के तौर पर 100 जिले ले रहे हैं...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण जवाब है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप जवाब नहीं दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : जवाब ही दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कर रहे हैं, उसके बाद बता रहा हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जवाब देने दीजिये।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम ये 100 जिले 20 राज्यों से लेंगे। हमने इन 20 राज्यों से वे तमाम जिले लिये हैं जो पिछड़े हुये हैं, जो पैरिफेरेल हैं। ऐसा नहीं कि शहर के पास वाले लिये हैं। उसके साथ 13 राज्यों के शहर भी लिये हैं क्योंकि शहरों में गरीबों का अरबनाइजेशन हो गया है, बहुत से गरीब लोग झुग्गी-झोंपड़ियों से आते हैं, उनका किसी ने टैस्ट करना नहीं है, न उनके पास पैसा है। इस तरह से 10 लाख की आबादी वाले जो 33 शहर हैं, उन्हें भी लिया है। इस प्रकार गावों और शहरों का बराबरी के हिसाब से लिया है। हमारा कार्यक्रम है कि एकाध साल में कुछ करोड़ लोगों का न केवल डॉयबटीज का सैम्पल लेंगे बल्कि दूसरी बीमारी कार्डियो-वैस्कुलर का भी लेंगे। अगर हम सब यहीं रहेंगे तो अगले पांच साल में हमारी कोशिश है कि पूरे देश के सभी लोगों का कार्डियो-वैस्कुलर और डॉयबटीज का सैम्पल लेंगे।

डॉ. ज्योति मिर्धा : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने एक बड़ा ही कंट्रोडक्ट्री स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 'देश के जो पिछड़े जिले हैं, उनमें टैस्ट करवायेंगे जहां से हमें आंकड़ें मिलेंगे।' प्रश्न के डी भाग के उत्तर में उन्होंने कहा है कि These diseases are attributed to urbanisation effluents and life style changes. माननीय मंत्री जी ने जो डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम बनाया है, उनमें कैंसर, डॉयबटीज, कार्डियो-वैस्कुलर और स्ट्रोक डिज़ीज़ेज के नाम बताये हैं। मैं निवेदन करूंगी कि इसमें औस्टो आर्थराइटिस और एजिंग को भी जोड़ा जाये क्योंकि ये सभी डीजैनरेटिंव डिज़ीजेज की कैटेगरी में आते हैं। उनका कहना है कि उनके पास दो इंटरावेंशन्स हैं। एक- एलोपैथिक और दूसरा- आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी जो आयुष का सिस्टम है, योगासन और प्राणायाम से हम करते हैं। इसमें सब से जरूरी बात यह है कि आखिर डॉयबटीज आदमी को किस कारण से होती है? डॉयबटीज का मुख्य कारण होता है- बैड फैट का कंजम्पशन। आपका जो सैल मैमोरेन बनता है वह फैट से बनता है। जब आप गलत फैट्स लेंगे तो वह करप्ट हो जाता है, वह ऑक्सीजन को पहचान नहीं पाता है, इसलिये आपको कैंसर होता है। वह इन्सुलिन को पहचान नहीं पाता है, इसलिये आपको डॉयबटीज होती है। इस तरीके के कई प्राईमरी कारण हैं। जब तक आप उनको आइडैंटिफाई नहीं करेंगे, तब आप इंटरावैंशन क्या करेंगे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सवाल करिये।

डॉ. ज्योति मिर्धा : मेरा मंत्री जी से पूछना है कि जब वह सारे आंकड़े प्राप्त कर लेंगे तो हमारी सरकार क्या फैसला लेगी और इन आंकड़ों के आधार पर डॉयबटीज, औस्टो आर्थराइटिस और कैंसर पेशंट्स के लिये आप क्या इंटरावेंशन कर रहे हैं?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, प्रश्न पूछने वाली एम.पी. खुद डॉक्टर हैं, इसलिए वे उसके बारे में जानती हैं। इन्होंने ठीक बताया कि यह लाइफ स्टाइल से हो गया। हमारे यहां फैट्स खाने की ज्यादा आदत है और खास तौर से जब से अर्बनाइजेशन हो गया, वह कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, Urbanisation is not the only factor. It is a contributory factor. क्योंकि लोग टैक्सी, गाड़ी, बस में चलते हैं। पैदल चलना-फिरना नहीं होता है। क्योंकि इसमें लाइफ स्टाइल होना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। पहाड़ों में, देहातों में लोग ऊपर-नीचे पैदल चलते हैं, जिससे वहां अपने-आप ही लाइफ स्टाइल बदल जाती है। ये तमाम कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग सुनिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : हमने जो कार्यक्रम लिया है, जैसा मैंने कहा कि सैम्पल के तौर पर एक सौ एक, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक सौ डिस्ट्रिक्ट और 33 शहर कोई कम नहीं है। यह केवल पायलट नहीं है, यह अपने-आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कई करोड़ लोगों का टैस्ट लेना होगा, लेकिन केवल टैस्ट ही नहीं होगा, इसमें तकरीबन कई सौ सब-डिस्ट्रिक्ट्स और तकरीबन 22 हजार के करीब सब-सेन्टर्स इन्वॉल्व होंगे और एक सौ डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। जहां-जहां टैस्ट किये जायेंगे, वे पूरे कार्डियो वैस्कुलर से, वैस्कुलर के मुतालिक, केवल एक चीज डायबिटीज की नहीं, प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर जो हो सकता है, वह प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर होगा। जिनका टैस्ट में ज्यादा आयेगा, बीमारी की ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं, वे सब डिस्ट्रक्ट्स पर होंगी। ज्यादा बीमारी होगी तो ईसीजी लेवल आदि करना होगा तो उसे प्राइमरी हैल्थ सेंटर, आशा या एएनएम नहीं कर पायेंगी, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। उसका एक मैनेजमेंट होगा। जब हमारे पास पूरे देश के टैस्ट के आंकड़े आयेंगे तो वे तीन कैटेगरीज़ के लोगों के आंकड़े आयेंगे। एक जिनको डायबिटीज और कॉर्डियो वैस्कुलर से जुड़ी बीमारी है। क्योंकि कॉर्डियो वैस्कुलर बीमारियां इससे और काम्पलीकेटिड हो जाती हैं। अगर हमें कॉर्डियो वैस्कुलर बीमारियों को रोकना है, हमें दिल की बीमारी को रोकना है, हमें किडनी की बीमारी को रोकना है, जो हीलिंग ऑपरेशन वगैरह दूसरी चीजों से नहीं होती हैं, अगर उसे रोकना है तो हमें डायबिटीज को रोकना है। डायबिटीज को रोकने के लिए हम तीन चीजें करेंगे। एक जिनकी डायबिटीज बॉर्डर पर है, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत होगी, उनके लिए हम रीजनल टेलीविजन, रेडियो और अखबार को इस्तेमाल करेंगे और जिनकी डायबिटीज बॉर्डर से ऊपर है, उन्हें क्या-क्या दवाई देनी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप सुनिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : वह भी जानकारी हम मीडिया के जरिये देंगे। जिन्हें इंसुलिन देने की जरूरत होगी, उनका अलग से ट्रीटमेंट होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, इस प्रश्न के भाग ई में यह पूछा गया था कि " क्या मधुमेह का उपचार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में उपलब्ध है?" मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियां एलोपैथिक की तरह काम नहीं करती हैं, वे केवल शरीर की जटिलताएं कम करती हैं या उसमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती हैं और योग और नैचुरोपैथी भी थोड़ी कारगर है। मंत्री जी, यह जवाब सत्य से बिल्कुल परे है, क्योंकि मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि एलोपैथिक दवाईयां केवल डायबिटीज को मैनेज करती हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धतियां डायबिटीज को पूरी तरह जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो चुकी हैं। एलोपैथिक इलाज में केवल इंसुलिन या मैडिसन हैं और अगर रोगी टेबलेट या इंसुलिन पर आ जाता है तो उसे वह ताजिन्दगी लेना पड़ता है। जोकि प्रबन्धन कहलाता है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जो जड़ से बीमारी को उखाड़ देती हैं। योगासन और प्राणायाम डायबिटीज होने भी नहीं देते हैं और ये लोगों का इंसुलिन भी छुड़वा देते हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि होना तो यह चाहिए कि आपका आयुष विभाग इन चिकित्सा पद्धतियों के प्रभावीपन का प्रचार करें, लेकिन आपका उत्तर उनके प्रभावीपन को कम करके दिखा रहा है। इसलिए उन चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, समय कम है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, दूसरा मेरा आपसे यह कहना है कि आपने जो आंकड़ा दिया है कि वर्ष 2030 तक लगभग 8 करोड़ रोगी मधुमेह के हो जायेंगे। यदि आप स्कूलों में योगासन और प्राणायाम प्रारम्भ करवा दें तो यह 8 करोड़ की संख्या बहुत घट जायेगी और आगे आने वाले समय में मधुमेह के रोगी समाप्त हो जायेंगे। यह मेरा आपसे कहना है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आपने क्वेश्चन एफ के बारे में बात की, लेकिन आप ई भाग को भूल गयीं। क्वेश्चन ई में हमने पहले ही जवाब दिया है।

> "Under the Indian Systems of Medicine, diabetes can be managed effectively through diet, medicines, Yoga and exercise. Treatment through this system is based on the body mind constitution of a patient and degree and chronocity of the disease. Various combinations of ASU (Ayurvedic, Unani and Siddha) medicines and treatment regimen are provided by the ASU physicians and hospitals throughout the country."

हमने यह नहीं कहा है कि नहीं करते हैं। हमने यह कहा है कि इसका इलाज है, अलबत्ता क्योंकि एलोपैथी से जल्दी और तुरंत असर होता है, और दूसरी पद्धतियों में समय लग जाता है, तो लोग चाहते हैं दूसरी पद्धतियों से इलाज कराएँगे तो शायद एक महीना लग जाएगा, 15 दिन लगेंगे, एलोपैथी खाओ तो एक घंटे में असर हो जाएगा। मैंने

उनको अंडरमाइन नहीं किया है। मैंने सबसे पहले कहा है कि इसका इलाज है और किस-किस बीमारी के लिए है और कहाँ-कहाँ उपलब्ध है। हमने सिर्फ यह बताया है कि लोग इसको प्रायॉरिटी देते हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि इसको नहीं खाना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (DR. M.S. GILL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 3047/15/10)

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

MADAM SPEAKER: Shri Dinsha Patel --- Not present.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Action Taken Report (Hindi and English versions) on the recommendations contained in the Annual Report of the National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3049/15/10)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2007-2008.

(iii) A copy of the Action Taken Report (Hindi and English versions) on the recommendations contained in the Annual Report of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2007-2008.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 3050/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, I, on behalf of Shri Srikant Jena, beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata, for the year 2007-2008.

(ii) Annual Report of the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3051/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY MAKEN): Sir, I, on behalf of Shri Mullappally Ramachandran, beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Daman & Diu Private Security Agencies Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. 1/DC/Home/7/DDPSAR/2009-2010/42 in Official Gazette of U.T. Administration of Daman and Diu dated 21st August, 2009, under sub-section (4) of Section 25 of Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3052/15/10)

(3) A copy of the State Emblem of India (Regulation of Use) Amendment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 629(E) in Gazette of India dated 23rd July, 2010, under sub-section (3) of Section 11 of State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005.

(Placed in Library, See No. LT 3053/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951:-

(1) The Newsprint Control (Amendment) Order, 2010 published in Notification No. S.O. 1862(E) in Gazette of India dated 30th July, 2010.

(2) The Newsprint Control (Amendment) Order, 2010 published in Notification No. S.O. 1863(E) in Gazette of India dated 30th July, 2010.

(3) The Newsprint Control (Amendment) Order, 2010 published in Notification No. S.O. 1864(E) in Gazette of India dated 30th July, 2010.

(4) The Newsprint Control (Amendment) Order, 2010 published in Notification No. S.O. 1865(E) in Gazette of India dated 30th July, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 3054/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY MAKEN): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Central Industrial Security Force Security Wing (Subordinate Ranks) Recruitment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 459(E) in Gazette of India dated 1st June, 2010, under sub-section (3) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968.

(Placed in Library, See No. LT 3055/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the National Jute Board Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 657(E) in Gazette of India dated the 4th August, 2010, under Section 23 of the National Jute Board Act, 2008.

(Placed in Library, See No. LT 3056/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, I, on behalf of Shri S.S. Palanimanickam, beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980:-

(i) Report on the working and activities of the Andhra Bank for the year 2009-2010, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(ii) Report on the working and activities of the Bank of India for the year 2009-2010, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(iii) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2009-2010, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 3057/15/10)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (3) of Section 21 of the Coinage Act, 1906:-

(i) The Coinage of the One Hundred Rupees and Five Rupees coined to Commemorate the occasion of "150 Years of Kuka Movement" Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 667(E) in Gazette of India dated 11th August, 2010.

(ii) The Coinage of the One Hundred Rupees and Five Rupees coined to Commemorate the occasion of "BIRTH CENTENARY of Mother Teresa" Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 668(E) in Gazette of India dated 11th August, 2010.

(iii) The Coinage of the One Hundred Rupees and Five Rupees coined to Commemorate the occasion of "C. SUBRAMANIAM BIRTH CENTENARY" Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 669(E) in Gazette of India dated 11th August, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 3058/15/10)

(3) A copy of the CENVAT Credit (Fourth Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 575(E) in Gazette of India dated the 1st July, 2010, under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 3059/15/10)

(4) A copy of the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 595(E) in Gazette of India dated the 12th July, 2010, under Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

(Placed in Library, See No. LT 3060/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): Sir, I, on behalf of Shrimati Preneet Kaur beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3061/15/10)

(3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of World Affairs, New Delhi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 3062/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Kerala Agro Industries Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2004-2005.

(ii) Annual Report of the Kerala Agro Industries Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2004-2005, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 3063/15/10)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Maharashtra Agro-Industries Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Maharashtra Agro-Industries Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3064/15/10)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (4) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964:-

(i) The Food Corporation of India (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. EP.1(2)/2010 in Gazette of India dated 16th July, 2010.

(ii) The Food Corporation of India (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. EP.1(1)/2010 in Gazette of India dated 20th July, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 3065/15/10)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Society for Advancement of Villagers and Empowerment Rehabilitation of All, New Delhi, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Society for Advancement of Villagers and Empowerment Rehabilitation of All, New Delhi, for the year 2007-2008.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 3066/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI GURUDAS KAMAT): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Indian Post Office (Third Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 789(E) in Gazette of India dated the 29th October, 2009 under sub-section (4) of Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3067/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Other Beneficiaries and Members of their Families Medical Facilities Scheme, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 654(E) in Gazette of India dated 4th August, 2010, issued under Section 73B of the Employees' State Insurance Act, 1948.

(2) A copy of the Employees' State Insurance (Central) (2nd Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 115 in Gazette of India dated 17th July, 2010, under sub-section (4) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948.

(Placed in Library, See No. LT 3068/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the each of the following notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(1) The Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2010, published in Notification No. 502/6/2009/DP&D/D-I in weekly Gazette of India dated 2nd July, 2010.

(2) The Central Electricity Authority (Grid Standards) Regulations, 2010, published in Notification No. 12/X/STD(GRID)/GM/CEA in weekly Gazette of India dated 2nd July, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 3069/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3070/15/10)

(3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jansankhya Sthirata Kosh, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 3071/15/10)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2008-2009.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 3072/15/10)

(7) A copy of the Drugs and Cosmetics (5th Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 602(E) in Gazette of India dated 19th July, 2010, under Section 38 of Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(Placed in Library, See No. LT 3073/15/10)

(8) A copy of the Notification No. S.O. 1855(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th July, 2010, appointing the 29th day of July, 2010, as the day on which provisions of different sections, mentioned therein, of the Food Safety and Standards Act, 2006 shall come into force, issued under sub-section (1) of Section 1 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 3074/15/10)

(9) A copy of the Prevention of Food Adulteration (3rd Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 488(E) in Gazette of India dated 9th June, 2010, under Section 23 of Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

(Placed in Library, See No. LT 3075/15/10)

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2008-2009.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(Placed in Library, See No. LT 3076/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Kumarakruppa Frontier Hotels Private Limited, New Delhi, for the year 2007-2008.

(ii) Annual Report of the Kumarakruppa Frontier Hotels Private Limited, New Delhi, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3077/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, I, on behalf of Shri D. Napoleon, beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 3078/15/10)

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, for the year 2008-2009.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 3079/15/10)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai, for the year 2008-2009.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 3080/15/10)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata, for the year 2008-2009.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 3081/15/10)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun, for the year 2008-2009.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in Library, See No. LT 3082/15/10)

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pandit Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pandit Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi, for the year 2008-2009.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(Placed in Library, See No. LT 3083/15/10)

(13) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Handicapped Finance & Development Corporation and the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 3084/15/10)

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 3085/15/10)

(15) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (14) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): Madam, I, on behalf of Shri S. Gandhiselvan beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3086/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI GURUDAS KAMAT): Madam, I, on behalf of Shri Sachin Pilot, beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3087/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (KUNWAR R.P.N. SINGH): I beg to lay on the Table:--

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under section 11 of the National Highways Act, 1988:-

(i) S.O. 1313(E) published in Gazette of India dated the 3rd June, 2010, entrusting the National Highway No. 8B (Porbandar to Rajkot to Bamanbore Section) to the National Highways Authority of India in the State of Gujarat.

(ii) S.O. 1620(E) published in Gazette of India dated the 8th July, 2010, entrusting the National Highway No. 7 (Hyderabad to Karnataka/Andhra Pradesh Border Section) to the National Highways Authority of India in the State of Andhra Pradesh.

(iii) S.O. 1298(E) published in Gazette of India dated the 1st June, 2010, entrusting the National Highway No. 7 (Hyderabad to Karnataka/Andhra Pradesh Border Section) to the National Highways Authority of India in the State of Andhra Pradesh.

(iv) S.O. 1340(E) published in Gazette of India dated the 8th June, 2010, entrusting the National Highway No. 7 (Hyderabad to Karnataka/Andhra Pradesh Border Section) to the National Highways Authority of India in the State of Andhra Pradesh.

(v) S.O. 1244(E) published in Gazette of India dated the 28th May, 2010, entrusting the National Highway No. 1 (Amritsar-Wagah Border Section) to the National Highways Authority of India in the State of Punjab.

(vi) S.O. 881(E) published in Gazette of India dated the 19th April, 2010, entrusting the National Highway No. 8 to the National Highways Authority of India in the State of Gujarat.

(vii) S.O. 1339(E) published in Gazette of India dated the 8th June, 2010, entrusting the National Highway Nos. 25 (Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border to Shivpuri-Bhognipur Section) and 2 (Haryana/Uttar Pradesh Border to Kanpur Section) to the National Highways Authority of India in the State of Uttar Pradesh.

(Placed in Library, See No. LT 3088/15/10)

(2) A copy of the Notification No. S.O. 1905(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 4th August, 2010, authorising the Land Acquisition Officer, Jharsuguda, as the competent authority to acquire land on the National Highway No. 200 in the State of Orissa under section 10 of the National Highways Act, 1956.

(Placed in Library, See No. LT 3089/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of Shri Vincent Pala, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 3090/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): On behalf of Shri S.S. Palanimanickam, I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. 84/2010-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 27th August, 2010, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 13/2010-Customs dated 19th February, 2010, under Section 159 of the Customs Act, 1962.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI DINSHA PATEL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises, Mumbai, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises, Mumbai, for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 3048/15/10)

12.07 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 26th August, 2010 agreed without any amendment to the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2010, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th August, 2010."

12.07¼ hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Minutes

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे और पांचवें सत्र के दौरान आयोजित पांचवीं से नौवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.07½ hrs.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

Minutes

डॉ. बलीराम (लालगंज): अध्यक्ष महोदया, मैं 19 अगस्त, 2010 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.07¾ hrs.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

8th to 11th Reports

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions):-

(1) Eighth Report on pending assurances pertaining to Ministry of Finance (Department of Revenue).

(2) Ninth and Tenth Reports on requests for dropping of assurances.

(3) Eleventh Report on pending assurances pertaining to Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).

12.08 hrs.

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
5th Report

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): अध्यक्ष महोदया, मैं "एचआईवी/एड्स की शिकार महिलाएं " विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2009-10) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

12.08¼ hrs.

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
Statements

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs:--

(1) Statement showing action taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and Chapter-V of the 5th Report (15th Lok Sabha) on action taken on the recommendations contained in the 1st Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Overseas Indian Affairs for the year 2009-2010.

(2) Statement showing action taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and Chapter-V of the 6th Report (15th Lok Sabha) on action taken on the recommendations contained in the 2nd Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2009-2010.

12.08½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
8th and 9th Reports

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways:--

(1) Eighth Report on 'Protection and Security of Railway Property and Passengers'.

(2) Ninth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations of the Committee contained in their Seventh Report (15th Lok Sabha) on 'Demands for Grants – 2010-11 of the Ministry of Railways'.

12.09 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) General discussion relating to Jharkhand Budget, 2009-10 *

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, with your permission, I would like to make a statement on the General Discussion on the Budget of Jharkhand, 2009-10.

By virtue of the Proclamation dated the 19th January, 2009, issued under Article 356 of the Constitution, the powers of the Legislature of the State of Jharkhand were exercisable by or under the authority of Parliament. Since references to the Governor and Legislature of the State in Articles 202 to 207 of the Constitution, which govern the procedure in regard to financial matter, were to be construed as references to the President and Parliament, the State Budget for the year 2009-10 had been presented in Parliament on 8th July, 2009.

At the time of General Discussion on Jharkhand Budget on 8th July, 2009, Shri Yashwant Sinha, hon. Member of Parliament alleged that the Jharkhand Budget was leaked in the newspapers at Ranchi before it was presented to the Lok Sabha.

I had stated in the House that the matter will be looked into and I shall keep the House informed. The Government of Jharkhand was requested to examine the issue of leakage of Jharkhand General Budget 2009-10 before presentation in the Lok Sabha. The State Government has informed that Dainik Jagran, Ranchi edition, dated 6th July, 2009 had published a news on the Jharkhand General Budget 2009-10 showing Revenue and Capital Expenditures under Plan and Non-Plan Heads along with corresponding figures of 2008-09 (RE) and 2009-10 (Vote on Account). The State Government has examined the matter and referred it to the

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3091/15/10

Special Branch of Jharkhand Police for investigation. It has also been informed that appropriate action will be taken by the State Government immediately on receipt of the report from the Special Branch of Jharkhand Police.

This is for the information of the hon. Member. As soon as I get further information, I will share it with him.

12.10 hrs.

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 35th Report of the Standing Committee on Urban Development on the "National Capital Region Planning Board", pertaining to the Ministry of Urban Development *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): I beg to lay the Statement in pursuance of the Direction 73A of the hon. Speaker, Lok Sabha which reads as under:-

> "The Minister concerned shall make once in six months a Statement in the House regarding the status of implementation of recommendations contained in the Reports of Departmentally Related Parliamentary Standing Committee of Lok Sabha with regard to his Ministry."

I would like to inform for the benefit of the hon. Members of the House that the Thirty-fifth Report of the Departmentally Related Parliamentary Standing Committee on Urban Development of the 14th Lok Sabha was presented to the Lok Sabha on 23rd October, 2008. Latest status of Action Taken by the Government has been indicated against each recommendation in the enclosed Statement. Action Taken Notes on these recommendations as prevailing in were sent by the Ministry of Urban Development to the Parliamentary Standing Committee on Urban Development on 18th March, 2009.

I would like to inform the hon. Members that further follow-up action wherever necessary will be taken.

The Annexure to this Statement is placed on the Table of the House.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3092/15/10

12.11 hrs.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO. 49, DATED 28.07.2010 REGARDING RELOCATION OF VILLAGERS ALONGWITH REASONS FOR DELAY *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to lay a Statement (Hindi and English versions) (i) correcting the reply given on 28.7.2010 to Starred Question No. 49 by Sarvashri Anand Prakash Paranjpe and Varun Gandhi, MPs regarding "Relocation of Villagers" and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

---

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 3093/15/10

12.12 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS- Contd.

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Power.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): I beg to lay the Statement on the present status of implementation of recommendations contained in the First Report of the Parliamentary Standing Committee on Energy in pursuance of Direction 73A of hon. Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin Part II, dated 1st September, 2004.

The 1st Report is related to "Demands for Grants of the Ministry of Power for the year 2009-10". It has 25 recommendations, all of which have been accepted by the Government.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee in the said Report is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House by reading out all the contents of this Annexure. I would request that this may be considered as read.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT. 3094/15/10.

12.13 hrs.

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 149th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the "Development of Tourism Infrastructure and other Amenities for Tourists during the Commonwealth Games – 2010", pertaining to the Ministry of Tourism *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): I beg to lay the Statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 149th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the "Development of Tourism Infrastructure and other Amenities for Tourists during the Commonwealth Games – 2010", pertaining to the Ministry of Tourism.

---

* Laid on the Table and also placed in the Library, See No. LT 3095/15/10

MADAM SPEAKER: Now, matters of urgent public importance.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी श्री चंद्रकांत खैरे जी को बोलने दीजिए, इनके बाद आप बोल लीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी श्री चंद्रकांत खैरे जी बोल रहे हैं, इनके बाद आप बोल लीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं महाराष्ट्र के एक गंभीर मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। वहां मराठी लोगों के ऊपर जो हमला हो रहा है, कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं। बेलगाम, बालकी, नेपांड़ी, धारवाड़, विदर्भ मराठी भाषित प्रांत जो है, वहां 865 गांव हैं। वहां पर जो लोगों के ऊपर अन्याय एवं अत्याचार हो रहा है, सख्ती हो रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1956 में भाषावार प्रांत रचना आयोग का निर्माण हुआ।...(व्यवधान) 105 लोग आंदोलन में मारे गए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: खैरे जी, अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री चंद्रकांत खैरे जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब यह विषय समाप्त हो गया है।

MADAM SPEAKER: Shri Khaire, you have said what you have to say. Now, nothing will go on record. Nothing is going on record.

(Interruptions) ... **

* Not recorded

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आपकी बात हो गई।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : Nothing will go on record. शरद यादव जी जो कहेंगे, वही रिकार्ड में जायेगा।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : Nothing will go on record. अब आप बैठ जाइये। अब शरद यादव जी बोलेंगे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त हो जाइये। Nothing will go on record.

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Let them go to their seats. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What do you want?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record,

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

* Not recorded

12.17 hrs.

At this stage, Shri Anant Kumar Hegde and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

12.17¼ hrs.

At this stage, Shri Chandra Kant Khaire and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): The Members are coming to the well of the House and the Leaders are seeing it. … (*Interruptions*) Madam, they promised that they would not come to the well of the House. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Ananth Kumar, you please speak.

… (*Interruptions*)

12.18 hrs.

At this stage, Shri Anant Kumar Hegde and some other hon. Members went back to their seats.

12.18 ¼ hrs.

At this stage, Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members went back to their seats.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चंद्रकांत खैरे जी, आप भी जाइये। अब आप बोल चुके। अब श्री अनन्त कुमार जी बोलेंगे।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Ananth Kumar will speak. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

गोपीनाथ मुंडे (बीड): हम इनके पक्ष में हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपने स्थान पर जाइये। अनंत कुमार जी, आप संक्षेप में बोलिये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्योंकि सब उत्तेजित हो जाते हैं, इसलिए आप संक्षेप में बोलिये।

…(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, thank you very much. I only want to state the facts. The fact is Belgaum is part and parcel of Karnataka and there are no two questions about it. Justice Mahajan Commission has already given a report and that report is to be implemented in toto. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बस, ठीक है। आपकी बात हो गई, आप बैठ जाइये। आप अपना स्थान ग्रहण करिये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया ज्यादा नहीं बोलें, सब बहुत उत्तेजित हो जाते हैं।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, आपकी बात हो गई।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब को क्यों उत्तेजित कर रहे हैं? अनंत कुमार जी, बैठ जाइये। आपकी बात हो गई।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोल रहे हैं, जब आपको मालूम है कि यह बहुत सेंसिटिव इश्यू है।

…(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : That is the only request. There is no issue between Maharashtra and Karnataka because Belgaum is part of Karnataka. … (*Interruptions*)

The Central Government has filed an affidavit to this effect..…… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठिये। आप भी बैठिये।

…(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : माननीय अध्यक्षा जी, मुझे यह कहना है कि जहां बहुभाषी हैं, वहां अल्पभाषियों पर इनजस्टिस हुआ है, इसलिए यह मांग सही है। इसके आधार पर निर्णय करना चाहिए कि कहां मराठीभाषी हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इसको बहुत संक्षेप में रखिये, क्योंकि यह इश्यू बहुत संवेदनशील है।

शरद यादव जी।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इतना उत्तेजित मत होइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Sharad Yadav says.

(Interruptions) ... *

12.20 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) RE: Alleged threat to the life of Members of Parliament by Maoists in Aurangabad, Bihar

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, पूरे देश भर में नक्सलिज्म का बहुत फैलाव हुआ है। आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में एक एमपी के भाई को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया गया। आप झारखंड में देखेंगे तो वहां राजनीतिक कार्यकताओं पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और उसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं। दो दिन पहले, इसी सदन के सदस्य श्री सुशील कुमार सिंह और बिहार विधानसभा के स्पीकर को नक्सल इलाके से जान से मारने की धमकी मिली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को आप स्वयं देखें और उनकी सुरक्षा की वाजिब इंतजाम होना चाहिए। यह गंभीर समस्या है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, मैं यही मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : सुशील कुमार सिंह जी, आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बिहार के जिस इलाके से चुनकर आता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले गया और औरंगाबाद बुरी तरह से उग्रवाद से प्रभावित हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसी गरीब को प्रताड़ित किया हो या किसी को परेशान किया हो। लेकिन उग्रवादी संगठनों के लोग दहशत फैलाने और भय पैदा करने की नीयत से हम जैसे राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देते हैं। अभी 24 और 25 तारीख को बिहार के हिंदी और अंग्रेजी दैनिक अखबारों में ये खबरें छपी हैं कि Maoists threaten to kill Aurangabad M.P. उनके सबसे मारक दस्ते गुरिल्ला आर्मी ने बाकायदा बैठक करके मीडिया के लोगों को बुलाकर संगीन के साये में एक प्रेस नोट जारी किया और कहा कि औरंगाबाद के एमपी को मौका मिलते ही हम जान से मार देंगे, उनका सफाया कर देंगे। ...(व्यवधान)

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष महोदया, आप हम सभी सांसदों की अभिभावक हैं, हम लोगों की संरक्षिका हैं। सदन में गृह राज्य मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं भारत सरकार से इस सदन का एक सदस्य होने के नाते, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, क्षेत्र में जाना मेरी मजबूरी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। मैं अपने क्षेत्र में कैसे नहीं जाऊंगा? उन इलाकों में जहां उग्रवाद का प्रभाव है, मेरा पूरा इलाका, गया और औरंगाबाद जिले उग्रवाद से प्रभावित है। मैं दिल्ली के बारे में भी कहना चाहूंगा। दिल्ली में कोबार्ट गांधी से लेकर एनसीसी के बड़े-बड़े नेता पकड़े गए। पालिका बाजार से उनके लिए वाईफाई सिस्टम लिए जा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी हुयी और वे चीजें जब्त हुयीं। दिल्ली में भी उनका प्रभाव है। इसलिए मैं दिल्ली से लेकर अपनी कांस्टीच्युएंसी तक आपके संरक्षण में सुरक्षा चाहता हूं, ताकि मैं अपने सामाजिक जीवन का, जो मेरा नैतिक कर्तव्य जनता की सेवा करना है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, मेरा जो धर्म और कर्तव्य है, उसको मैं बिना किसी डर के, निर्भीक तरीके निर्वहन कर सकूं। इसके लिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और भारत सरकार से उचित सुरक्षा चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मंत्री जी इसके बारे में कहें। ...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): हम भी इनसे सहमत हैं। सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए गृहमंत्री जी को यहां आश्वस्त करना चाहिए। ...(व्यवधान) आपका निर्देश होना चाहिए। सरकार को आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जो भी सदस्य इनसे अपने को जोड़ना चाहते हैं, अपने को संबद्ध करना चाहते हैं, वे अपने नाम सभा पटल पर भेज दें।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : गृह राज्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, उनको इस बारे में सदन को आश्वासन देना चाहिए। ...(व्यवधान) सदस्य की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। ...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): मैडम, किसी भी व्यक्ति के लिए सुरक्षा मुहैय्या कराने के पहले अलग-अलग एजेंसीज से इनपुट लेकर उसके ऊपर निर्णय किया जाता है। माननीय सदस्य और जिन भी सदस्यों को ऐसा लगता है कि उनको अपने क्षेत्र के अंदर जाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है और दिल्ली के अंदर भी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है, आपके माध्यम से या वैसे भी हमें गृह मंत्रालय में लिखें। उसके ऊपर हम जांच कराकर एजेंसी से रिपोर्ट लेकर ...(व्यवधान) बगैर एजेंसी से इनपुट लिए इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): The hon. Minister has told about it. … (*Interruptions*) What is this? … (*Interruptions*) Madam, during the "Zero Hour," there need not be any interventions by the Ministers. The hon. Member has raised the issue. The hon. Minister has responded to it.… (*Interruptions*) Then, he has to ascertain the facts.

…(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आपको इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, आप निर्देश दीजिए कि ये उनके लिए तत्काल व्यवस्था करें।...(व्यवधान) यह आपका धर्म है कि इनकी रक्षा की जाए और अगर आप रक्षा करने में असमर्थ हैं तो अपना स्थान खाली कर दें और किसी दूसरे को यह स्थान दे दें।...(व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) हमने इस तरह की बात कभी नहीं सुनी।...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Minister said that he would ascertain the facts and come back to the House because he cannot instantly reply to their queries, to the issue raised by the hon. Member.… (*Interruptions*) He cannot reply to it immediately. He will have to ascertain the facts.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हमारे सम्मानित सांसदों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है और विशेष रूप से जिन्हें ज्यादा खतरा है, उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। इसमें जो भी कार्यवाही है, आप उसे शीघ्र करवाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : महाबली सिंह जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Capt. Nishad says.

(Interruptions) ... *

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया : श्री अर्जुन राम मेघवाल, डा. राजन सुशान्त, श्री देवजी एम. पटेल और श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): अध्यक्ष महोदया, सन् 1960 में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की स्थापना सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत, जो भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है, हुई, जिसे कालांतर में सीमा सड़क संगठन के असंवैधानिक नाम से प्रचलित किया गया है। शुरू में इस विभाग में सेना से लोन पर अधिकारी आए थे, जिन्हें बाद में वापिस सेना में जाना था। लेकिन आज तक सेना के अधिकारी सीमा सड़क विकास बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं। आज 50 वर्षों के बाद भी इसका कोई एक्ट नहीं बना है। छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार ने ग्रेफ एक्ट बनाने का सुझाव मान लिया, परन्तु वह अभी तक नहीं बना है, क्योंकि सेना के अधिकारी जान-बूझकर ग्रेफ एक्ट बनाना नहीं चाहते।

खुदा न करे कभी विदेशी आक्रमण हुआ और सेना के उन अधिकारियों को मोर्चे पर जाना पड़ा, जो अभी केंचुआ मारकर सीमा सड़क संगठन के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, तो वे बन्दूक का ट्रिगर दबाना भी भूल चुके होंगे। सेना से अधिकारी बिना सरकार के कैबिनेट सचिव की स्वीकृति के लाये जा रहे हैं। सरकार की कैबिनेट कमेटी (सुरक्षा) ने 11 सितम्बर, 2006 को विभाग का विस्तार स्वीकृत किया था, जो तीन साल बाद 2009 तक पूरा हो जाना चाहिए था, परन्तु आज भी उपर के पद खाली हैं।

बोर्डर रोड इंजीनियरिंग सेवा एक संगठित ग्रुप 'क' सेवा है जिसमें बाहरी अधिकारी उपर के पद पर नहीं आ सकते हैं। बीआरडीबी सचिव ने अपने पत्र 29 अक्टूबर, 1990 और 19 नवम्बर 1991 के द्वारा आर्मी अधिकारी कोर ऑफ इंजीनियर को उच्च पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है, जो कि संविधान के खिलाफ है और इससे एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं रक्षा मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री और केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बोर्डर रोड इंजीनियरिंग सेवा संगठन से सेना के अधिकारियों को वापस सेना में भेजा जाये और ग्रेफ एक्ट शीघ्र बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदया : श्री मंगनी लाल मंडल जी अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): अध्यक्ष महोदया, दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में पहले नम्बर पर आता है। भारत में दूध उत्पादन कृषि क्षेत्र के घाटे के सौदे को पाटने में सहयोगी भूमिका निभाता है। इसमें छोटे, भूमिहीन और सीमांत किसान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति की रीढ़ दूध उत्पादन ही है। पिछले दिनों सरकार ने 30 हजार टन स्किम्ड मिल्क और 15 हजार टन बटर ऑयल शून्य दर के आयात शुल्क से आयात

करने का फैसला किया। इस फैसले के कारण डेयरी मालिकों ने किसानों के ताजे दूध की कीमत कम कर दी है, जिससे किसानों को दूध उत्पादन में घाटा हो रहा है। जहां सरकार की नीतियां देश में दूध उत्पादन को बढ़ाना देने वाली होनी चाहिए, वहीं इन एडहॉक नीतियों के कारण दूध उत्पादन में भविष्य में गहरा झटका लगेगा, क्योंकि किसान दूध उत्पादन से अपना मुंह मोड़ लेगा।

अध्यक्ष महोदया, एक तरफ दूध उत्पादन कम दाम के कारण घाटे में जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिंथेटिक दूध के नाम पर जो जहर आज दूध में मिलाया जा रहा है, वह चार-पांच रुपये लीटर में बनता है। यह बनावटी मिल्क दूध में मिक्स करके मार्केट में आ रहा है। इस कारण दूध उत्पादन दिन-ब-दिन घाटे का सौदा होता जा रहा है। धीरे-धीरे किसान अपना दूध का उत्पादन कम कर रहे हैं। विश्व में एक नम्बर रहने पर बावजूद भारत में दूध उत्पादन बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। किसान द्वारा दूध उत्पादन कम करने के कारण लोगों को अच्छा और सेहतपूर्ण दूध नहीं मिल पा रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि देश में दूध के आयात-निर्यात की नीति तय होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : राजू शेट्टी जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजू शेट्टी : इसके साथ-साथ स्किम्ड मिल्क और बटर ऑयल का आयात शुल्क बढ़ाना जरूरी है, ताकि इस देश में रहने वाले छोटे, भूमिहीन और सीमांत किसानों को कुछ फायदा मिले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मांझी आदिवासी अनुसूचित जनजाति की उपजातियां--धीवर, केवट, कहार, मल्लाह, ढीमर, भोई, निषाद आदि की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदया, भारत सरकार के संविधान (आदिम जातियां) (पार्ट श्री स्टेटस) आदेश 1951 द्वारा मांझी जनजाति को विध्य प्रदेश के लिए सरल क्रमांक 7 में घोषित किया गया था और अनूसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा पूरे विंध्य प्रदेश के लिए मांझी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 9 में घोषित किया गया था।

इसी तरह अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के लिए माझी जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची क्रमांक 29 में घोषित किया गया था। भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट 1901 के आधार पर माझी रीवां राज्य, बघेलखण्ड में पाई गयी है। माझी जनजाति की जनसंख्या 25,578 पाई गयी है। इसी परिपत्र में भारत सरकार ने यह भी प्रमाणित किया है कि माझी जनजाति की अमलगमेटेड जाति केवट एवं धीवर हैं। मध्य प्रदेश

शासन ने वर्ष 1964 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में माझी जनजाति को गोंड़ एवं उरावं चिन्हित किया है जिसके कारण मध्य प्रदेश में माझी जनजाति के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है और उन्हें सुविधाओं से वंचित किया गया है। माझी जनजातियां किसी समय गंगा नदी के किनारे बनारस एवं इलाहाबाद निवास करती थीं,बाद में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवां, सीधी, सतना में निवास कर रही हैं जिनकी बोली एवं भाषा बघेलखण्डी एवं बुंदेलखण्डी है।

महोदया, सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बात की जांच कराएं कि भारत सरकार द्वारा घोषित वे जीवित माझी जनजाति परिवार कौन कौन है और उनकी जनसंख्या विंध्य क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश में कितनी है ताकि उन्हें न्याय मिल सके?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, आज से करीब 2500 वर्ष पहले जब भगवान बुद्ध वैशाली, जो गणतंत्र की जन्मभूमि है, में आए थे। उन्होंने वैशाली के के बारे में कहा था : वज्जिनाम् सत अपरिहानिया धम्मः अर्थात seven virtues of Vajjians leading not to decline. इसका मतलब है कि जहां सात धर्मों का पालन होगा, उस समाज की अवनति कभी नहीं होगी, हमेशा तरक्की होगी। बार-बार असेंबल होना, नियमा बनाकर हुक्म जारी करना, महिलाओं और बच्चों की पूरी सुरक्षा करना, बुजुर्गों की इज्जत करना, ये सभी सात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। उसी सभा में अपने अंतिम वर्षावास में उन्होंने घोषणा कि आज के 90वें दिन मेरा महापरिनिर्वाण हो जाएगा। इससे सारे लोग चिन्तित हो गए। वहां से बुद्ध जी ने कासिया-कुशीनगर की तरफ प्रस्थान किया। वैशाली के लोग उनके प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा रखते थे कि सभी लोग उनके पीछे लग गए। केसरिया तक जाकर भी जब वैशाली के लोग नहीं लौटे, तो भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षापात्र उन्हें समर्पित करते हुए कहा कि यही स्मरण के लिए रखो, मेरा तो 90 दिन के बाद महापरिनिर्वाण हो जाएगा। वह भिक्षापात्र वैशाली में रखा हुआ था। जब कुषाणों का आक्रमण हुआ, तो वे उसे वहां से पेशावर ले गए। पेशावर से वह भिक्षापात्र अफगानिस्तान के काबुल में ले जाया गया। अभी श्री श्रीधर वासुदेव सोहनी, जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी और लोकायुक्त थे, एक पुराने आईएएस और काबिल आदमी हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है, उस भिक्षापात्र की फोटो छपी है कि आजकल वह कन्धार में रखा हुआ है। इसलिए 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने जो भिक्षापात्र वैशाली की महान जनता को, लिच्छवी और वज्जिसंघ के लोगों को दिया था, वह भिक्षापात्र अभी कन्धार में मौजूद है। इसलिए भारत सरकार के विदेश विभाग और प्रधानमंत्री जी, सभी से मैं आग्रह करता हूं कि इस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते हैं, दुनिया के 70 मुल्कों के लोग भगवान बुद्ध के धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए कूटनीतिक कार्रवाई करके, अफगानिस्तान से सम्पर्क करके भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक भिक्षापात्र को वैशाली में वापस लाने की व्यवस्था करें।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कड़ी डिप्लोमेसी की कार्रवाई की जाए, भगवान बुद्ध का भिक्षापात्र वापस लाया जाए जिससे देश और दुनिया में उन्होंने ने जो विश्व शांति और मध्यम मार्ग का संदेश दिया था, उसका सभी लोग अनुसरण करें जिससे विश्व में शान्ति स्थापित हो।

श्री अर्जुन मुण्डा (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदया, लगातार 2005 से झारखंड सरकार केन्द्र सरकार को कई बार प्रदेश की कुछ ऐसी जातियों के बारे में बता चुकी है जो किसी भी जाति में सूचीबद्ध नहीं हैं। मल्ल क्षत्रिय, दंड क्षत्र मांझी, घटवार, ऐसी कई जातियां किसी सूची में शामिल नहीं हैं। भारत सरकार को स्मारित करने के बाद भी केन्द्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जिसके कारण उन्हें किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके अलावा कुछ जातियां जो प्रिमिटिव करेक्टर की हैं, जैसे वहां रहने वाले कुर्मी हैं, उनके बारे में राज्य सरकार ने भारत सरकार को स्मारित किया है। मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से जितनी जातियों की सूची भेजी गई है, उनके बारे में केन्द्र सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले। जैसे मल्ल जाति के लोग पड़ौसी राज्य में जनजाति के तहत आते हैं। इसी तरह से दंड क्षत्र मांझी हैं, घटवार हैं, जो उड़ीसा में जनजाति में आते हैं। इन सारी जातियों के मामले में राज्य सरकार की जो अनुशंसा है, उसके आलोक में भारत सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले। पिछले 62 वर्षों में यदि कोई जाति किसी सूची में शामिल नहीं है और पड़ौसी राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति का लाभ प्राप्त कर रही है, तो यह झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड का वह हिस्सा जहां दबे-कुचले लोग रहते हैं, वह किसी जाति की सूची में नहीं। इसलिए यह एक गम्भीर विषय है और मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इस वह जल्दी निर्णय ले।

श्रीमती मीना सिंह (आरा): मैडम, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आपने मुझे एक अति लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरे संसदीय क्षेत्र आरा सहित बिहार के बाकी हिस्सों में बिजली मात्र चार से छः घंटे ही रहती है। आपको पता है कि पूरे बिहार में सूखा पड़ा है और प्रदेश सरकार ने सभी 38 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। बिजली के अभाव में किसान सिंचाई की सुविधा से वंचित हैं, जिसके कारण उनमें हाहाकार मचा हुआ है। पढ़ने वाले बच्चे बिजली के अभाव में दीए की रौशनी में पढ़ने को विवश हैं और बचपन में अपनी आंखों की रौशनी को खोते जा रहे हैं। छोटे-मोटे उद्योग भी बिजली के अभाव में बंद होने की कगार पर हैं। इस तरह से देखा जाए तो बिहार में तमाम जनजीवन अस्तव्यस्त है।

बिहार में पावर प्लांट्स की जबर्दस्त जरूरत है। सैंकड़ों उद्योगपति वहां पावर प्लांट्स में निवेश करने का प्रस्ताव बिहार सरकार को दे चुके हैं। बिहार सरकार ने पावर प्लांट्स लगाने के लिए कोल लिंकेज की मांग केन्द्र सरकार से की है, परंतु केन्द्र सरकार द्वारा कोल लिंकेज नहीं दिया गया है। अभी पिछले सप्ताह यानि 20 अगस्त को स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक विज्ञापन दिया गया था। उसमें स्वर्गीय

प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी के वक्तव्य को उद्धृत किया गया था कि ऊर्जा किसी भी देश की समृद्धि एवम् विकास की कुंजी है। मैं समझती हूं जब तक बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बिजली की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इस प्रकार के विज्ञापन खोखले हैं या फिर रस्म अदायगी के लिए ही दिए जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र बिहार के प्रस्तावित पावर प्लांट्स के लिए कोल लिंकेज की अनुमति दी जाए और वहां बिजली के संकट को दूर किया जाए। मेरी समझ से यह यूपीए सरकार द्वारा राजीव गांधी जी के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

12.45 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS – Contd.

(ii) RE: Need to review the procedure seeking details for issuance of passes to the Members of Parliament for Commonwealth Games

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आपने इतने महत्वपूर्ण इश्यू पर मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जिस बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान दिलान चाहता हूं, उससे पूरा सदन सहमत होगा। भारतीय संसद का जो महत्व है, वह देश में ही नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन कॉमनवैल्थ गेम्स के नाम पर, जिस तरीके से उन्होंने, पूरे हिंदुस्तान को, दुनिया के सामने शर्मसार किया है, आज भारतीय संसद को भी उन्होंने मजाक बनाने का काम किया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जो सांसद यहां चुनकर आता है, देश के कोने-कोने से, 15 से 20 लाख लोगों की मुहर लगने के बाद, जो पार्लियामेंट में आता है, और इस संसद के द्वारा जो उसे पहचान-पत्र जारी किया जाता है, कॉमनवैल्थ गेम्स के नाम पर उस पास की मुझे जरुरत नहीं है और न ही कोई सांसद उसके लिए परेशान है। लेकिन चाहे वह सांसद हो, विशिष्ट अधिकारी हो और पत्रकार को वे पास जारी कर रहे हैं। सांसदों को जो उन्होंने चिट्ठी भेजी है कि आपके द्वारा जो पहचान-पत्र जारी किया गया है, उसका महत्व नहीं है बल्कि उसके लिए वोटर प्रमाण-पत्र चाहिये, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अभी हमारे समिति के सदस्य श्री बंधोपाध्याय जी, ये भी इस मामले को बता सकते हैं, यह बहुत ही गंभीर मामला है। इन्होंने भारतीय संसद और सांसदों का मजाक बनाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पहचान-पत्र आपके द्वारा जारी हुआ है, यह अपने आप में एक अलग चीज है, इसकी अलग पहचान पूरे देश में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह एक गंभीर मामला है, इसका संज्ञान लेते हुए, आपने जो पहचान-पत्र दिया है, यही काफी है और किसी भी पहचान-पत्र के लिए सांसद मोहताज नहीं है। आपके द्वारा जारी पहचान-पत्र ही काफी है, इसलिए इसे महत्व देना चाहिए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, as a member of the Organizing Committee of the Commonwealth Games, I would like to just add one point. What Shri Dara Singh Chauhan has said is absolutely correct. A proforma containing 10 to

15 pages has been sent to the Members of Parliament to fill it up. It contains the details such as date of birth, passport number, name of the spouse, PAN card number, etc.

So, what I would suggest is that a direction be issued saying that the MP Identity Card is enough to get one Commonwealth Games entry card, which can be given to the Member of Parliament, and the Members of Parliament need not fill up this form.

Madam, I hope that a direction from the Chair can be given to sort out this issue.

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप बैठ जाइये।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Madam, may I intervene? … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I am not immediately concerned with the issue but as the Chairman of the Group of Ministers which has been empowered to look into it, I appreciate the sentiment of the Members of Parliament. We are taking exceptional security precautions while issuing entry cards. However, this, I think, should not apply to Members of Parliament. I will see to it that this procedure is not applied at all to Members of Parliament.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Thank you.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया जी, उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिपक्षीय पंचायती चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में गोड़-खरवार के साथ लगभग आधा-दर्जन जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हो रही हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में इन आधा दर्जन से ज्यादा जातियों की अनुसूचित जाति में गणना कराई गयी थी, लेकिन वर्ष 2003 में इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का कोई आरक्षण नहीं है। जब तक आरक्षण अनुसूचित जनजाति का नहीं है, तब तक मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के त्रिपक्षीय पंचायती चुनाव में गोड़-खरवार-पनिका,पठारी-बैगा-धुरिया-नापक आदि ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो 13 जनपदों में उनकी संख्या है। गणना उनकी अलग से नहीं हुई थी, गणना अनुसूचित जाति के अंदर ही हुई थी, लेकिन वर्ष 2001 की गणना में उनका नाम अनुसूचित जाति में था। इस नाते उनको अनुसूचित जाति का लाभ और आरक्षण मिल रहा है। लेकिन आज वह आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इसलिए उनके सामने चुनाव लड़ने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। अब उनका जनप्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में नहीं हो पाएगा। इसलिए

आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का गंभीर विषय है। ऐसे लोगों को चुनाव से वंचित किया जा रहा है जो गरीब हैं, दलित हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का लाभ दिलाते हुए, उन्हें त्रिपक्षीय पंचायती चुनाव में सम्मिलित करें और सरकारी नौकरियों में जो वे आरक्षण से वंचित हो गये हैं, वे आरक्षण से वंचित न हों, ऐसा कार्य करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, we have some important Bills for consideration and passing. So, if you all agree, we will skip the lunch hour. We will take up the rest of the Zero Hour matters in the evening.

12.50 hrs.

FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL, 2010

MADAM SPEAKER: The House will now take up Item No. 19.

Now, the hon. Minister.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से प्रस्ताव करता हूं *-

> ''कि कतिपय व्यक्तियों या संगमों या कम्पनियों द्वारा विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने और उपयोग किए जाने को विनियमित करने तथा राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक किन्हीं क्रियाकलापों के लिए विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने और उपयोग करने को प्रतिषिद्ध करने से संबंधित विधि को समेकित करने तथा उसे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय, यह विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010 अपने आप में ऐतिहासिक तथा मील का पत्थर है। यह ऐतिहासिक इसलिए है, क्योंकि इस बिल के पूर्व जो कानून था, वह वर्ष 1976 में पारित हुआ था और अभी तक लागू था। वर्ष 1976 के बाद इसमें एक बार वर्ष 1984 में संशोधन किए गए और संशोधन के माध्यम से इसके अंदर जरूरी कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, एसोसिएशन या आर्गेनाइजेशन अगर कहीं से भी विदेशी अभिदाय ले, तो उसे रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा उस वक्त जो संशोधन किया गया, वह यह था कि उसमें कोई व्यक्ति, एसोसिएशन या आर्गेनाइजेशन लेने के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पास-आन करे, तो उसे किस तरह से पास-आन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसे भी रेग्यूलेट करने का प्रावधान उसमें किया गया था। तीसरा उसके अंदर हायर ज्यूडीशियरी के आफिसर्स को सम्मिलित करके विदेशी अभिदाय एक्ट के दायरे में लाया गया। इन तीन संशोधनों के साथ 1984 के अंदर आखिरी बार इसमें संशोधन हुआ, लेकिन संशोधन होने के बाद 1986 में एस्टीमेट्स कमेटी ने पाया कि इस बिल में और ज्यादा नए सिरे से संशोधन करने की जरूरत है। उसके फलस्वरूप 1988 में एक कमेटी आफ सैक्रेटरीज़ का गठन किया गया, उसने भी इस बात की चर्चा की और कहा कि इसके अंदर बदलाव की जरूरत है। वर्ष 1983 के अंदर भी कमेटी आफ सैक्रेटरीज़ ने इस बारे में चर्चा करके चेंज करके नए सिरे से लाने की बात कही। वर्ष 2001 के अंदर केंद्र सरकार ने कैबिनेट में इसकी चर्चा की, लेकिन वर्ष 2001 में कैबिनेट पूर्ण रूप से इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले पाया। उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई, तो वापिस इस बिल को

* Moved with the Recommendation of the President

दोबारा पटरी पर लाया गया और इस पर कार्यवाही शुरू हुई और वर्ष 2005 के कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई और बाद में ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनाया गया तथा उनकी सिफारिशें आईं। इसका एक ड्राफ्ट बिल वाइड सर्कूलेशन के लिए इंटरनेट पर दे कर लोगों से कमेन्ट्स मांगे गए और दो दिन का नेशनल सेमीनार दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें पांच सौ से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अलग-अलग स्टेक होल्डर्स ने अपने कमेन्ट्स दिए। वर्ष 2006 में जब यह बिल राज्य सभा में आया और दिसम्बर 2006 में स्टैंडिंग कमेटी में गया, तो स्टैंडिंग कमेटी ने वर्ष 2008 में लगभग 14 सिफारिशें इस बिल में दीं।

महोदया, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने 14 में से केवल दो माइनर अमेंडमेंट्स के अलावा बाकी सारी अमेंडमेंट्स स्थायी समिति की मान ली हैं और मानने के बाद राज्य सभा से बिल पारित करने के बाद हम यहां लाए हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसमें स्थायी समिति के लगभग सभी अमेंडमेंट्स को मान लिया है। राज्य सभा ने पारित कर दिया है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यहां इस पर विचार करें और पारित करें। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Motion moved

> "That the Bill to consolidate the law to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individuals or associations or companies and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, यूपीए सरकार की जो ढीलीढाली नीति रही है, कोई कानून अगर ये 2005 में बनाने का सोचते हैं तो 2010 ये लेकर आये हैं। किस कारण से ये ले आये हैं, उसके बारे में श्री अजय माकन जी ने विस्तार पूर्वक बातें बताई हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि देर से आये हैं कम से कम देश के लिए कुछ नया करने के लिए आए हैं। अच्छा कानून लेकर आए हैं, इसके लिए मैं यूपीए सरकार को, इनके मंत्री जी को तथा श्री पी.चिदम्बरम साहब को व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

पंचतंत्र के दो श्लोक हैं जिनके आधार पर यह बिल लाया गया है। मैं यह समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बिल के माध्यम से वही सिद्ध करना चाहते हैं। एक है: ''अव्यापारे सुव्यापारम, यो नर:कर्तुमिच्छति, स्वयेव निधनयाति किलोतपाटिव वानर:'' इसका मतलब यह है कि यदि आपका कोई काम नहीं है तो आप अनाधिकार चेष्टा करने की कोशिश करते हैं और उस चेष्टा में क्योंकि जिस तरीके से यह फॉरेन कांट्रिब्यूशन है, इस देश को चलाने का अधिकार हमारा है, इस पार्लियामेंट का है, इस देश की सरकार का है लेकिन यहां जो फॉरेन कंट्रिब्यूशन आ रहा है, वह अनाधिकार चेष्टा की बात कर रहा है। इसकी बुनियाद पर यह बिल लाया गया है और दूसरे ''उपायेन हि यत्क्षत्रन् तोक्षत्र्यन पराक्रमेत्।'' इसका मतलब यह है कि पराक्रम से जो आप नहीं जीत सकते हैं, वह उपाय से जीत सकते हैं। जो फॉरेन कंट्रिब्यूशन आ रहा है, वह पराक्रम की बात नहीं है। आपके लिए सोच की बात है कि यह क्या हो रहा है? 40173 संगठन हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और वे फॉरेन कंट्रिब्यूशन ले रहे हैं और वे किस तरह से ले रहे हैं, यदि 1993-94 का डाटा देखेंगे तो 15000 संगठन रजिस्टर्ड थे और मात्र 1886 करोड़ रुपया इस देश में आया था। यह मैं बात कर रहा हूं। जो आप ऑफिशियल एस्टीमेट दे रहे हैं और 2007-08 में आपके 34000 संगठन हो गये और आप 40173 संगठन हैं। वह पैसा जो 1866 करोड़ रुपये था, वह बढ़ते-बढ़ते कम से कम आज 12000-13000 करोड़ रुपये का है जो आपका ऑफिशियल फिगर का था और इसे हम छोटी रकम मान सकते हैं क्योंकि 10 लाख करोड़ का बजट है, 11 लाख करोड़ रुपये का बजट है। उसमें आपको लगता होगा कि 11000 करोड़ रुपया क्या होता है? लेकिन मैं जिस झारखंड राज्य से आता हूं जहां कि 3 करोड़ 4 करोड़ लोग रहते हैं, वहां का टोटल बजट 9000 करोड़ रुपये का है। यह पैसा आ रहा है तो मेरा यह कहना है कि ''ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा, तासो दूत कपि रूप दिखावा।'' यह रामायण की चौपाई है कि ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, आप जिस तरह के उपाय ला रहे हैं, आप जिस तरह से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रेशियो बढ़ता जा रहा है। इससे भी ज्यादा अलार्मिंग यह है कि एक अमेरिका की रिपोर्ट है। वह यह कहती है:

''The Report also quoted RBI's estimate that 42.6 billion worth of remittances were sent through legal formal channels in 2007-08.''

इसका मतलब यह है कि आज यह संख्या 50 बिलियन के आसपास है।

"The Report further quoted Indian estimates and said that funds transferred through the *hawala* market were equal to between 30 to 40 per cent."

मतलब 50 बिलियन है और 25 बिलियन को यदि और जोड़ लीजिए तो 75 बिलियन जो है, यह आपका रेमीटेंस है। यह आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर है, जितना हमारा बजट है, जितना हम बढ़ाने की बात करते हैं, दो लाख-ढ़ाई लाख करोड़ रुपया यहां आ रहा है, इस बिल में आपने उसको रोकने का क्या प्रयास किया है?

13.00 hrs.

हवाला इतना बड़ा ट्रांजेक्शन है, हवाला से इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इसे रोकने के लिए क्या किया है? मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं यह बिल भटकाव लिए हुए है। इसमें कुछ चीजें आपने नहीं मानी हैं। मैं स्कालरशिप और स्टाइपेंड के ऊपर विशेष तौर पर प्रकाश डालना चाहता हूं क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा है - We are not providing anything in the Bill. कहा जाता है - "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय।" इसलिए मैं दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप पर उंगली उठाता हूं। स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड किसे मिल रहा है? हमारे जैसे पॉलिटिशियन्स जो यहां आ गए हैं, चाहे गरीबी से आए हों या अमीरी से आए हों। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं? क्या किसी गरीब को आज तक स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिला है? आपने इस बिल में उसे रोकने के लिए कोई प्रयास किया है? ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे कहां पढ़ते हैं? क्या कोई सर्वे है कि उन्हें कहां से स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिल रहा है? आप जिस जज की बात कह रहे हैं, उस जज के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? आप जर्नलिस्ट की बात कह रहे हैं क्या इस बिल में उन्हें रोकने की कोशिश की है? आपने उनके लिए जो रास्ता तलाशने की कोशिश की है, वह रास्ता स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप है। आप जवाब दे सकते हैं कि कितने पॉलिटिशियन्स हैं जिनके बच्चे, भाई या रिश्तेदार स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं? कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने ऐसे जज और जर्नलिस्ट हैं, जिनके बच्चे स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड पर पढ़ रहे हैं? इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपके यहां रॉ का अफसर भाग जाता है। आपके यहां ज्वाइंट डायरेक्टर लैवल का रॉ अफसर भाग जाता है, आपके यहां माधुरी गुप्ता जैसी घटना हो जाती है। आपके जो अफसर विदेशों में पोस्टिड हैं वे किस तरह का फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं क्या इसके बारे में रॉ, आईबी, एन्फोर्समेंट या किसी और एजेंसी ने तागीद करने की कोशिश की है? क्या आपने एफसीआरए में इसे डालने की कोशिश की है?

अब एनजीओ की बात आती है। एनजीओ बहुत बड़ा खेल है। एनजीओ क्या कर रहा है? यह विकास को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। एनजीओ क्या कर रहा है, यह कर रहा है कि कहीं बड़ा डैम नहीं बनना चाहिए, बड़ा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। क्या आपने किसी एक एनजीओ को बैन करने की कोशिश की है? क्या कोई बड़ा आंदोलन रोकने की कोशिश की है? कश्मीर में जाकर कोई आंदोलन की बात कह रहा है कि कश्मीर के आंदोलन में हम उसका साथ दे रहे हैं। क्या आपने उस एनजीओ को बैन करने की कोशिश की है? कोई नर्मदा सागर डैम बंद करने की बात कह रहा है तो कोई कहीं आजादी का आंदोलन चला रहा है। सबसे पहले मेरा कहना कि बड़ों के लिए एक कानून और छोटों के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता है। कुम्हार, सुनार, लुहार का बच्चा अपने पिता के साथ उसके हुनर को सीख रहा है। हम बहुत अमीर थे क्योंकि ढाका का मलमल देश-विदेश में नामी मलमल था और हमसे ज्यादा बढ़िया कपड़ा कोई नहीं बना सकता था। यह इंडस्ट्रिलाइजेशन से पहले की बात थी लेकिन आज हमारे बच्चें पेंटिंग सीख रहे हैं तो बढ़िया बात है क्योंकि बड़े घरों के बच्चे हैं। यदि हमारे बच्चे पेंटर बनना चाहते हैं, कुम्हार बनना चाहते हैं तो कहते हैं बहुत बढ़िया, ये क्ले बना रहे हैं, कितना अच्छा आर्ट वर्क कर रहे हैं। पैसे देकर काम कराना चाहते हैं और हुनर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के एनजीओ समाज को तहस-नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथों से रोजगार लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने किसी एनजीओ को बैन करने की कोशिश की है?

महोदय, यदि चिदंबरम साहब यहां होते तो मैं उनसे पूछता। पार्लियामेंट ऐसी जगह है जो सबको मौका देती है। मैं बार-बार कहता हूं कि पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। यदि हम 50, 60 या 70 दिन पार्लियामेंट चलाते हैं और 300 दिन नहीं चलाते हैं तो इस देश में सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं। लेकिन 300 दिन में पार्लियामेंट के लोग जो करते हैं, वह 50 या 60 दिन में करना चाहिए। यहां डिबेट करनी चाहिए, अपनी बातें सामने रखनी चाहिए। कल माननीय सुषमा स्वराज जी ने अच्छी बात कही कि हम अपनी बात कहेंगे आप अपनी बात कहिए।

सैफरन टैररिज्म एक शब्द आया है। वह बहुत पढ़े-लिखे आदमी हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं और उनकी विद्वता से मेरा कुछ लेना-देना नहीं है कि वह कितने विद्वान हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो एफसीआरए में फंडिंग हो रही है, इस फंड को आप क्या कहेंगे? पंजाब में टैररिस्ट्स हैं। पंजाब में जनरैल सिंह भिंडरावाला एक टैररिस्ट था। आपने उसे मारने की कोशिश की है तो क्या पंजाब में आये हुए टैररिस्ट को आप टर्बन टैररिस्ट कहेंगे, सिख टैररिस्ट कहेंगे? हमारे यहां महात्मा गांधी की हत्या यदि नाथूराम गोडसे कर देते हैं तो क्या आप उसे मराठियन टैररिस्ट कहेंगे? यदि इंदिरा गांधी की हत्या सिख ने कर दी तो क्या आप सिख टैररिस्ट कहेंगे। यदि राजीव गांधी की हत्या तमिल कर देते हैं, लिट्टे कर देते हैं तो सारे क्या सारे तमिलनाडु वालों को आप तमिल टैररिस्ट कह देंगे? सैफरन एक कलर है, शक्ति का प्रतीक है। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति का रक्षक रहा है। आपने किस आधार पर सैफरन टैररिस्ट कहा, इसका जवाब चिदम्बरम साहब को देना चाहिए।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में जो लड़ाई हो रही है, जो एफसीआरए हो रहा है, व्यापार के नाम पर जो फंड आ रहा है, उसे रोकने के लिए एफसीआरए ने क्या किया? क्या सारे जम्मू-कश्मीर के लोगों को आप मुस्लिम टैररिस्ट कह देंगे? क्या इस देश में आप कलर के नाम पर ग्रीन टैररिस्ट, रैड टैररिस्ट जो नक्सलवादी आ रहे हैं, जो इस देश में हो रहा है, क्या आप उन्हें रैड टैररिस्ट कह देंगे? नार्थ-ईस्ट में पूरा का पूरा कंवर्शन हो चुका है। आप जो मुइवा से बात कर रहे हैं, वहां जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या आप उसे व्हाइट टैररिस्ट कह देगें? क्योंकि वहां सारे क्रिश्चियंस हैं, क्या आप उन्हें क्रिश्चियंस टैररिस्ट कह देंगे? मेरा सवाल यह है कि यदि आप टैररिज्म की परिभाषा बोलना चाहते हैं, मुझे आपके जैसी अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन कहीं न कहीं होम मिनिस्टर को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, फंड कहीं से आ रहा हो, चाहे विदेश से आ रहा हो, चाहे माओवादियों को पैसा आ रहा हो, चाहे टैररिस्ट्स को पैसा आ रहा हो। पैसा विदेश का है, जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह सोचती है कि चाहे नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, नॉर्थ-ईस्ट का आतंकवाद हो, जम्मू-कश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे पंजाब का आतंकवाद हो, आतंकवादी एक ही है और कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि प्रजातंत्र पर हमला हो। तालिबान का उदाहरण सामने है। आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान का उदाहरण सामने है। उसी लाल मस्जिद में जहां आतंकवाद की प्रीचिंग की जाती थी, आज वही कराची, वही लाहौर कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं। मेरा यह कहना है कि कोई भी सभ्य समाज, कोई भी प्रजातंत्र यह नहीं चाहेगा..

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wind up.

श्री निशिकांत दुबे : हमारी पार्टी का जितना समय है, उसमें केवल मैं ही बोलूंगा।

MR. CHAIRMAN: No, there are many Members who wish to speak. I have to accommodate them also.

श्री निशिकांत दुबे : हमारी पार्टी से केवल मैं ही बोलने वाला हूं, कोई दूसरा मैम्बर नहीं बोलेगा। मेरा यह सवाल है कोई प्रजातंत्र यह नहीं चाहेगा कि उसके यहां आतंकवाद पनपे।

कबीर ने एक बड़ा अच्छा दोहा कहा था - ''माटी कहे कुम्हार को तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आयेगा, मैं रौंदूंगी तोय।'' उसका कारण यह है कि यदि हम किसी टैररिस्ट को पैदा करना चाहते हैं तो टैररिस्ट एक दिन हमें ही खा जायेगा। चाहे वह नक्सलवादी हो, चाहे वह आतंकवादी हो। इसीलिए इस देश बंटवारा अपनी आइडियोलोजिकल टर्म्स पर करने कोशिश मत कीजिए। जिस गद्दी पर आप बैठे हैं, उसके साथ न्याय कीजिए।

दूसरा सवाल यह है कि आईएसआई की जो एक्टिविटीज हैं, उन्हें रोकने के लिए आपने एफसीआरए बिल में क्या-क्या प्रावधान किये हैं? जो रिलीजियस और फंडामैंटल ग्रुप्स कहीं न कहीं एक्टिव हैं, जो स्कूल बना रहे हैं, कालेज बना रहे हैं, हास्पिटल बना रहे हैं। जो आपके फार्मर्स को लोन देने की बात कर रहे हैं, जो गरीबों के अपलिफ्टमैन्ट की बात कर रहे हैं। जो कंवर्शन कर रहे हैं। हमारे पास डाटा है और यह डाटा बताता है कि आपको पैसा कहां-कहां से आ रहा है। जो सही चैनल है, वह क्या कह रहा है? वह यह कह रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा आपको यूएसए से आ रहा है, यूके से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है। यह डाटा कह रहा है और उसमें भी कौन-कौन सी सोसाइटीज हैं। वे सोसाइटीज हैं - वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, यूएसए, फोस्टर पेरेन्ट्स प्लान इंटरनेशनल, यूएसए, वाचटावर बाइबिल एंड ट्रैक सोसाइटी, यूएसए। इस देश में क्रिश्चियंस की आबादी दो परसैन्ट है और मैं जिस राज्य से आता हूं, 1890 में रांची शहर और पूरे झारखंड में मात्र दो हजार लोग क्रिश्चियंस थे। लेकिन आज कम से कम साठ, सत्तर लाख लोग क्रिश्चियंस बन गये हैं। आज पूरा का पूरा नार्थ-ईस्ट क्रिश्चियन हो गया है। क्या आपने किसी आर्गेनाइजेशन को रोकने की कोशिश की है?

मैं यह कह रहा हूं कि क्या आपने उसे रोकने की कोशिश की है? मैं आईएसआई की एक्टीविटीज पूरे बिहार, झारखंड और नेपाल बॉर्डर पर देखता हूं। वहां बड़ी बड़ी मस्जिदें बन गई हैं, मदरसे बन गये हैं, बड़े-बड़े स्कूल बन गये हैं। क्या सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की है या यह जानने की कोशिश की है कि उनके लिये फंड्स कहां से आ रहे हैं? जब आपको पता चल रहा है कि इंटरनेशली फंड्स आ रहे हैं तो क्या एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करके किसी को सजा देने की कोशिश की है? क्या आपने किसी विदेशी सरकार से बात करने की कोशिश की है? मेरा कहना है कि इस फंड से कनवर्जन हो रहा है, इस फंड से आईएसआई की एक्टीविटीज बढ़ रही हैं, इस फंड से डैमोग्राफिक चेंज हो रहा है। साहिबगंज, पाकुड़, किशनगंज. अररिया जिले में पूरे का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। यह फंड कहां से आ रहा है? यह फंड किसके लिये आ रहा है? क्या आपने इस विधेयक के माध्यम से इस फंड को रोकने के लिये कोई कोशिश की है? भारत गरीब और कृषि प्रधान देश है। यहां गौरी, गज़नी, गुलाम वंश.मगल वंश और अंग्रेजों का उदाहरण है। हम लोगों ने छोटे स्वार्थ के लिये यहां के लोगों की मदद करने की कोशिश की है और जो

यह पैसा, जिसका कोई हिसाब -किताब नहीं है, हम कहीं न कहीं अपने लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं। यहां कानून कम है, इसलिये इसमें केन्द्र सरकार की गलती है। कल डॉ. फारूख अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे। उनकी यह बात अच्छी लगी कि पाक अधिकृत कश्मीर को ले लीजिये, गलगित को ले लीजिये,सभी को ले लीजिये लेकिन जो बातें उन्होंने कही, वे केन्द्र को कमजोर करती हैं। अगर केन्द्र कमजोर हो जायेगा, जब जब केन्द्र कमजोर हुआ है, तब तक इस तरह की एक्टीविटीज बढ़ी हैं। मेरा और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चाहे जो कुछ भी हो, आपको जितनी पावर्स चाहिये, वह लीजिये, केन्द्र को मजबूत करिये और इस तरह की एक्टीविटीज को रोकने की कोशिश कीजिये। आपके पास दो कानून पहले से भी थे। एक है Prevention of Money-laundering Act और दूसरा है Unlawful Activities Act मेरा यह मानना है कि एफडीआरए लागू होने के बाद Prevention of Money-laundering Act में आपने हजार ऑर्गनाइजेशन खींचकर रखे हैं। "Prevention of Money-laundering Act: Enforcement Directorate is responsible for investigation and for the prosecution of money-laundering cases." इसमें Central Intelligence Economic Bureau जो National Security Council से करता है। Intelligence Bureau Ministry of Home Affairs, Central Board of Direct Taxes, MLCFT,Customs and Excise, Narcotics Control Bureau, Central Bureau of Investigation या पीएमएलए और अनलाफुल डिस्पूट्स जो यह एक्टीविटीज एक्ट है, उसके कारण यह एफडीआरए एक दूसरे से क्लैश कर रहा है। या इन लोगों के बीच में कोआर्डिनेशन बैठाने के लिये बिल में आपने क्या प्रावधान डाला है?

सभापति महोदय, सरकार जो अलग अलग कानून बना रही है, एफडीआरए, अनलाफुल एक्टिविटीज का बना रहे हैं , आप पीएमएलए बना रहे हैं लेकिन आपने टॉडॉ का कानून हटा दिया, पोटा कानून हटा दिया। जब आप सैफरन टैरेरिज्म की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपको मकोका लगाने की बात होती है। जब आपको पता है इस टैरर या फंडिंग के लिये एक मजबूत कानून की आवश्यकता है तो क्या होम मिनिस्ट्री कहीं कोई मजबूत कानून लाने की बात करेगी? एक यू.एस.ए. की रिपोर्ट है जो कहती है कि हम जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट ला रहे हैं, उसमें इनकी कुछ एक्टिविटीज को रोकेंगे। उनके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 2008-09 की एक रिपोर्ट मेरे पास है। वे एफडीआरए कानून से डरे हुये हैं। पीएमएलए कानून बनाया है, उससे भी डरे हुये हैं। वे आपको एफसीए कानून में शामिल करने की बात कर रहे हैं? क्या यूएसए आपको एफसीए में शामिल करने की बात कर रहा है? क्या होम मिनिस्ट्री इसके लिये कोई बातचीत कर रही है? आप यह कानून लेकर आये हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें आपकी मदद करती है और हम इस पार्लियामेंट में देश को बनाने के लिये आये हैं। इस पार्लियामेंट ने हमें जिम्मेदारी दी है। एक मंत्र है -

ओउम सहना भवतु, सहना भुनन्तु
सहवीरियम् करवावहे तेजस्विना
नमधितमस्ते मा विद सावे:।

सभापति महोदय, इस पार्लियामेंट में हम और आप मिल जाते हैं, इस देश में जितना कड़ा से कड़ा कानून बनाने की बात होती है,हम बनाते हैं।

चाहे एनजीओ के नाम पर कोई आ रहा हो, चाहे कन्वर्जन के नाम पर आ रहा हो, चाहे सोशल एक्टीविटी के नाम पर आ रहा हो, हॉस्पीटल बनाने के नाम पर आ रहा हो, वाटर के नाम पर आ रहा हो, किसान के नाम पर आ रहा हो, चाहे किसी भी नाम पर आ रहा हो।

महोदय, पापक की एक कहानी है। पापक एक लड़के का नाम था। वह लड़का चाहता था कि उसका नाम बदल जाये। जब वह रोड पर निकलता है तो उसे एक जीवक नाम का आदमी मिल जाता है, उसे उसकी लाश नजर आती है। उसे लगता है कि जीवक मर सकता है। जब वह और आगे बढ़ता है तो उसे एक धनवती नाम की महिला को कोई सेठ पीटता हुआ नजर आता है। उसे पता चलता है कि धनवती को कोई सेठ पीट रहा है। जब वह उसके आगे बढ़ता है तो उसे एक पंथक नाम का आदमी मिल जाता है, जो उससे रास्ता पूछता है। पापक को लगता है कि जब जीवक मर सकता है, जब धनवती गरीब हो सकती है, जब पंथक रास्ता भटक सकता है तो इन नामों से आये हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एफसीआरए के नाम पर कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कानून लाइये। पण्डित का एक श्लोक है, क्योंकि यह आधा-अधूरा कानून है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्ध तेजति

पाण्डितः क्योंकि सर्वनाश हो रहा था, उसमें आपने कुछ बचाने की कोशिश की है तो आधा त्यागते हुए हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Mr. Chairman, I am welcoming the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010, which has been brought to replace the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 as amended in 1984.

This Bill empowers the Government to inspect and seize accounts or records if it suspects contravention of the provisions of this Act. The Bill contains 11 chapters and 54 clauses. This Bill prohibits organizations of political nature from accepting foreign contribution. The power to declare an organization to be one of political nature rests with the Central Government. The Bill prohibits acceptance of any foreign hospitality by Members of Legislature or Judges or office bearers of political parties or officials of the Government, the bureaucracy.

By introducing this Bill, this august House has risen to address a much felt need. I congratulate the hon. Minister for this. Over the years, quite astronomical amounts of foreign money has been pumped into India in the name of charity. This legislation shall not be mistaken as one to prevent organizations doing real charity. The work of such organizations may be appreciated. But this Bill seeks to prevent fake and dangerous organizations from receiving bulk of foreign funds. In the name of poorer sections of our country some NGOs and other organizations are receiving huge amounts from international funding agencies and many such fake agencies are involved in communal and even in terrorist activities.

Now there are over 40173 organisations working in our country and almost all organizations are getting foreign funding. In reply to Question No.38 on 27.7.2010, it was said that a number of associations have reported receipt of foreign contribution in 2005-06, 2006-07 and 2007-08, to the tune of a huge amount of more than Rs.12,000 crore.

Not only that, about ten organisations are being inquired into by the CBI now. Should it be allowed to continue like this or should some corrective measures be taken to restrict the flow of funds into our country? This Bill is brought for that genuine purpose. This Bill is also meant for protecting the people of our country from terrorist activities. The purpose of the Bill is to defeat the agenda of terrorist organisations like Al Qaeda, NDF, etc.

I would like to recall an incident which took place in our State Kerala. Recently there was some hidden evidence that two containers of fake Indian currency arrived and that money was distributed to terrorist groups which are active in our State. In this regard, I would request the hon. Home Minister to conduct a thorough inquiry into this matter. People are suspecting the involvement of ISI in it.

Many countries are aware of transnational terrorist organisations acting as funding agencies to various anti-national outfits. 'Charity begins at home' is not just a saying; it is a fact. We, as the largest democratic country in the world, must enact a powerful legislation to prevent unregulated flow of foreign money. Anti-national organisations should not be allowed to take advantage of the word 'charity'. Without money and resources, terrorist outfits like Al Qaeda, NDF, ISI, etc, cannot work. Strict vigil is needed in this regard.

India is an emerging economic power. It is a welcome step that the Bill prohibits organisations with political agenda from destabilising our country through foreign funding. In the past, foreign agencies promoted divisive movements, regional and linguistic movements, in Punjab, Jammu and Kashmir, and other places. We are unable to check the flow of funds into the hands of such organisations effectively. The sole authority should rest with the Central Government to declare an organisation or an NGO to be of political nature. Even though wholeheartedly I support this provision, I urge the Government that an NGO or an organisation may be given a right to appeal against the decision of the Central Government to prove its veracity.

Apart from this, the Bill has come up with many positive provisions in view of the felt need. I would wholeheartedly appreciate the decision of the Government to exclude the receipt of foreign scholarships and stipends by Indian citizens studying in India or abroad from the provisions of this Bill. This Bill will be beneficial to tens of thousands of poor students in India and abroad.

I would also like to point out two, three small things. I welcome the restriction on the use of foreign funds for the purposes of administration of NGOs, to 50 per cent. The Bill entails maximum utilisation of funds for the benefit of poorer sections of our country. Moreover, all transactions should be allowed through the authorised banks, Section 17

insists on this, in order to ensure accountability and transparency to the core. The provision to include Indian companies with more than 50 per cent of foreign holding in the definition of foreign sources also is appreciated. I am also of the strong opinion that many of the provisions of the Bill effectively address the issue.

But I am of this view that many of the provisions have to be recast. For example, please take Clause (a) of Sub-Section 1 of the Act. As per the Clause, this Act extends to the whole of India and it shall apply to citizens of India outside India. This is not enough. Suppose, a person who is a citizen of India acquires a huge foreign contribution in violation of this Act and acquires a citizenship of another country, then, it is impossible to proceed against him. Hence, we have to recast the words applicable to in all such cases.

Chapter IV may be modified in such a way to give power to such auditing authorities as AG and C&AG to have surveillance over the expenditure carried out by the agencies who receive foreign contributions. Penal provisions contained in Chapter VIII may be made more stringent emulating the provisions of IPC for the crimes of abetment of a crime punishable with death penalty. I am suggesting a necessary change. If an association that receives foreign contribution spends the amount for aiding crime, it shall also be awarded the same punishment awaradable for the particular crime resulted by such spending. The principle contained in Section 34 of IPC may also be incorporated in this Bill.

On behalf of the millions of poor and ordinary citizens of this country, who lead an honest life, I strongly extend my support to the Government for piloting this epoch-making Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विदेश अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया। सभी माननीय सदस्यों ने इसे सपोर्ट किया है, इसलिए मुझे भी सपोर्ट करना है। यह बहुत जरूरी है, खासकर अपने देश के लिए। पूंजीवादी और साम्राज्यवादी देशों की अचानक उमड़ी दरियादिली और परोपकार की जो भावना है, उसमें बहुत बड़ा राज़ है। अब तक देखा गया है कि विकसित देशों को मदद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विकासशील देशों में जो धन जाता है, वह मेरे ख्याल से ठीक है, ताकि वे विकसित हों। लेकिन बाहरी मदद के मोह से हमें दूर रहना होगा। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 18996 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जिन्होंने अभी तक लगभग 11 हजार अरब रूपये लिए हैं। यह बहुत बड़ी धनराशि है। यह देखा गया है कि इसकी जानकारी गृह मंत्रालय के पास भी नहीं थी। इसलिए अब गृह मंत्रालय चेता है, बिल भी लेकर आया है और इस पर जांच बैठाने का काम भी किया है। यह बहुत अच्छी बात है। एनजीओ के माध्यम से यह धन आता है, खासकर जो सामाजिक रूप से गरीब हैं, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, विस्थापितों का पुनर्वास करने, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंरक्षण, बाल श्रम, बच्चों एवं महिलाओं के विकास के लिए धन आता है। हम कभी-कभी विश्व बैंक से भी ऋण लेते हैं, चूंकि अपने देश का विकास करना है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे इतने संसाधन हैं, हमारी प्राकृतिक संपदा और धरोहर को विकसित कर लें तो मेरे ख्याल से हम अपने आप आत्मनिर्भर होकर अपने देश का विकास कर सकते हैं।

यह देखा गया है कि एससीएसटी और खास कर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो गरीब एवं कमजोर लोग हैं, उनके बीच में यह पैसा जाता है। यह पैसा कहां तक यूज़ होता है, मेरे ख्याल से यहां सम्मानित तमाम संसद सदस्य बैठे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं होता, जिससे गरीबों की गरीबी की स्थिति अच्छी हो और उनका जीवनस्तर सुधरे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर पूरे देश के आंकड़े देखे जाएं टॉप टेन में दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, वेस्ट बंगाल, गुजरात और उत्तराखंड, प्रथम में तमिलनाडु, दूसरे में आंध्र प्रदेश और तीसरे में महाराष्ट्र है। कुछ अन्य प्रदेश भी हैं, उत्तर प्रदेश में 935 और 119.57 करोड़ रुपए धनराशि दी गई है। विदेशों से अब तक जो 80 प्रतिशत धन आया है, उनमें खास कर अमेरिका, कैनेडा, यूरोप, जापान, अस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात है। लगभग 15 देशों ने मदद की है। अभी जैसे सम्मानित सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की, लगभग देखा जाए तो 60 प्रतिशत धार्मिक संगठनों पर पैसे आए हैं, जो व्यय हुए हैं। उसमें इसाई संगठन और तमाम अन्य समुदाय के लोग भी हैं, जिनका अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ है। हमारे देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है। श्री अमर्त्य सेन जी ने भी कहा कि अगर एनजीओस पर हम लगाम लगाएं तो लोकतंत्र की सेहत बिगड़ेगी और लोकतंत्र को खतरा भी होगा। मैं यह नहीं कहता कि इसे मैरिट और

डी-मैरिट दोनों तरफ से, दोनों एंगलो से देखा जाए, लेकिन ऐसी जगहों पर, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से गरीब लोगों पर यह खर्च हो, जिसका सही मायने में उपयोग हो सके। यह देखा गया है कि नोबल पुरुस्कार बंग्लादेश के मोहम्मद युनूस साहब ने भी प्राप्त किए हैं। विदेशी धन को गरीबों में खर्च करके, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कमजोर थी, उन पर खर्च करे उन्होंने नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। आज हमारे देश में देखा गया है कि ऐसे बहुत अनाप-शनाप धन आए हैं, जिनका दुरुपयोग हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हम लोग पाक साफ हैं। उसमें सांसद, विधायक, नेता विभिन्न दलों के, हमारे कुछ सम्मानित पत्रकार बंधु, राजनीतिक दल और उनके तमाम पदाधिकारी, सरकारी एवं गैर सरकारी तमाम जो अधिकारी भी हैं। अगर न्यायधीश भी इसमें लिप्त हो तो इसकी जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अभी श्री निशिकांत जी ने बड़े विस्तार से कहा कि जो लोग बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका जीवनस्तर है और एक मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के लोगों का जीवनस्तर देखें तो वह भी एक जांच का विषय बनता है। जांच करनी चाहिए कि ये अनाप-शनाप पैसे कहां से और कैसे आ रहे हैं। देश के विकास में वे टैक्स देते हैं या नहीं, भागीदार बनते हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने समय बाधित किया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि जो धन विदेशों से आ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मंत्री जो जो बिल लेकर आए हैं, इसका मैं पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, आपने विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, इस विधेयक को बहुत पहले आना चाहिए था। यह अच्छा विधेयक है और इस विधेयक का हम अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से पुरजोर समर्थन करते हैं। वैसे हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर यहां की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा खुले आसमान के नीचे लोग रह रहे हैं, अपनी इन कमजोरियों को, तमाम चीजों को विदेशों के सामने रखते हैं, जिससे तमाम विदेशी संस्थाएं भारत को इस तरह का धन देती हैं।

लेकिन 1976 में बने विदेशी सहायता नियमन अधिनियम को बदल कर उसके स्थान पर विदेशी सहायता प्रबन्ध अधिनियम लागू करने का जो सरकार ने मन बनाया है, उससे निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, जो हमारे देश को दूसरे मुल्कों में बदनाम करते हैं। यह आज से नहीं, पिछले काफी समय से विदेशी सहायता इस देश में आ रही है। वह जिनके लिए आ रही है, उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसमें इन्होंने यह कहा है कि इस मद में किसी भी विदेशी सहायता के प्रशासनिक मद में सिर्फ 25 प्रतिशत खर्च किया जा सकेगा, इस मद में 50 प्रतिशत तक खर्च करने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। उसी तरह जो कहा गया है कि 40, 173 संगठन, जो विदेशी सहायता ले रहे हैं, इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं, जिनका लेखा-जोखा सरकार के पास नहीं है कि कहां से धन आ रहा है, कैसे आ रहा है और कैसे खर्च हो रहा है, सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, जबकि सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

तमाम ऐसी संस्थाएं देश में चल रही हैं, सरकार की भी बहुत सारी इस तरह की योजनाएं हैं, गरीबों के नाम पर एन.जी.ओ. के नाम से पैसा तो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, जो एन.जी.ओ. ले जाते हैं। जो उसका मालिक होता है, वह मालामाल हो जाता है, इसलिए इस दृष्टि से यह जो अधिनियम आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। यह देश के हित में है और गरीबों के हित में भी है।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि समाज सेवा, आर्थिक गतिविधियां, शिक्षा और धर्म प्रचार के लिए भारत की 18,996 स्वयंसेवी संस्थाओं को अब तक 11 हजार अरब रुपया मिला है, लेकिन इसकी भनक सरकार को नहीं है। सरकार को इसका पता नहीं है कि आखिर में यह धन कहां जा रहा है, इसलिए हम यह चाहेंगे कि यह जो इस तरह के एन.जी.ओज़. हैं, मैं सारे एन.जी.ओ. की बात नहीं करता, बहुत से ऐसे एन.जी.ओ. हैं, जिनका काम अच्छा है, लेकिन सरकार को उसकी निगरानी करनी चाहिए, उसका लेखा-जोखा तैयार करना चाहिए, तब जाकर वास्तविक रूप से इसका लाभ मिल पाएगा।

वैसे तो हमारा देश प्राकृतिक रूप से इतना सम्पन्न देश है कि अगर हम चाहें तो हमारे लोगों को दूसरे मुल्क में जाकर यहां की गरीबी और भुखमरी को नहीं रोना पड़ेगा, हम यहां के लोगों को आत्मनिर्भर बना सकेंगे, उनकी

गरीबी और भुखमरी को दूर कर सकेंगे, इसलिए सरकार जो यह अधिनियम लाई है, मैं अपनी तरफ से उसका पूरा समर्थन करता हूं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): महोदय, यह जो बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रैगुलेशन एक्ट, 1976 के बदले लाया गया है, संसद के ऊपरी सदन में गृह मंत्री माननीय श्री चिदम्बरम साहब ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि 34 वर्षों का जो कानून है, उसकी हमने गहन समीक्षा की है और गहन समीक्षोपरान्त हमने दूसरा विधेयक लाने का निर्णय किया है, यह बात उन्होंने सदन में कही। यह बात सही है।

अभी डॉ. बलिराम जी ने कहा कि 11 हजार अरब रुपया विदेशों से आया। यह 11 हजार अरब नहीं 11 हजार करोड़ रुपया है। यह सरकार के जवाब में है।

सरकार ने स्वयं कहा है और उसने तीन वर्ष की फीगर्स दी हैं। इसी सदन में माननीय सदस्य हुक्मदेव नारायण के अतारांकित प्रश्न संख्या 5249 (27.04.2010) को वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 तीनों मिलाकर 28,878 करोड़ रूपए लाए हैं, उसके बाद आप विधेयक, 2006 लाए हैं और अब विधेयक, 2010 है। इसमें कितने करोड़ रूपए लाए हैं, इसका हिसाब सरकार के पास नहीं है और अगर सरकार के पास इसका हिसाब है, तो सरकार को यह बताना चाहिए था। जब विधेयक पेश किया गया, तो उसके जवाब में इसके बारे में बताना चाहिए था। गृहमंत्री जी ने सदन में कहा कि जुलाई, 2010 तक चालीस हजार ऐसी संस्थायें हैं, लेकिन ये संस्थायें जो एनजीओ हैं। ये किनके नाम पर पैसा लाती हैं? ये पैसा लाती हैं गरीबों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के नाम पर, अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के नाम पर, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के नाम पर और शिक्षा के नाम पर लाती हैं। शोषण होता है दलितों, पिछड़ों, समाज के कमजोर वर्गों और आदिवासियों के नाम पर, लेकिन संस्था कौन चलाता है? जो देश के चतुर-चालाक और बड़े लोग हैं, वे संस्था चलाते हैं। इन चीजों पर जो खर्च होता था, उसमें पचास प्रतिशत व्यय संस्था प्रशासनिक दिखलाती थी। जो बैलेंस सीट या हिसाब-किताब देती था, उसमें वह कहती थी कि टोटल एमाउंट का पचास प्रतिशत प्रशासनिक व्यय है।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और गृह मंत्री श्री चिदंबरम साहब को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद सरकार की नींद खुली है कि वह ऐसे विधेयक को लाए हैं। यह विधेयक पूर्णरूपेण स्थापन विधेयक है और बहुत कड़ाई इसमें की गयी है। सरकार को यह बताना होगा कि जो 28 हजार करोड़ रूपए हैं, उसमें 7,229.42 करोड़ रूपए सिर्फ शिक्षा पर इन संस्थाओं ने खर्च किया। उन्होंने कहां-कहां शिक्षा पर खर्च किया है? वर्ष 2001 के अनुसार हमारा राष्ट्रीय औसत 65 है। अभी सेंशस होने वाला है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पांच प्रतिशत और बढ़ेगा। यह जो सात हजार करोड़ रूपए सिर्फ तीन वर्षों में खर्च किए, वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 में, यह पैसा कहां-कहां खर्च किया गया, इसका हिसाब सरकार को लेना चाहिए। सरकार ने अनुश्रवण के लिए, मानीटरिंग के लिए छूट दे रखी थी कि चाहे जितना पैसा ले आओ और गरीबों के नाम पर, शोषितों के नाम, वंचितों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, अनुसूचित जातियों के नाम पर और पिछड़ों के नाम पर, बड़े लोग पैसा लूटो। सरकार की

कोई मानीटरिंग नहीं, कोई अनुश्रवण नहीं और सरकार ने कुछ नहीं किया। यहां धारा 6,9 और 11 में आपने कड़ाई की है।

महोदय, जो एनजीओ की पालिसी है, वह अभी तक पीएमओ मे पेंडिंग है। एनजीओ लाता है पैसा, बिल लाए हैं आप और जो एनजीओ की पालिसी बनेगी, वह अभी तक प्रधानमंत्री के दफ्तर में लंबित है। आपको एनजीओ पालिसी लानी चाहिए, एनजीओ की क्या पालिसी होगी, कैसे पैसा लाया जाएगा? आपने यह व्यवस्था की है, वह अच्छा काम किया है। आपने सिंगल एकाउंट के बारे में कहा है। सिंगल एकाउंट खोला है तो जो एनजीओ होगा, या जो पंजीकृत होगा, आपने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है। जो पंजीकृत होगा, उस पंजीकृत संख्या के नाम पर कितने एकांउट सारे देश और विदेश में हैं, यह हिसाब-किताब उसको देना होगा। यह इस बिल में प्रोवीजन नहीं किया गया है। इसी के साथ 41 संगठनों को आपने अब तक बैन किया है। वे 41 संगठन कौन-कौन से हैं, वे कितना पैसा लाए? आपने उन 41 संगठनों के खिलाफ क्या पाया, कितने हजार करोड़ रूपए ये संगठन डकार गए और इन संगठनों के खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ क्यों नहीं फौजदारी मुकदमा हुआ? इन लोगों को क्यों नही जेल में बंद किया गया? जो बिल आप लाए हैं और उद्देश्य और कारण रखे हैं तो सरकार को यह बताना चाहिए कि ये 41 संगठन कौन से हैं?

इसी तरह आपने 11 संगठनों के खाते सील किए। आपको बताना होगा कि ये किनके खाते हैं। आपने जिन 11 खातों पर परिचालन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, वे किन-किन एनजीओज़ की संस्थाएं हैं। अब तक खाते में कितने रुपये जमा हैं और क्या सौ करोड़ या अरब का परिचालन हुआ है। इसी तरह 35 संगठनों को कहा गया है कि अगर आप विदेशी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो सरकार की पूर्वानुमति चाहिए। चिदम्बरम साहब सदन में नहीं बैठे हैं। माननीय राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और हमें इनकी क्षमता पर पूरा विश्वास है। सरकार यह बताये कि वह 35 संगठन कौन से हैं जिन्हें पूर्वानुमति लेने के लिए कहा गया है। आगे के लिए बैन क्यों नहीं किया गया है? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया गया? वे पैसा डकार गये, आपने उस बारे में कुछ किया या नहीं? अगर बैलेंस शीट दी गयी है और जांच के बाद वे दोषी पाये, ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं बंद किया गया, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। आपने जितने संगठनों के खाते सील किये हैं और जिन पर बैन लगाया गया है, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं, सदन इसे जानना चाहेगा।

मैंने धारा 6, 9 और 11 का उल्लेख किया है। धारा 9 में कुछ संगठनों के बारे में कहा गया है। व्यवस्था ठीक है और सरकार की नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें यह नहीं दिया गया है कि इसका रिव्यू और मौनीटरिंग किस लैवल पर होगी। मैं मांग करता हूं कि जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय में जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति बनी है, उसी तरह इस देश मे विदेशी सहायता का जो भरपूर पैसा आ रहा है और कुछ लोग गरीबों,

समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के नाम पर मौज-मस्ती कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मौनीटरिंग द्वारा कार्यवाही हो। उस मौनीटरिंग कमेटी में जनप्रतिनिधियों को रखा जाए।

धारा 9 में कहा गया है - परन्तु ऐसा कोई प्रतिषेध या ऐसी कोई अपेक्षा तब की जाएगी जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार किए जाने से अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह ठीक है, लेकिन इसमें भारत की प्रभुता और अखंडता, लोकहित या किसी विधान मंडल के निर्वाचन की स्वतंत्रता या निष्पक्षता, यह एक पोलीटिकल मामला है। किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और धार्मिक, मूलवंशीय, सामाजिक, भाषायी या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच मोल-जोल, कहा गया है कि नहीं देगी। इसका निर्धारण कौन करेगा - गृह मंत्रालय या भारत सरकार? यदि कोई एनजीओ इसे प्रभावी करेगा तो उसके लिए अनुसरण कहां होगा और जो बाहर से पैसा लाएगा, उसी मौनीटरिंग कहां होगी, इन दोनों के बारे में मैं सरकार से जानना चाहूंगा।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill the Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010. This Bill is brought to this House primarily to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or hospitality with a view to ensuring that our parliamentary institutions, political associations, academic and other voluntary organizations and individuals working in important areas of national life may function in a manner consistent with the values of a sovereign democratic republic.

Sir, as such the intent of the Bill is laudable. It would streamline the flow of foreign contribution in a proper fashion. As per the sources available, the amount of foreign contributions received by associations registered and associations granted prior permission under the Foreign Contribution Regulation Act of 1976 are a huge amount. In the year 2005-06 it was over Rs. 7,000 crore; in 2006-07 it was more than Rs. 11,000 crore and in the year 2007-08 it was more than Rs. 9000 crore.

I would like to request the Ministry to ensure that foreign contributions received by Associations and NGOs are disposed of within a time frame. Perusal of documents provided by the Associations and NGOs should be speeded up. NGOs and Associations should not be harassed without any rhyme or reason.

The whole process should be more transparent. At present, it is not so. New NGOs and Associations are made to run from pillar to post to get clearance from the Ministry under this Act. Complaints galore have become the order of the day. Of course, I am not denying the fact that the Ministry has to scrutinise the foreign contributions fully and completely as per the laws but in the process, the Ministry should not give an impression that foreign contributions made to Associations and NGOs are not welcome. Legitimate charitable institutions, educational institutions serving the poor and downtrodden should not be put to any difficulty.

There has been a school of thought which argues that money can be raised within the country and there is no need to take money from foreign countries. I do not think this can be an acceptable argument because the amount these institutions receive as foreign contribution is a huge amount which cannot be received within the country.

There is yet another school of thought which thinks that there is no need of this Act at all. Shri Bimal Jalan, the former Governor, RBI and former MP of Rajya Sabha is of the opinion that the Ministry of Home Affairs need not involve itself in this at all. According to him, few and simple guidelines are enough to take care of foreign contributions to institutions and NGOs. Law enforcement agencies should investigate into these acts of those who are indulging in suspicious activities. I would like the hon. Minister to comment on such a viewpoint.

There are reports that many institutions do not report the foreign contribution they receive. This is not fair. Of course, it is very difficult for the Ministry to keep tab of such transactions of foreign contributions but it would not be an impossible task keeping in view the drastic innovations being introduced in the banking system. I would suggest to the hon. Minister to look into this aspect specifically to make these institutions accountable.

Another important aspect is that when many unaccountable institutions are not bringing forth their foreign contributions and not getting into the clutches of law and going scot-free, it would be a sort of inducement to the institutions who are reporting foreign contributions faithfully not to bring the contributions to the notice of the Government. Hence, I would suggest to the Minister to see that whether any benefit be extended to those institutions which report faithfully their foreign contributions.

I would also like to state that those Associations and NGOs who violate the FCR Act should be severely penalised and stringent action should be initiated against them. All those who receive foreign contributions should be made accountable. The Government can even go to the extent of banning them from receiving foreign contributions in future.

I have come through a report which highlights the problems being faced by voluntary organisations, who are up in arms over the stringent provisions of the FCR Bill. I would request the hon. Minister to look into the apprehensions raised by not only the voluntary organisations but also other Associations and NGOs involved in receiving foreign contributions.

The Government should stop misuse of foreign funds and it should be ensured that flush foreign money should not be used for anti-national activities.

There are instances of NGOs misusing foreign funds. It was reported about an NGO Chief found guilty of misusing foreign funds and for violating the norms under the Foreign Contributions Act. In this case, foreign contributions to the tune of more than Rs. 46 lakh from Reach International, US during 1999 to 2003 was utilised by Reach Valley View Academy without registration and prior permission from the Ministry of Home Affairs.

There are apprehensions expressed by the NGOs in regard to this Bill. I would like to know what were the apprehensions and what are the reaction of the Ministry on the same. I hope that with the passage of this Bill, the whole process of foreign contributions flowing into the country for the voluntary organisations, Associations and NGOs would be streamlined and all the hiccups encountered hitherto would be cleared.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government is thinking of coming out with a new NGO policy as the Foreign Contribution (Regulation) Act is considered to be not in the interest of the NGOs, who receive foreign contribution. I hope the Government would make efforts to clear all the doubts raised by the organisations and the NGOs involved, so that the Foreign Contribution (Regulation) Act serves the purpose for which it is intended to serve.

I support this Bill. With these words I conclude.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, thank you very much for allowing me to participate in this important discussion.

At the outset, I rise to support the Bill and congratulate the hon. Minister for bringing this important Bill keeping in view the interest of the nation.

The Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010 is really intended to control the activities of associations, individuals or companies and to prevent acceptance and utilisation of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest.

The primary purpose of this Bill is to ensure that foreign contribution is utilised for genuine activities without compromising on concerns of national security. This Bill tightens restrictions on foreign contribution primarily to the voluntary sectors and political organisations. The Bill also provides for closer Government monitoring, additional registration requirements and expands the classification of individuals prohibited from accepting any foreign contribution. I really welcome it.

NGOs and the voluntary sector in our country have expanded over the last ten years of which many are funded at least partially by foreign donors and about sixty to sixty-five per cent of organisations registered under the FCRA had reported acceptance of foreign contribution. Over the years, there has been a steady flow of seekers of FCRA registration and their number has reached from 16,740 in 1995 to 30,321 in 2005.

Therefore, I feel that there is a need to check this growing registration and the use of foreign contribution in our country. The foreign contribution constitute less than one per cent, that is 0.6 per cent of the gross annual inflow of foreign funds in our country. The Standing Committee has recommended that Indian companies, where the foreign holdings is in excess of 50 per cent may be excluded from the purview of the definition of foreign source and, hence I would request the hon. Minister that the definition may be modified accordingly.

I would also like to point out here, perhaps it might have escaped from the attention of the hon. Minister that there are some loopholes for bypassing the FCRA requirements by

channelling the funds through commercial firms as consultation fees, etc. This must be plugged.

I also urge upon the hon. Minister to make the office of FCRA more transparent, effective and disciplined guardian of foreign contribution. There is also a need to set up regional offices of FCRA across the country to expedite investigation, registration, etc.

It has been reported largely in the media that most of the NGOs which are getting foreign contribution are widely misusing the funds for purposes other than for which they are intended. Therefore, I urge upon the hon. Minister to ask the FCRA to have proper audit conducted with appropriate authentication by the authority concerned.

Before I conclude my speech, one thing I wish to bring to the notice of the hon. Minister is that clause 3(1)(f) of the Bill prohibits all organisations of a "political nature" from receiving any foreign contribution, but it does not provide any guidelines to define organisations of a "political nature." So, it can be identified by publishing an order in the official gazette.

I would also like to point out that under Clauses 33 to 41 of Chapter VIII, the Bill punishes anyone who accepts or assists any persons, political parties or organisations receiving foreign contribution in contravention of any provision or rule in the Act, but the Bill does not distinguish between those individuals who do so knowingly and un-knowingly.

That apart, there is no penal provision in respect of the organisations, individuals, companies and the political parties which are indulging in diversion of funds received as foreign contribution for any other purpose other than its original objective.

14.00 hrs.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Such organisations, individuals and companies which are diverting funds received as foreign contribution should be punished, blacklisted and banned forever. I would request the hon. Minister to make a suitable amendment in the present Bill itself in this regard.

With these few words, I conclude my speech. I welcome the Bill.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I welcome this Bill. We need a legislation in the interest of the national security. It is high time that we enact such a law because since liberalization, the number of NGOs is on the rise in India. I am afraid whether it has become the livelihood of some people. It will be a disgrace to those NGOs, which are functioning with very specific objective, keeping the national interest in their mind and helping the poor people and doing their best for the development of the rural economy and the rural society. But, at the same time, in 2009-10 alone, it has been reported by the Ministry of Home Affairs that 1,393 associations have sought registration, 388 associations have sought prior permission for receiving the foreign contributions and in 2007-08, only 18,796 associations have submitted their reports. It means that less than 50 per cent of the total NGOs have submitted their audited accounts and their records in proper time. So, what happens to the rest?

There is another very important point. Can we say that this is the exact number of the NGOs working in this nation? No, Sir. It is because some of them are working under the pretext of the Indian Trust Act and the Societies Regulation Act of 1860. Some of them are working under the shield of the cooperative societies. So, its number is much above than that has been reported by the Ministry of Home Affairs.

Sir, through you, I would like to invite the attention of the hon. Minister and the Government of India that very small nations with very low *per-capita* income and some very small nations with very low population are funding today NGOs in India. Take the examples of Grenada. Mauritius, Luxembourg, Liechtenstein etc. What is the population of these nations? Liechtenstein is having expertise in making the black money into the white money. Next to Switzerland, their banks are very famous for that. What is Mauritius doing? Are some of our NGOs having a Mauritius connection? Even in the discussion on the IPL, such voices were heard in this august House that India is having a Mauritian connection. For the laundering of black money, more than Rs. 10,000 crore is being pumped to India. I would like to know whether this money is spent for the betterment of the poor people's lives. The answer is `no'. More than 50 per cent of the money is spent for the establishment purposes and for administrative purposes. I was going through the list and I

am quite shocked to see that money, which has been spent for the education of the poor, for organizing the orphanage and for HIV awareness or its prevention is very low. But, at the same time, the establishment expenditure is more. It means that creating an NGO and running an NGO has become a business. It means that there is a politician-NGO nexus.

My humble submission is that after getting this Bill passed, after it becomes a law, there should not be a politician-NGO-bureaucratic nexus. There have been some reservations or some criticisms made by some NGOs.… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): I am going to conclude. I need only two or three minutes. This is a very important issue.

Coming to my point, I would like to say that this money should not be spent for the anti-national activities. I am afraid that a part of the money pumped into India is being siphoned off to terrorist activities.

I would like to invite the attention of the hon. Minister to what happened in Chile on 11th September, 1973. We are all aware of the 11th September when the World Trade Centre was attacked. But in 1973, a military coup happened in Chile. It was a CIA-sponsored coup and the money came through the NGOs. I am coming from the State of Kerala. The first Government of Comrade EMS Namboothiripad was there in power. There was a struggle in 1959 and that struggle was financed by the CIA, the USA and the money came to Kerala. In the North-Eastern States also, everybody knows that from foreign countries, through some NGOs, money came for acquiring arms and ammunition. There were some days, some years when our national integrity was in peril in the North-Eastern States. In Jammu and Kashmir also, this thing has happened. Now, we are all very much aware of the threats from the Maoists. Our hon. Prime Minister has made it clear that this is the single largest threat that this nation faces. Can we assure ourselves that the Maoists do not get the foreign funds through the NGOs?… (*Interruptions*)

The hon. Home Minister has made it clear that 35 NGOs have been banned for ever from receiving the foreign funds. Recently, we have had the Fifteenth Lok Sabha elections. In that, money played a major part. Money was pumped to the political parties through

non-political organizations. The media-men and the journalists also received money. If you want to publicize yourself, if you want to have the news, then, pay off. That is the situation today.

Before concluding, I would like to invite your attention to a very important matter. The Report of the Press Council of India was presented in the Council meeting on April 26, 2010. It demonstrates the gravity of the malaise of the paid news. So, while welcoming and supporting this Bill, I humbly request the Government to be very careful regarding foreign funding and its utilization because there is every possibility of misutilisation of foreign funds.

Finally, I would like to say that our country has prohibited dowry. In law, it has been prohibited but in the news, we see that as dowry some people are giving NGOs as gift to the bridegrooms! Such things happen. It is a shameful thing. So, I am welcoming this Bill. I appreciate the intention of the hon. Minister. I am supporting this Bill.

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): Sir, this Bill of 2006 is coming to us after four years. The objective of this Bill is to replace the earlier enactment, that is, the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976. It is coming after 35 years. Although it is late, yet I welcome this Bill because it is needed for the country.

In the Statement of Objects and Reasons, it has been stated that since 1984 significant developments have taken place such as security scenario, increased influence of voluntary organizations, spread of the use of information and technology, etc. Therefore, it has been decided to replace the present Act by a new legislation to regulate acceptance, utilization, accounting and acceptance of foreign hospitality by a person or an association.

Sir, as far as the foreign contribution goes, the figures that I have got to say that in 2005-06, the number of registered associations was 32,144, the number of reporting associations was 18,570 and the amount of contribution they received was Rs. 7,877 crore out of which religious associations got Rs. 3,075 crore. Similarly, in 2006-07, the number of registered associations was 30,937, the number of reporting associations was 18,996 and contributions obtained was Rs. 11,536 crore out of which religious associations took a sizeable amount. It is a matter of concern as to what these religious associations do with this type of money, because some of the religious institutions spread superstition in the society which, in some cases, leads to communal violence.

Sir, I would now like to say a few words about what happened in Kandhamal, which is my constituency in Orissa. It experienced a lot of communal violence in 2007 and 2008. Kandhamal is a very poor district. As far as food security is concerned, it is the lowest in the whole of South East Asia and infant mortality rate is the highest in the country. The hon. Home Minister Shri P. Chidambaram is very well aware of the violence that took place in Kandhamal district. Due to his close monitoring and due to the bold steps taken by the Government of Orissa led by Shri Naveen Patnaik, the violence was controlled. But I have to mention that these so-called religious institutions on both sides had a greater role to play in this violence. So, I request the hon. Home Minister to see that the administration of these religious organisations must be well guarded so that these types of incidents do not occur in future.

I would now turn my attention to some of the provisions made in this Bill. Clause 8 (1) (b) says:

> "shall not defray as far as possible such sum, not exceeding fifty per cent of such contribution, received in a financial year, to meet administrative expenses:"

In my opinion, allowing 50 per cent for administrative expenses is too much. So, I suggest that it should be limited to 25 per cent and, in some cases, for research activities it may be more, but it should be governed by the Government. Similarly, I welcome the provision made to give cause of rejection of application which will be made known to the concerned NGOs, but the time limit has been omitted. By what time the application will be rejected, that also should be mentioned here.

Then, Clause 21 says:

> "Every candidate for election, who had received any foreign contribution, at any time within one hundred and eighty days immediately preceding the date on which he is duly nominated as such candidate, shall give, within such time and in such manner as may be prescribed, an intimation to the Central Government or prescribed authority or both as to the amount of foreign contribution received by him, the source from which, and the manner in which, such foreign contribution was received and the purposes for which and the manner in which such foreign contribution was utilized by him."

It is not necessary because the Election Commission itself, in their guidelines, can state as to what kind of foreign contributions they have received. This can be included in the guidelines issued by the Election Commission and so there is no use of including this provision in this Bill.

Similarly, I feel that NGOs need to be encouraged and their foreign contribution requirements have to be met. But I would urge upon the hon. Home Minister to scrutinize the functioning of all NGOs. But those NGOs who do social work, those who wish to help the society, those who want to eradicate poverty and those who are promoting scientific temper in the society need to be encouraged.

With these words, I wish this legislation all success.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदया, सन् 1976 में वह कानून आया था और बीच में उसमें संशोधन भी किया गया और फिर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वे दोनों कानून प्रभावशाली नहीं रहे तो फिर एक नया कानून लाने जा रही है। सदन में जो हमने सुना, एनजीओ के खिलाफ वातावरण है। अपने देश में 12 लाख एनजीओ हैं। 6 लाख खर्च वाले हैं और 6 लाख की लिखापढ़ी भी है। अभी पता चला है कि 18000 एनजीओ ने विदेश से धन लिया। 11000 अरब विदेश से धन आ गया और सरकार को मालूम नहीं है और सरकार जांच पड़ताल कर रही है। बाहर से पैसा आ गया। यहां से बाहर पैसा चला जाता है। सरकार बेखबर है। ...(व्यवधान) इसलिए एनजीओ पर एकदम सरकास्टिक रिमार्क दे दिया जाए कि एनजीओ चौपट है, खराब है तो कोई कह देगा कि पोलिटिशियन में भी कोई खराब होगा तो कह देंगे कि सारे खराब हैं। यह कितनी अन्यायपूर्ण बात है। हर क्षेत्र में कुछ अच्छे प्रतिशत लोग जरूर होंगे, उनको बचाना जरूरी है चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे कोई अफसर हो चाहे कोई समुदाय हो चाहे एनजीओ हो, कुछ लोग तो अच्छे जरूर होंगे। हर समुदाय में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। मात्रा भेद का फर्क है। हीरा तो कम ही होता है, कोयला बहुत होता है। अच्छे लोग जरूर कम होंगे। अच्छे एनजीओ, अफसर, समुदाय कम होंगे। कोयला या पत्थर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हीरा या सोना कम होगा। यह प्राकृतिक है।...(व्यवधान) अगर हमारी बात से कोई डिफर करते हैं तो बताइए, हम डिसकस करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैं आपको क उदाहरण देता हूं। एनजीओ में सूचना का अधिकार पार्लियामेंट ने पास किया। वह अभियान एनजीओ ने शुरु किया कि राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बाल श्रम कानून एनजीओ ने शुरु किया तब पार्लियामेंट ने कानून बनाया। इसी तरह से कई कार्य हैं, जिनमें एनजीओ ने भी इनीशिएटिव किया। कुछ लोग उसमें सेवा के भाव से हैं, मिशनरी भाव से हैं। ज्यादातर लोग उसमें जीविका चलाने के लिए छद्म वेष में आते हैं। क्या ऐसे लोग राजनीति में नहीं हैं? अभी मैं देखता हूं कि पद हो गया तो पैसा के लिए पागल बना हुआ है। पैसा हो गया तो पद के लिए पागल बना हुआ है। अभी हम लोगों के यहां टिकट के लिए लोग आते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपने राजनीति में क्या किया है तो कहते हैं कि हमने बहुत धन जमा कर लिया। टिकट के लिए पागल बने हुए हैं। इसलिए ये सब बीमारियां हैं। इसलिए सभी एनजीओ को खराब कहना उनके साथ अन्याय होगा।

एक साथी मोहम्मद युनूस का नाम बोल रहे थे कि विदेशी धन से सहायता लेकर एनजीओ चलाने के लिए नोबल पुरस्कार मिला है। हमारा दृढ़ मत है कि कोई विदेश से सहायता लिए बिना काम करेगा तो सबसे अच्छा है। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप कर लें तो इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन जब नहीं हो पाता है तो लोग सहायता लेते हैं। लेकिन सहायता लेकर सहायता का उपयोग कैसे हो, इसे देखना चाहिए। लोगों ने सहायता लेकर बड़े-बड़े काम किए हैं। आदमी ऋण लेकर भारी उद्योग खड़ा करता है, ऋण भी चुका देता है और तरक्की भी करता है। दूसरी तरफ आदमी भीख मांगकर भी गुजारा चलाता है इसलिए भिक्षावृत्ति को सबने खराब कहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार को जानकारी है कि विदेशी धन बिना जांच-पड़ताल के दे देता है। इसके लिए कोई नियम या क्राइटेरिया है या नहीं? क्या विदेशी ऐसे ही फेंक रहे हैं? जब निहित स्वार्थ या गड़बड़ उद्देश्य होता है तब ही ऐसा हो सकता है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लिए 60 फीसदी पैसा बाहर से आता है। क्या क्रिश्चियन्स मिशनरीज़ ने अच्छा काम नहीं किया है? आदिवासी इलाके में जहां सरकारी स्कूल नहीं हैं, वहां ये स्कूल चला रहे हैं जिनमें बच्चे पढ़कर अच्छी जगह पर चले गए हैं। जो काम सरकार नहीं कर पाती वहां वही काम गैर सरकारी संगठन भी करते हैं। हमारे देश का बहुत विस्तार है और बहुत समस्याएं हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने गांव में अच्छा काम भी किया गया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबल पुरस्कार विजेता हैं और उनकी राय है कि एनजीओ पर सीधे लगाम लगाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है? इस विधेयक में क्या प्रावधान हुआ है? इसमें प्रावधान हुआ है कि इन्हें जिला अधिकारी से पास कराना पड़ेगा। क्या सरकार को जानकारी है कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन में कितनी फीस लगती है? जब एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने जाता है तब फीस रिकॉर्ड में आती है लेकिन माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि बिना रिकॉर्ड के कितनी फीस है? जब जिला से पास कराने जाएंगे तो इसमें अफसरशाही और कमीशनखोरी नहीं होगी, इस बात की गारंटी सरकार दे।

महोदय, एनजीओ पर सीधे लगाम लगाने से जो अच्छा काम कर रहा है उसे भी गलत खाते में चला जाएगा। बिहार में सीएजी ने 11,400 करोड़ की रिपोर्ट दी है। सरकारी तंत्र कहां है? सीएजी की रिपोर्ट ने कहा - It is a fit case to be investigated by CBI. इसमें बड़े-बड़े लोग इन्वालव हैं, किसी दूसरे से जांच नहीं हो सकती है। इससे सारी संस्थाओं और व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिह्न लग रहा है। और कहा जा रहा है - एनजीओ, एनजीओ, एनजीओ। यह ठीक बात है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। क्रिश्चियन्स के लिए पैसे आते हैं, इस्लामियों के लिए आते है। हम आरएसएस से सवाल पूछते हैं कि आरएसएस के लोग पॉलिटिकल संस्था हैं, कल्चरल संस्था हैं या सामाजिक संस्था हैं? ...(व्यवधान) इनकम टैक्स नहीं देना था तो कहा गया कल्चरल हैं और जब इनकम टैक्स का नोटिस आया

तो कहा गया कि हम पॉलिटिकल हैं। इस तरह से दोहरी सदस्यता के चलते मैं आपको सन् 1978 में लेकर चलता हूं।...(व्यवधान) हम खिलाफ नहीं हैं हम सवाल उठा रहे हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध पांडा, आप बोलिये, सिर्फ पांडा जी की बात रिकार्ड पर जायेगी।

(Interruptions) ... *

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान) *

* Not recorded

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support this Bill. In fact, this Bill is overdue. It must have been brought forward much earlier but it is better late than never.

I welcome this Bill. The 1976 Act lists a number of organizations and individuals that are prohibited from accepting foreign contribution. The Bill adds organizations of a 'political nature' and electronic media organizations to the list. I do not know what is about the print media.

While I am welcoming this Bill, I would like to put certain questions and seek clarifications from the hon. Minister. I think, the Minister, in the course of his reply, will satisfy us.

Though the stated objectives of the Bill is to strengthen internal security – Internal security is a very important matter, and particularly at this juncture paramount importance should be given to internal security – it addresses only the voluntary sector and only foreign funding. How much of this constitute total inflow of foreign funding? I think, it is one per cent of gross inflow of foreign funding into India. I would like to know what would be the percentage in the case of others. This point should be clarified.

Many of the objectives of the Bill are met by other laws in force such as the Unlawful Prevention Act, 1967, the Prevention of Money Laundering Act, 2002, the Foreign Exchange Management Act, 1999, and the Income-tax Act, 1961.

The new Bill prohibits all organizations of a 'political nature' from receiving any foreign contribution but 'political nature' should be defined. 'Political nature' means whether it is only registered political parties and recognized by the Election Commissioners at the Centre and in the States or unregistered political parties. Not only that, most of the political parties are functioning with the Trade Unions and different mass organizations.

So, please clarify whether all these would be covered or not. It is not just about the terrorist organisations, which have been banned. There are different organisations like Maoist outfit and other mass organisations; and the they are not banned. So, there is a need to clarify all these things. It should be properly defined.

Another point is about the administrative charges. The administrative charges are 50 per cent. It is not a meagre figure. If the foreign funding is 50 per cent, they are putting a cap. But if 50 per cent goes for the administrative purposes, what would remain for public purposes? If they put any cap, it should be "not more than 10 per cent". Maximum 10 per cent may be used for the administrative purposes and not 50 per cent. Fifty per cent is too much. It would benefit, particularly, those NGOs which are only intending to make money. I am not saying that all the NGOs are intending to make money. I do not know what is the actual figure of the NGOs as regards their number. It might be three lakhs, it might be 30 lakhs. There are some good NGOs; there are some bad NGOs. I am not putting everything in the same bracket. Good NGOs should be encouraged. But a sort of cap of 50 per cent as administrative charges would benefit, particularly the NGOs, which are only making money. So, the cap of administrative charges should be reduced to 10 per cent.

Another point is that the FCRA registration process under the Bill confers a number of discretionary powers to the authorised officer. Why is it so? Why would it depend on the whims and wisdom of the officer only? There is enough apprehension that there could be a nexus between the bad NGOs and the officers of the administration. Therefore, this point should also be clarified. Putting all the discretionary powers on the authorised officer would not suffice to check all these things.

With these apprehensions and questions, I support the Bill and I hope, the hon. Minister would clarify them in the course of his reply.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Deputy Speaker Sir, I take the floor to support this Foreign Contribution (Regulation) Bill, 2010. Since 1984, threats to internal security have increased manifold. Anti-national activities and sabotage have become the order of the day. Foreign remittances are made through various NGOs. In 2007 approximately Rs.12,000 crores have been pumped into our economy. The number of NGOs has also increased in leaps and bounds. Nobody knows whether the funds received by these NGOs are actually utilized by them honestly or not. The money might be used for promoting anti-national activities. So the Government must look into this aspect and hence the requirement of this special act. This is the reason why I am supporting this Bill today.

It has been said in the Bill that the political parties or organizations will not be allowed to accept unaccounted funds and the NGOs will not be permitted to contribute more than 50% to any administrative work. If a case is filed against an office-bearer of an NGO, that organization will be barred from getting aid. It has also been said that the NGO has to immediately inform the Government about acceptance of fund from the foreign countries.

There is also another good provision in the Bill. The organizations which are not registered, which do not pay income tax or do not audit their accounts by Chartered Accountants will be punished. I support this measure whole-heartedly. The Standing Committee has very rightly endorsed it.

---

*English translation of the speech originally delivered in Bengali

But there are certain NGOs which are citing other laws of the land by which action can be taken against the erring organizations. The Unlawful Activities Act of 1967, the Money Laundering Act of 2002 are already in place. Alok Mukhopadhyay, the head of the organization comprising of 27 NGOs says that this Bill is not regulatory in nature but is prohibitory and thus people are being harassed. The Catholic mission has also mentioned that it is a prohibitory Bill they say that the volunteers are facing a lot of problems as a result of this. The entire Christian society is against the Bill because cheating, allurement and deceit are the phrases that have been used in it which should be removed. Otherwise there will be controversies in future. The former Governor of Reserve Bank Mr. Bimal Jalan is of the view that there are various other laws which can be implemented to deal with the unruly NGOs. Therefore the Government of India should not get involved in this situation to a great extent. Only a guideline from the Ministry of Home Affairs should suffice. It is not proper to say that if there is any case filed against an organization, that organization is altogether corrupt or bad. Any case can be filed any time, but we should always try to unearth the truth. There are many voluntary organizations which work for the women and children and are involved in other humanitarian activities like espousing the cause of minorities and backward communities. They work in remote areas, in villages and can be associated with any political party. That does not make them partisan. We must understand that all NGOs are not bad. Some are doing extraordinary well in the social sector. Those should not suffer.

The new law says that these who earn less than Rs.10 lakhs need not register themselves and within 90 days their fate will be decided. This is a welcome step and I support the provisions.

With these few words, I thank you for allowing me to participate in this debate and conclude my speech.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) बिल, 2010 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बताया गया कि वर्ष 1976 में पहला एक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) एक्ट, 1976 बना और उसमें व्यापक व्यवस्था की गयी कि विदेशी धन और विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने, उसका उपयोग, सदुपयोग करने, उसे रेग्युलेट करने के लिए यह अधिनियम बना था। ताकि हमारी गतिविधियां, हमारा आचरण भारतीय प्रजातंत्र, गणतंत्र के मूल्यों के अनुरूप रहे। वर्ष 1984 में आवश्यकता के अनुसार संशोधन हुआ, लेकिन 34 वर्षों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण ऐसे परिवर्तन आये, जिनकी वजह से आज यह नया बिल लाना पड़ रहा है। हमारी " इंटरनल सिक्युरिटी सिनारियो " में पूरी तरह से परिवर्तन आया है, बहुत तब्दीली आयी है। बहुत से देश के बाहर के ऐसे संगठन हैं, उनकी भूमिका के ऊपर, उनका विदेशी धन प्राप्त करने का तरीका, उनके धनराशि प्राप्त करने के बहुत से सुबूत हम सबके सामने हैं। स्वैछिक संस्थाएं जो एनजीओज़ हैं, उनकी संख्या में भी बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, वक्फ एक्ट, चैरिटेबल और रिलीजिअस ट्रस्ट एक्ट, इन सबमें कुल मिलाकर 3.3 मिलियन, अर्थात 33 लाख संगठन ऐसे हैं, जोकि इस तरह से रजिस्टर्ड हैं। इन स्वैछिक संस्थाओं को विदेशों से प्राप्त होने वाली धनराशि में भी बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। 33 लाख ऐसे संगठनों में से कुल 40 हज़ार ऐसे संगठन हैं, एनजीओज़ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन एफसीआरए के अन्तर्गत विदेशी धन प्राप्त करने के लिए हुआ। उसमें से आधे से भी कम 18000 एनजीओज़ ने अपनी रिटर्न दाखिल की जबकि सभी को दाखिल करनी चाहिए थी। प्रति वर्ष 18000 के करीब संगठनों को लगभग 11000 करोड़ रुपये से 12000 करोड़ रुपये के बीच में प्रतिवर्ष विदेशी धनराशि उपलब्ध हुई है। इस धनराशि में भी वृद्धि हुई है। एफसीआरए 1976 के रेगुलेशन के बाद भी काफी कठोर नियम था, लेकिन उसके रेगुलेशन के बावजूद अनेक ऐसी अनियमितताएँ हुईं जहाँ बहुत से गैर-सरकारी संगठनों ने धनराशि का दुरुपयोग किया। मॉनीटरिंग की व्यवस्था के बावजूद उन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं की। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि लचर व्यवस्था होने के बावजूद इस पुराने एक्ट के अन्तर्गत 35 संगठनों को प्रायर परमीशन कैटागरी में डाला गया है, 41 संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है कि आगे आपको विदेश से धनराशि प्राप्त नहीं होगी, विदेश से आप कोई आतिथ्य प्राप्त नहीं कर सकते। 11 संगठनों के खाते भी सील किये गये हैं। जब यह देखा गया कि इसमें बहुत सी अनियमितताएँ हुई हैं तो 11 संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और 9 मामले गहन समीक्षा के लिए सीबीआई को भी रैफर किये गये। गृह मंत्रालय के द्वारा इसमें विशेष रूप से कार्रवाई की गई है। अभी यहाँ विपक्ष पक्ष की तरफ से कहा गया कि कानून था मगर आपने क्या कार्रवाई की। यही सुबूत है आपके सामने और उसका विवरण माननीय सदस्यों के पास भी है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस अधिनियम में संशोधन करना पर्याप्त नहीं है, इसलिए नया बिल लाया गया ताकि नया कानून बनाया जाए और उसे 2006 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया जैसे विवरण

है, वह स्टैन्डिंग कमेटी में गया। स्टैन्डिंग कमेटी से जो संस्तुति आई, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, सिर्फ दो छोटी-छोटी संस्तुतियों को छोड़कर बाकी सभी संस्तुतियों का समावेश करते हुए इस बिल को यहाँ लाया गया है। यह विशेष बिल है। जब पहले एक्ट था, उस दौरान हमसे भी लोग संपर्क करते थे कि एफसीआरए की परमीशन हमें दिला दीजिए। बताते थे कि बहुत कठिन है। उसमें एसपी से भी रिपोर्ट ली जाती है, आईबी से भी रिपोर्ट ली जाती है, जगह-जगह से रिपोर्ट ली जाती है। मैं समझता हूँ कि यह बिल आने के बाद, इस कानून के बनने के बाद जो वास्तव में एनजीओज़ हैं जिनको अच्छे कार्य के लिए बाहर से धनराशि प्राप्त करनी है या विदेशी आतिथ्य प्राप्त करना हो तो उसे सुगमता प्राप्त होगी, उसे कठिनाई नहीं होगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पन्ना लाल पुनिया : मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि इसमें संगठनों का रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है पाँच वर्ष के लिए। पहले परमानैन्ट रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, किसी का अता-पता भी नहीं है। वे संगठन बिल्कुल मृतप्राय हो गईं, बिल्कुल डीफंक्ट हो गईं तो भी वे रिकार्ड पर चलती रहती हैं और अब नए कानून में कम से कम पाँच साल में तो पता चल जाएगा कि ये संस्थाएं वाकयी में चल रही है या नहीं। इसमें विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के रिकाड्र्ज़ के इंस्पैक्शन करने का प्रावधान है। इंस्पैक्शन करने के बाद यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसका सीज़र करने का भी अधिकार है।

मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ शंकाएँ व्यक्त की गई हैं, कुछ चिन्ताएँ हैं। मुझे कुछ और बोलना था लेकिन मैं सीधे उस पर आ रहा हूँ। कुछ चिन्ताएँ व्यक्त की गई हैं कि " पोलिटिकल आर्गनाइज़ेशंस " की कोई व्याख्या नहीं की गई है। उसमें क्या मानक होने चाहिए? यह सही है कि बहुत सी पोलिटिकल आर्गनाइज़ेशंस ऐसी हैं जो दुर्भावना पैदा करती हैं, समाज में घृणा पैदा करती हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। उन पर प्रतिबंध लगाया है। राजनीतिक दलों के लोग और जो राजनीतिक संगठन हैं, विश्व हिन्दू परिषद् विश्व की परिषद् है और वह विदेशों में जाकर धन इकट्ठा करते रहते हैं। जगह-जगह जाकर वे पैसा इकट्ठा करके लाते हैं। उस पर प्रतिबंध लगाया है जो बहुत स्वागत योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : आदरणीय रघुवंश बाबू जी ने इसका उल्लेख किया इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अब आपका रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए, आपका रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान) *

* Not recorded

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में जो संशोधन लाया गया है, उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री चिदम्बरम जी का, जिन्होंने पॉलीटिकल फण्डिंग के इनडायरैक्ट रूट को बंद करने का काम किया है, यह बहुत अच्छा है। यह एमेंडमेंट पहले ही आ जाना चाहिए था। यह बहुत लेट आया है। इसके लिए मैं इन्हें जितना धन्यवाद दूं, वह कम है।

महोदय, यहां सभी लोगों ने एनजीओज़ को दोष दिया है। लेकिन हम एनजीओज़ की भूमिका को वर्तमान समय में नकार नहीं सकते हैं। कार्पोरेट जगत सामाजिक दायित्व के तहत सारे काम एनजीओज़ के द्वारा ही लेता है। इस देश में लगभग 20 लाख एनजीओज़ काम कर रहे हैं। एक एनजीओ के सदस्यों की संख्या 7 से 11 तक होती है। इसमें दो करोड़ लोग शामिल हैं। यह कोई कम स्ट्रैन्थ नहीं होती है। दो करोड़ लोगों की संख्या बहुत होती है। आप देख रहे हैं कि इस देश में लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रूपये विदेशी एवं देसी कान्ट्रीब्यूशन एनजीओज़ के द्वारा खर्च हो रहे हैं। आज तक इस देश में एनजीओज़ को लेकर कोई कोम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनी है। इसलिए सभी सदस्यों ने, चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी ने एनजीओज़ पर प्रश्नचिह्न लगाया। जब यह बात आ रही है और एनजीओज़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भूमिका को इतना कम करके न आंका जाए। उनकी भूमिका को समझते हुए, हमें एक कोम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस बात का ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिस तरह से प्रैस काउंसिल है, डॉक्टरों ने अपनी अलग बनायी हुई है। यदि ऐसा नहीं होता है तो एनजीओज़ के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि नेशनवाइड इन्हें ठीक तरह से संचालित किया जा सके। इससे उनका सही उपयोग किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में एनजीओज़ ने अच्छे-अच्छे काम किए हैं। लेकिन कुछ एनजीओज़ के लिए सभी को दोष देना सही नहीं है। श्री रघुवंश प्रसाद जी ने एक बात बहुत सही कही कि यदि हम सभी लोग अच्छे होते तो इस तरह की बात नहीं होती। इस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर भी लग सकते हैं। इसलिए एक कोम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इसके लिए बनानी चाहिए।

इसके अलावा क्लॉज़ 12 (1) में कहा गया है कि पॉलिटिकल लोग या आफिशियल लोग किसी ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें आफिशियल परमीशन लेनी होगी। लेकिन यदि पर्सनल विजिट पर जाते हैं तो भी इसमें कहा गया है कि होम मिनिस्ट्री से अनुमति लेंगे, अवगत कराएंगे। मेरा यह मानना है कि पर्सनल विजिट के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं है।

महोदय, विदेशी अभिदाय विधेयक पहले से ही था, जिसमें हम इनकमिंग को मॉनीटर करते हैं, लेकिन आउटगोइंग कहां जा रही है, इसको मॉनीटर करने की व्यवस्था होगी तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next speaker is Shri P. D. Rai. I would be able to give you only two minutes to speak on this issue.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

I am coming straight to the point, and I am making a case for the North Eastern Region. The time and effort that is wasted in order to get the FCRA is only known to the FCRA holders. They have to come to New Delhi from far-away places. I have not come across anyone who has had an easy time with the authorities, especially, those in New Delhi.

Can there be a well-thought out regulation or even within this regulation that addresses the issues of application, clearance and auditing that is simple and can be done in the States itself? In my opinion, the best way forward in this is to allow the States to regulate and administer this. After all, the maintenance of law and order is a State subject. So, it is reasonable then to assume that this can be regulated from within the States, which can be that much easier for the organizations that come within the ambit of this Bill.

However, if the regulation is brought within the ambit of RBI, then it would be so much easier. Why should two Ministries get involved in this is, therefore, a question that is bound to arise. What is it that the Home Ministry will do which the Finance Ministry cannot do? I do hope that there will be a time soon when you can bring a Bill which will negate this and come up with something which is simpler, easier to administer and that which puts faith and trust in the people and organizations of this country.

With these words, which can be taken as a form of caveat, I support this Bill.

श्री अजय माकन : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल हिस्सा लेने के लिए एवं समर्थन करने के लिए हिस्सा लिया, बल्कि डिबेट का स्टैंडर्ड और बहस का स्तर इतना अच्छा रखने के लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। बहुत अच्छे सुझाव और बहुत अच्छे तरीके से इस बिल के बारे में बड़े गहन विचार करके, स्टडी करके सदस्यों ने इस बात को रखा, खास तौर पर मैं निशिकांत दुबे साहब का विशेष तौर पर नाम लेना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा, इसके लिए मैं अपनी तरफ से इन्हें और दूसरे सदस्यों को भी बधाई देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब लोगों ने कहा कि यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इसमें काफी समय लगा, यह बात सही है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि सन् 1984 में जब हम लोगों ने इसमें तीन मुख्य विषयों के ऊपर अमेंडमेंट किया तो उसके एकदम बाद सन् 1986 में एस्टीमेट कमेटी ने उस समय भी कहा था कि इस बिल के अंदर नये तरीके के अमेंडमेंट की जरूरत है। जिसकी वजह से कमेटी ऑफ सैक्रेट्री 1988 में बनाई गई, फिर 1993 में बनाई गई और सन् 2001 के अंदर भी इस बिल के ऊपर चर्चा, केबिनेट के अंदर उस समय तत्कालीन सरकार के बीच में हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। फलस्वरूप जैसे ही यूपीए की सरकार आई, हम लोगों ने इसे लिया और सन् 2005 के अंदर इस चीज को केबिनेट में एक कॉंप्रीहेंसिव बिल की फॉर्म में लेकर गए। वहां से फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गया और एक नेशनल सेमिनार भी दो दिन का यहां दिल्ली में रखा गया कि इस बिल को किस तरीके से किया जाए। इसमें ये सब कार्यवाई इतने समय में हुई हैं। फिर 2006 दिसम्बर के अंदर राज्यसभा से स्टैंडिंग कमेटी में जब गया तो 2008 अक्तूबर में स्टैंडिंग कमेटी ने इसमें अपनी रिपोर्ट दी। 14 सिफारिशों में से मात्र दो छोटी सिफारिशों को छोड़ कर स्टैंडिंग कमेटी की सारी सिफारिशों को हमने माना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों के इस बिल के माध्यम से मुख्यत: दो मकसद हैं। एक तो हम लोग नेशनल इंटरस्ट को, इंटरनल सिक्योरिटी और बाहर से आए हुए पैसे को हमारे बीच में एक-दूसरे को धर्म एवं दूसरे आधार पर विभाजित करने वाली ताकतें उसका इस्तेमाल न कर सकें, उस चीज को रोकने के लिए और साथ-साथ इसमें जो अच्छे एनजीओज़ काम कर रहे हैं, उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए और उन्हें दिक्कत न हो, इन दोनों चीजों को हम लोगों ने इस बिल के अंदर ध्यान में रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग इस चीज को देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस पहले 1976 के एक्ट के अंदर उसका कोई केप नहीं था। हम लोगों ने न केवल 50 प्रतिशत इसमें केप लगाया है, बल्कि जब यह स्टैंडिंग कमेटी में डिसकशन के लिए आया तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी भी चर्चा करें तो हम लोगों ने तय किया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हम रूल्स जब बना रहे हैं, हम रूल्स में इस चीज की व्यवस्था करने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस का मतलब एग्जेक्ट क्या होगा, किसे

एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस मानेंगे। हमने न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस को केप किया है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस क्या होंगे, इस चीज की भी हमने चर्चा की है। हम लोगों ने इस बिल के माध्यम में यह भी किया है, अगर आप सैक्शन-8(1)(a) देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने कहा है कि इस बिल के अंदर हमने प्रावधान किया है कि जो पैसा है, वह स्पेकुलेटिव परपसेस के लिए नहीं यूस होगा। बहुत सारे संगठन पैसे लेकर आते हैं और उसे स्पेकुलेटिव परपसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में भी नहीं आता। लेकिन स्पेकुलेटिव परपसेस के लिए लगाते हैं और उससे पैसा और कमाने की मंशा होती है। फिर उसे किसी दूसरी तरीके से अपने अन्य दूसरे फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा है कि स्पेकुलेटिव परपसेस के लिए इस बिल के माध्यम से यह पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता और साथ में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह भी सिफारिश की है, जिसे हमने माना है कि रूल्स में हम लोग तय करेंगे कि स्पेकुलेटिव परपसेस को कैसे डिफाइन किया जाए, यह भी रूल्स के अंदर हम प्रावधान करेंगे कि स्पेकुलेटिव परपसेस से क्या मतलब है, क्या-क्या ऐसे निवेश हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा जिसमें डाला जाएगा तो उसे स्पेकुलेटिव परपसेस में माना जाएगा।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अगर वे हमारे सैक्शन 11(3) को देखें तो उसके अन्दर हम लोगों ने किस प्रकार के संगठन और किस प्रकार के व्यक्ति इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पहली बार इसमें एटैम्प्ट किया है। हमने कहा है: "the person or class of persons who shall obtain its prior permission" यह गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। "the area or areas in which the foreign contribution shall be accepted and utilised with the prior permission" यह गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। "the purpose or purposes for which the foreign contribution shall be utilised with the prior permission" यह गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। "the source or sources from which the foreign contribution shall be accepted with the prior permission" यह भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानि सरकार परमीशंस के टाइम पर पर्शंस, क्लास ऑफ पर्शंस, एरियाज़, किन एरियाज़ के अन्दर में इस्तेमाल कर सकते हैं, परपज़ या परपजेज़ के लिए कर सकते हैं और किस सोर्स से आ रहा है और किस सोर्सेज़ के माध्यम से वह पैसा आ रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी सरकार प्रायर परमीशन के टाइम पर विचार करेगी। चारों चीजों को जब सरकार ध्यान रखकर इसको करेगी तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी इसके अन्दर जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी जो हमारे मन के अन्दर शंकाएं हैं, वे दूर होंगी।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर वे सैक्शन 12(3)(ए) को देखें तो इस बिल के अन्दर हम लोगों की जो मूल भावना है, वह नज़र आयेगी। हम लोगों ने 10 ऐसी कंडीशंस लगाई हैं कि इन-इन व्यक्तियों को,

इन-इन आर्गेनाइजेशंस को परमीशन नहीं मिल सकती, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए या लोग लायबल नहीं हैं, इनको नहीं मिल सकती।

> "(i) is not fictitious or *benami;* (ii) has not indulged in activities aimed at conversion through inducement or force, either directly or indirectly, from one religious faith to another; (iii) has not created communal tension or disharmony in any specified district or any other part of the country; (iv) has not been found guilty of diversion or mis-utilisation of its funds; (v) is not engaged or likely to engage in propagation of sedition or advocate violent methods to achieve its ends;"

तो ये 5-10 ऐसी सब चीजें हैं, जिनमें से पांच मैंने मैंशन की हैं। मैं समझता हूं कि काफी हद तक किन-किन चीजों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं, उसके बारे में यह इंगित करता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बीच में माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एकाउण्ट्स का किस तरीके से ऑडिट किया जायेगा, कैसे उनके पैसे का हिसाब रखा जायेगा। अगर हम लोग चैप्टर चार को देखें तो उसके अन्दर हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर क्लाज़ 17 को अगर देखें तो उसके सब-क्लाज़ दो में हमने कहा है और यह पहले नहीं था:

> "Every bank or authorised person in foreign exchange shall report to such authority as may be specified: (a) the amount of foreign remittance; (b) the source and manner in which the foreign remittances were received; and (c) other particulars."

इसमें मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि स्टेंडिंग कमेटी ने कहा कि इसके अन्दर बिल में ही हमको प्रोवाइड कर देना चाहिए कि एक निश्चित सम ऑफ एमाउण्ट, निश्चित राशि से ज्यादा अगर बैंक में पैसा आयेगा तो वह एकदम से सीधे बैंक को सरकार को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। स्टेंडिंग कमेटी की सिफारिशों को नज़र में रखते हुए बिल में अब हम जो एमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, उसमें दस लाख रुपये की राशि की सीमा रखी है। अगर किसी भी बैंक में 10 लाख से ज्यादा की राशि आयेगी तो बैंक को वापस सरकार को बताना पड़ेगा, ताकि किसी भी बैंक में 10 लाख रुपये से फालतू की राशि आने पर सरकार को उसी वक्त उस चीज़ की जानकारी मिल जाये। सरकार उस पैसे को ट्रैक कर सकती है।

इसी तरीके से ओफेंसेज़ और पैनल्टीज़ के बारे में भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। चैप्टर चार और चैप्टर आठ के अन्दर हम लोगों ने इसको डाला है। कुछ माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही कि क्या कोऑपरेटिव सोसायटीज़ भी इसके अन्दर आएंगी। मैं बताना चाहूंगा कि हां, वे भी इसके अन्दर आएंगी। उनको भी इस सब प्रोसेस के बीच में से जाना पड़ेगा। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने पहली बार इसमें ऐसा किया है, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि 40 हजार रजिस्टर्ड आर्गेनाइजेशंस और लोग हैं, जिन्होंने एफ.सी.आर.ए. में अपने आपको रजिस्टर किया है।

15.00 hrs.

लेकिन उसमें से मात्र 18 हजार ऐसी आर्गनाइजेशंस या लोग हैं, जो अपने एकाउंट्स रेग्युलरली जमा कराते हैं, बाकी 22 हजार डोरमेंट हैं, एकदम चुप हैं। वे लोग सामने नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने इसमें डाला है कि हर पांच साल के बाद आर्गनाइजेशंस को अपने आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। डोरमेंट आर्गनाइजेशंस को हम लोग इसमें से बाहर निकालना चाहते हैं, वीड आउट करना चाहते हैं, ताकि जो डोरमेंट आर्गनाइजेशंस हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन कराकर रखें और जो अपने आडीटेड एकाउंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, उन सबको हम बाहर निकाल सकें।

जो आर्गनाइजेशंस पालिटिकल नेचर की हैं, उनको किस तरह से रेकग्नाइज किया जाएगा, इसके बारे में अभी माननीय सदस्य ने चर्चा की। मैं बताना चाहूंगा कि हमने क्लॉज फाइव में इस चीज को डाला है और काफी डिटेल में प्रोसीजर बताया है कि एक कोई भी पालिटिकल नेचर की आर्गनाइजेशन को नोटीफाई करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए? उसकी शुरूआत की दो-तीन लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं जिससे इसके बारे में एक अंदाजा लगेगा। हम लोगों ने कहा है कि -

> "Central Government may having regard to the activities of the organisation or the ideology propagated by the organisation or the programme of the organisation or the association of the organisations with which the activities of any political party by an order published in the Official Gazette specified such organisation as an organisation of political nature not being a political party referred to Clause of Sub-Section 1 of Section 3."

पोलिटिकल आर्गनाइजेशंस, पोलिटिकल नेचर की किस प्रकार से होंगी और क्या मापदंड उसमें अपनाया जाएगा, इस चीज की भी हम लोगों ने इसमें विस्तार से चर्चा की है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मुख्य बातें जो यहां उठायी गयीं, मैंने उसके बारे में यहां चर्चा की है। यह ऐतिहासिक बिल है, जैसा मैंने कहा कि काफी लंबे समय से भिन्न-भिन्न सरकारें अलग-अलग इसके लिए कोशिश कर रही थीं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस बिल को आप सभी लोग कृपा करके पास करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to consolidate the law to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individuals or associations or companies and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House would now take up clause-by- clause consideration of the Bill.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण है। यह जो 10 लाख कैप आपने लगाया है, वह पूरे ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, इसके बाद कहिएगा।

Clause 2 Definition

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sampath, are you moving your Amendment No.2?

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Prohibition to accept foreign contribution

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sampath, are you moving your Amendment No.3?

SHRI A. SAMPATH : No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 7 were added to the Bill.

Clause 8 Restriction to utilize foreign contribution for administrative purpose

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sampath, are you moving your Amendment No.4?

SHRI A. SAMPATH : No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 to 16 were added to the Bill.

Clause 17 Foreign contribution through scheduled bank

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sampath, are you moving your Amendment No.5?

SHRI A. SAMPATH : No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 17 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clauses 18 to 23 were added to the Bill.

Clause 24 Seizure of accounts or records

SHRI A. SAMPATH : Sir, I do not press my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Amendment no. 6, moved by Shri Sampath be withdrawn?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 24 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 24 was added to the Bill.

Clauses 25 to 54 were added to the Bill.

Clause 1 Short Title, extent application and commencment

SHRI A. SAMPATH : Sir, I do not press my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Amendment no. 1, moved by Shri Sampath be withdrawn?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI AJAY MAKEN: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से जो जानना चाहते हैं, वह संक्षेप में पूछिए।

श्री निशिकांत दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो छोटे-छोटे क्लैरीफिकेशन्स चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकांत दुबे : मैं जानना चाहता हूं कि दस लाख रुपये का गैप एक बार में है या सालभर में है? संविधान ने पोलीटिकल नेचर का आर्टिकल 19(1)(सी) जो दिया है, पोलीटिकल नेचर जो आपने इसमें इनक्लूड किया है, क्या यह इसका वॉयलेशन तो नहीं है?

श्री अजय माकन : दस लाख रुपये का जो गैप है, बैंक में जब भी राशि जमा होगी, उस वक्त अगर दस लाख रुपये से ज्यादा की राशि होगी तो उसे रिपोर्ट करना जरूरी होगा। पोलीटिकल आर्गनाइजेशन जो पोलीटिकल नेचर के हैं, उन्हें डिफाइन किया गया है। जैसे हम और बिलों के बारे में डिपार्टमैंट ऑफ लॉ से कंसल्ट करते हैं, इस बिल को भी कंसल्ट किया गया है और हमें इस बारे में कहीं से कोई आपत्ति नहीं मिली।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 41 संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है। मैंने पूछा था कि आपने उनके खिलाफ फौजदारी कार्यवाही की है या नहीं। 45 संगठनों को कहा गया कि आप कंट्रीब्यूशन लेने के लिए पहले अनुमति लीजिए और 11 संगठनों के खाते सील कर दिए गए। मैं जानना चाहता था कि इनमें कितने करोड़ रुपये का ऑपरेशन हुआ था और उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की गई, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया।

श्री अजय माकन : इससे पहले जिन-जिन संगठनों ने डिफॉल्ट किया है, उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई, क्या स्टेटस है, उस बारे में मैं माननीय सदस्य को सारी जानकारी दे दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमने इस बिल में बहुत स्ट्रिनजैंट प्रोवीजन्स आगे के लिए डाले हैं। जैसे मैंने कहा, अगर हम क्लॉज़ 33 से 41 तक देखें, तो ऑफैंसेज़ ऑफ पैनल्टी हमने काफी स्ट्रिनजैंट डाले हैं। इससे पहले पुराने एक्ट के तहत क्या कार्यवाही हुई है, उसके बारे में जानकारी मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.09 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL, 2010

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, my submission is that the Bill relating to the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament may be taken up before the Enemy Property Bill.

Sir, I beg to move *:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

Sir, the existing provision regarding salary and allowance were made effective from 14th September 2006 for a period of five years.

In the normal course, this period would expire on 14th of September, 2011. However, after the implementation of the Sixth Pay Commission, all level of employees received substantial enhancement of the salary package. Similarly, salaries of other dignitaries were also increased.

Sir, the Joint Committee on Salary and Allowances of Members of Parliament examined the matters connected with the rationalisation of salary, allowances and other facilities available to the Members of Parliament. In its Report the Joint Committee felt that the existing salary and allowances were inadequate in the present scenario. The Committee felt that the existing criterion for fixing the salaries and allowances of Members of Parliament on the basis of Consumer Price Index meant for urban non-manual employees were inadequate to meet the needs of the Members of Parliament to shoulder their responsibilities effectively. The Members pay and allowances, felt the Committee, must be raised on the premise that they are on duty 365 days a year and 24 hours a day. Further, the emoluments of the Members of Parliament should not be less than that being paid to the Members of State Legislatures. Besides, their emolument may be bench-

* Moved with the Recommendation of the President

marked befitting their important office to the salary being paid to other dignitaries and civil servants placed on the warrant of President issued by the Government of India.

Sir, the Joint Committee submitted its Report on 5th May, 2010 and have made a number of recommendations for enhancing salary, allowances, facilities, pension, etc. for Members and former Members of Parliament. After due consideration of the recommendations, the Government has decided to implement most of the recommendations by amendment of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 and the rules framed there under.

Sir, the proposals which involve amendment of the Act have been included in this Bill and I would very briefly summarise those as follows:

- The salary is being raised from Rs.16,000 p.m. to Rs.50,000 p.m.
- Daily Allowance is being increased from Rs.1000 to Rs.2000 for each day during the period of residence on duty

And, these increases would be effective from the date of the constitution of the15th Lok Sabha, that is 18th May, 2009.

- The road mileage is being raised from Rs.13 per km. to Rs.16 per km.
- The rail facility is being provided for the spouse of the Member so that she can travel alone, between the place of residence and Delhi, unaccompanied by the Member, as the present case is.

Presently, the Member is entitled to two seats as such in the First Class. If he goes and brings back the spouse. So, in fact, this one particular provision would rather lead to some saving on the account of expenditure on the rail travel.

- The minimum and additional pension, which is presently allowed to ex-Members of Parliament, is Rs.8000 p.m. This is being raised to Rs.20,000 p.m. and the additional pension of each year, in excess of five years of Membership of House is being raised from Rs.800 p.m. to Rs.1500 p.m. The increase in pension like the increase in pay shall be effective from 18th May, 2009

- The advance for purchase of conveyance is being raised from an amount of Rs.1 lakh to Rs.4 lakhs at the rate of interest which is applicable to the Government servants by the Government of India.

Apart from the proposals which have been included in the Bill, certain other recommendations of the Joint Committee have also been agreed to and are proposed to be implemented by amendment of the relevant rules to the Act.

15.15 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

These are: the constituency allowance will be raised from Rs.20,000 to Rs.45,000 per month and the Members of Parliament who are presently entitled to offices expenses of Rs.20,000 per month, this amount would be raised to Rs.45,000 per month, out of which Rs.28,000 would be payable to the office staff which they employ.

The hon. Speaker, Lok Sabha, had convened a meeting of all political parties on 23rd March, 2005 to evolve a mechanism for periodic revision of salary and allowances of Members of Parliament. Based on the unanimity arrived at for setting up a Salary Commission, there was a proposal by this Ministry to set up a permanent mechanism for determining the salary and allowances of Members of Parliament. The Cabinet had approved the proposal in principle on 18th August, 2006 for setting up of a permanent mechanism for determination of salary, allowances, pensions, etc. of the Members of Parliament. However, no such permanent mechanism could be set up so far.

The issue of setting up of permanent mechanism has assumed greater significance in view of the developments and various sort of reactions or comments that the question of the Members having have to decide their salary themselves has arisen in the recent few days and the past few days. The Constitution does bestow that right on the Members of Parliament as it does to the Parliament in the framing of various other laws. But it is felt now by the senior Members like hon. Mr. Advani himself and many other hon. Members that it is time now that we stop getting into this exercise repeatedly and work out some mechanism which would be according to the dignity that ought to be accorded to the

Members when they talk of their own pay, salaries and allowances and it should also be a very transparent thing in which people other than Members of Parliament are associated with. This is indeed a very wholesome recommendation and I would take this opportunity at the time of just presenting this Bill to the House that I would like to make it clear that though there has been delay in this matter in the past but we would all get into an exercise in this. In principle, the decision has been taken. What ought to be the modalities thereof, what sort of composition it ought to have, we would discuss with various political parties. We would refer the matter to the Committee on Salaries and Allowances and I think we would come up with some sort of mechanism which would find all round, a universal acceptance in the days to come… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Pandaji, the time will come when you will be allowed to express your views. It is not the way.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Sampatji and Pandaji, it is not the way. You people are the senior Members of Parliament and if you will do like this, how the Parliament will run? I will give you time. What do you want now?

… (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, with these words, I commend this Bill to this House.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Advaniji to speak.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Pandaji, you are a very senior Member of this House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Dome and Mr. Sampat, I am standing.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members please maintain decorum in the House. I am standing now and so you cannot stand. This is not the way the Parliament will run. I have called Shri Advani. He will express his views and after that I will allow other speakers to express their views.

Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Shri Sampath, Dr. Dome, will you not allow me to speak even? I am standing. You cannot stand when I am on my legs. This is not the way. You cannot drive Parliament your way. You must maintain decorum.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Dr. Dome, I allow you to express your views. Shri Panda, I have allowed Dr. Dome to express his views. Other Members may please take their seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if you do not have the tolerance to allow Shri Advani to speak when I called his name. You must have shown that dignity. I called Advani ji and you must have allowed him to speak.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैं विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन विधेयक को प्रस्तुत करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी की अध्यक्षता में एक बैठक में सिफारिश की गयी थी और मुझे जानकारी नहीं थी कि बाद में, कैबिनेट ने भी उसे एक प्रकार से स्वीकार करके सिद्धांततः उसे 18 अगस्त 2006 स्वीकार किया। लेकिन क्यों वह निर्णय कार्यान्वित नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, कार्यान्वित हो जाना चाहिए था। लेकिन आज आपने जो वक्तव्य दिया, उसमें यह कहा कि इनसे सलाह करेंगे, उनसे सलाह करेंगे, फिर निर्णय करेंगे। मेरा सुझाव होगा कि इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है, एक मैकेनिज्म इवोल्व करना है और उसे गवर्नमेंट इवोल्व करे और सदन उठे उससे पहले आप इसे घोषित कर दीजिए। यह मैकेनिज्म इतनी कोई कंप्लीकेटेड बात नहीं है। लेकिन इस मैकेनिज्म के न होने के कारण ही वर्षों से मैं यह देखता आया हूं वह कष्टदायक रहा है। यह सालों से होता रहा है कि हर अधिवेशन के अंतिम सप्ताह में इसे लाया जाता रहा है और 10-15 सांसद ही इसके लिए कैम्पेनिंग करते रहते थे हर पार्टी के पास जाकर के कि वेतन ठीक नहीं है, इसे ठीक होना

* Not recorded

चाहिए। तब मैं बहुत आग्रह करता था कि यह स्थिति ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए और एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसमें मूलतः सांसदों को वेतन क्या मिले, एलाउंसेज क्या मिलें, इसका निर्णय न संसद करे, न संसद की कोई समिति करे, बल्कि बाहर की कोई अथॉरिटी जिसको भी कहा जाए, लेकिन मैकेनिज्म उसका होना चाहिए। हमें आज जानकारी मिली की सरकार ने इस बात को स्वीकार भी किया है। मेरा निवेदन होगा कि अब विलम्ब ज्यादा नहीं होना चाहिए और इस सत्रावसान से पहले इसकी घोषणा हो जानी चाहिए।

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Sir, I thank you for allowing me to place my views on this important issue.

Firstly, we are not against rationalisation of salary, pension and perks of the MPs themselves. But Sir, the principal objection on our part is that the Government has committed earlier to frame an independent and special mechanism in this regard. During the tenure of our former Speaker, Shri Somnath Chatterjee, it was mooted and obviously, at that time, the Leader of the Opposition also supported that view. It was mooted that an independent mechanism would be formulated to consider the salary, pension and perks and other facilities of the Members in this House. That mechanism should be an independent one without the Members of the House themselves and should not be from within this House. It should be constituted outside the House. That was the earlier proposal.

The Government made the last hike in 2006. Now four years have passed and the Government could not find time to formulate that mechanism. When the Government has come up with this proposal through a Bill for hiking the salary, pension and perks of the Members, we feel that it is very much derogatory for the Members themselves that we ourselves are going to increase our own salary, pension and perks. This thing is not at all dignified. A wrong message is being sent outside the House because we are going to increase our salary, pension and perks when the people of the nation are in crisis.

In a major part of the country, there is flood and in other parts, there is drought. Also, prices of essential commodities are skyrocketing. People are in severe distress. About 77per cent of the people are getting only Rs. 20 as their income per day. At this point of time, we Members are going to hike our salaries about 300 times of the existing one. This is sending a wrong message to the country.

On principle, we are against the way in which the Government is bringing this legislation for hiking the salary, pension and perks of the Members. This should not be permitted. Sir, we seek your protection. You should protect us. It should be deferred. It should not be taken up in this Session. It should be deferred so long as an independent mechanism is formulated. Till an independent mechanism is constituted to rationalise our salary, pension and perks, this Bill should be deferred. This is our proposal.

We strongly oppose this Bill brought by the Government.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, आपने मुझे संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वर्ष 1954 का बिल मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट सैलरी एलाउंसेस एक्ट के संशोधन का प्रस्ताव लेकर संसदीय कार्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि सांसदों की सैलरी बढ़नी चाहिए, इस बारे में ज्यादा ऐतराज़ नहीं है, लेकिन किस तरीके से बढ़नी चाहिए और कितनी बढ़नी चाहिए, इस बारे में मतभेद है और मतभेद होना वाजिब भी है। सदन में एक विषय पर सभी लोग सहमत हो जाएं, ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि हम सभी जनतांत्रिक परम्परा में जीते हैं, इसलिए अलग-अलग विचार हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो ज्वायंट पार्लियामेंटरी समिति का गठन किया गया था और जिसे कहा गया था कि आप पूरे मामले की छानबीन करके रिपोर्ट दें और बताएं कि सचमुच क्या परिस्थिति है। उस रिपोर्ट में जो कारण और वांछनीयता बताई गई है, मुझे लगता है कि वह बहुत वाजिब है। हमारे देश में सांसदों का वेतन बहुत कम है और कम रहा भी है। पूरी दुनिया के सांसदों के हिसाब से देखें या हमारे देश में प्रोटोकाला का प्रीजिडेंट है, उसके हिसाब से देखें, तो सांसदों की सैलरी बहुत कम है। इस नाते ज्वायंट पार्लियामेंटरी समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे साथी हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी और सिफारिशें कीं, उन सिफारिशों को सरकार ने माना।

सरकार ने उन सिफारिशों को अपनी मर्यादा के तहत मानते हुए जो व्यवस्था की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं। जो आडवाणी जी ने बात कही और जो संसदीय मंत्री जी ने बात कही, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी सैलरी खुद लड़कर बढ़ाए, यह वास्तव में अच्छा नहीं लगता। पिछले 10-15 दिन में सदन में जिस तरह से चर्चा हुई और उसके ऊपर पूरे देश में जिस प्रकार से हमारी आलोचना हुई, प्रिंट मीडिया के स्तर की बात नहीं कहिए, आम तौर पर लोगों ने भी कहा कि यह बहुत अच्छा नहीं लगा। जो आडवाणी जी ने प्रस्ताव दिया और जिस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, एक स्पेशल मैकेनिज्म विकसित होना चाहिए। आस्ट्रेलिया जैसे देशों में आप देखेंगे तो बाकायदा रिम्युनिरेशन ट्राईब्यूनल जैसी व्यवस्था वहां पर है कि सांसदों का वेतन कितना होना चाहिए, कब बढ़ना चाहिए। उसमें परिवर्तन होना चाहिए और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। इस तरह से एक वैधानिक यंत्रणा की व्यवस्था की गई है।

निश्चित तौर पर हमारे देश में चुनाव आयोग...(व्यवधान) जैसी एक व्यवस्था हो जो समय समय पर सांसदों के वेतन के बारे में फैसला ले। बार बार जो हमारी सांसदों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आलोचना हुई, उसे देखकर मेरा सुझाव है कि सैलरी पर्फार्मेंस लिंक होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सदस्य इससे सहमत नहीं हो सकते। लेकिन जहां सैलरी मिलती है, वहां काम होना चाहिए। नो वर्क, नो सैलरी, यह एक बहुत पुराना सिद्धांत है। हम सांसदों को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं और बढ़नी भी चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन साथ साथ हमें ईमानदारी से अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करना चाहिए।...(व्यवधान)

यह मेरा सुझाव है। पूरी विनम्रता से मैं अपना सुझाव रख रहा हूं। इस सुझाव को मान लिया जाए, सब सहमत हो जाएं, यह संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जिस दिन हम लोग सदन को बाधित कर दें, सदन स्थगित हो जाए और उस दिन भी हम सैलरी लें, भत्ता लें, मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा नैतिक नहीं है। अगर इस प्रकार का निर्णय सदन की तरफ से हो कि ठीक है, जिस दिन सदन नहीं चलेगा, जिस दिन हम सदन नहीं चलने देंगे, हम भत्ता नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो हमारी आलोचना हो रही है, वह आलोचना थोड़ी कम हो जाएगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि माननीय सदस्यों की जो वहां सदन में अटैंडेंस होती है, उसे भी सैलरी से जोड़ देना चाहिए। अगर आपका अटैंडेंस 50 प्रतिशत से कम है तो निश्चित तौर पर उनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हम सदन में काम करने के लिए आते हैं, हम लोगों के दुख दर्द लेकर आते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर आते हैं। हम सरकार पर दबाव डालते हैं तथा सरकार से अपेक्षा करते हैं कि लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। ऐसे में अगर हम अपनी जवाबदारी को भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए आलोचनात्मक स्थिति बनेगी। हम सांसदों को आखिर मिलता क्या है? आप चुनाव क्षेत्र से लेकर दिल्ली तक अगर देखें...(व्यवधान)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, we are not discussing the merits of the Bill. But he is dealing with the merits of the Bill.

MR. CHAIRMAN : He is expressing his views on the Bill.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Prabodh Panda, you are a very knowledgeable Member. We have already started the discussion on the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA: Shri L.K. Advani did not go into the merits of the Bill. So, I seek your indulgence. … (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The Bill is already before the House for consideration and passing. What is he saying? … (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि हमारे पास दिल्ली से चुनाव क्षेत्र तक कामकाज करने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमारे भत्ते बढ़ाने के बजाय सरकार अगर अपनी तरफ से सैपरेट सैक्रेटेरिएट उपलब्ध करा दे, हमें रिसर्च करने के लिए अच्छा स्टाफ दे दे तो मुझे लगता है कि भत्ते की जरूरत भी नहीं है। आखिर हमें चुनाव क्षेत्र में पांच-छः सैक्रेट्री रखने पड़ते हैं और पूरा खर्च अपने ऊपर लेना पड़ता है। क्यों? हम कांस्टीटुएंसी में काम करना चाहते हैं। यहां अलग-अलग विषयों पर काम करके पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से माननीय मंत्रियों को सरकार की तरफ से सचिव और एपीएस उपलब्ध कराए जाते हैं इसी तरह लोक सभा

और राज्य सभा सचिवालय की तरफ से व्यवस्था की जाए जिसमें सभी सांसदों को चुनाव क्षेत्र और दिल्ली के लिए सचिव और कुछ रिसर्चर उपलब्ध कराए जाएं ताकि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकें। मुझे एक और बात समझ में नहीं आती है कि एमपीज़ का रोल क्या है? आज चुनाव क्षेत्र में मैं जो काम करता हूं वही काम एमएलए, काउंसलर और कार्पोरेटर भी करता है। हमारे यहां एमपी का मतलब कहा जाता है - मीटर, वाटर, गटर। हम बिजली का काम करते हैं और कार्पोरेटर भी करता है। बिजली नहीं आती है तो लोग हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। घर में पानी नहीं आता है तो लोग हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। गटर साफ नहीं होता है तो लोग हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। यहां आडवाणी जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अब एक नए सिरे से एमपीज़ की भूमिका पर एक फैसला होना चाहिए कि चुनाव क्षेत्र से दिल्ली में संसद तक इन्हें करना क्या है, वरना एक ही काम हम तीनों कर रहे हैं। एमपीज़ को पूरे सदन में 11,00,000 करोड़ का बजट पास करने का अधिकार देते हैं।...(व्यवधान) मेरा इतना ही कहना है सदन में तमाम सदस्यों की जिम्मेदारी है कि सरकार के कामकाज पर निगरानी रखें और राय दें। पूरे देश का बजट पास करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है इसलिए आगे जाकर इसे जीडीपी से भी लिंक करना चाहिए। जब 11,000 करोड़ इस देश का जीडीपी था तो 500 रुपए इस देश के सांसदों की सैलेरी थी। अब 50,00,000 करोड़ के आसपास जीडीपी हो गया तो इसे जीडीपी से लिंक करने की आवश्यकता है। अगर जीडीपी से लिंक करेंगे तो हमारी सैलेरी पौने दो लाख से दो लाख हो जाएगी, मैं यह डिमांड नहीं कर रहा हूं। हमारे कर्तव्य और परफार्मेंस को जोड़ते हुए देश की तरक्की और विकास से वेतन-भत्ते का इस्तेमाल होना चाहिए। याद रखिए, मैं वेतन-भत्ता अपना घर चलाने के लिए नहीं मांग रहा हूं, बतौर सांसद मुझसे चुनाव क्षेत्र से लेकर दिल्ली तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो अपेक्षा की जाती है, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, मेरी जो जवाबदारी बनती है। हमारी जरूरत को पूरा करने की जवाबदारी सरकारी और संसद की बनती है।

महोदय, मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन सम्मानित संसदीय कार्यमंत्री जी ने पेश किया है और तमाम पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से बातें सामने आई हैं।...(व्यवधान)

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Sir, we are opposing this Salary, Allowances and Pension of Members (Amendment) Bill, 2010 as we believe that the basis tenet of democracy is the Principle of Social Justice. But to the contrary the judges are enhancing their facilities and privileges on their own and the parliamentarians themselves are deciding their salaries and allowances. This is highly improper and hence, we the members of the left parties are staging a walk-out against this Bill. … (*Interruptions*) SHRI PRABODH PANDA : Sir, I may be allowed to speak. … (*Interruptions*) The present salary hike is going to be immoral, unethical and ridiculous. … (*Interruptions*) So, in protest, we stage a walk out. … (*Interruptions*)

15.38 hrs.

At this stage, Shri Prabodh Panda and some other hon. Members left the House

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Shailendra Kumar. I have called the name of Shri Shailendra Kumar.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, आप उन्हें मत बोलिए। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।

…(व्यवधान)

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Sir, in protest, I also walk out of the House.

15.40 hrs.

At this stage Dr. Tarun Mandal left the House

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं नैतिकता के बारे में कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने यहां अपने विचार रखे हैं। यह बात सत्य है कि हम लोग अपनी गरिमा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए यहां आये हैं। जब हम लोग पहली बार चुनकर आये थे तो इसी फ्लोर पर हम लोगों ने संविधान की शपथ भी ली है। जहां तक स्थायी समिति की बात है, आज स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। उसमें हर दल के सम्मानित सदस्य थे। आप रिपोर्ट देखें, मेरे ख्याल से सभी सम्मानित सदस्यों को यह रिपोर्ट गई है। उसमें कहीं भी स्थायी समिति ने अमाउंट नहीं लिखा था। उसमें केवल यह लिखा था कि हमारा जो भी प्रोटोकोल है, उसके मुताबिक सचिव से एक रूपये ज्यादा हमारा वेतन कर दिया जाए।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, मैं आपको यहां थोड़ा व्यवधान पहुंचा रहा हूं। चूंकि इस पर मीडिया में काफी चर्चा हो चुकी है, बाहर भी चर्चा हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ ऐसे संक्षिप्त विचार रखें, जो उसमें कुछ एड करे। वही बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, अंकुश और बंदिश हमारी कमजोरी है, उसका फायदा लोगों ने उठाया है। मीडिया ने जितना लिखना था, जितना हमें बदनाम होना था, हम हो गये हैं। अब आप इस पर रोक मत लगाइये। बीएसी में तय हुआ था कि हम लोग यहां एक घंटे बोलेंगे और अपनी बात रखेंगे। मेरा निवेदन है आप इस पर हमें बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : 25 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं। आप बोलिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी के वेतन से ज्यादा किसी का वेतन नहीं होना चाहिए। चूंकि यह एक देश की गरिमा और सम्मान की बात होती है। यह हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। आज स्थिति यह है कि बहुत से ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं, जिनके सीईओ दो से ढाई लाख वेतन पा रहे हैं।...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): दस से बीस लाख रुपये पाते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उन्हें कहीं-कहीं पर दस से बीस लाख रुपये तक मिलते हैं।...(व्यवधान)

अभी सम्मानित सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, मैं संक्षेप में कहना चाह रहा हूं। हमने केवल यही मांग की थी कि जो भारत सरकार के सचिव हैं और सम्मानित सदस्य हैं, आप केवल उनके कार्यों का मूल्यांकन कर लीजिए और उनके वेतन और सुविधाओं का मूल्यांकन कर लीजिए। आपके सामने सारी चीजें निकल कर आ आयेंगी। सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा कि हम अपना वेतन बढ़ाकर यहां मेजें थपथपाना नहीं चाहते। हमने शुरू से मांग की, जैसे आदरणीय आडवाणी जी ने कहा कि 2006 में श्री सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बना दिया जाए। अभी सरकार की तरफ से यह जवाब आया कि हो सकता है कि आडवाणी जी ने कहा कि इस सत्र में सोमवार या मंगलवार को आ

जाए। यदि आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पहले आयोग के गठन की घोषणा सरकार तत्काल इसी सत्र में करे या फिर अगले सत्र में करनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि छठे वेतनमान को लेकर तमाम सरकारी कर्मचारियों की हम लोगों के पास सिफारिशें आई हैं। उन्हें तकलीफ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में जो भी हमारे कर्मचारी है, उन्हें तकलीफ है, आपको उनका मूल्यांकन करके उनके वेतन का भी पूरी तरीके से निर्धारण कीजिए और तत्काल कमीशन बनवा दीजिए, वेतन, पेंशन और निर्धारण आयोग बनवा दीजिए, जिससे कि हम लोगों को इस बदनामी से मुक्ति मिले।

अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि तमाम माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही कि आप अनेकों विधान सभाओं के विधायकों की स्थिति देख लीजिए। चाहे विधायक का फंड हो या उनके वेतन और सुविधाओं की बात हो। मैं यही कहूंगा कि जितनी जिम्मेदारी का हम लोग निर्वाह करते हैं, उसके मुताबिक आप एक पीए दे दीजिए, एक प्यून दे दीजिए, एक कार्यालय दे दीजिए और वाहन की व्यवस्था कर दीजिए। हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए न एमपीलैड चाहिए और न वेतन चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सभापति महोदय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमारे देश के सांसदों की छवि प्रस्तुत की गई है या जिस तरीके से हमारे मीडिया के साथियों द्वारा हमारी इमेज प्रोजैक्ट की गई है, वैसी नहीं है। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा और कष्ट भी है । हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम लोगों की इमेज को इस तरह से खराब किया जाये। एक सांसद होने के नाते पिछले 15-16 महीने का जो अनुभव है, जिन कठिनाइयों से हम लोग गुजरते हैं, हम उन समस्याओं को देखते हैं। यहां वेतन के मांगने का तरीका और सरकार द्वारा देने का तरीका अलग है। हमारे परमादरणीय आडवाणी जी ने और अन्य साथियो ने कहा कि कमीशन बनना चाहिये, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जिस तरीके से वेतन मांगा गया और जिस तरीके से दिया गया, दोनों बातें गलत हैं। यह बात कहीं न कहीं हताशा की रही है। संजय जी जो बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था। हम कहीं न कहीं अपने ऊपर से विश्वास खो रहे हैं। जब पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ था तो लोगों को इतना विश्वास था कि इतने नैतिक लोग उसमें हैं और वे जो तय करेंगे, सही तय करेंगे। इस विश्वास के बल पर यह व्यवस्था दी गई थी कि संसदीय समिति अपने वेतन या सुविधाओं को तय करेगी।

आज संसद में हम लोगों को इतना मैटीरियल मिलता है कि पढ़ना तो दूर, देखने की भी फुरसत नहीं मिलती है। हम अपने क्षेत्र की 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम यहां से 6 बजे निकलकर जाते हैं तो लोगों के फोन आने शुरु हो जाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाये। पहले ऐसी बात नहीं थी क्योंकि फोन की सुविधा नहीं थी। मान लीजिये मैं जौनपुर से सांसद हूं, वहां से लोग चलकर आते थे और आपने क्षेत्र के सांसद से मिलते थे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिये कहते थे। आज मोबाइल मिला हुआ है, कहते हैं कि बात करके मेरी समस्या का समाधान करवा दीजिये। आज काम का बोझ भी इतना ज्यादा है।

आज की बहस से एक बात यह निकलकर आयी है कि आज जरूरत हमें इस बात की है कि जो कठिनाई हम फेस कर रहे हैं, उस कठिनाई का किस तरह से समाधान किया जाये । दिल्ली में हमें एक आवास दे दिया गया है, अगर वहीं से अपना आफिस चलायें, सारा काम वहीं से करें, यह कैसे दो कमरे के मकान से संभव है? अभी बात आयी कि हम लोग 11 लाख करोड़ रुपये का बजट पास करते हैं। हम लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। मेरा मानना है और प्रत्येक सांसद इस बात से सहमत होगा कि हम लोगों के लिये अलग से एक आफिस होना चाहिये। हमने अभी न्युक्लीयर बिल पास किया है। यह बात आयी थी कि अमरीका में 300 डालर या 1500 करोड़ अपर लिमिट है, इसलिये हम उससे ज्यादा दे रहे हैं। जब यहां से पार्लियामेंटरी ग्रुप जाता है जहां पर संसदीय प्रणाली है, हम लोग उसका अध्ययन करने जाते हैं। जो वहां से सीखकर आये हैं, क्या हम उस पर अमल कर पाये हैं? अगर हम सब चीजों की अमरीका से तुलना कर रहे थे तो यहां भी करें। वहां व्हाईट हाऊस के पास मैम्बर्स के लिये अलग से आफिस बना हुआ है। 18-18 एसोसिएट्स उन्हें दिये जाते हैं जिससे काम हो। प्रतिवर्ष 8 लाख डालर उन पर खर्च

आता है। हम यह नहीं चाहते लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हम वेतन की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी छवि को प्रस्तुत किया गया है, इस पर आडवाणी जी ने कुछ नहीं कहा। जो हम लोगों की छवि प्रस्तुत की गई है, उसे देश के सामने कहना जरूरी है। हमारे क्षेत्र के लोग यह सोच रहे होंगे कि हम वेतन के लिये लड़ रहे हैं। यहां पर 70-75 डिपार्टमेंट हैं जिनकी मानीटरिंग करना, ओवरसीईग करना एक सांसद का काम है। हम लोग इसलिये पार्लियामेंट के अंदर सवाल रेज़ करते हैं। मान लीजिये हम एक क्वैश्चन करते हैं, गुलाम नबी आजाद जी से तो उन्हें यहां एक आफिस मिला हुआ है। शैलेन्द्र जी ने यहां कैबिनेट सैक्रेटरी से तुलना कर दी लेकिन मुझे किसी से तुलना नहीं करनी है। कैबिनेट सैक्रेटरी को पॉवर मिली हुई है, उसके नीचे बहुत लोग काम करते हैं, उनको एक आफिस मिला हुआ है, स्टाफ मिला हुआ है। हम लोग उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। हमे चाहिये कि हम लोगों को एक बैटर ग्रुप मिले जो मैम्बर पार्लियामेंट के लिये रिसर्च करके जो हमारा लेजिस्लेटिव वर्क है, उसे नहीं कर पाते, उसमें मदद करें। हम जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं, वहीं फंसे रह जाते हैं, यहां के काम के लिये हमें रिसर्च टीम चाहिये, उसमें दो हों, चार हों सब की एक्सरसाइज होनी चाहिये, तब हम अपनी बात रख पायेंगे। यह बात भी आती है कि हम गुणवत्ता नहीं रख पाते हैं. ठीक है लेकिन जब हम ज्ञान ही नहीं रखते हैं तो गुणवत्ता कैसे आयेगी? मान लीजिये मैं आईटी कमेटी में हूं, मैं आईटी इंजीनियर नहीं हूं लेकिन उसकी जानकारी के लिये अपनी तरफ से लोग हायर करने पड़ते हैं। पार्लियामेंट यह सुविधा क्यों नहीं देती है? हम यह सुविधा किसी को देने नहीं जा रहे हैं, यह पार्लियामेंट तय करे। संसद ही तय करेगी कि एक सांसद को किन-किन चीजों की आवश्यकता है?

वह अपने क्षेत्र की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी लेजिस्लेटिव जिम्मेदारियों का निर्वाह किस तरीके से कर सके। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है। हमारे मीडिया के साथी यहां उपस्थित हैं, मैं यह भी कहूंगा कि हम लोग इतने गैर-जिम्मेदार नहीं हैं। वर्तमान समय की जो प्रणाली है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में से सबसे ज्यादा विधायिका जिम्मेदार है। हम पांच वर्षों के लिए चुनकर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी ही होती है।

सभापति महोदय : धनंजय सिंह जी, आप ऊपर मत देखिये, आप नीचे देखिये।

श्री धनंजय सिंह : इसलिए हम लोगों को इस तरीके से न प्रस्तुत किया जाये। बहुत-बहुत

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो एक्स एमपीज़ हैं, इस सदन में जो सांसद आते हैं, उनमें से 90 फीसदी एक-आध बार ही चुने जाते हैं। वे बिरले ही होते हैं, जो पांच-दस परसेंट में आते हैं। बाकी सभी सांसद, 90 फीसदी सांसद एक बार में ही चले जाते हैं। क्योंकि यह बिल सांसदों के वास्ते आया है, इस पर बहुत लोगों ने अपनी राय और अपने विचार रख दिये हैं। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों राजनीतिक कार्यकत्ताओं में से कोई एमएलए बन पाता है और कोई एमपी बन पाता है। इसके लिए करोड़ों लोग लगे रहते हैं। आजकल एमएलए बनना भी बहुत कठिन है। पैसों वालों के लिए तो आसान है, लेकिन जो कार्यकर्त्ता है, उसके लिए बहुत कठिन और दुरूह है। वह भी एक-आध बार ही रह पाता है। वे बिरले ही होते हैं, जो पांच-दस परसेंट में आते हैं। राजनीतिक लोग जहां रहते हैं, उसे लुटियन जोन कहते हैं। लुटियन जोन भी अब लुटियन जोन नहीं बचा है, उसमें तो बहुत से लोग अंदर आ गये हैं। वह एक अलग बहस है और इस बहस में मैं उसे नहीं लाना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक्स एमपी किस हालत में रहते हैं, उनकी कैसी हालत है? हमने देश में कई तरह की सुविधाएं दी हैं। इंजीनियर्स के भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए भी ठहरने, उठने-बैठने के काफी इंतजाम हैं। कई तरह के संगठन हैं, जिनकी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। जातियों के संगठन हैं, जिनके यहां ठहरने का इंतजाम है, लेकिन जो एक्स एमपीज़ हैं या पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके ठहरने का कोई इंतजाम दिल्ली में नहीं है। विशेष तौर पर हम एमपी बन गये हैं, लेकिन हैं कार्यकर्त्ताओं की जमात से। उनकी कई दिक्कते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जो बेचारे बीमार होकर आते हैं।

श्री शरद यादव : वही मैं कह रहा हूं। उनकी कई दिक्कतें हैं, वे काम से भी आते हैं। वे बीमार ही नहीं रहते हैं, वे देश के सबसे ज्यादा लोगों का काम लाते हैं। कुछ लोग गलत काम लाते हैं और कुल लोग सही काम लाते हैं। मैं मानता हूं कि जब भ्रष्टाचार पर बहस होगी तो इस पर एक बहुत व्यापक बहस होनी चाहिए। उस बहस में यह होना चाहिए कि, दो, तीन, चार वॉक ऑफ लाइफ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्यूडिशियरी है, आपकी हमारी लैजिस्लेचर है, मीडिया है। ये चार वॉक ऑफ लाइफ हैं, जिन्हें देश की चीजें चलानी पड़ती हैं। इस पर अलहदा मौके पर चर्चा होगी। चूंकि आपका आदेश है कि चर्चा विषय से बाहर नहीं जानी चाहिए। एक्स एमपी 90-95 फीसदी एक बार होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक एमपी बनने के लिए कितने लोग प्रयास करते हैं। इसके लिए कितनी तरह की कसरत होती है। एक बार बनने के बाद उसकी जिन्दगी में कभी कोई दूसरा मौका नहीं आता है। आपने उनकी पेंशन को 20 हजार रूपया किया है। मैं मानता हूं कि सांसदों की आज जो तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, जितनी उनकी सैलरी कर रहे हैं, पेंशन उसकी आधी जरूर होनी चाहिए।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ लुटयन्स ज़ोन पर एक बार बहस होनी चाहिए कि कौन-कौन का किस-किस खंड में रहने का काम होगा। सैग्रीगेशन होना चाहिए, एमपीज़ के लिए भी, एक्स-एमपीज़ के लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। मकान की इतनी दिक्कत है कि जहाँ जिस एमपी से मिल जाए, वह मकान के बारे में इतना ज्यादा तंग और तबाह है कि अभी गोपीनाथ मुंडे जी हैं, कितनी बार ये राजनीति में एमएलए रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं लेकिन मकान का मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे यहाँ बहुत एक्स मिनिस्टर्स आ गए हैं। अभी अग्रवाल साहब नहीं हैं, वे बताएँगे कि किस तरह की दिक्कत है। एमपीज़ के जो फ्लैट्स बने हुए हैं ...(व्यवधान) सभापति जी, एमपीज़ के जो फ्लैट्स बने हुए हैं, वे किस लिहाज़ से बनाए, कैसे बनाए, मुझे पता नहीं है, लेकिन वे इतने छोटे हैं कि एक पोलिटिकल आदमी जो लाखों वोटों से जीतता है, उसका काम उसमें नहीं चल सकता। इसलिए मेरा कहना है कि जो एमपीज़ हैं, उनके निवास की जो दिक्कतें हैं, उस पर सरकार को तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए।

एक्स एमपी की तो ऐसी हालत है कि एक एमपी बाँसवाड़ा के थे। जब उनकी यहाँ मृत्यु हो गई तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उनको वापस ले जाने के लिए किराये के पैसे भी लोगों के पास नहीं थे। वे मेरी पार्टी के थे। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं। मैं उनको विस्तार से बताऊँगा तो ठीक नहीं होगा। पवन बंसल जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक्स एमपीज़ का मामला है और इस सदन में बैठे हुए सदस्य जो आज की तनख्वाह की बात कर रहे हैं, वे भी एक्स हो जाते हैं। ...(व्यवधान) आप पहली बार आए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि वही स्थायी हैं। तो उनकी सारी ज़िन्दगी में पाँच वर्ष कभी-कभी किसी-किसी को मिल जाते हैं। लाखों लोग तो छूट ही जाते हैं। कार्यकर्ता तो छूट ही जाता है। उसमें से भी बहुत कम लोग रहते हैं। उसके साथ जो सुविधा जुड़ जाती है, वह ज़िन्दगी भर समाज में उसकी हिस्सेदारी बाँटता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि एक्स एमपी के मामले में आपने जो थोड़ा हाथ खींचे हैं, वह हाथ बढ़ा दें चूँकि वे इस सदन में नहीं हैं मगर बाहर चूँकि हमारे साथ कई बार रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक्स एमपीज़ के बारे में थोड़ा विचार करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Chairman, Sir, I do not intend to take too much time but I would just want to bring to the knowledge of this House the gravity of the public sentiment.

Sir, there is a very serious public sentiment outside which we must not underestimate. I do not think that anybody take exception to the fact that the salary of Members of Parliament must be raised, but I will tell you why the public sentiment has been the way it has been over the past two, three weeks. Let us face it. The public reaction over the last two, three weeks has been savage on two accounts. On one account the Commonwealth Games; the Government is completely to be blamed for it and the public is entirely right on that account. But on the second account, I do not believe that the Government is to be blamed because all sections of this House frankly have felt that there is a need for an increase in the salary of Members. A lot of people outside feel the need too. The difficulty is this. What upsets people is firstly when they see disruptions in the House. That is what truly upsets people outside. They do not mind paying Members of Parliament a little more but they get very upset when they see the unedifying sight of Members of Parliament disrupting the House and not working. That is number one. Secondly, Mr. Chairman, Sir, what upsets people are empty benches.

16.00 hrs.

When they see empty benches and lack of quorum, that is what upsets people. I am going to keep my speech very short. May I only suggest that we should self govern? If we do not self-govern then that would be an act of betrayal. I think for that act of self-governance, the first act that we should call upon is – I agree with certain sections of the House, which have said and I have always said this even in the media – that in the event there is disruption in the House because of our own actions and then we should not get our daily allowance. It is a very small component and the people do not understand that the daily allowance is really a very small component, but if we allow the increase in salary, go through this motion ourselves and say, "If the House is disrupted, we will not be entitled to daily allowance.", I think there will be a sense outside that some justice has been served.

As far as the empty benches are concerned, that is a matter of individual conscience and I do not think that can be regulated.

Lastly, many hon. Members and senior Members like Shri Advaniji and many other sections of the House have said that the Government must come up with some mechanism to fix salaries of MPs. I think, that is a little unfair. It is incumbent upon all of us to suggest what should be that mechanism. This should be the last salary hike that we give to ourselves. Without question, it is unexceptionable that in future, there must be an independent authority. What that should be is for each of us -- who gets up and speaks -- to suggest that. I would here make the first attempt to suggest that like there is a Pay Commission, which looks into the salaries, which are being paid to the Government Servants, let the MPs' salaries in future after this, be automatically indexed along with the Government salaries by the Pay Commission. So, any time when the Pay Commission decides on their salaries, it will also decide on the MPs' salaries.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, as per the List of the Business, we have to take up a decision under Rule 193 at 4 o' clock. So, what is the opinion of the House?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I would request that we may just take another 15 minutes for this Bill.

MR. CHAIRMAN: Yes, it is because three more speakers are yet to speak on this Bill. If the House agrees, we can allow the three Members to speak and pass this Bill.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, भूतपूर्व सदस्य के बारे में शरद जी ने जो कहा, मैं न्याय की बात उठा रहा हूं कि व्यवहार में और कानून में लोग कहते हैं कि पेंशन सैलरी का आधा होती है। जब सैलरी आपने 50,000 रुपये कर दी है, तो पेंशन को 20,000 रुपये ही कैसे किया, इसका क्या लॉजिक है? इसलिए मैंने अमेंडमेंट दिया है। सदन कहे तो भी मैं इसे वापस नहीं लूंगा। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा। हमें लोग समझा दें कि यह न्यायसंगत और उचित है, तो मैं इसे वापस ले लूंगा, नहीं तो इनसे चूक हुई है। शुरू में इन्होंने इधर-उधर किया कि सैलरी होगी 40,000 रुपये, तो पेंशन 20,000 रुपये होगी। बाद में यहां झंझट हुई तो अब सैलरी 50,000 रुपये हो गयी, लेकिन पेंशन को उतना ही छोड़ दिया। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि उसमें जो आप हजार लिखते हैं, सीधे उसमें यह लिख दिया जाए कि सैलरी का आधा पेंशन होगी। नहीं तो, यदि हिसाब से लिखते हैं तो 50,000 रुपये का आधा यानी 25,000 रुपये करने का मेरा अमेंडमेंट है और आपका प्रस्ताव है 20,000 रुपये का। यह मेरी पहली बात है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कितने नंबर तक जाएंगे?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि सूखा और बाढ़ पर बहस है।

महोदय, अब से पहली की तीन लोक सभा जो कि 13 महीने, 18 महीने और कुछ दिन की रही। पहली वाली में नहीं थे, बाद वाली दोनों में थे। इसे फुल टर्म माना जाना चाहिए। मान लीजिए लोक सभा बीच में विघटित हो जाती है। नौवीं लोक सभा के बाद जो उस समय के भूतपूर्व हुए हैं, उनके पांच वर्षों में बाद वाले पांच वर्षों को जोड़ दिया जाता है, इसलिए कृपया करके माननीय संसदीय कार्यमंत्री इसे देखें, क्योंकि नौवीं लोक सभा में सदस्य रहे लोगों ने हम से मिलकर कहा है कि हम लोगों को पूरा नहीं मानते हैं, कम समय को अगले में पूरा करने के बाद जो सरप्लस बनता है, उसको साल वाइज़ देते हैं।

तीसरा अंडमान-निकोबार 1200 किलोमीटर दूर है। वे पानी वाले जहाज से ही आते-जाते हैं, रेल से नहीं जाते हैं। हम रेल से जाते हैं और भूतपूर्व एमपीज़ के लिए भी फर्स्ट क्लास रेल में यात्रा करने की सुविधा है। वे क्यों रेल में जाएंगे। उन्हें शिप में तीन-चार रोज आने-जाने में लग जाते हैं। प्रस्ताव में यह था, भूतपूर्व जो माननीय सदस्य हैं, एक मनोरंजन भक्त जी थे, वे बहुत दिन तक हमारे साथ ही रहे। कमेटी की रिपोर्ट में था कि जो भूतपूर्व माननीय सदस्य हैं, विशेष कारण से जहाज में जाने के लिए दो-चार माननीय सदस्यों को एलाऊ किया जाए, चूंकि काला पानी, अंडमान-निकोबार से जहाज में उन्हें आना-जाना है, इसलिए उसे मान लेना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वेतन वृद्धि के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। वेतन वृद्धि के लिए यहां काफी बातचीत हुई है। मैं कोई नयी बात नहीं जानता हूं, लेकिन सन् 1954 में सरकार ने कानून बनाया और उसमें कुछ बढ़ोतरी के लिए बराबर अमेंडमेंट आता रहा है, लेकिन इस बार कुछ नयी बात हुई। हम सब लोगों की बातें

सुनते हैं, हर दिन ऐसे ही वाकआउट करते हैं और दस्तखत भी करते हैं। हमें भी अच्छा नही लगता है कि जहां-तहां सदस्यों की आलोचना होती है और हम चुप रह जाते हैं। ये अपने लिए ही बोलते हैं और लड़ते हैं। हम भी इन्हीं की तरह बोलते हैं कि वेतन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश गरीब है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि वेतन तो बढ़ना चाहिए, यह डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जो यह कह दे कि हम बढ़ा हुआ वेतन स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। ये भीतर से कुछ और हैं तथा अंदर से कुछ और हैं, यह बात ठीक नहीं है। हमें नहीं लगता कि जो करोड़पति, अरबपति है, उसका अगर वेतन बढ़ता है तो उसे शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन वे भी मन में सोचते होंगे कि थोड़ा वेतन बढ़ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि खर्चे का संकट है। जो बड़े लोग हैं, उन्हें वेतन की क्या जरूरत है, उनका वेतन कम रहे, ज्यादा रहे या न रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, गांव में एक कहावत बोलते हैं कि ऐसा नौकर चाहिए, जो मांग-चांग कर खाए, हुक्म पर तामिल करे, कभी घर न जाए। अभी लोगों का संकट है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें नयी बात क्या हुई। विभिन्न लोकसभा में पहले भी वेतन में वृद्धि होती रही है। लोग कहते हैं कि एक अलग से मेकेनिज्म बना दीजिए। उसमें दूसरा आदमी मालिक हो जाएगा, वह वेतन तय करेगा और हम लोग कर्मचारी हो जाएंगे। यह सरकार तय करती है। सदन में सारे कानून बनते हैं और कानून बना कर सब कुछ होता है। लोकतंत्र का मतलब कानून का राज है। सदन में हमेशा कानून बनते रहे हैं और वेतन वृद्धि, कमी, भत्ता आदि तय होता रहा है। इसमें नयी कौन सी बात हो रही है। बार-बार यह कहा जा रहा है कि अलग से हो। इस संबंध में कई बातें कही जा रही हैं। इन सभी बातों में मैं दम नहीं देखता हूं। श्री संजय निरुपम जी कहते हैं कि काम के हिसाब से तय कर दीजिए, नो वर्क, नो पे। जिस दिन मैं लड़ता हूं और सदन बाधित हो जाता है, उस दिन मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा काम किया है। काम की परिभाषा क्या है, यह मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मोहे न कछु बांधे कलराजा, कीन्ह चहुं मैं प्रभुकर काजा। जनता की समस्याओं के लिए कभी-कभी एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल मैथड से भी लड़ना पड़ जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह का रास्ता बता कर गए हैं। क्या हम कानून नहीं मानेंगे? महोदय, आसन से आदेश होता है, हाउस डिसरप्ट होता है, हमें निकाल बाहर किया जाए, निष्कासित किया जाए, सजा दी जाए, यह कानून है। कानून क्यों नहीं लागू होता है?

लोग कहते हैं कि सारे कानूनों को लागू किया जाये, इसलिए सदन को बाधित करने का विषय मैं कल अलग से उठाऊंगा। अन्तिम बात, महोदय, इसमें अभी कोई नई बात नहीं हुई है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सीरियल नम्बर बोलिये, यह आपका चौथी बार अन्तिम है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस बार की बात नई क्या हुई। एक कमेटी है। उस कमेटी ने अनुशंसा की और उसने वह अनुशंसा भेज दी। यही असली बात थी कि क्यों ऐसा हुआ। एक कमेटी की अनुशंसा चली गई, सरकार ने केबिनेट में

भेज दी। केबिनेट में कुछ मंत्रियों ने उसमें कहा-सुनी की, वह बात बाहर आ गई, वह डैफर हो गया, नहीं हुआ, मीडिया ने प्रकाशित किया कि फलां मंत्री, फलां मंत्री खिलाफ गये। मामला सदन में उठ गया और फिर एक दिन सदन बाधित हो गया। उस पर लड़ाई जम गई।

उसके बाद फिर सरकार को चेतना आई, सभी दलों के नेताओं को बिठाकर सोल्यूशन निकाला तो वही बात पहले क्यों नहीं हुई। इसलिए इन सदस्यों की फजीहत, जो मीडिया में और लोगों में चर्चा हुई और सदस्यों के लिए यह हुआ कि इसके लिए इनको लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। सारी कुव्यवस्था की कसूरवार सरकार है, दूसरा कोई नहीं। चूंकि सरकार के हाथ में वेतन बढ़ाना है। कमेटी के चलते बढ़ाते हैं या कैसे बढ़ाते हैं, वह अलग बात है।

यह प्रथम बार कमेटी की अनुशंसा नहीं हुई है और उसमें इन लोगों ने कतरब्योंत और मरम्मत की है तो इसमें सब सदस्य जब सब के लिए लड़ने वाले हैं तो अपने लिए हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अपने लिए भी हम लड़ना जानते हैं।

लड़ना भर मेरा काम रहा, यह जनता का संग्राम रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जायें पर वचन न जाई। अन्तिम कहकर चार बार आपने अन्तिम लिया है।

DR. N. SIVAPRASAD (CHITTOOR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. This is the august House. We pass the Budget here. We make the legislations here. We form many more Committees here. If a Commission is to be made for enhancing the salaries and allowances of Members, who is to nominate the members? Again, we are the persons who have to nominate the members of the Commission also.

Sir, I am a new-comer to Lok Sabha. It has been fifteen months, but I could not know what I can do for the constituency I represent with the help of various departments because I have no infrastructure here. The same thing is there in respect of my constituency also. My constituency spans about 250 kilometres, covering 37 mandals. Hundreds of people come to me every day. I am unable to offer even a cup of coffee to all of them. I am unable to satisfy all the people. Many of the people come to me without money for return fare also. They talk to me and finally at the time of going back, they would ask for bus fare also. I have to fulfil their needs.

I thought of talking of many more things, but what is happening here is that all the people, to my assumption, are not talking frankly. We definitely need enhancement of our salaries. We are unable to fulfil, and do justice to, the aspirations of our people. Not only that, the Government should also think of giving house-sites to the Members of Parliament. Even Shri Sharad Yadav was telling today that all the Members may not come back to the House next time. Previously, the Members of Parliament were getting house-sites also. So, I would request the Government to consider giving house-sites to the Members.

I would submit that there are 37 mandals in my constituency. Even for a parliamentary constituency with 20 mandals also, only Rs. 2 crore are being given. This amount is also not sufficient. So, they have to consider enhancing this amount under MPLADS also. … (*Interruptions*) I would request all the Members to support me because enhancement of salaries and allowances is a must. Some people are telling what they have got from here and whether they cannot accept the enhanced salaries when they are enhanced.

I would request the Government to consider giving house-sites and enhancing the amount under MPLADS also.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक ट्राइबल आदमी हूं। दिल में जो बातें उठ जाती हैं उसको सबके सामने साफ-साफ बोल देना हम ट्राइबल लोगों की आदत रही है। इसलिए मैं कुछ बातों को आज सीधी तरह बोलना चाहता हूँ। आप इसे गलत मत समझिए। पहला मुद्दा यह कहना चाहूंगा, शरद जी ने जिस मुद्दे को यहां उठाया कि एक्स एमपीज की पेंशन कम से कम बीस हजार से पच्चीस हजार रूपए होनी चाहिए। दूसरा, जितने एक्स एमपी विभिन्न कामकाज लेकर दिल्ली आते हैं, उन लोगों के रहने के लिए मकान की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनके लिए रहने की व्यवस्था तुरंत भारत सरकार को करनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, अगर एमपी लोगों को खुद ही अपनी तनख्वाह के बारे में बात करने को हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के लोग अच्छा नहीं समझते हैं, तो भारत सरकार के दिलोदिमाग में वह ज्ञान क्यों नहीं आया? खुद ही विचार करके कि कितनी तनख्वाह वृद्धि करनी है, कितनी देनी है, उस सिलसिले में कोई सिद्धांत को क्यों नहीं ला पाए? This is very unfortunate. इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एमपीज लोगों का तनख्वाह हमेशा पांच साल के बाद कमीशन बैठाकर वृद्धि करने से भी देश की और हमारी हालत नहीं सुधरेगी। यह तो प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ा हुआ मुद्दा है। विभिन्न सामग्रियों के मूल्यों में आज जिस तरह वृद्धि होती जा रही है, उसे जब तक रोक नहीं पाएंगे, तब तक हमारी हालत नहीं सुधरेगी । I would like to know this from the Government of India. What kind of proactive policy decision do you have to control the skyrocketing rise in prices of different commodities? अगर आप लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, Then, I would like to propose that the system of formation of the Joint Parliamentary Committees (JPC) should be scrapped. What is the use of it? … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Bwiswmuthiary, please conclude now.

… (*Interruptions*)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एमपीलैड का जो फंड है, उसे दो करोड़ से बढ़ाकर कम से कम दस करोड़ करना चाहिए, क्योंकि मेरी जो पांच नंबर कोकराझार पार्लियामेंट्री कांस्टीच्युएंसी हैं-उसमें दस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। ...(व्यवधान) यह ऐसी पार्लियमोंट्री कांस्टीच्युएंसी है। जो बहुत बैकवर्ड है। आजादी मिलने के बाद, आज 63 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन वहां उन्नयणा का कुछ नहीं है। मेरी मांग है कि एमपी लैड निधि फंड को दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: This is not the topic for today's discussion. Therefore, please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : एक्स एमपीज की पेंशन कम से कम पच्चीस हजार रूपए होनी चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जिस ढंग से सिफारिश की है, उसको मानना ही चाहिए।

श्री शरद यादव : महोदय, मैं एक बात कहना भूल गया था, इसके लिए माफी चाहता हूं। जो आडवाणी जी ने कहा, इस सदन में एमपीज की सैलरी का मुद्दा इस बार ही नहीं उठा है। पिछले इतिहास में भी एमपीज ने तीन-चार बार खुद अपनी तनख्वाह के लिए बात कही है। यह इस सदन की गरिमा के लिए कि बार-बार एमपीज ही इस पर माथा मारते हैं। आडवाणी जी ने कहा कि अभी नहीं कभी बाद में, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, सबसे बात करके आप इसके लिए कोई रास्ता बनाइए।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I thank the hon. Members, Shri L. K. Advani, for his very pertinent intervention in this on principles; Dr. Ram Chandra Dome; Shri Sanjay Nirupam; Shri Shailendra Kumar; Shri Dhananjay Singh; Shri Sharad Yadav; Shri Pinaki Misra; Dr. Raghuvansh Prasad Singh; Dr. N. Sivaprasad; and Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary.

Sir, ten hon. Members have participated in this discussion. I am happy that this time we have taken up this matter for discussion in the House to avoid the odium that we pass the Bill relating to our salaries without discussion in the House. In fact, the Constitution enjoins this responsibility on us and I would, in this case, very briefly refer to article 106:

> "Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may, from time to time, be determined by Parliament by law."

There are two words – by parliament, by law. All these years, I agree with some of the hon. Members, Parliament has been determining the salaries by law. Today, we are seeking an amendment to the law itself.

There is no denying the fact that there is a universal acceptance or rather demand for this that henceforth we give up this power of ours within the parameters of the constitutional provisions, and that means the law as such has to be amended to provide for a permanent mechanism. The law as such may not have to be amended, but some provision there would entitle that this matter is decided by the Commission. But the important point that would still remain is that do the recommendations of that mechanism or the Commission, or whatever we call it, come to the Parliament again?

These are the points which will have to be discussed. It was in this context that I had said that the Cabinet in its meeting in August, 2006, decided in principle that a mechanism needs to be set up. But many, many questions have arisen thereafter. I can say from my personal experience during this last one year that views have been expressed on this. That view has been expressed by Dr. Raghuvansh Prasad today also, that is a contrary view to this, who says that this right is vested in us, and we have to exercise it ourselves -- of

course, with discretion and judiciously. It is not that we have unbridled power or unlimited power in our hands. We have to be answerable to the people and we have to see as to what we do because we have to really, ultimately, act as the representatives of the people.

But nevertheless, I and for that matter the Government are of this view now, particularly, as I said in the beginning, in view of the developments in the last few days that it is time now that we set up a mechanism for this. There is no denying the fact. I am afraid it would be extremely difficult for me to announce the setting up of such a mechanism as demanded by Shri Advani within the next two or three days. But I can assure this House that we would like to have wide ranging consultations on this. This will be a departure from the law that we have been following since 1954. Therefore, this does call for some discussion as to who are the people who have got to be associated with it and with whom we place this right for the future.

Having said that, I would very, very briefly refer to some points which, indeed, are very pertinent and I am very happy that the hon. Members have raised those points, and this debate has given us that opportunity to in fact go to the people and say that this is what we feel about it. It was a good number of hon. Members who said, though of course there was a contrary view again by Dr. Raghuvansh Prasad, but the prevalent view, predominant view, as was expressed by the hon. Members was to the effect that if the Parliament does not function, then we should not take our daily allowances. Our perceptions, our concepts differ as to what work is, but if we come to the Parliament to transact business, I think that is the work which the Parliament is supposed to be doing. The other work, that is, may be the sound of democracy, at times, prevails over the reason of democracy, but ultimately, it is the reason of democracy which has to prevail over the sound of democracy. In the Parliament, it is the reason of democracy which should prevail. Outside, of course, we are all political workers; we can take our decibel to whatever level we wish to. But I think in this context, this point that has been made here that if for any reason, for our own reasons, if the Parliament is not able to function for a day, we should provide for it that for that day we do not take our daily allowance. This point as also the point relating to attendance, the secretarial assistance, that was indeed a very pertinent point which has been made.

As Dhananjay Singhji said, we have to work maybe on certain important matters about which we do not have the information. Accepting that as a layman, as a representative of the people, as a conscientious political worker, we do want to participate in something which may be very technical. For that perhaps you do need some research assistance. There could be people from the universities and elsewhere to help us. But I am not in a position to really say more than that on this.

श्री धनंजय सिंह : मैं एक बात कहना चाहूंगा। उन मैम्बर्स के लिए रिसर्च एसोसिएट जरूर मिले जो कन्सलटेटिव कमेटी में हो, स्टैंडिंग कमेटी में हो। जैसे मैं दो समितियों में हूं - कंसल्टेटिव कमेटी आन पावर और आईटी। कम से कम दो रिसर्च स्कॉलर जरूर होने चाहिए, जो लोग समितियों में हों, ताकि वे अपना व्यू अच्छी तरह रख सकें। कमेटी के ही प्रस्ताव हाउस के अंदर आते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं जो कह रहा था, वह यही था कि यहां जो आठ विषय उभरकर आए हैं, अलग-अलग माननीय सदस्यों ने इन बातों को यहां जाहिर किया है। उसमें मैंने पहले का जिक्र किया था कि अगर हाउस में बाधा पड़ती है, काम नहीं हो पाता, असिस्टैंस की जरूरत है या हाजिरी की बात है, जीडीपी के साथ सैलरी को जोड़ना है।

16.26 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair)*

शरद यादव जी ने बहुत अहम बात का जिक्र किया था कि लोगों को अपने राजनीतिक काम में आना पड़ता है। उनके लिए यहां रहने की कोई व्यवस्था हो। ये अहम चीजें हैं। अगर हम इन पर खुद जिक्र करें, खुद फैसला करें, फिर शायद वही बात होगी जिसके लिए हम कह रहे हैं कि एक मकैनिज़्म की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस कारण आज वह दिन आया है कि हम सब मिलकर जिसे चाहेंगे, एक ऐसी बॉडी के हाथ में अधिकार दें जिससे वह इन बातों का फैसला कर पाए।

Having said that, I just want to very briefly refer to the point relating to pension. We did consider this point. But I must say once and for all that we should not compare ourselves with any service whatsoever. If I were to say so, that would rather be demeaning ourselves. Maybe the other people are unimportant for this. We have to put ourselves in a different bracket. We are not Government servants: we are public representatives. Maybe our work is 24x365 but we are not Government servants. Therefore, we must not try to compare ourselves with the Government servants.

श्री शैलेन्द्र कुमार : प्रोटोकाल के बारे में हमें सोचना चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

...(व्यवधान) *

श्री पवन कुमार बंसल : प्रोटोकाल की बात अलग हटकर है। मैं पैंशन के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि यह शायद हमारा ही है, इसमें प्रावधान है कि अगर लोक सभा सिर्फ एक वर्ष या डेढ़ वर्ष के लिए रही हो, तब भी उन्हें पैंशन मिलेगी। पैंशन स्टैटिक नहीं है, डायनैमिक है। जितना समय ज्यादा लगता रहेगा, उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी। शायद ऐसे भी सदस्य हों, माननीय सदस्य शरद यादव जी उनमें जरूर होंगे, मैं चाहता हूं कि वे बहुत लम्बे अरसे तक पार्लियामैंट में और रहें। लेकिन आज के दिन ये जितना समय पार्लियामैंट में रहे होंगे, इनका अपनी तनख्वाह से ज्यादा पैंशन का ऐमाउंट जरूर बनता होगा। ऐसे बहुत से केस हैं। इसलिए हम इसके लिए वह उदाहरण नहीं दे सकते। बैसीमुथियारी जी ने अभी जो कहा, उनमें से कई बातों आज इस बिल के संदर्भ में नहीं हैं। लेकिन जो भी बातें हैं, उनको हम जरूर उस कमेटी में रखना चाहेंगे। To arrest the growing cynicism in the public estimation

* Not recorded

about the politician, about the Parliament, and for that matter democracy itself, is a duty on us. We have to arrest that growing cynicism. Therefore, I can only say that we must all put our heads together to see as to what mechanism we work out for the future.

With these words, I thank all the hon. Members who have participated in the discussion and who have expressed their support to this Bill, and I commend that this Bill be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 5 Amendment of Section 8 A

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, do you like to move your Amendment?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,

"बीस हजार रुपए" के स्थान पर

"पच्चीस हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं रघुवंश प्रसाद जी से कहना चाहूंगा कि जब हम लोग इसके बारे में मैकेनिज्म बनाएंगे, यह विषय उसके पास लेकर जाएंगे, इस वक्त पेंशन 8,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हुई है और जो सालाना पेंशन है, जो पांच साल से ऊपर है, वह 800 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये हुई है। आगे के लिए हम यह विषय उस मैकेनिज्म के पास लेकर जाना चाहेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, जिस दिन सैलरी 16,000 रुपये थी, उस दिन पेंशन 8,000 रुपये थी, आज आप सैलरी 50,000 रुपये कर रहे हैं, तो पेंशन को भी 8,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाना चाहिए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: In law, it is all contextual. अलग-अलग कांटेक्स्ट में अलग-अलग चीज होती है।

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No.1 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That Clause 5 stands part of the Bill "

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.
Clause 6 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I want to make a small comment. It is a very good tactic that to oppose the Salary Bill in the House, and to accept it by going to the counter; and when the Bill has already been passed. Those who have walked out or all those political parties who are opposed to the Bill, it has to be taken into account that they are ruling the State for the last 34 long years and at least, four to six times salaries have been increased in the same Assembly. They are representing the same people and the same people are walking out today. We feel that this is an attitude of double standards and an attitude of hypocrisy. We totally disapprove such type of hypocratic decisions. We fully agree to what the hon. Advani ji has proposed and the way the hon. Minister, Bansal ji has concluded the debate. All of us should unitedly stand behind and those who have walked out from the House opposing the Bill, I think, they should not take the increased salary uptill the next procedure is adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.35 hrs.

ENEMY PROPERTY (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2010

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House shall take up item no. 36, Shri Ajay Maken.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY MAKEN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Enemy Property Act, 1968 and the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, be taken into consideration."

Sir, the Enemy Property Act, 1968 was enacted on the 20th August, 1968 to, *inter alia*, provide for the continued vesting of enemy property vested in the Custodian of Enemy Property for India under the Defence of India Rules, 1962, and the matters connected therewith. The Act was amended in 1977.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति जी, बाढ़ और सूखे पर चर्चा का क्या हुआ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): He is only moving it.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Is he only moving it?

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI AJAY MAKEN: Of late, there have been various judgments by the various courts that have adversely affected the powers of the Custodian and the Government of India as provided under the Enemy Property Act, 1968. In view of such interpretation by various courts, the Custodian has been finding it difficult to sustain his action under the Enemy Property Act, 1968.

MR. CHAIRMAN: Okay, Mr. Minister, you may continue next time.

16.37 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Flood and drought situation in the country

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the discussion on flood and drought situation in the country has been admitted in the names of Shri Anant Kumar Hegde and Dr. Murli Manohar Joshi. Shri Anant Kumar Hegde has requested the hon. Speaker to allow Shri Navjot Singh Sidhu to raise the discussion on his behalf. Hon. Speaker has since acceded to his request.

Now, Shri Navjot Singh Sidhu.

1637 बजे

श्री नवजोत सिंह सिद्धू (अमृतसर): सभापति महोदय, देवता न काठ की मूर्ति में है न मिट्टी की, देवता भावना में विद्यमान है, इसलिए आज मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने पंजाब और हरियाणा के बाढ़-पीड़ित, मुसीबतजदा, लाचार, बेकश लोगों की आवाज बुलंद करने का मुझे मौका दिया है। उनके हक की आवाज, " चुप रहना है जुल्म की ताईद में शामिल, हक की बात कहो जुर्रते इजहार मत बेचो।" यह जुर्रत मुझे पंजाब की मिट्टी ने दी है, यह मेरे खून में है, विरासत में गुरू गोविंद सिंह जी ने मुझे दी है। " कादिराए कार गुरू गोविंद सिंह, बेकशां यार गुरू गोविंद सिंह।" इसलिए आज उन बेकश लोगों की आवाज बुलंद करता हूं।

सभापति महोदय, यहां सब लीडर बैठें हैं। Leaders convert weakness into strength, obstacles into stepping stones and disaster into triumph. लेकिन बड़े अफसोस से मुझे यह कहना पड़ता है कि 63 साल देश को आजाद हुए हो गये, हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत वाटर मैनेजमेंट को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना लिया है।

सभापति जी, नेकचंद जी ने पंजाब में वेस्टेज और डब्ल्यूसी के स्टोन्स को लेकर, एक कलात्मक रवैया लेकर, उन्होंने एक रॉक-गार्डन बनाया, जो आज भी सारी दुनिया को आकर्षित करता है। गुरू की वाणी में पानी को कहा गया है कि "पवन गुरू, पानी पिता, माता धरत महत्" वह पानी जिसे अगर योजना और नीतिबद्ध तरीके से उपयोग में लाया जाए तो बिजली प्रदान करता है, सिंचाई के काम आता है, वाटर-रिजेनरेशन प्रदान करता है, वह पानी, जिसे आज खेतों में वरदान बनना चाहिए था, मिस-मैनेजमेंट की वजह से अभिशाप बन गया है। What was going to be a golden mine is today a curse for India.

जिसकी वर्षों की कमाई एक पल में मिट गई। जो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता, सरकार उसे क्या मुआवजा देती है, मैं उस बात पर चर्चा करना चाहता हूं। मुआवजा एक धुरी है, जिसके ऊपर मैं अपनी इस डिबेट को घुमाना चाहता हूं। आज सरकारों की सबसे बड़ी पूंजी लोगों का विश्वास है। आज भी चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो वह सरकार पर भरोसा किए बैठा है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आएगी, तो सरकार मुझे बचाएगी। मैं उन लोगों को शत्-शत् प्रणाम करता हूं जो हर साल डूबते हैं और हर साल डूबने के बाद दस परसेंट मुआवजा वह सरकार से लेकर फिर से सरकार पर भरोसा करते हैं। धन्य हैं वे लोग जो तीन-तीन बार डूबने के बाद भी सरकार पर भरोसा करते हैं और धन्य है वह सरकार, जो गूंगी और बहरी हो कर उनकी नहीं सुनती है। जिस देश में टमाटर 75 रुपए किलो, हल्दी 250 रुपए किलो हो, दाल 100 रुपए किलो हो, वहां मुआवजे के तौर पर क्लामिटी रिलीफ फंड से एक आदमी को बीस रुपए मुआवजा मिलता है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है कि इससे उनके जो जानवर हैं, उनके चारे के लिए भी सवा सौ रुपए या डेढ़ सौ रुपए से कम नहीं आता है। अगर आप एक एकड़ की बुआई लें, तो करीब दो हजार से ढाई हजार रुपए लगते हैं और सरकार क्लामिटी रिलीफ फंड में वह मुआवजा 1600 रुपए तय करती है। जहां उसे उपज के 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, वह ठेका देता है।" मिट गया मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बरबादी के बाद उनका पैगाम आया तो क्या।" आप जा कर वहां देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि" जिन्हें हम हार समझे थे, गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को।" क्या आज सरकार जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़केगी। I strongly advocate changing of these norms. They are laughable. ये नार्म्स गरीब की गैरत पर बहुत करारा तमाचा है। इंसान घोड़ी से गिरकर उठ सकता है, लेकिन इंसान अपनी नजरों में गिर जाए, उसे उठाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आप गरीब को उसकी नजरों में गिरा रहे हैं।

महोदय, डिजास्टर मैनजमेंट के तहत सरकार रिलीफ देती है। अभी कुछ दिन पहले चित्रा जहाज डूब रहा था। टीवी वाले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तीन दिन में जहाज डूबने के बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग बुलायी गई। तीन दिन बाद, यह है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। पंजाब में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो आफिस है, उसमें एक पियन बैठा है और एक भी तकनीकी स्टाफ नहीं है। ये वो लोग हैं, जो कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा बर्बाद होने के बाद दो सौ रूपये वाला कपड़ा बीस रूपये मीटर बेचने की कोशिश करते हैं, तो भी कोई उस कपड़े को नहीं खरीदता है। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि पानी की जो मैनेजमेंट है, उसे प्रिवेंशन के ऊपर जोड़ दें तो ये मुआवजों के चक्कर से निकल सकते हैं। विन्सटन चर्चिल ने एक बार कहा था कि "Better prevent and prepare than repent and repair". साठ साल से हम रिपेंट और रिपेयर ही कर रहे हैं, we have never prevented and prepared. अगर हमने कभी डिसिलटेशन की होती, अगर हमने कोई प्लान बनाया होता, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, जो दो परसेंट

एरिया में से साठ परसेंट देश का अनाज पैदा करते हैं। पंजाब और हरियाणा से इस देश का साठ परसेंट अनाज आता है। आज उन लोगों को ऐसा करारा तमाचा मिला है। अगर मणियों को धूल में फैंक दोगे, उन्हें सोने का आधार नहीं दोगे, तो मणियों की चमक कम हो जाएगी।

"अंधेरों का दर्द क्या जाने जो खुद उजाले हैं, डूबने की टीस क्या जाने जो खुद किनारे हैं।
आग के दरिया में डूबने का दर्द हमसे सीखो, पंजाब और हरियाणा ने कई उजड़े हुए गुलशन संवारे हैं।"

इसलिए मैं आज उन लोगों से गुहार लगाता हूं कि जब यह बाढ़ आई थी तो सेंटर की तरफ से न कोई स्टैंडिंग कमेटी की टीम गई, सेंटर की तरफ से न ही कोई मुआवजा देने की बात हुई। करीब करीब 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। करीब 7 लाख एकड़ जमीन जो है, वह आज बाढ़ग्रस्त है और किसान त्राहिमान त्राहिमान कर रहा है और सेंटर का कोई भी आदमी अभी तक वहां पूछताछ करने के लिए भी नहीं गया।...(व्यवधान) बंसल साहब तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में गये थे। फ्लड एरिया में नहीं गये थे। मैं सरकार से यही विनती करता हूं कि सरकार एक आश्वासन दे कि एक टाइम बाउंड पॉलिसी फ्यूचर के लिए सरकार बनाए जो प्रिपरेशन के लिए नहीं बल्कि प्रिवेंशन के लिए हो और आने वाले समय में हम लोग मुआवजों पर निर्भर न रहें और मुआवजों से ज्यादा हम लोग खतरे को आने से पहले टाल दें।

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, आपने मुझे आज इस बाढ़ और सूखे के बारे में चर्चा करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। हम बाढ़ और सूखे की बात करते हैं लेकिन मैं कहना चाहंगी कि वास्तव में बाढ़ और सूखे की बात पानी पर निर्भर करती है, जैसे हमारे माननीय सदस्य नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा और उनके उस दर्द को मैंने समझा। पानी ही इस पूरे खेल का एक प्वाइंट है। मौसम हो या मानसून हो, वह अपना खेल दिखा जाता है। जब पानी ज्यादा बरसता है तो बाढ़ आ जाती है और जब पानी कम बरसता है तो सूखा हो जाता है। इस साल भी बरसात ने बाढ़ का कहर हमारे उत्तर प्रदेश के घाघरा नदी मे दिखाया है। उसके अलावा गंगा नदी, राप्ती, शारदा, सरयू, यमुना ये भी खतरे के मार्क से ऊपर बह रहे हैं। हमारे यू.पी. के कई जिले हैं जिनमें गोंडा, बाराबंकी, लखीमपुरखेरी, सीतापुर, बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती, फरुख्खाबाद इत्यादि सब जगहों पर बाढ़ का कहर है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है जैसे हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा, हरियाणा और पंजाब में भी बाढ़ ने अपना तांडव दिखाया है। इनको छोड़िए। मुम्बई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी बाढ़ का तांडव देखा गया है। एक तरफ यह बाढ़ आई हुई है और दूसरी तरफ सूखे की स्थिति बनी हुई है। पिछले वर्ष के सूखे से हम अभी ऊबर भी नहीं पाए थे कि वर्षा इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के संत रबीदासनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर के पूर्वांचल के कई जगहों पर पानी मानों बरसा ही नहीं है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो कहा जाता है कि 50 फीसदी से कम बारिश वहां पर हुई है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी 18 जिलों में से 11 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। असम, मेघालय में भी कहा जाता है कि इस साल पानी कम बरसा है। हमें केन्द्र सरकार का सहयोग मिलता है। जितने भी बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त राज्य हैं, उनमें भी हमें केन्द्र का सहयोग मिलता है।

हमें सही मायने में यह बात समझनी होगी कि यह दायित्व राज्य सरकार का है कि समय पर केंद्र सरकार को सूचना दे। बजट का आबंटन कितना करना चाहिए इसके बारे में सोचे। जब स्कीम या प्रोग्राम का पैसा मिले तो उसका क्रियान्वयन कैसे हो, यह देखना राज्य सरकार का दायित्व होता है। केंद्र सरकार ने सूखे के लिए एआईबीपी, एक्जलेरेटिड इरीगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के बारे में सैंट्रल लोन असिसटेंस, सीएलए के माध्यम से प्रोवीजन किया हुआ है। इसमें मेजर मीडियम एक्सटेंशन, रेनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स को सीएलए 3:1 नान स्पेशल कैटेगिरी को 2:1 रेश्यो में दिया जाता है। स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स में सीएलए का 90 फीसदी और नान स्पेशल का 30 फीसदी ग्रांट में कन्वर्ट हो सकता है। ड्राट प्रोन और ट्राइबल एरिया स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स में आते हैं। राज्य सरकारों को अपना दायित्व समझकर काम करना पड़ेगा। मैं छोटा सा उदाहरण उत्तर प्रदेश नॉन सेंसटिव सरकार का देना चाहती हूं।...(व्यवधान) जैसा कि नवजोत जी ने कहा कि हर साल बाढ़ आती है और हमें तैयारी करनी होती है इसलिए इसकी सेंसटिविटी हमारे पास होनी चाहिए। ...(व्यवधान) आप उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में सुन लीजिए, फिर आपको जो कहना है कह लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है

और न ही चर्चा की। केंद्र सरकार ने 90 किलोमीटर एम्बेंटमेंट घाघरा नदी और शारदा नदी के लिए सैंक्शन कर दिया। 90 करोड़ फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, जब एक डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के लिए कहा गया था, सैंक्शन किया गया। 23 अगस्त की न्यूज में देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार का 1500 करोड़ का एक सप्लीमेंटरी बजट पास हुआ। इसमें 500 करोड़ रुपया मूर्तियों, उद्यानों और पत्थरों के लिए पास किया गया। बुंदेलखंड पांच साल से सूखाग्रस्त है और 2000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, वहां के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए दिए गए। बाढ़ की लोकेशन में विकास के नाम पर सिर्फ 50 करोड़ रुपए दिए। किसी स्टेट के बारे में बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, स्टेट को खुद सोचना चाहिए।

महोदय, जब हम बाढ़ और सूखे की बात कहते हैं तो सही मायने में अंत में दो रोटी की बात होती है। बाढ़ पीड़ित अगले वक्त की रोटी की ही बात कहता है। बाढ़ और सूखे से क्या होता है, इसके बारे में हमें सदन में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वहां जो हालात हैं, कैमरे में देखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार जाकर देख लीजिए आपको स्थिति पता चल जाएगी। जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, इसमें चंद वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। मेरा कहना है कि क्लाइमेट चेंज पर सोचना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि आधुनिक युग में मानव जाति का प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का यह नतीजा हो सकता है। हम संसद में मौजूद हैं, अगर हम व्यक्तिगत तरीके से कुछ करना चाहते हैं तो वाटर सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए। अतिरिक्त वाटर को किस तरह से कम्युनिटी लैवल पर कन्जर्व करें, रिजर्व करें, इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को क्या करना है, सरकार क्या रिलीफ देती है, यह तो आता ही है। हर तरीके से मॉनिटरिंग कम्पेनसेशन को आप इतना छोटा बता रहे हैं, यह इतना छोटा नहीं होता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर सही मायने में सही कम्पेनसेशन पहुंचाती है। हो सकता है आपका कोई दुखद अनुभव हो। हर तरीके का कम्पेनसेशन, प्रोग्राम और रिलीफ मीजर्स किए जाते हैं लेकिन समय पर इसकी जानकारी होनी जरूरी है। मैं नवजोत जी की बात से सहमत हूं कि यह एक इमीडिएट मरहम की तरह इस्तेमाल होता है।

यह एक मरहम है। आज तो हमने उन्हें कुछ थोड़ा सा सहयोग दे दिया, रिलीफ दे दिया। लेकिन सही मायनों में लांग टर्म में यह कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके लिए हमें यह जानना, कबूलना जरूरी होगा कि जिंदगी में पानी बहुत अहमियत रखता है। यदि पानी नहीं है तो इस हाउस में हम भी नहीं है। जल सुरक्षा आज का अहम् मुद्दा होना चाहिए। चाहे वह बाढ़ के बारे में बात करें या सूखे के बारे में बात करें। लांग टर्म स्ट्रेटेजी या सोल्यूशन के लिए बिना चतुर्मुखी, होलिस्टिक राष्ट्रीय जल नीति यानी नेशनल वाटर पालिसी के बिना यह शायद असंभव होगा।

महोदय, मैं जल संसाधन मंत्री और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहती हूं। मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं, उन्होंने इसके बारे में सोचना आरंभ कर दिया है। मीटिंग्स होनी शुरु हो गई हैं और नेशनल वाटर पालिसी को डिफाइन करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसी संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। मानव या पशु के पेयजल की बात हो या सिंचाई की बात हो या उद्योग की बात हो या ऊर्जा उत्पादन की बात हो या देश में अत्यधिक जल की समस्या से

जूझने की बात हो, हमें नेशनल वाटर पालिसी में इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक बात समझनी होगी कि बाढ़ तो आकर चली जाती है, लेकिन हैंडपम्प की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ हैंडपम्प की जरूरत यानी पानी की जरूरत के लिए हम उससे जूझते हैं।

मैं पिछले वर्ष की डिमांड्स फार ग्रांट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज 2010-11 का उल्लेख करना चाहती हूं, उसमें कंवर्जन की बात कही गई थी। यह एक बहुत अहम् बात है, जब हम कंवर्जन की बात करते हैं तो उसके ऊपर व्याख्या करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि एक स्रोत के रूप में जल वाटर रिसोर्से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता जरूर है। लेकिन रुरल डैवलपमैन्ट, अर्बन डैवलपमैन्ट, एनवायरनमैन्ट, पावर यानी हाइड्रो पावर, शिपिंग, एग्रीकल्चर, अर्थ साइंसेज, साइंस एंड टैक्नोलोजी, कामर्स, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन न जाने कितनी मिनिस्ट्रीज और विभाग इस विषय पर विचार एवं हस्तक्षेप करते हैं और इसके कारण ओवरलैपिंग की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है।

महोदय, पानी की प्रतिदिन कमी होने के कारण इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर मैं सदन के समक्ष देश में जल की कमी या वेस्टेज के कारण उत्पन्न हो रही स्थिति का उल्लेख करना चाहती हूं। आज जितना समझा जा रहा है, स्थिति उससे ज्यादा चिंताजनक है। मैं मैडम सोनिया गांधी जी की बहुत आभारी एवं अनुग्रहीत हूं, जिन्होंने इस चिंताजनक स्थिति को समझा ही नहीं,बल्कि उसका विशेष उल्लेख करने के लिए मुझे प्रोत्साहित भी किया। संसार में प्रतिदन, प्रति व्यक्ति का औसत जल उपयोग 53 लीटर है। लेकिन भारत में यह मात्र बीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह औसत उपभोग अन्य देशों की अपेक्षा गिरकर 9 लीटर के आसपास है। सूखे क्षेत्रों में यह सिर्फ पांच लीटर के आसपास है। इस तरह जल का औसत दैनिक उपभोग अन्य देशों के मुकाबले सिर्फ 10 फीसदी है।

भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, राजस्थान कैनाल सिस्टम और नर्मदा डैम न जाने कितनी अन्य योजनाओं के द्वारा जल प्रबंध के बावजूद अभी तक केवल प्रति व्यक्ति के औसत से 200 क्यूबिक मीटर जल का संरक्षण हमारे देश में हो पा रहा है। जबकि अमरीका एवं आस्ट्रेलिया प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच हजार क्यूबिक मीटर पानी का संचय करते हैं। चीन जिसका वाटर मैनेजमैन्ट का प्रयास एवं समय सीमा भारत जैसी होने के कारण प्रति व्यक्ति की दर एक हजार क्यूबिक मीटर पानी संचय कर पाता है। पानी संचयन की पूर्ण क्षमता के संबंध में भारत में वर्षा के केवल तीस दिन का पानी संरक्षित कर पाता है, जबकि विकसित देशों में 900 दिन का पानी संचय होता है। अनेक देशों में समाज जल के लिए युद्ध कर चुके हैं। इसका सबसे सटीक और स्पष्ट उदाहरण अरब-इजराइल का 1967 का पानी को लेकर युद्ध हुआ था। जल को लेकर विभिन्न देशों में विवाद इस परिदृश्य के एक पक्ष में है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवाद हैं। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट हुआ था। इन सारे विवादों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पानी दिन-प्रतिदिन एक बहुमूल्य वस्तु, एसेंशियल वैल्युएबल कमोडिटी होता जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सबको यह मानना होगा

कि जल अत्यधिक मूल्यवान है और इसे एक राष्ट्रीय स्रोत यानी नेशनल रिसोर्स का स्थान उसी तरह से मिलना चाहिए, जैसे तेल, गैस और यूरेनियम को मिलता है।

17.00 hrs.

सभापति महोदय, पानी कभी भेदभाव नहीं करता लेकिन उसके बावजूद पानी की सब को जरूरत है और सब समान हैं। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि एक राष्ट्रीय स्रोत की सोच होनी चाहिये, हम सिर्फ इसे एक कमोडिटी मानकर नहीं छोड़ सकते हैं। हम सभी यह बात भली-भांति जानते हैं कि भारत में उपलब्ध पानी का 80 से 90 फीसदी तक प्रयोग कृषि में होता है। कृषि एक ऑफिशियल डिक्लेयर्ड इंडस्ट्री है। क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इंडस्ट्री के लिये इसैंशियल इनफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पानी है। जैसे किसी इंडस्ट्री के लिये बिजली होती है। यदि हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो कृषि के विकास की बात भी करनी चाहिये। साथ में भोजन सुरक्षा प्रणाली, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं तो बिना इसके हम लोग कोई काम नहीं कर पायेंगे। इसी बात को समझकर और सोचकर मैं कनवर्जन संबंधी बिन्दु पर कहना चाहती हूं। इसी प्रकार अनेक योजनाओं की समस्या जटिल हो जाती है जब अनेक विभाग एक साथ मिलकर एक ही बिन्दु पर न आकर अलग-अलग चर्चा करते हैं । इसलिये वाटर पौलिसी को पुन: परिभाषित करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, चाहे इंटरनैशनल डिस्पयूट हो या इंटरा-स्टेट डिस्पयूट हो, या फॉरेन पौलिसी हो, या एनवायरमेंटल या इकोलोजी फैक्टर हो, इन्हीं सारी बातों के लिये हमें एक वाटर पौलिसी पर चर्चा करनी होगी। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री पर सारे बिन्दुओं को हमें वहीं लाकर खड़ा करना होगा। मैं जानती हूं कि लोगों के विभिन्न मत हो सकते हैं। इस पर निर्णय करने से पहले बहस की जरूरत है।

सभापति महोदय, यदि पानी को संविधान के 7वें शेडूल के अंतर्गत यूनियन लिस्ट में रखा जाये तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आज यह स्टेट लिस्ट में है। अगर यूनियन लिस्ट में नहीं तो कम से कम कनकरंट लिस्ट में इसे रखा जाये। मैं अपनी मित्र डॉ. ज्योति मिर्धा का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने पिछले सत्र में इस तरह का विचार व्यक्त किया था।

सभापति महोदय, मैं जल के बारे में इसलिये बोल रही हूं क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र उन्नाव में कई जोन डार्क घोषित कर दिये गये हैं। जल स्तर बिलकुल नीचे चला गया है। एक आवश्यकता हैंड पम्प की रह गई है। अब की बार हमारे यहां काफी पानी बरसा है पर इतना नहीं कि आजीवन पानी की किल्लत समाप्त हो जाये.। इसके अलावा लैदर इंडस्ट्री के मालिकों की हठधर्मिता, प्रदूषित पानी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन स्कीम जो सैंटर से इतनी अच्छी चलायी जाती हैं कि उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा

120 वर्ष पुरानी नहर जो ब्रिटिशकाल से प्रारम्भ हुई थी, भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है। उसकी वजह से न केवल जल प्रदूषित हो गया है बल्कि पानी एक दुर्लभ वस्तु बनकर रह गई है। मैं लगातार जल संबंधी समस्याओं के लिये एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री जाती रही हूं लेकिन मुझे यह कहीं सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया कि मैं सब को एक टेबल पर लाकर इस मामले को सुलझा सकूं। सौभाग्य से जल संसाधन मंत्रालय ने डिमांड फॉर ग्राट में पिछली बार यह तय किया था कि एआईडीपी के प्रोजैक्ट्स जिसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आयेगा, उनका आगे का बजट आवंटित नहीं किया जायेगा। उसमें हरदोई ब्रांच उन्नाव जिले की आती है। उसके बावजूद मैं इसका स्वागत करती हूं कि कम से कम उस भ्रष्टाचार को दूर कर सकेंगे।

सभापति महोदय, इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस प्रेस्टीजियस प्लेटफार्म पर तत्काल कुछ बिन्दुओं पर विचार करना अनिवार्य है जिस पर विचार करने के लिये अनुरोध करती हूं।

मैं रघुवंश जी के हिसाब से बोलती हूं, मेरा पहला मुद्दा है कि जल को राष्ट्रीय स्रोत माना जाये। Water be treated as a national resource. दूसरा, जल को कृषि हेतु ढ़ांचागत आवश्यकता माना जाये। Water be treated as an infrastructure requirement. तीसरा, जल को यूनियन सूची में सूचीबद्ध किया जाये। Water be brought under the Union List. चौथा, जल के विभिन्न स्वरूपों को एक मंत्रालय में सम्मिलित किया जाये, यानी जल संसाधन मंत्रालय। All aspects of water be brought under one Ministry which is the Ministry of Water Resources. और पांचवां, नई राष्ट्रीय जल नीति, नेशनल वाटर पॉलिसी बनायी जाये। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार अपनी सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपनी आंखों द्वारा बाढ़ ग्रस्त इलाकों को संवेदनाशील तरीके से देखने का अनुरोध करती हूं। इस सरकार व प्रधानमंत्री जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह इस बाढ़ व सूखे की स्थिति के साथ-साथ इस सदन में रखे हुए मेरे सुझावों पर भी गंभीरता से विचार करेंगे।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the allotted time for this discussion is two hours. I have 24 more Members to speak. The list is very long. So, I would request all the hon. Members to please confine their speeches within five minutes so that we are able to complete the discussion today.

Those Members who want to lay their speeches can lay their speeches on the Table of the House.

Shrimati Usha Verma.

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): महोदय, आपने मुझे बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अभी जैसा कि सदन के माननीय सदस्य सिद्धू जी और माननीया अन्नू टंडन जी ने सूखे और बाढ़ जैसी आपदा पर जो बात कही, मैं उस पर अपनी सहमति देते हुए अपनी बात रखना चाहती हूं।

17.07 hrs.

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair)*

महोदया, हमारे देश का कुछ क्षेत्र सूखे से प्रभावित है और कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। बारिश और कटान के चलते नदियों का जल स्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। उत्तरांचल के रामनगर बैराज से पानी छोड़ने के कारण सीतापुर, बहराइच, पीलीभीत, शाहजांहपुर, लखीमपुर, देवरिया व बाराबंकी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली में भी बाढ़ की स्थिति है। जैसा कि अभी बताया गया कि पंजाब और हरियाणा में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मेरा लोक सभा क्षेत्र हरदोई पांच-पांच नदियों से घिर हुआ है। गंगा, रामगंगा, गर्रा, कुंडा, नीलम, गम्भीरी और सुखेता जैसी पांच-छह नदियों से मेरा क्षेत्र घिरा हुआ है। यहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है। नरौरा बांध से पानी छोड़ने के कारण फरूखाबाद कन्नौज और हरदोई में हर साल बाढ़ की स्थिति आती है। इस बार भी बारिश के सीजन में दूसरी बार बाढ़ वहां आयी है। इस समय नरौरा बांध से चार लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण वहां बाढ़ की तबाही बहुत ज्यादा है। हरदोई, फरूखाबाद और कन्नौज क्षेत्र नरौरा बांध से पानी छोड़ने के कारण इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। गर्रा नदी में सात हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और रामगंगा में 26 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और गंगा नदी में 3 लाख 21 हजार क्यूसेक पानी इस समय छोड़ा गया है। मेरा क्षेत्र सदर, शाहाबाद, सवाजपुर, बिलग्राम और सांडी तहसीलों में आवागमन के मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलों की एप्रोच भी प्रभावित हुई है। हरदोई-कन्नौज मार्ग भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और वहां पर बाढ़ की बहुत ही भयानक स्थिति है। जब मैं 12वीं लोक सभा में पहली बार चुनकर आयी थी, उस समय भी मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्र की जो समस्या थी, बाढ़ की स्थिति को मैंने उस समय भी रखा था, जब मैं 14वीं लोक सभा मे चुनकर आयी, तब भी मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्र की बाढ़ की स्थिति को रखा था और आज फिर मैं अपने क्षेत्र की बाढ़ की स्थिति से इस सदन को अवगत कराना चाहती हूं। मैंने अपने क्षेत्र की बाढ़ की भयानक स्थिति को अपनी आंखों से देखा है। वहां का हर वर्ग बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। चाहे बाढ़ की स्थिति हो, चाहे सूखे की स्थिति हो, अगर कोई इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो वह किसान है। इस समय हमारे क्षेत्र की सैंकड़ों हैक्टेअर भूमी जिस पर जिस पर फसल खड़ी थी, वह फसल नष्ट हो गयी है। वहां पर पुलों की एप्रोच भी समाप्त हो गयी है। वहां गांव के पीड़ित लोग प्रशासन से मदद

की आस लगाये बैठे हैं। शासन की तरफ से वहां जो मदद दी गयी है, चाहे नाव की मदद की गयी हो या स्टीमर की जो मदद की गयी है, वह बहुत ही कम है और उससे गांव के लोग संतुष्ट नहीं हैं।

एक व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक कमरे का मकान बनाए। मैंने अपने क्षेत्र में जो लोगों की स्थिति देखी, जो लोगों का सपना होता है एक कमरा बनाने का, उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से किसी तरह से एक कमरा बनाया, जब हमने देखा कि वहाँ रामगंगा का पानी बढ़ता है और लोगों को लगता है कि पानी के थपेड़ों से उनका मकान बहने वाला है, तो वहाँ के लोग अपने मकानों को खुद अपने हाथों से तोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि मकान तोड़ने से उसकी ईंटों को ही संभालकर हम कहीं सड़क के किनारे छप्पर बनाकर रह लेंगे। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था कि अपना मकान तोड़ते समय एक किसान के बेटे की उसमें दबकर मृत्यु हो गई थी। कल ही की घटना है, बाढ़ की स्थिति में हमारे क्षेत्र की दो बच्चियाँ पानी में बह गईं। इससे पहले भी हर वर्ष हमारे क्षेत्र के सैकड़ों लोग बाढ़ में बहकर मौत के मुँह में समा जाते हैं। हमारे क्षेत्र में बाढ़ की जो स्थिति है, मैं उसके लिए सदन में मांग करना चाहती हूँ कि नदियों के जो किनारे हैं, हर वर्ष जो बाढ़ आती है, उससे नदियों के किनारे कटने से ज्यादा से ज्यादा गाँव कट जाते हैं। इसके लिए गाँव के किनारे नदियों की पत्थर-सोलिंग की जाए, उनको पक्का किया जाए जिससे गाँव हर वर्ष ज्यादा से ज्यादा न कटें।

महोदय, जब हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं, तो उस समय यह लगता है कि इस समय इतना पानी है, लेकिन जिस समय उसी क्षेत्र में सूखे की स्थिति आती है तो किसान पानी के अभाव में तरसता रहता है। जब उसकी फसल सूखती है तो यही विचार आता है कि सरकार इस पानी को एकत्रित करके किसानों के लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध करा पाए। इसके अतिरिक्त मैं यह मांग भी करना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो लोगों की मृत्यु हुई है, उनको कम से कम एक एक लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए और नदियों के किनारे पत्थर-सोलिंग करवाकर जब उनके किनारे पक्के किये जाएंगे तो हर वर्ष आने वाली बाढ़ से किनारे नहीं कटेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हर वर्ष जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद हम विचार करते हैं कि किसानों को किस तरह से प्रभावित क्षेत्र में बाहर निकाला जाए, प्रभावित क्षेत्र से उनको क्या क्या सुविधा दी जाए। अगर हम बाढ़ आने से पहले उस पर विचार करें कि उस क्षेत्र में बाढ़ ही न आए जबकि हम जानते हैं कि हर वर्ष बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से पहले हम ऐसी कोई योजना बनाएँ जिससे बाढ़ उस क्षेत्र में न आए और सबसे बड़ी बात यह है कि नदियों के किनारे अगर पत्थर-सोलिंग करा दी जाए तो हर वर्ष आने वाली बाढ़ की तबाही से हम लोग गाँवों को बचा सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for the opportunity given to me to participate in the discussion on flood and drought situation in the country conducted in this House under Rule 193.

Our country has got various natural resources and varying climatic conditions. Our country is also so vast that severe floods on one side and acute drought on another side cause havoc one and the same time. The Government spends thousands of crores of rupees for relief and rehabilitations. Currently the river Yamuna flowing by the capital is in spate. It is an annual feature to find the river Ganges causing flood havoc resulting huge loss of lives and property. Drought conditions have led to river water sharing disputes between states. Cauvery dispute between Karnataka and Tamil Nadu, Palar dispute between Andhrapradesh and Tamil Nadu, Mulla Periyar dispute between Kerala and Tamil Nadu have also led to law and order problems in all these states. Recently there were mob agitations in Coimbatore, Tiruppur and Erode districts due to the Kerala Governments attempts to construct a dam across rivers Pamba reducing water flow to Amaravathy dam. A visionary approach is the need of the hour to link all the rives flowing wastefully in to the sea and this can help overcome the drought. When the river Ganges is in floods water flow in Cauvery meets with drought conditions and hence inter-linking of rivers can help us to get adequate water throughout the year both for irrigation and drinking water purposes.

When Ganga and Cauvery are linked, we can one and the same time curtail the vast devastation caused by floods and droughts both in the North and the South. The funds that are being spent on relief and rehabilitation measures can be saved to fund the project of linking the major rivers of the country. This will also help us to develop inland waterways thereby saving energy in a big way helping to decongest our highways. This will also help us to save the money spent on

* English translation of the speech originally laid on the Table in Tamil.

maintenance of roads. Apart from that, we can go in for scientific management of water and conserve excess river water and rain water in small watersheds and tanks. This will help us to augment ground water potential both for drinking and agricultural purposes. On these lines, a pilot project may be taken up by the Centre in my constituency where we have been demanding for long the Avanashi-Athikadavu Project. Special fund allocation may be made to conserve the excess water flowing from the river Bhavani both in Coimbatore and Tiruppur Districts. This water can be saved in watersheds and tanks that come under the Panchayat Unions of Avanashi, Karamadai, Nambiyur, Annur, Perundurai, Oothukkuli and Tiruppur. Only by way of taking up such schemes, we can overcome drought. At this juncture, I would like to recall the visionary measure of our dynamic leader and the former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Dr. J. Jayalalitha who successfully implemented throughout Tamil Nadu the Rainwater Harvesting Scheme. This received a wide welcome from the public. Hence I urge upon the Centre to take up this scheme throughout the country. With a foresight, we must evolve plans and projects to control flood effects and drought related problems instead of seeking relief after meeting with floods and drought. To ensure the development of our country, we must introspect and proceed with such schemes with farsightedness. I hope this suggestion would be considered for our country's progress and prosperity. Between Sathiyamangalam and Gobichettipalayam in my constituency, in order to cross Ikkarai Koduveri and Akkari Koduveri on river Bhavani, people have to take a circumlocuitous route of about 50 kms. all these years. I urge upon the Centre to allocate Rs. 10 crore as a special fund to construct a bridge to link these traditional towns in my parliamentary constituency.

With these words, I conclude.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। आज बाढ़ और सूखे की समस्या पर हम अपनी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

सभापति महोदया, इस देश का दुर्भाग्य ही है कि सबसे ज्यादा जिस देश में किसान रहते हैं, आज वह मौसम की मार को झेल नहीं पा रहा है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, और यह किसी प्रदेश का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। आज देश में सबसे ज्यादा किसान हैं, तो मैं देश के सवाल पर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस देश की सरकार की है, मैं समझता हूँ कि केन्द्र की सरकार इस बाढ़ से निपटने के लिए, सूखे से निपटने के लिए गंभीर नहीं है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मंत्री जी का जवाब है, जब एक सदस्य ने पूछा कि क्या सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि जी नहीं। बाढ़ नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय नीति कोई नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसे गलत न समझा जाए। नीति और चीज होती है और जो उसकी स्कीम है, उसका प्रोग्राम है, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसमें 22 राज्यों ने केन्द्र से पिछले तीन वर्षों में काफी पैसा लिया है।

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, यह जलवायु परिवर्तन का ही दुष्परिणाम है कि बाढ़ और सूखे की मार सबसे ज्यादा देश [redacted]0 फीसदी किसानों पर पड़ती है। मैं हमारे भाई नवजोत सिंह सिद्धु की पीड़ा को सुन रहा था। इन्होंने काफी गहराई और गम्भीरता से चर्चा में हिस्सा लिया। आज पूरा देश, खास कर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली में यदि बरसात हो जाती है तो क्या हालत हो जाती है, यह किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जिसमें आजमगढ़, बलिया, बनारस, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, गौण्डा और लखीमपुर खीरी इत्यादि इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। इसके पहले सूखे पर भी इस सदन में चर्चा हुई थी। जिस समय पूरा देश सूख की चपेट में था, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा 58 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित करके किसानों को राहत देने का काम किया। उन्होंने भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजा। भारत सरकार ने उस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार नहीं किया। मैं समझता हूं कि भारत सरकार उन प्रदेशों के साथ जो कांग्रेस शासित नहीं हैं, सौतेला व्यवहार करने का काम किया है और हमेशा करती रही है। मै इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में 58 जिले सूखे की चपेट में थे तो वहां बहुत ही कम राशि सूखे से निपटने के लिए आवंटित की गई। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है और एक भी जिला सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया था, वहां सबसे ज्यादा सहयोग किया गया है। इसलिए मैं आरोप लगाता हूं कि भारत सरकार गैर कांग्रेस शासित राज्यों को चाहे सूखा हो या बाढ़ हो, हम तो कहते हैं कि देश की

जनता के हित के लिए सरकार गंभीर नहीं है। हमारे संसदीय क्षेत्र में ऐसे इलाके हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे सांसद हैं, जिनके क्षेत्र में एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ सूखा है।

एक ही जिले में एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सूखा है, चाहे देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, इलाहाबाद और आजमगढ़ के कुछ इलाके हैं, ऐसे तमाम इलाके हैं कि जहां एक ही जिले में बाढ़ है तो दूसरी तरफ सूखा है। इसलिए मैं इस बात को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ऐसे तमाम गरीब लोग हैं, जो सबसे ज्यादा बाढ़ और सूखे से प्रभावित होते हैं। सूखे के समय जब गर्मी का मौसम होता है, नदी के घाघरा के किनारे जो लोग बसते हैं, उनके पास पक्का मकान नहीं है, वे झोंपड़ी में रहते हैं। जहां आज भी बिजली नहीं, पानी का साधन नहीं मिल पाता। वहां अगर एक भी जगह आग लग गई तो एक-एक किलोमीटर तक उन गरीब लोगों की झोपड़ी जल जाती है। इसके लिए कई बार संसद में चर्चा हुई, लेकिन भारत सरकार कभी इस पर गंभीर नहीं हुई। जब बाढ़ आती है तो वही इलाके जो सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, चाहे घाघरा, गंगा नदी, तमसा या राप्ती हो, इनके किनारे बसने वाले जो लोग हैं, वे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनका पूरा का पूरा मकान, परिवार और पशु सारे बर्बाद हो जाते हैं। देश की सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार को पहल करके उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के तमाम सूबों से, जहां लोग सूखा एवं बाढ़ से पीड़ित हैं, वहां से रिपोर्ट मंगाएं। ऐसे इलाके में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने तबाही को देखा है एवं झेला है, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, उनके लिए कम से कम यहां से धन मुहैया कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के पास सीमित संसाधन हैं, उससे वह बहुत कुछ उनके लिए कर रही है। गरीबों के आवास के लिए 40-50 हजार नहीं, बल्कि एक लाख 75 हजार तक ऐसे गरीबों को मकान दिया है, जिन गरीबों को आजादी के 60 साल बाद भी पक्के मकान में रहना नसीब नहीं था। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से मांग की है, इस बाढ़ से निबटने के लिए दस हजार करोड़ रुपए की मांग की है। मैं समझता हूं कि इस पर केन्द्र की सरकार को काफी गंभीर होकर मानवीयता के आधार पर मदद करनी चाहिए। अगर आप गरीब के हित में फैसला लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्ट दी है, जो जान-माल का नुकसान हुआ है, उसके विकास एवं उनकी बेहतरी के लिए दस हजार करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश को जरूर मदद करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो भारत सरकार है, कारण क्या है कि जो राष्ट्र की समस्या है, इसके लिए जो राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, वह बनाई जानी चाहिए। कुछ दिन पहले कुछ नीतियां बनीं, लेकिन दुर्भाग्य तब हो जाता है कि जब सरकारें बदलती हैं तो इस नीति को बदलने का भी काम करने लगती हैं।

सभापति महोदया, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि सरकार भले ही बदले, लेकिन जो देश के हित में है, राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, इससे निबटने के लिए जो सक्षम कारगर साबित हो सकती हैं, ऐसी परियोजनाओं को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पर एकदम आगे बढ़ कर काम करने की जरूरत है। नदियों को जोड़ने के लिए कुछ

दिन पहले जो प्रारूप तैयार किया गया था, मैं समझता हूं कि उन नदियों को जोड़ने की पूर्व की सरकार ने योजना बनाई थी, अगर ईमानदारी से उस योजना को कार्यान्वित करने का काम किया होता तो आज जो विभीषिका इस देश में है, शायद उससे निजाद पा सकते थे और किसानों को भी उसका फायदा दे सकते थे।

सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* **श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):** प्राकृतिक त्रासदी जब भी होती है तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था पर अवश्य पड़ता है। बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं कि जिनका पूर्वानुमान लगाना असंभव तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन मुश्कल जरूर है परन्तु बाढ़ और सूखा ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो भूकम्प या चक्रवात की तरह नहीं हैं जिसका पूर्वानुमान नहीं लग सके, इनका पूर्वानुमान समय रहते लगाया जा सकता है।

हमें मालूम है देश के कौन-कौन से हिस्से बाढ़ के लिए संवेदनशील हैं और कौन-कौन से क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकते हैं। देश में इन प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान हो सकता है। जरूरत है इच्छा शक्ति की, यदि हम इनके बारे कोई ठोस योजना बनाएं और उस पर अमल करें । प्रतिवर्ष हजारों मौतें हमारे देश में बाढ़ एवं सूखे के कारण होती हैं। लाखों हैक्टेयर जमीन की फसलें बाढ़ एवं सूखे के कारण नष्ट हो जाती हैं। हजारों की संख्या में पशुधन की हानि होती है। बाढ़ के कारण दक्षिण एशिया में विशेषकर भारत विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं को झेलता है। प्राकृतिक आपदाओं में से बाढ़ के कारण उत्तर भारत में सबसे अधिक मौतें होती हैं तथा बीमारियां फैलती हैं। विदर्भ, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा बुंदेलखंड क्षेत्र वह क्षेत्र है जिनमें अत्यधिक सूखे की संभावना रहती है। बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा बेसिन के केन्द्रीय और नीचले भागों, उड़ीसा का डेल्टा क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। सूखे एवं बाढ़ के कारण न केवल काफी संख्या में लोगों की जान जाती है अपितु उनकी आय भी प्रभावित होती है। इसीप्रकार पशुधन एवं सम्पत्ति की हानि से परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। बाढ़ व सूखे के कारण अनेक महामारियों का फैलाव होता है और बहुत सारे संचारी रोगों के विद्यमान होने के कारण रोगियों की संख्या बढ़ जाती है।

नेपाल में हुई भारी बारिश से बिहार में गंडक और मसान नदियां उफना गई हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश से क्षेत्र की नदियों में पानी का दबाव बढ़ गया है। मारकंडा नदी उफान पर है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में सैंकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बहराइच में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। बाराबंकी में बाढ़ के पानी से तीन दर्जन से अधिक गांव घिर गए हैं। सीतापुर में भी शारदा, घाघरा, गोबरहिया, चौका, केवानी आदि नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर में शारदा के तटबंध पर बसे करीब दो दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी भरने से आवागमन बिल्कुल ठप्प है। आजमगढ़ में 80 गांवों का रास्ता और फसल जलमग्न हो चुके हैं। फरूखाबाद में गंगा नदी ने तबाही मचा दी है। वहां लोगों ने पक्के मकानों की छत पर शरण ले रखी है। इसी क्रम में भी कुछ दिन पहले लेह में बादल फटा था जिससे भारी तबाही हुई। उत्तराखंड में भारी मूसलाधार वर्षा से, भूस्खलन से, बादल फटने से कई हादसे हुए हैं। वर्षा के कारण कालीमठ में काली गंगा के कटाव के कारण 20 मीटर सड़क बह गई थी।

---

* Speech was laid on the Table

यह हम सभी जानते हैं कि यह सब प्राकृतिक आपदा हैं और मानव ऐसी आपदाओं को रोक नहीं सकता है चूंकि प्राकृति पर हमारा नियंत्रण नहीं है परन्तु आज हमने ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काफी प्रगति की है परन्तु अभी भी हमारे पास समुचित बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन की प्रभावी नीतियां नहीं है इसलिए हम ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं-

सर्वप्रथम हमें ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करना होगा जहां बाढ़ एवं सूखे आने की संभावना ज्यादा रहती है। सैटेलाइट से ऐसे क्षेत्रों का गहन सर्वेक्षण एवं अध्ययन करवाया जाए। फिर वहां उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार ऐसे समय में किया जा सकता है उसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण के लिए सार्थक एवं सशक्त प्रयास किए जाएं तो बाढ़ एवं सूखे के दौरान जान की हानि को कम किया जा सकता है। प्राथमिक रूप से हमारी नीतियां राहत पर जोर देती हैं, जिसमें प्रमुखता से आपदा के बाद देखभाल पर ध्यान दिया जाता है जबकि हमें इनसे निपटने की तैयारियों, निवारण और इन्हें कम करने पर जोर देना चाहिए।

सरकार को बाढ़ एवं सूखे से जानमाल की रक्षा के तरीकों को सुधारने तथा बहुआयामी समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक कार्ययोजना का निर्माण करना चाहिए। सही प्रबंधन और विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार और सभ्य समाज दोनों ही आपदा के लिए समयबद्ध तैयारी, निवारण और उसे कम करने के लिए कार्य कर सकते हैं।

भौगोलिक परिस्थितियां, आपदा के समय में राहत सामग्री के पहुंचने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को मुआवजे की राशि तय करनी चाहिए। मैदानी इलाकों की अपेक्षा पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन काफी विषम परिस्थितियों में होता है। अतः वहां की मुआवजा राशि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होनी चाहिए।

देश की सारी नदियों को जोड़कर बाढ़ एवं सूखे की विभीषिका से निपटा जा सकता है।

सूखे के लिए जल संचय, जल का सही प्रबंधन, रैन वाहर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रोत्साहन देकर काफी हद तक सूखे से बचाव किया जा सकात है। जहां सूखा पड़ने की संभावना है वहां पहले से ही उससे निपटने के लिए 50 प्रतिशत की राशि और खाद्यान्न दिया जा सकता है।

मौसम विभाग के पास ऐसे आधुनिक उपकरण होने चाहिए जो यह बता सकें कि किन-किन स्थानों में कब-कब मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है, यह जानकारी आवश्यक है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हमें अपने कृषि और जल वैज्ञानिकों को ऐसे अनुसंधान एवं तैयारियों के लिए जरूरी समान के निर्माण के लिए निर्देश देने चाहिए जिससे बाढ़ एवं सूखे से निपटने के लिए हम समय से ही तैयार रहे सके। हमें इस प्रकार की महत्वकांक्षी योजनाओं पर कार्य करना होगा जिससे इन आपदाओं का सामना हम समय रहते एवं नियोजित तरीके से कर सकें।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): माननीय सभापति महोदय, मैं एक अहम मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

बाढ़ और सुखाड़ हमारे देश के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। जहां बाढ़ से लोग मरते हैं, वहां पर सुखाड़ से खेती ग्रस्त ही नहीं होती है, बल्कि उसके नहीं रहने से हमारे किसान वहां पर आक्रान्त होते हैं। जो बाढ़ में रहते हैं, वे बाढ़ का आलम जानते हैं। जिन्होंने बाढ़ के मंज़र को नहीं देखा, वे उसका बयान नहीं कर सकते। बाढ़ की स्थिति में जहां पंजाब और हरियाणा में पहले बाढ़ नहीं आती थी, वहां भी अब बाढ़ आने लगी है। हमारे यहां खासकर बिहार में जो नदियां आती हैं, कोसी है, गंडक है, कमलाबलान है, अदवारा समूह है, परमान है और महानन्दा है, ये सभी नदियां नेपाल से निकलती हैं, जो बिहार को बर्बाद करके छोड़ती हैं।

आप जानते हैं कि 2007 और 2008 में बाढ़ तो बराबर आती है, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन बराबर कुछ न कुछ अपनी करतूत दिखाकर चली जाती है। 2007 में भी बाढ़ आई थी, बहुत सारे लोग उसमें मरे थे और बहुत सारे मवेशी मरे थे। 2008 की बाढ़ में सभी जगह से, देश-विदेश से लोगों ने सहायता की थी। बाढ़ से वहां पर करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए थे, बहुत सारे पशु मरे थे, बहुत सारे वहां पर घर बर्बाद हुए थे, लेकिन बिहार सरकार ने जब 14,800 करोड़ रुपये का पैकेज केन्द्र सरकार से मांगा तो यहां से मात्र एक हजार करोड़ रुपया मिला। वह भी बहुत जद्दोजहद के बाद हम लोगों को हासिल हुआ।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया छोड़कर काम करे। इनके लिए सभी राज्य बराबर हैं, जहां इनका शासन है, वे भी बराबर हैं और जहां इनका शासन नहीं है, वे राज्य भी बराबर हैं। सभी इनके मतदाता हैं, सभी इनके लोग हैं, इसलिए अपने दिल की ऊंचाईयों को देखते हुए सबों की मदद करे, सबों को अच्छे ढंग से सहायता दे।

अभी सुखाड़ के समय में भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री यहां पर आये थे। उन्होंने करीब 24 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मांगा था, क्योंकि सूखा पूरे बिहार में है, सभी 38 जिले सूखाग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं। उसकी एवज में मात्र 1163 करोड़ रुपया बिहार में हम लोगों को मुहैया हुआ है। जब तक इस समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं होगा, तब तक इसी तरह चलता रहेगा। हमारे क्षेत्र में कोसी पूरे जिले को बर्बाद करती है, कोसी का जो स्वरूप है, वहां की जो मिट्टी कटती है, वहां पर अभी करीब 10-12 गांव ऐसे हैं, जहां से सभी लोग पलायन कर चुके हैं, सभी का घर कट चुका है, सभी लोग आकर रास्ते पर फंसे हुए हैं, कोई बांध में फंसे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सरकार जो भी अपने स्तर से होता है, वह सहायता करती है, लेकिन केन्द्र सरकार को चाहिए कि हमारी मदद करे। उस समय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी 2008 में गये थे, वे राष्ट्रीय आपदा घोषित करके आये, लेकिन यहां आने के बाद देने के लिए फूटी कौड़ी भी उनको नसीब नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार सभी के साथ भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाकर अच्छे ढंग से सबों को देखे।

बिहार में जहां तक हम लोगों के यहां कोसी पर बांध बनाने की बात थी, भारत सरकार के द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन उसके तहत हम लोगों के यहां कुछ काम नहीं हो पाया है। नेपाल में शारदा नदी, महाकाली नदी, पंचेश्वर पर बहुउद्देश्यीय परियोजना और कोसी नदी से, सप्तकोसी बांध परियोजना वर्षों से लम्बित है। पिछले साल भी हमारे सदस्य जो मंत्रिमंडल में थे, वे हमारे बिहार के ही थे, उन्होंने भी पहल की थी। हमारे माननीय मंत्री जी भी इस बार काठमांडू वगैरह गये थे, वे वहां देखकर आये तो मैं चाहूंगा कि वहां कोई स्थाई समाधान हो। वहां पर कोई बांध बने, डैम बने, ताकि जो हम लोगों का इलाका है, पूरा बिहार उससे आक्रान्त है, पूरा बिहार जलप्लावित रहता है। अभी जाकर वहां कुछ मुआयना करेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां की स्थिति क्या है, वहां के लोग कैसे रहते हैं। वहां पर हमारी जो सरकार है, 2008 में जितनी भी रोड्स थीं, पुल-पुलिया थे, जितनी भी नहर प्रणाली थी, वे सभी खत्म हो चुके। अपने स्तर से राज्य सरकार के कोष से 750 करोड़ रुपये लगाकर उन्होंने अपना काम करवाया है और सारी नहर प्रणाली को दुरुस्त किया है, सभी रोड्स दुरुस्त करवाई हैं, लेकिन यह नाकाफी है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि हमारी सरकार की मदद करे, सभी राज्य सरकारों की मदद करे, ताकि एन.सी.सी.एफ. का जो पैसा आप देते हैं और अपनी जो उगाही करते हैं, उसमें से मदद करें, अपने लोगों की मदद करें, क्योंकि वहां इससे पशु-पक्षी मरते हैं।

आपदा प्रबंधन नियम में भी बहुत सारे दोा हैं। र्वा 2008 में हमारे यहां बहुत सारे जानवर मर गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो मर गए लेकिन अगर उनकी लाश नहीं मिली तो फिर उनको अभी मुआवजा नहीं मिला। जिनके पशु की लाश उपलब्ध नहीं हुयी, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। आपदा प्रबंधन में इस तरह की जो खामियां हैं, उनको दूर करें ताकि जो घर बर्बाद हुए हैं, जो पशु, पक्षी और लोग मरते हैं, उनकी लाश नहीं भी मिले तो उनका जो आइडेंटीफिकेशन है, उसके हिसाब से उनको उसका लाभ मिले। जहां तक सहायता की बात है, हमारे यहां अभी फ्लड आया हुआ है। कोशी बहुत खराब नदी है। वहां जितने भी गाद हैं, नेपाल से जितनी भी नदियां आती हैं, वहां वे पहाड़ में कट-कटकर पूरा गाद भर देती हैं, उसको निकालने के लिए आप राज्य सरकार के साथ सहयोग करें। अगर गाद निकल जाएगा, तो हमारी सिंचाई व्यवस्था भी दुरूस्त हो जाएगी। जो पानी है, वह वहां नहीं रूकेगा और जल उत्प्लावन नहीं होने के चलते हमें उससे निजात मिलेगी।

*SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Earlier it is flood or drought cause extremely and tremendous difficulties of the people residing in the rural areas.

Most scientific process to protect flood water is to make implementation of the system of 'Water Harvesting" process.

Monetary support to be extended to the affected and damaged areas of the States and proper monitoring system is to be instituted. Utilization certificates are to be submitted by the State Governments in time.

West Bengal Government misuse Central Government assistance extended to them.

The disastrous storm namely "Aiila" collapsed the district of 5-24 (Parganas) in the last year. Money was looted and affected people were not extended assistance. Money was distributed in partisan manner along with materials.

Few districts of West Bengal are not under flood. Central Government should sent official delegation to access the losses and then make allotment of financial assistance.

National policy in connection with flood control is to be taken on top priority basis.

Preservation of water system is the need of the hour. Government should tackle these two issues with all importance. Approach should be scientific.

There must be imagination, farsightedness and managerial efficiency to tackle these situations.

We should think twice that whether interlinking of the rivers of the country can be viable and whether it is a proposal with reality.

Disaster management group and the Department must be activated. This Department is giving importance every moment.

We all should think together that how and in what way we can come out from the flood and drought situation.

* Speech was laid on the Table

SHRI PULIN BIHARI BASKE (JHARGRAM): Thank you, Madam Chairman Sir, for giving me this opportunity to participate on the discussion on a very serious matter in this House. We are discussing here regarding drought and flood situation in our country.

Due to deficient rainfall, the entire Eastern India including West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, and Orissa is facing unprecedented drought. I am coming from West Bengal. The Government of West Bengal has declared drought in 11 of the 19 districts. The truant monsoon has not only affected West Bengal, it has also impacted rice sowing in other Eastern States like Bihar, Jharkhand and Orissa. The entire Bihar, Jharkhand, Orissa and parts of other States have been declared as drought hit. In West Bengal there is a 30 per cent deficit rainfall. Around 11 lakh hectares of paddy crop have been severely affected out of targeted 44 lakh hectares for the Kharif season. The condition of farming in West Midnapur District is very miserable where more than three lakh hectares of land is not in a position to be cultivated.

Madam, non-availability of water from the big irrigation systems like DVC, Kangsaboti and Mython etc., has further contributed to crisis owing to drying up of canals, tanks and depleting subsoil water levels.

As you know, West Bengal is country's largest rice producer. The State produced 104 lakh tonnes of paddy in the last season. The production of paddy in the State is likely to be 17 lakh tonnes less than the last Kharif season if the planted crop may survive.

The Government has already proposed to encourage the cultivation alternative crops like maize, wheat, sesame and oilseeds in Kharif and Rabi season in the State; and seed would be distributed free of cost to the farmers.

The State Government has already sanctioned Rs.50 crore initially, and another Rs.37 crore, total Rs.87 crore, for meeting the drought situation. The State Government in order to tackle drought has decided to infuse Rs.5,000 crore as a relief package for the affected farmers.

There is a genuine demand to increase the work of MNREGA by manifolds but fund is not available. According to the Government Report, the fund availability is Rs.1,165 crore. The fund already spent in West Bengal is Rs.949 crore. That means, the expenditure

is 82 per cent. The State Government has already got only Rs.170 crore from the Centre, which is very meagre. So, I demand the Central Government that at least Rs.1,400 crore of MNREGA fund is required immediately to face the drought situation in West Bengal.

The Chief Minister of West Bengal has already written a letter to the hon. Prime Minister and the Agriculture Minister of the Government of India. I also appeal to the Central Government to send a Central team to assess the situation and the pathetic condition of the farmers.

The Central Government must respond to save the common people and provide jobs to the common people of West Bengal, who are facing drought situation which is prevailing in West Bengal, Eastern India, Jharkhand, Bihar and other parts of the country. Sufficient financial assistance should be provided from the National Calamity Contingency Fund to the drought-hit districts to help the affected farmers. This is my humble submission, through you, Madam, to the Government of India.

*__श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):__ महोदय, बाढ़ एवं सूखे के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

1. सी.आर.एफ/एन.सी.सी.एफ नार्म्स में अविलम्ब संशोधन हो।
2. राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में घग्घर में बाढ़ आती है। अतः अनूपगढ़ क्षेत्र के बिंजौर में बांध बनाया जाये।
3. फ्लड मैनेजमेंट ऑथोरिटी की शीघ्र स्थापना हो।
4. राजस्थान में प्रायः सूखा रहता है। अकाल पड़ता रहता है। अतः राजस्थान को विशेष पैकेज जारी किया जाये।
5. सूखे के समय एम.पी.लैड को नरेगा के साथ संबद्ध किया जाये।

* Speech was laid on the Table

SHRI NITYANANDA PRADHAN (ASKA): Madam Chairman, I speak on behalf of my Party Biju Janata Dal, and also I thank on behalf of my Party that you have given chance to speak on this discussion.

Madam, you know that this problem of flood and drought is gripping the entire country since its inception. Hitherto, probably, there was not much publicity but now the media has come up and electronic media is there, the entire problem gets to the knowledge of everybody.

Due to climatic change also, we face a lot of difficulties both because of flood and drought. We will be analyzing the entire situation in the whole of India. In China, Chile and in other places, severe flood is affecting lakhs and lakhs of people. In our country also, the situation in Leh in Kashmir is very precarious. Similarly, in other parts of the country, there are severe floods. So, what I think is that it is a perennial problem, and the Centre is keeping its eyes closed on this subject. If the Centre would have been very sensitive, they could have solved this problem within these 63 years or so.

They should have taken steps to immediately solve this problem wherever it is there. In consultation with State Governments, the Central Government should come forward to tackle the flood situation throughout the country at once by making suitable arrangements for funds and material. It is mainly the responsibility of the Centre, though water is in the State List. I think the Centre should come forward to talk to the States, specially the vulnerable States where flood occurs every year.

This situation is also prevalent in my State, Orissa. Every year there is flood and there is drought. This is a peculiar situation that we are passing through. It is not just the case in my State, but that of the whole of the country. You must appreciate the statements made by hon. Members who stated that while some parts of their States are reeling under drought, some other parts are flooded with water. This is a very peculiar situation which should be tackled on a humanitarian way. There should be a will on the part of the Central Government to solve this problem.

Coming to the situation in my State, this year also there is a shortfall in rains. Out of 30 districts in Orissa, only seven to eight districts have got full rainfall whereas 25 districts

have got very scanty rainfall, with the result the cropping pattern could not be adhered to. The sowing and transplantation season is almost over. Now it is the end of August. So, there cannot be any further transplantation. These 25 districts of Orissa are reeling under severe drought while some southern districts of the State have been affected by flood. This is the scenario in the whole State for the last several years. Right from 1999 at my State is witnessing floods and drought every year. There was a heavy cyclone and heavy flood. There is also drought. The Government of Orissa is spending money from its own account, from its own treasury, but the tragedy is that the Central Government does not come forward to support Orissa Government.

On many occasions, you will be surprised to note that when there was severe drought, the then Home Minister Shri Shivraj Patil came to our State and announced that the Prime Minister was pleased to sanction Rs.500 crore. But, only Rs.82 crore went to our State. Similarly, the Prime Minister also assured our Chief Minister Shri Naveen Patnaik an assistance of Rs.500 crore and Rs.200 crore. But only Rs.25 crore has been given. This is the tragic condition under which the farmers of my State are going through. It is a very miserable condition. The Central Government should come forward with a programme to preserve the rain water and also prevent flood thereby solving certain problems which are there including drought.

In my State many areas like Chandwali and Soro, Dhamnagar are all in the Bhadrak district from where our learned friend Shri Arjun Sethi, M.P. has been elected. Those areas are completely drought striken. The entire list pertaining to rainfall in Orissa has been sent to the Central Government. It shows that less than 30-40 per cent rain is there in 25 districts. I humbly request that the Centre should come forward with a mind to help the people, mind to help the farmers, so that they can come up and withstand the tragedy of flood and drought.

At the same time, I would request that the Central Government should come forward with a special package for the State of Orissa for which our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik and the successive Orissa Governments have been demanding for a long time. For the last ten to fifteen years, there has been a demand for a special package

for Orissa to develop its irrigation system and all these things, but not a single pie has been given to the State Government. Under such pathetic conditions, I think, it is the moral responsibility and obligation of the Central Government to come forward to help the people of Orissa as it does to the other States.

I have seen in the answer given by the hon. Minister in the House that help is given to other States. I am not going into the details of all that. There is a disparity. While other States are getting money from the Centre, my State is being singled out. My State, Orissa, does not get any help from the Centre. So, I would request that the Central Government should take a humanitarian approach for helping the flood and drought affected people of my State.

The Central Government, at the same time, should also come forward, after discussion with the State Government, to prepare a plan. They should come forward not only to prepare a plan but also to work it out. Simply preparing a plan does not help. If minor irrigation projects and all other irrigation projects can be completely repaired, the rain water can be stored and we can overcome the situation of drought.

I hope, the Central Government will take a positive view in the matter and give necessary help.

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): Madam, I thank you for giving me the opportunity to speak on this discussion or flood and drought. I would like to put forth a few points before this House.

I have visited the areas in my constituency Parbhani in Maharashtra. In Parbhani district, there are big rivers like the Dakshin Ganga, the Godavari and the Purna River. Due to heavy rainfall, one minor irrigation dam Bailwadi in taluka Gangakhed, district Parbhani has been damaged by floods. That is why, all the small farmers' lands have been damaged and their crops have also been damaged. I, therefore, have a request to the Central Government to help these farmers in respect of their crops and loans because they are very poor people. Their, 4,000 acres of land have been damaged and land has vanished to the extent 10 feet to 20 feet. The farmers of this area are small land-holders. I would, therefore, like to request the Government to help and assist these people.

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Madam, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on flood and drought situation in various parts of the country on behalf of the AIADMK Party.

The flood and drought are two sides of the natural calamity. While one part of our country is affected by flood, the other parts are affected by drought. India is the most flood affected nation in the world after Bangladesh. It accounts for one-fifth of global deaths due to floods and on an average, thirty million people are evacuated every year. So, floods in India are not a new phenomenon.

Excessive rainfall and intense rainfall when river is flowing full accompanied with poor natural drainage are the main causes for floods. While these are all the main reasons, there are no permanent precautionary measures taken to save our people from the natural disaster. The Indian Meteorlogical Department is giving warning before the occurrence of natural calamity, but the poor attention paid to it by the Government results in damages to crops, houses and public utilities in the country. The Government should act immediately on the warning of IMD so that the damages may be minimized. To avoid the damages caused by flood, the Government should come forward to construct embankments, construct detention reservoirs and improve the channels etc.

The river disputes that are prevailing all over the country between States is the main reason for drought situation in the country. While some States are affected by floods / overflowing of water, other parts of our country are in dire need of water. The Government should come forward for interlinking of rivers and to nationalise all the rivers to avoid such a situation and to save our country from these two disasters.

Now, I come to the issue concerning Tamil Nadu. My Parliamentary Constituency is situated on the banks of Cauvery. Srirangam city -- where the famous Lord Ranganatha Temple is situated -- is surrounded by Cauvery and Kollidam, and Srirangam looks like an island. It is very much affected during floods as 30 cubic metres of water of Cauvery and Kollidam are flowing in to the sea. The Government should come forward to allocate funds to divert the surplus water during floods to the water-starved adjacent districts, namely,

Pudukottai and Sivagangai. A scheme has to be formulated for this purpose to save Srirangam from frequent floods.

The compensation that is announced by the Government for the affected farmers is distributed only at the time when the place is affected by drought. The Government should come forward with measures to avoid the undue delay in distribution of compensation to the affected agriculturists, and it should be done on time. Further, whenever a team from the Centre is being sent to the affected places for the on-the-spot assessment, then the local representative may also be included in this team.

In the year 2005, Tamil Nadu was affected by major floods and Tsunami, in which 55 municipalities, 101 Taluk Headquarters, 3,690 villages, 2,84,174 hectares of cultivable agricultural land, and 3,692 kms. of roads were severely affected. Tamil Nadu, which was under the leadership of our General Secretary, hon. Amma Dr. J. Jayalalithaa, had taken necessary serious measures on time and saved those people from disasters like Tsunami, which affected Tamil Nadu very seriously and which resulted in loss of a large number of human lives. The then hon. Chief Minister, Dr. J. Jayalalithaa, took timely steps to save the people from Tsunami. The Government should come forward to follow the methods adopted by the then Chief Minister of Tamil Nadu and save the country at the time of such natural disasters.

श्री रमेश राठौड़ (आदिलाबाद): सभापति महोदया, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आंध्र प्रदेश पिछले पांच साल से बाढ़ और सूखे से जकड़ा हुआ है। मेरे से पूर्व कई सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों में बाढ़ या सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की है। केन्द्र में यूपीए सरकार है, जिसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य दल है और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। गत वर्ष भारी सूखा पड़ने से हमारे राज्य की सरकार ने 22 जिलों में 981 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक सितम्बर 2009 में एक जीओ दिया, जीओएमस नं.-20 निकालकर और 87 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। इस समय राज्य में 1068 मंडल सूखाग्रस्त हैं। राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। हमारे राज्य में खरीफ की फसल 63 लाख हेक्टेयर भूमि में थी, जिसमें से 13.56 लाख हेक्टेयर जमीन में पूरी फसल सूख गई है। राज्य सरकार ने 9747 करोड़ रुपए की सहायता राशि केन्द्र सरकार से मांगी थी। लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक बहुत कम राशि दी है और वह राशि भी वहां खर्च नहीं की गई है।

आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में गोदावरी, पेनगंगा, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों से दस जिलों को भारी नुकसान हुआ है और 107 लोग मारे गए हैं। 350 लोग प्रभावित हुए, 11,86,618 मकान तथा 55,1966 हेक्टेयर खेती की भूमि नष्ट हो गयी। अगस्त-नवम्बर 2006 में आयी भारी वर्षा और चक्रवात से प्रदेश में 93 लोग मारे गये तथा 13 जिलों को प्रभावित किया। करीब 12,5055 घर तथा 60,4554 हेक्टेयर खेती क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। वर्ष 2007 में 4 जिलों में भारी वर्षा के कारण 172 लोगों की जानें गयीं तथा 2, 30,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र नष्ट हो गया। वर्ष 2008 में तीन बार आयी भारी वर्षा तथा बाढ़ की वजह से 17179 लागों की मौतें हुई। गत वर्ष अक्टूबर में लैला तूफान की वजह से करनूल, नालगोण्डा, महबूबनगर, गुंटूर तथा कृष्णा कुल पांच जिलों में भारी तबाही हुई जिसमें 571 गांव तथा 89.93 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई और 73 लोग मारे गये तथा 17,9040 घरों की तबाही हो गयी। पिछले पांच सालों में सूखा और बाढ़ की वजह से 45 हजार करोड़ रुपये का जो रिलीफ सरकार से मांगा था, केन्द्र और राज्य सरकार ने मिलकर 1800 करोड़ रुपया ही दिया, लेकिन वह भी ऑरिजनल लोगों को नहीं मिला। मैं सरकार से मांग करता हूं कि भारी वर्षा के कारण जो पीने का पानी, आरडब्ल्यूएस से मिलता था, लाइन रिपेयर होने के कारण पानी नहीं मिलता है। ऐसे समय केन्द्र सरकार ने जो डायरेक्शन दिया कि 30 दिनों तक, इन लोगों को खाने की सुविधा दी जाए, 30 रुपये बड़ों को व 15 रुपये छोटों को मजदूरी दे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं बल्कि जो भारी बरसात के कारण घर गिर गये, उन लोगों को 35,000 रुपये देने के लिए केन्द्र सरकार ने कहा लेकिन हमारी आंध्र सरकार सिर्फ 5000 रुपये ही देती है। उतना ही नहीं जो घर पार्टली डैमेज हुए, उन लोगों को 10,000 रुपये देने के लिए केन्द्र सरकार ने कहा था लेकिन सरकार सिर्फ 5000 रुपये ही दे रही है। केन्द्र सरकार की डायरेक्शन है कि भारी

वर्षा के कारण एक हैक्टेयर को 15000 रुपये का मुआवजा दिया जाए लेकिन वहां केवल 2 हजार से 6 हजार रुपये ही सरकार दे रही है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन जिनकी खेती नष्ट नहीं हुई, उन लोगों को मुआवजा मिल रहा है। जो सड़कें प्राइम-मिनिस्टर सड़क रोजगार योजना, नाबाड या वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाई गयीं, वे आज तक भी रिपेयर होने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सड़कों की सुविधा करें, फ्लड-रिलीफ और सूखा राहत में जल्द से जल्द सहायता दें। जो घर डैमेज हो गये हैं, जो लोग बाढ़ और तुफान में मारे गये हैं, उनके परिवारों को स्वयं प्रधान मंत्री जी ने आकर एक लाख रुपये देने की बात कही, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार वहां पर केवल 50 हजार रुपये दे रही है और वह भी पिछले दो साल से नहीं मिल रहा है।

18.00 hrs.

इसके ऊपर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है। इस प्रांत में जो खेती नष्ट हुई है, वहां केंद्र सरकार उन किसानों की मदद करे। आंध्रप्रदेश को स्पेशल पैकेज देने का सरकार को काम करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के किसान सबसे ज्यादा दुखी हैं। गत वर्ष 5 जिलों में भारी बाढ़ आई। उनके जानवर गाय, भैंस, बकरी मारे गए। आज तक सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। आंध्र में भी इनकी सरकार है, लेकिन यहां सदन में कहते हैं कि जहां इनकी सरकार है, वहां ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I would request that the sitting of the House today may kindly be extended by one hour.

सभापति महोदया : सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए बढ़ा दी जाती है। जिन माननीय सदस्यों को अपने भाषण ले करने हैं, वे कर सकते हैं।

योगी आदित्यनाथ जी।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदया, आज सदन में एक बार पुनः बाढ़ और सूखे पर चर्चा हो रही है। प्रति वर्ष मानसून सत्र में एक-दो बार इन विषयों पर चर्चा होती है। सदन में हुई चर्चा को सरकार कितनी गम्भीरता से लेती है, पिछले 12-14 वर्षों से देख रहे हैं। चर्चा के उपरांत जो क्षेत्र बाढ़ से त्रस्त हुए हैं या सूखे की चपेट में आए हैं, आपदा प्रबंधन द्वारा राहत के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या चलाने की कोशिश होती है, उसमें व्याप्त दुर्व्यवस्था उसके परिणामों से सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जल को हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। जल के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए जल सृष्टि का आधार भी है। लेकिन जब जल का उचित प्रबंधन न हो और उचित नियोजन भी न हो, तो वह जल किस प्रकार से मानव सभ्यता के लिए, इस सृष्टि के लिए खतरनाक हो सकता है, वह बाढ़ की त्रासदी के समय हम सब महसूस कर सकते हैं।

बड़ी अजीब सी विडम्बना है कि एक ही समय देश का एक क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है तो दूसरा क्षेत्र सूखे की चपेट में भी रहता है। मानसून देर में आया। पहले आशंका उठ रही थी कि मानसून नहीं आएगा, सूखा पड़ेगा। कई क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है। मेरी बगल में रमेश जी बैठे हैं, रमेश जी के छत्तीसगढ़ में सावन में वहां पर बारिश नहीं हुई। बिहार का एक बहुत बड़ा भाग है जो आज भी सूखे की चपेट में है। हम लोगों ने देखा कि पहले ही पंजाब और हरियाणा में जिस प्रकार से बाढ़ ने अपना कहर बरपाया, राजस्थान और गुजरात जहां हमेशा सूखा रहता था, इस बार बाढ़ की त्रासदी से वहां पर लोग काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और सूखे की इस त्रासदी को एनडीए सरकार ने स्वीकार किया था और एनडीए सरकार ने इसके लिए योजना भी बनाई थी। कितना अच्छा होता कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो भी प्रयास हो सकते थे, नदियों को जोड़ने की उस परियोजना को क्रियान्वित किया गया होता तो संभवत: ऐसा नहीं होता कि इस देश का एक बहुत बड़ा भू-भाग एक ही समय में सूखे की चपेट में होता है तो एक बड़ा भू-भाग बाढ़ की चपेट में भी होता है। कहीं न कहीं प्रबन्धन की कमी है और उस कमी के कारण आज यह स्थिति इस देश में आई है। हम लोग पिछले 14 वर्षों से लगातार इस बहस में पड़े हुए हैं। हमेशा जब भी मानसून सत्र प्रारम्भ होता है तो कहीं से सूखे की आवाज उठती है तो कहां से बाढ़ की चर्चा की आवाज उठाई जाती है। चर्चा के बाद मंत्री जवाब देते हैं और उस जवाब के साथ ही आगे की योजनाएं बनती हैं और वह बात वहीं पर ही समाप्त भी हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि घोषणाएं जो यहां पर होती हैं, वे कितनी प्रभावी हो पाती हैं। कभी कभी यह भी प्रश्न उठता है कि संसद इस सरकार के प्रति जवाबदेह है या सरकार इस संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह प्रश्न उठने लगता है और इसलिए पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी पर जो एक प्रश्न उभरने लगा है, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आपदा कोई भी आए, मुझे लगता है कि आपदा कभी भी बताकर नहीं आती है। आपदा प्रबन्धन के लिए आपने क्या किया है, सरकार उसके बारे में बताए। आपदा जब आएगी, उसके बाद तब कोई रिलीफ के काम प्रारम्भ

होते हैं और वह भी देर से होते हैं, यानी 72 घंटे के बाद या 100 घंटे के बाद रिलीफ के कार्य शुरु होते हैं। मुझे लगता है कि वह आपदा प्रबन्धन नहीं, वह सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है और जनमानस की भावनाओं के साथ यह सीधे-सीधे खिलवाड़ है। इस प्रकार का खिलवाड़ हम लोग हर वर्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जल के उचित प्रबन्धन के माध्यम से या किसी भी प्रकार की आपदा के लिए अगर हमारे पास प्रशिक्षित स्टॉफ है, या प्रशिक्षित टीम है और वह टीम इस आपदा को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी न हो सके। पैसा हर साल खर्च होता है। बाढ़ की जो त्रासदी है, मैं जानता हूं कि इस बाढ़ से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, इस देश के भ्रष्टतम विभागों में से है। हर साल बाढ़ के पूर्व आपदा नियंत्रण के लिए जो पैसा जाता है, उस पैसे का कहीं भी उचित उपयोग नहीं होता है। वह पैसा बाढ़ को रोकने के लिए किस रूप में यूज होता है और जब बाढ़ आती है उस समय किस प्रकार से बाढ़ के समय वह पैसा बहाया जाता है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में 1998 की और 2001 की और उसके बाद की जो सदी की सबसे भीषणतम बाढ़ थी, उसको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हम लोगों ने वहां पर जन और धन की व्यापक क्षति को देखा है। लोगों के उजड़ते हुए घरों को हम लोगों ने देखा है। कराहती हुई मानवता को चिल्लाते हुए उन बच्चों को हम लोगों ने वहां पर अपनी आंखों से देखा है लेकिन बार बार वही प्रश्न उठता है कि बाढ़ के समय या किसी भी आपदा के समय मंत्रियों के, माननीय प्रधान मंत्री के, मुख्य मंत्री के दौरे संबंधित क्षेत्रों में होते हैं लेकिन जब आपदा थोड़ी नियंत्रित होती है तो उसके बाद की कार्रवाई सब शून्य हो जाती है। उसके बाद के जो उपाय होने चाहिए, वे सब शून्य हो जाते हैं। इसलिए खास तौर से जब बाढ़ और सूखे के बारे में चर्चा हो रही है तो बाढ़ आने से पूर्व क्या प्रबन्धन किये गये हैं, तटबंधों के संबंध में नदियां जो आज गाद से भर चुकी हैं क्योंकि बाढ़ अचानक नहीं आ रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई, भूमि-संरक्षण और मृदा संरक्षण से संबंधित जो उपाय होने चाहिए थे, वे उचित रूप में नहीं किये जा रहे हैं, विकास की अवैज्ञानिक सोच बाढ़ के मुख्य कारणों में से है। मैं इस बात को पिछले तीन-चार वर्षों से महसूस कर रहा हूं। हमारा जो गोरखपुर जनपद है, वहां इस वर्ष भी आधे जनपद में अच्छी बारिश हुई और आधे जनपद में बारिश ही नहीं हुई।

केवल एक जनपद की बात नहीं है पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। वहां अच्छी बारिश होती है सरकार उसे देखकर बाकी क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करती है। पिछले वर्ष भी जनपद सूखे की चपेट में आया था, इसके उपरांत फसल बोने का समय समाप्त हो गया और बाद में बाढ़ की चपेट में भी आ गया। इस तरह से दोनों त्रासदियों को वहां का किसान झेलता है। उसे न तो वहां बाढ़ की त्रासदी में सहयोग मिलता है और न ही सूखा त्रासदी में सहयोग मिलता है। हम जानना चाहते हैं कि बाढ़ आने से पूर्व क्या प्रबन्ध किये गये है? तटबंधों की मरम्मत का कार्य, मृदा संरक्षण का काम उचित न होने के कारण उपजाऊ मिट्टी नदियों की गाद में भर चुकी है, पूरी तरह से नदियों के जल में भर चुकी है। जब पानी को बहने की जगह नहीं होगी तो ओवरफ्लो होना ही होना है। उसके

लिए हम लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई है। अन्य जो उपाय हो सकते थे, जहां पर जल को रोककर उसका उचित प्रबन्धन करके और फिर आवश्यकतानुसार उस जल को सिंचाई के लिए जल विद्युत परियोजना के तहत उपयोग किया जाना था लेकिन वर्ष 1954 से जब से आपदा नियंत्रण के लिए योजना चली, तब से उस ओर ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं हो पाया।

महोदय, बाढ़ जब आती है तो आपदा प्रबन्धन के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, चाहे वह केन्द्रीय सरकार के स्तर पर हो या राज्य सरकार के स्तर पर हो या जनपद स्तर पर हो, कोई काम नहीं कर पाती है। लोग बाढ़ से घिरे होते हैं और वहां से उन्हें निकालने के लिए नावों की व्यवस्था नहीं होती है। एक माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कि उन लोगों को राहत के नाम पर 20 रुपये एक परिवार को दिये जाते हैं। क्या 20 रुपये में एक परिवार को भरपेट भोजन मिल पाएगा? उस परिवार के साथ उनके मवेशी हैं, उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? क्या सरकार पीने के लिए उचित जल की व्यवस्था कर रही है? कोई भी व्यवस्था बाढ़ आने के बाद नहीं हो पाती है। बाढ़ आने के बाद जो त्वरित आपदा राहत कार्य होने चाहिए, वे नहीं हो पाते हैं। जब बाढ़ जाती है तो वहां महामारी छोड़ जाती है।

महोदया, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहां हर वर्ष चाहे बाढ़ आए या न आए, 15 जून के बाद से वहां पर तरह तरह की बीमारियां जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, इंसेफ्लाइटिस डेंगू तमाम बीमारियां फैलती हैं और सैकड़ों की संख्या में मौतें होती हैं। इस साल अभी तक गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वहां 210 से ज्यादा मौतें इंसेफ्लाइटिस से हो चुकी हैं और लगातार प्रतिदिन 25-30 नये मरीज आ रहे हैं। इसका कोई उपाय नहीं है। सरकार के स्तर पर कुछ नहीं किया जा रहा है और ये तो वे लोग हैं जो उस सरकारी मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो वहां पहुंच नहीं पाती है। उस महामारी को रोकने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसका कोई उपाय नहीं है। जिन लोगों के घर उजड़ चुके होते हैं, उन लोगों के घरों का निर्माण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। जिनके मवेशी मर जाते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार प्रतिवर्ष ये नेपाल की तराई के क्षेत्र में बसा है और ये क्षेत्र प्रतिवर्ष हिमालय से आने वाली नदियों में बाढ़ के कारण भीषणतम त्रासदी से जूझते हैं। वर्ष 1954 से नेपाल के साथ कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे राप्ती, आमी रोहनी, सरयू, घाघरा, नारायणी या किसी अन्य छोटी बड़ी नदियों के कारण, नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ आती है। 1954 से नेपाल के साथ वार्ता का क्रम प्रारंभ हुआ था नेपाल से इन नदियों को रोककर नेपाल में उच्च क्षमता के बांध बनाकर उचित उपयोग करेंगे। नेपाल में शारदा नदी पर महाकाली पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना थी।

परंतु अभी तक वह कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना थी, वह काम भी नहीं हो पाया। राप्ती नदी पर पश्चिम राप्ती में नौपुरा में बहुद्देशीय परियोजना थी, लेकिन वह काम भी अब तक नहीं हो पाया।

बागमती नदी, कमला नदी पर भी काम होना था, लेकिन वह काम भी नहीं हो पाया। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी तमाम योजनाएं थी, जिनके बारे में नेपाल के साथ बातचीत करके हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की त्रासदी से बचा सकते थे। लेकिन एक ईमानदार पहल भारत सरकार के स्तर पर नहीं हो पाई। चूंकि हर वर्ष हम लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, इसलिए हम लोगों ने बाढ़ आने से पहले वहां बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की कि आखिर आप बाढ़ आने से पूर्व यहां कार्य क्यों नहीं करते हैं? तब उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के पास हम लोगों ने प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन केन्द्र से पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यह बड़ी अजीब सी बात है। सरकार कहती है कि हम बाढ़ नियंत्रण के लिए, आपदा राहत के लिए, आपदा नियंत्रण के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब राज्य सरकार के पास जाते हैं, उनके तंत्र से जब इस बारे में चर्चा करते हैं तो वे कहते हैं कि इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब बाढ़ आती है तो कोई प्रबंधन का कार्य उस समय नहीं हो सकता है। उससे पहले वह कार्य करना पड़ेगा, उससे पहले उसे रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसका स्थायी समाधान यही है कि आपने मनरेगा की एक योजना चलाई है, यह बहुत अच्छी योजना है। लेकिन इस योजना का उपयोग आप इसमें क्यों नहीं करते हैं। यदि नदियों के उस गाद को हटाने में मनरेगा के पैसे का उपयोग हो सके और नदियों के तल को गहरा किया जाए तो काफी हद तक बाढ़ की त्रासदी को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी और उसी गाद को लाकर यदि आप तटबंधों में जमा कर देंगे तो तटबंध भी ऊंचे, पक्के और मजबूत होंगे और वहां आप बाढ़ की त्रासदी को भी रोक सकते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल के साथ जो हमारी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं, सरकार तत्काल उन पर पहल करें। क्योंकि यह नेपाल और भारत दोनों के हित में है। अगर यह हो जाता है तो बिहार और पूर्वी उत्तर जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे तमाम जनपद आते हैं। इन सभी जनपदों को बाढ़ की त्रासदी से बचाया जा सकता है और प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली जन और धन की व्यापक क्षति को रोका जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

* **श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर):** मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ का कारण दिउनी डैम से जनपद की गर्रा नदी में छोड़ा गया पानी है। डैम प्रबंधन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के छोड़े गए पानी से काफी जनहानि एवं धनहानि होती रही है। वर्ष 2010 में 19, 20 व 21 जुलाई को बिना किसी सूचना के क्रमश 25, 30 व 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। छोड़े गए पानी से अब तक जनपद के करीब 50 गांव को बाढ़ में अपने चपेट में लिया है, जिससे जनपद के हजारो किसानों की फसल बर्बाद हो गयी है। पानी के तेज बहाव में आकर ग्राम जेंवा मकरन्दपुर विकासखंड निगोही के एक गरीब परिवार मटरेलाल बाल्मीक का 20 वर्षीय युवा पुत्र धर्मेन्द्र बाल्मीकि 24 जुलाई, 2010 को 9 बजे बहकर मर गया जिसका शव गोताखोरों कि मदद से निकाला गया तो दूसरी घटना में 21.07.2010 को सांय में नदी किनारे खड़े ग्राम-कुडरिया, थाना-परौर, जलालाबाद निवासी अन्नु, पुत्र ईश्वरी, उम्र 30 वर्ष को पानी के तेज बहाव ने नदी के किनारों को काटते हुए बहा ले गई, जिसका शव काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला। मैं पत्र के साथ एक मृत्तक का फोटो सहित प्रभावित ग्रामों की सूची संलग्न कर रहा हूं।

ज्ञात हो कि सूचीबद्ध गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए राज्य सरकार को कई बार पत्र लिखे जाने के बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मेरा संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर राज्य का पिछड़ा एवं कृषि पर निर्भर रहने वाला जनपद है। बाढ़ कि वजह से जनपद के करीब 50 गांवों के किसान पूरी तरह भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर के लोगों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और इसे अधिक विस्फोटक न बनने देने के लिए कारगर उपाय करें और मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता करते हुए पीड़ित किसान परिवारों के प्रति हेक्टेयर 50-50 हजार रुपए की अनुदान प्रधानमंत्री राहत कोष अथवा किसी अन्य केन्द्रीय योजनाओं द्वारा सरकारी अनुदान देने कि कृपा की जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर से बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सूचीः-

क्रम सं.	ग्राम का नाम	विकासखंड
1.	कुआडाडा खंजन	खुदागंज
2.	हुसियापुर	खुदागंज
3.	लालपुर कन्नापुर	खुदागंज
4.	रामपुर जयचन्द	खुदागंज
5.	नौगवां लसीतपुर	खुदागंज
6.	कुंडा हरचन्द	खुदागंज

* Speech was laid on the Table

7.	मीरपुर उत्तमपुर	खुदागंज
8.	कंधरापुर	खुदागंज
9.	रामेश्वरगंजगौटिया	खुदागंज
10.	लालपुर	कांट
11.	अकर्रारसुलपुर	ददरौल
12.	भरतापुर	निगोही
13.	विक्रमपुर	निगोही
14.	साधौ गौटिया	निगोही
15.	कुकहा महमुदपुर	निगोही
16.	जेवा मुकुन्दपुर	निगोही
17.	धीमर गौटिया	निगोही
18.	परवा खेड़ा	निगोही
19.	वीरसिंहपुर	निगोही
20.	सकतिया	निगोही
21.	भरी वसंतपुर	निगोही
22.	विक्रमपुर चकोरा	निगोही
23.	चकमली	निगोही
24.	चकुलिया	निगोही
25.	भरतापुर	निगोही
26.	भाउपुर	निगोही
27.	मौजमपुर	मिर्जापुर
28.	कुनियासाहनजिरपुर	मिर्जापुर
29.	किलापुर	मिर्जापुर
30.	मई धीरगंज	मिर्जापुर
31.	धिरौला मडैया	मिर्जापुर
32.	ककारी की मडैया	मिर्जापुर
33.	नवादा	मिर्जापुर
34.	कपारी	मिर्जापुर
35.	टिकरउ	मिर्जापुर
36.	सगहा	मिर्जापुर
37.	खाकरमई	मिर्जापुर
38.	कोयला	मिर्जापुर
39.	कुडरिया	कलान

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): सभापति महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इस सदन में बाढ़ और सूखे पर चर्चा में अभी तक जितने सदस्यों ने बात कही है, मोटा-मोटी सबने फ्लड के बारे में बताया है। मेरी भी मोरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है, चूंकि मैं राजस्थान से आती हूं, इसलिए हमारे यहां के सूखे की बात मुझे सदन में पहले रखनी चाहिए। राजस्थान में पिछले 52 साल के रिकार्ड में 40 वर्ष तक सूखा पड़ा और ठीक-ठाक मैनेज कर रहे थे। जब तक ब्रिटिशर्स आये थे और उससे पहले जब राजे-रजवाड़ों का समय था, तब तक जो हमारी कम्युनिटीज थी, वह वाटर मैनेजमैन्ट किया करती थी। नलके का सिस्टम नहीं था कि नलका चालू किया और टोंटी में पानी चालू हो गया। यह दिक्कत हमें तब आने लगी थी, मैं ड्राउट हिट जोन की बात कर रही हूं, जब हमारी कम्युनिटीज ने इस सिस्टम को गिव अप कर दिया। आज अगर मैं उसका कोई इलाज सोच पाती हूं या कोई इंटरवेन्शन सोच पाती हूं तो वह सिर्फ यह है कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। हमारी सरकार की एक फ्लैगशिप योजना महात्मा गांधी नरेगा योजना है, मैं रह-रह कर सदन में यह बात उठाती हूं कि वाटर शैड मैनेजमैन्ट का जो डिपार्टमैन्ट है, वह रूरल डैवलपमैन्ट मिनिस्ट्री के अंडर आता है और बहुत क्लोजली नरेगा के काम से उसका कार्य जुड़ा हुआ है। यदि इन दोनों विभागों को हम मर्ज कर दें तो हमारे पास कांट्रैक्चुअल स्टाफ की जगह रेगुलर स्टाफ होगा, जो नरेगा को संभाल पायेगा और हम इसका सारा फोकस वाटर हार्वेस्टिंग पर रखें। ये सारी स्टडीज पहले कंडक्ट हो चुकी हैं कि अगर आप माइक्रो लैवल पर वाटर मैनेजमैन्ट करना चाहते हैं तो आप वाटर हार्वेस्टिंग करें और उससे आप इतना पानी बचा पायेंगे कि आप छोटी-मोटी इरिगेशन भी कर सकें। आज आप जानते हैं कि हमारी डैजर्ट स्टेट हैं, दूसरी सूखी जगहें हैं। हर जगह कहते हैं कि अगर पेड़ होंगे तो बरसात होगी। वह कहते हैं कि पेड़ कैसे लगायें, अगर बरसात होगी तो पेड़ लग सकेंगे। इसलिए यह अंडे और मुर्गी की जो सिचुएशन है, इसे तोड़ने के लिए हमारे हाथ में एक ही चीज है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें। भगवान की कृपा से इस बार हमारे यहां बरसात अच्छी हुई है। परंतु मैंने यह देखा कि आदमी की एक आदत होती है, वह शार्ट टर्म सोचता है, शार्ट टर्म देखता है। पिछले साल बहुत भीषण अकाल था और हम सब अकाल की बात कर रहे थे।

अब की बार जब मेरे पास फोन आते हैं तो कोई यह नहीं कहता कि पानी की प्राब्लम है। बरसात बहुत हो गई, सड़क एक नहीं बची है। यह लौंग टर्म प्रोस्पैक्टिव, चाहे बाढ़ हो या सूखा हो, रखना पड़ेगा। आज तक हम क्या करते आये हैं? सदन में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो कह सके जब से हमने आजादी ली है, हमने शायद बाढ़ और सूखे के प्रबंधन में जितना पैसा लगाया है, फिर भी हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, हमारी फ्रीक्वैंसी ऑफ इंटैंसी ड्राट एंड फ्लड है, उसमें बढ़ी है। माईक्रो लैवल पर हम मैनेज करना चाह रहे लेकिन माईक्रो लैवल पर मिसमैनेजमेंट हो रहा है। पिछले 63 साल में हमें यह लैसन जरूर ले लेना चाहिये। मैं सदन के सभी सदस्यों से गुजारिश करूंगी कि सूखे के अंदर आप वाटर हारवैस्टिंग करें, क्योंकि पानी एक इम्पार्टेंट टापिक है। कृषि इस पर पूरी तरह से आधारित है।

आज फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने की बात हो रही है। अगर हमारी कृषि ठीक से नहीं हो रही होगी,अगर हमारी पाइंटेड एप्रोच नहीं होगी कि कहां पर ड्राई है, कहां हमारे फ्लड्स हैं, कहां वैटलैंड है, हमें कहां पर किस फसल की बुआई करनी चाहिये, अगर हम इस पर फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों को तकलीफ हो सकती है।

सभापति महोदया, हमारे साथियों ने यहां पर बाढ़ के बारे में बात कही है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि माईक्रो मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट क्यों रही है? इंजीनियर्स लोग इसे करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमें एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिये। हम 400 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाते हैं और कोसी नदी का इसके संदर्भ में उदाहरण दूंगी कि कोसी नदी में सदियों से आज तक बाढ़ आती रही है। पहले बाढ़ का पानी वहां सात दिन रुकता था, किसान लोग उसका इंतजार करते थे। जब ब्रिटिशर्स ने सैंचुरी के शुरु तक इस बात को रिकार्ड कर रखा है कि किसान वहां बैठकर इंतजार करता था कि जो फायदे का फ्लड है, वह .आये ताकि जो फर्टाइल सिल्ट है, हमारे खेतों में फैले, हमारी जमीन उपजाऊ हो, जिससे हम फसल के अंदर फायदा उठायें। पर आज क्या होता है? आज हमारी अप्रोच बदल गई है। हम एम्बैंकमैंट करके सोचते हैं कि हम नेचर से बड़े हैं, और एम्बैंकमेंट करके उस नदी को बीच में रोकना चाहते हैं। धीरे-धीरे नीचे सिल्टिंग होती है क्योंकि हिमालय पर्वत की एक नेचर है कि वह यंगैस्ट माऊंटेन रेंज है, दुनिया भर में सब से ज्यादा सिल्टिंग यहां होती है। नदी का लैवल ऊपर होता जाता है क्योंकि आपने एम्बैंकमेंट क्रिएट कर रखा है। बरसात का जो पानी है या,ट्रिब्यूटरी आकर नदी में मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिल पाती है तो एम्बैंकमेंट के इस तरफ वाटर लौगिंग हो जाती है, नदी में उफान आया हुआ होता है। अगर वह एम्बैंकमेंट टूटता है तो गांव के अंदर फ्लड आ जाता है। इन आपदाओं से सब से ज्यादा नुकसान गरीब तबके का होता है। सभी सदस्यों ने राहत की बात कही लेकिन मैं उस लैवल तक नहीं जाना चाहती। कोसी नदी ने पिछले 250 साल में 120 किलोमीटर अपना कोर्स चेंज किया है। वह एक जमाने में किसी नदी में ड्रेन किया करती थी, पहले वह ब्रह्मपुत्र में जाती थी और अब वह गंगा नदी में जाती है। मैं दूसरा उदाहरण तीस्ता नदी का दूंगी। यह सब से वाइल्ड नदी है, यह हिमालय पर्वत से निकलकर आती है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उस पर बांध बनने चाहिये। मैं कहना चाहती हूं कि जब 1997 में बाढ़ आयी थी तो तीस्ता नदी, जो गंगा में ड्रेन किया करती थी, वह अब ब्रह्मपुत्र नदी में ड्रेन करने लगी है। एक बहुत ही एम्बीशियस योजना बनाने की बात कही गई थी कि सारी नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिये ताकि जहां सूखा है, वहां हम पानी पहुंचा सकें। हम इनसान हैं और पिछले साल जो भीषण अकाल पड़ा था तो मेरे ख्याल से सब को समझ आ गई होगी कि मौनसून के लिये हम पहले बैठकर आसमान की तरफ ताक रहे थे कि यह आये और हम लोग अपने आप को कितना अदना महसूस कर रहे थे। इस सदन में आज भी कई चीजें ट्रेडीशन के हिसाब से की जाती हैं। ब्रिटिशर्स से हमने ट्रेडीशन इनहैरेट की थी कि जब यहां बजट पेश होता है तो हमारे दो बजट पेश होते हैं। एक जनरल बजट और दूसरा रेल बजट। मैं यहां पहले डिस्कलेमर देना चाहूंगी कि मैं रेल मंत्रालय और रेल मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूं। एक छोटी सी बात है कि एक जमाने में रेल को

इम्पार्टैंस दी गई थी। आज कहते हैं कि रेल विभाग में 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं और मुझे रेल मंत्रालय पर गर्व है। उस जमाने में रेलवे लाइन हाथी से उठवायी जाती थी। उस समय 100 आदमी लगकर पटरी बिछाते थे। नदी-नाले पर, सुरंग खोदकर, पहाड़ों पर पटरी बिछाते थे। उस समय एक मेगा इंजीनियरिंग टास्क था। वे मेगा स्ट्रक्चर थे। 60 साल से 100 साल के अंदर यह प्रवृत्ति चेंज होनी चाहिए। हमें समय के हिसाब से अपने आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आज अगर इस देश के अंदर जरूरत है कि एक नया बजट आना चाहिए, तो वह बजट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बजट लाइए, क्योंकि इसके ऊपर आपका एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ 14 लाख रेलवे के अंदर कर्मचारी हैं, तो भी पानी तो हर एक आदमी को चाहिए। एग्रीकल्चर से जो अनाज पैदा होता है, वह आपके यहां हर आदमी को चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए सदन का और आपका धन्यवाद करती हूं।

*__श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):__ मेरे क्षेत्र के 5 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे है। मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र में घाघरा नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बाढ़ से बाराबंकी जनपद के मुख्यतः 3 ब्लॉक सूरतगंज, रामनगर, सिरौली-गौसपुर प्रभावित होते है, इनके अलावा सीतापुर, फैजाबाद, बहराईच जनपदों के कुछ क्षेत्र भी बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त रहते है। हालत इतनी खराब है कि पूरे क्षेत्र में एक भी पक्का मकान नहीं है केवल कच्ची झोपडियां है जो हर साल बाढ़ से नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ के बाद पुनः उन झोपड़ियों को बनाया जाता है। इन क्षेत्रों के लड़कों की शादियां नहीं हो रही है क्योंकि इन क्षेत्रों से बाहर के लोग अपनी लड़कियों की शादी इस क्षेत्र मं नहीं करना चाहते हैं। बीमार लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा नहीं है। आवागमन के साधन नहीं है। सड़के तारकोल से बनती है। हर साल बाढ़ का पानी उन सड़कों के ऊपर से गुजरने के कारण हर साल नष्ट हो जाती है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सिमेन्टेड रोड़ बननी चाहिए। इन क्षेत्रों में बाढ़ आने का कारण जरूरी नहीं कि इन क्षेत्रों में बारिश हो, बल्कि नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण वहां बने बांध लबालब हो जाते हैं तथा उनका एकत्रित पानी घाघरा नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर जान-माल तथा जानवरों की हानि होती रहती है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस क्षेत्र में पुल व बांध बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है, लेकिन 1 वर्ष से ज्यादा अवधि होने के बावजूद सर्वेक्षण करवाकर प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना को नहीं भेजा गया है। अतः मेरी मांग है कि शीघ्र से शीघ्र बांध बनवाया जाए और सर्वेक्षण में इस बात का ध्यान रखा जाए की कोई भी गांव नदी के पेटे में न रह पाए, आवश्यक ठोकरे लगाकर सभी ग्रामों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। यदि राज्य सरकार इस मामले में हिल-हवाला करे तो केन्द्र सरकार सीधे अपने स्तर से सर्वेक्षण करवाकर आगे की कार्यवाही कराए। मौके पर गांवों के बाढ़ पीड़ितों को अपने घरों से निकालने की भी पूरी व्यवस्था नहीं है, जिसे तत्काल नावें लगाकर की जानी चाहिए। उनके भोजन की व्यवस्था भी तत्काल करने की आवश्यकता है क्योंकि पानी से घिरे धरों में खाना बनाने की व्यवस्था भी नहीं है। पानी दूषित हो चुका है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। संक्रामक रोगों की चपेट में आने की संभावना है जिसके लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपायों पर गंभीरता से शीघ्र कार्यवाही की जाए।

* Speech was laid on the Table

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Hon. Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak. We are used to deliberate and discuss on flood and drought situation in all parts of the country, particularly during the monsoon Session. I am not going into the details. As previous speakers have narrated the grim and gloomy situation all over the country, some parts of our country are suffering from flood like how it is happening in North India and the northern part of my State, Bengal. But the major part of our country, particularly the southern part is seriously suffering from drought.

I will talk first about the issue of prediction. It is told several times in the House that the Meteorological Survey of India is going to make predictions very scientifically and that the technology used by them has improved but even this year, the Meteorological Survey of India befooled the people. It was the prediction that there will be a good monsoon this year. But still, major part of our country is suffering due to scanty rainfall or drought.

I am coming from West Bengal. It is already said that West Bengal Government declared 11 districts out of 19 districts as drought affected areas. The Member from Orissa said that 25 districts have been declared as drought affected area. So, everyone in the concerned area is affected but the most affected ones are the farmers. They are the worst hit and the agricultural workers in such areas are the most affected.

We are talking about the GDP growth and we have fixed the target as the growth in agriculture is four per cent. But what we have witnessed last year? The growth was -0.2 per cent. It is a negative growth. If in this year, this situation continues, then what will be the growth in agriculture? More than 70 per cent of the people depend on agriculture. If agriculture fails, how will our country progress?

So, we have made some arrangements in this regard. The National Disaster Management Authority under the Chairmanship of the hon. Home Affairs is there. This is only to manage disasters and not for taking any preventive measures. We have several mechanisms like Food Security Mission and we have the Rainfed Area Development Commission and National Water Commissions. But what is the result of these Commissions or what is the performance or the outcome of these organisations?

Water management is a serious problem which includes water harvesting. But it should be taken for a special discussion.

I do agree with the Member who spoke before me, Dr. Jyoti Mirdha, that special Budget should be placed in respect of agriculture, particularly for water management and water resources. But, now the question is: What immediate measure should be taken to solve the immediate problems? Short-term problems are there. So, short-term measures should be taken, and long-term measures should also be taken. What is needed immediately? Special package should be offered to all the States. The proposals sent by the State Governments should be accepted by the Union Government. The special package may cover all the things.

I am talking about two or three problems. One, credit at lower interest rate to agriculturists and to those in the villages. Norms were declared that any farmer can take loan from the commercial banks up to Rs. 3 lakh. It has already been declared that without any collateral, any farmer or poor man can take credit from the commercial banks up to Rs. 1 lakh. But no commercial bank is prepared to give credit up to Rs. 1 lakh at four per cent or five per cent interest rate. So, it should be taken for consideration.

Second, food security. In the Budget, allocation of Rs. 400 crore was made for the Green Revolution in Eastern part of the country. Without rainfall, without water, without irrigation, and without cultivation, how can Green Revolution take place? So, what is the proposal for that? So, I think all these things should be taken into consideration.

It is rightly said that Mahatma Gandhi NREGA should be used for creating for large water bodies. This should be one of the guidelines put in the NREGA so that water resources can be used for cultivation, and for drinking water. Drinking water is a serious

problem. Most of the areas are suffering due to shortage of drinking water. Water level is going down. There is no sufficient water in the rivers and in the canals. So, it is a very serious problem. Reservoirs are getting dried up. Reservoirs and dams are getting useless. They are not supplying water even in the rainy and monsoon season. So, all these things should be taken into consideration. This should not be taken in a casual manner.

Everywhere we are habituated to have a discussion on this matter. But what is the result and what is the outcome? A lot of recommendations are there. But how many have been implemented by the Union Government? Only talking out the issues is not enough.

So, I demand that the Union Government should take it very seriously. It should not be taken in a casual manner. We are in a very serious situation. Particularly those areas which are affected by floods and droughts are in a very serious situation.

Lastly, I appeal to the Government to please consider the proposal given by the West Bengal Government on the drought affected areas.

With these words, I conclude.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदया, इस बहस का लब्बोलुबाब यह है कि राष्ट्र स्वयं भ्रम में है कि इस राष्ट्र की बाढ़ और सुखाड़ की समस्या को किस रास्ते से हल किया जाए। मुझे अनुभव रहा है और बिहार में 15 साल सिंचाई मंत्री रहा हूं। जब इस देश की राष्ट्रीय जल नीति बन रही थी तो हमारे उस समय के वाटर रिसोर्सेज़ के राज्य मंत्री यहाँ बैठे हैं । उस समय हम लोंगों ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभायी थी, लेकिन हमने महसूस किया कि राष्ट्रीय जल नीति बनाने वाले लोग इतने भ्रम के शिकार हैं कि इस देश का वॉटर मैनेजमेंट कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकता है। बाढ़ से बचाव यदि हम चाहते हैं तो समझना होगा कि अनकंट्रोल डिस्चार्ज ही बाढ़ का कारण बनता है। यदि हमने डिस्चार्ज को कंट्रोल नहीं किया, हमने जलाश्यों का निर्माण नहीं किया, हमने जलाश्यों में फ्लड क्यूशन की व्यवस्था नहीं की, तो कभी भी हम बाढ़ से बचाव नहीं कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस राष्ट्र में बहस यह नहीं है कि बाढ़ से कैसे बचाया जाए? 33 सालों से एक कानून बनाने की बात इस पूरे राष्ट्र में प्रचारित है कि लोग बाढ़ में रहें, बाढ़ रहेगा, लेकिन फ्लड जोनिंग का कानून बने, अर्थात् ऊंचे स्थलों पर विकास होंगे, मध्यम इलाकों में कहीं-कहीं विकास होंगे और बाकी निचले इकाई के लोगों को उसी पानी के अंदर रहना होगा। फ्लड प्रूफिंग, फ्लड जोनिंग हो या हम बाढ़ से बचाव करना चाहते हैं, इस पर भी आज तक राष्ट्र सहमत नहीं हुआ। इसलिए मैं जल संसाधन मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय जल नीति बनने जा रही है, तो 33 सालों का यह भटकाव समाप्त होना चाहिए। इस मुल्क को बाढ़ से बचाव चाहिए और बर्षा का संरक्षित पानी जहां जलाशयों में हो उससे सुखाड़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं बिहार से आता हूं। पूरे देश के 39 जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उसमें अकेले 12 जिले बिहार के बाढ़ से प्रभावित होते हैं । सबसे अधिक बाढ़ का इलाका बिहार में है। आधी आबादी पूरे देश में इस त्रासदी को झेलती है, वह अकेले बिहार की होती है। दो हजार करोड़ रूपये का प्रति वर्ष वहां की फसल, घर इत्यादि बाढ़ से नष्ट होता है। प्रति वर्ष जो लोग बाढ़ में अपने घर को खोते हैं, उनमें से अधिकांश लोग बिहार के होते हैं, इसलिए बिहार के लोग बाढ़ की कठिनाइयों को समझते हैं, परेशानियों को समझते हैं और उन्हें पता है कि बाढ़ से बचाव के कौन से उपाय किए जा सकते हैं। कोसी नदी हाई डैम की लोगों ने चर्चा की, पता नहीं कहां से रिसर्च है कि कभी कोसी नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती थी, अब वह गंगा में मिलती है। पता नहीं यह रिसर्च कहा से है। ढाई सौ वर्षों में कोसी अपनी जगह से दूसरी जगह चली गई, लेकिन मैं सदन से कहना चाहता हूं कि कोसी का उदगम स्थान और कोसी का अंत यह कभी नहीं बदला है। बीच का इलाका जहां बदला हो, लेकिन कोसी नदी हमेशा गंगा में मिलती थी ढाई सौ साल पहले भी और आज ढाई सौ साल बाद भी। पिछली बार कोसी नदी की बाढ़ प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, वह मानवीय भूल थी। मैं आपसे कह सकता हूं क्योंकि पन्द्रह साल मैं सिंचाई मंत्री के रूप में कोसी के तटबंधों से कोसी को बाहर नहीं जाने दिया था। मैं इस बात का गवाह हूं कि यदि सही ढंग से बाढ़ का प्रबंधन हो, तो बाढ़ से बचाया जा सकता है। मानवीय भूल के कारण कहीं न कहीं यह त्रासदी होती है, जिसका फल आम आदमी को भुगतना

पड़ता है। अभी तक कोसी नदी पर बांध बन गया होता, तो तटबंधों के भीतर सील्ट (गाद) नहीं आती। तटबंधों में सील्ट (गाद) नहीं आती तो कोसी नदी का पेट ऊंचा नहीं होता और कहीं भी खतरा पैदा नहीं करती।

महोदया, मैं दो-तीन बातें सुखाड़ पर कहना चाहता हूं, क्योंकि बिहार इस साल सुखाड़ से प्रभावित है। मुझे खुशी है कि केन्द्र सरकार ने पूरे देश के लिए सुखाड़ से लड़ने के लिए 48 सौ करोड़ रूपये दिए हैं और उसमें से अकेले बिहार को 12 सौ करोड़ रूपये दिए हैं। वहां के मुख्यमंत्री जी को 23 हजार करोड़ रूपये चाहिए थे, लेकिन वह शायद भारत सरकार नहीं दे पायी है। पूरे देश में सुखाड़ से लड़ने के लिए 72 हजार करोड़ रूपये का प्रस्ताव था, सुखाड़ से लड़ने के लिए, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा केवल 48 सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई। बिहार को 12 सौ करोड़ रूपये दिए गए हैं। लेकिन वहां क्या स्थिति है? वहां 16 हजार ट्रांसफार्मर जले हैं। पांच हजार पुराने नलकूप बंद हैं। नए पांच हजार नलकूपों को बिजली की आवश्यकता है, जो कि नहीं दी जा रही है। सुखाड़ है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे लड़ने के लिए तैयारी सरकार की नहीं है। यह 12 सौ करोड़ रूपये कहां खर्च हो रहे है? यह बिहार में हम देख नहीं पा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, हमारे जल संसाधन मंत्री जी निश्चित रूप से बाढ़ और सुखाड़ पर जवाब देंगे वे सुखाड़ को अकेले नहीं झेल सकते। आज सबसे बड़ा साधन बिजली है। इस देश के पैमाने पर सुखाड़ वाले इलाके को बिजली अलग से देने का प्रबंध होना चाहिए। यह बात उन्हें एनर्जी मिनिस्टर से करनी चाहिए। बिहार को यदि दो हजार मेगावाट बिजली मिलती तो बिहार सुखाड़ से लड़ सकता। 12 सौ करोड़ रुपए हमारे सुखाड़ के इलाके में लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगा, हमारी खेती को बचाने का काम नहीं करेगा। इसलिए मैं सदन में वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर साहब से मांग करता हूं कि दो हजार मेगावाट बिजली का एलोकेशन होना चाहिए। अफसोस की बात है कि कहलगांव में बिजली पैदा होती है, वहां की बिजली ग्रिड के माध्यम से उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी इलाके में चली जाती है, लेकिन बिहार को बिजली नहीं मिल पाती। आज ईस्टर्न रीजन में पावर सरप्लस है, लेकिन उसका उपयोग बिहार में नहीं हो पा रहा है।

18.41 hrs.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारी जो परेशानियां हैं, उसमें कहीं न कहीं से भारत सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। बिहार बाढ़ से प्रभावित इलाका था, हिन्दुस्तान में सबसे अधिक बाढ़ को झेलने वाला इलाका था, आज वह सबसे अधिक सुखाड़ को झेल रहा है। हमारे 38 जिलों में 36 जिले सुखाड़ से प्रभावित हैं। धान का कटोरा कहा जाने वाला सोन का इलाका, बक्सर, कैमूर, भोजपुर और रोहतास, जो बिहार के लिए आधा अन्न उत्पादन करता था, आज वहां सुखाड़ की स्थिति है। नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर और नलकूप जले हुए हैं। वहां की खेती बर्बाद हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ और सुखाड़ के लिए जल प्रबंधन की नीति हो और हमारी राष्ट्रीय जल नीति बनने जा रही है, इस पर बड़े पैमाने पर बहस होनी चाहिए। इतने कम समय में बाढ़ और सुखाड़ की बहस और उसके नतीजे इस सदन में निकालने का प्रयास मुझे लगता है कि संभव नहीं हो पाएगा। इस पर विस्तार से बहस होनी चाहिए कि जल का प्रबंधन इस राष्ट्र में कैसे हो ताकि बाढ़ और सुखाड़ से राष्ट्र को मुक्ति दिलाई जा सके और जो जल नीति बने, उसका केन्द्र बिन्दु होना चाहिए, बाढ़ का प्रबंधन, हम बाढ़ का प्रबंधन करेंगे तो सुखाड़ का प्रबंधन भी हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो राष्ट्रीय जल नीति बनने जा रही है, वह जल्दबाजी में नहीं बननी चाहिए, इस पर सदन के अंदर बहस होनी चाहिए और सब की बात सुनी जानी चाहिए। ...(व्यवधान) राष्ट्र बहुत झेल चुका है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री जगदानंद सिंह : राष्ट्र को अगर प्राकृतिक आपदा की परेशानी से बचाना है तो बाढ़ और सुखाड़ से बचाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*** शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** महोदय, देश में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी का बेहतर प्रबंधन जरूरी है। सतह पर मिलने वाले पानी का 45% कृषि पर खर्च हो रहा है। भूगर्भ से मिलने वाले जल को भी मिला लें तो 70% जल कृषि कामों के लिए चाहिए, जो कम होता है। आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो रही है। आधुनिक और जल संसाधन प्रबंधन को दुरूस्त करना आवश्यक हो गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 25% खरीफ धान की रोपाई, बुआई हो पाई है। सूखे की स्थिति है। कर्ज माफी हो, वसूली बंद की जाये। राज्य सरकार ने जनपद कौशाम्बी को सूखा घोषित किया है। प्रतापगढ़ भी सूखे की चपेट में है। किसान बुरी तरह से टूट रहा है। अनियमित विद्युत आपूर्ति, सूखी नहरें, बिगड़े राजकीय नलकूप के कारण किसान बुरी तरह से परेशान हैं।

कौशाम्बी में किसी प्रकार से किसान ने खरीफ की फसल की बुआई की भी। अब अपनी आंखों से मुर्झाता देखकर उनके चेहरे उदास हैं। किसान बैंकों का कर्ज वापस नहीं कर पा रहा है। उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। खरीफ की ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग, तिल, मूंगफली के साथ-साथ धान की रोपाई 25% से कम हो पाई है। निरंतर प्राकृतिक आपदा के कारण किसान आर्थिक रूप से टूटता जा रहा है। बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। बुंदेलखंड की तर्ज पर तंगहाली से दिवालिया हुए किसान आत्महत्या शुरू कर सकते हैं। धान के अलावा दलहन, तिलहन फसलें सूख रही हैं। राज्य सरकार भी सूखा घोषित करने के बाद राहत नहीं पहुंचा पा रही है। आज स्थिति बहुत खराब है। आलू की फसल बोने के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र के चायल , मंझनपुर, सिरायू में भूजल स्तर का संकट दिनोंदिन गहराता जा रहा है। किसी भी क्षण प्राकृतिक हादसा हो सकता है। इन ब्लाकों में किसी भी समय धरती दहक सकती है। जल के दोहन के कारण भूगर्भ में जल सूख गया है। जमीन में दरारें पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में भारी जन-धन हानि से इनकार नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय भूजल परिषद ने भी भूजल संकट को महसूस किया है। परिषद ने अभी हाल में रिपोर्ट दी है, जिसमें कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जनपद शामिल है। उक्त दोनों जनपदों को डार्क सूची में डाल रखा है। उक्त जनपद के कुछ ब्लाकों में जल सूख गए हैं। उक्त जनपदों में भूजल का संकट काफी गहरा गया है। प्रतापगढ़ के 5 ब्लाक, कौशाम्बी के 7 ब्लाकों को चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में पेयजल संकट व प्राकृतिक आपदाओं की आशंका जतायी है। कौशाम्बी के भरवारी बेल्ट धरती में पड़ी दरारों का निरीक्षण भूजल वैज्ञानिकों की टीम कर चुकी है। थोड़ी वर्षा के बाद दरारें पड़ गई हैं। भूजल स्तर काफी नीचे खिसक जाने से उक्त स्थिति बनी है। जलस्तर प्रतिदिन खिसक रहा है। कैथल व तराई बेल्ट छोड़ दिया जाये तो जल स्तर 20 से 30 मीटर नीचे चला गया है। कौशाम्बी के करारी कस्बे से कुछ दूरी पर टिकरी गांव में 25 मीटर लम्बी एक मीटर चौड़ा भूमी फटी पड़ी हैं, दरारें देखी गईं, जो दिनोंदिन बढ़ रही हैं। इसी प्रकार मंझनपुर विधान सभा के खेजवापुर और करारी के वल्लहा गांव में भी खासी लम्बी दरारें देखने को मिलीं, करारी

---

* Speech was laid on the Table

इलाके में 10 दिनों में दूसरी घटना देखने को मिली है। मंझनपुर के खेजवापुर गांव में करीब सौ मीटर लम्बी एक से डेढ़ मीटर चौड़ी दरारें देखी गईं हैं।

केन्द्र सरकार तत्काल प्रत्यक्ष रूप से एक वैज्ञानिकों का दल भेजकर दिखाये। सूखा राहत के लिए किसानों के कर्ज माफ और वसूली माफ करें। जानवरों के चारे की व्यवस्था करें। पेयजल की व्यवस्था, डीप बोरिंग करायें, बिगड़े नलकूप बनावायें। नहरों में पानी की व्यवस्था करें। कई ऐसे स्थान हैं जहां अजरौली, बिसौना आदि जगह पम्प कैनाल लगा कर नहरों में पानी की व्यवस्था करें क्योंकि उक्त क्षेत्र गंगा यमुना के बीच बसा है जिसे द्वाबा भी कहते हैं। सरकार तत्काल व्यवस्था करे।

***श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):** हमारे देश में हर वर्ष कभी बाढ़ और कभी सूखा आता है। देश की आजादी के 63 वर्षों के पश्चात् भी हमारे देश के किसान खेती इन्द्र देवता के भरोसे करते हैं। जिस वर्ष पानी बरस जाए, उस वर्ष खेती अच्छी होती है, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ जाए, उस वर्ष खेती बर्बाद हो जाती है। इसी प्रकार जिस वर्ष ज्यादा पानी बरस जाए या बाढ़ आ जाए तो किसान बर्बाद हो जाता है। किसान के साथ-साथ बाढ़ से देश का आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है। नदियों के किनारे होने वाली खेती नष्ट हो जाती है और नदियों के किनारे बसी बस्तियां बह जाती हैं जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है।

According to Rashtriya Barh Ayog (1980) that the area prone to floods in the country was of the order of 40 millions Hectare out of which 32 million hectare has been considered as protectable area.

According to one report, it has been revealed that since 1953-97, the average damage to crops, houses and public utilities in the country was around Rs.9380 million. According to the information given by the Government in Lok Sabha on 28.7.2010, there are 80 districts in the country which are flood affected.

पहले जितनी बाढ़ आती थी, आज उससे दोगुना, तीन गुना ज्यादा बाढ़ आती है। यदि नेपाल में वर्षा हो जाए तो बिहार पानी में डूबने लगता है। पानी बहने के जो परम्परागत स्रोत थे, चाहे नहरे थीं, नाले थे, जो भी साधन सिंचाई के लिए बने थे, उन सबका अतिक्रमण किया गया, उन्हें भर दिया गया, जिसके कारण नदी का बहाव रुक गया। अगर इसका स्थायी निदान चाहते हैं, तो जितने परम्परागत स्रोत हैं, जितने पुराने स्रोत हैं, उन सबकी खुदाई करा दीजिए। इससे पानी को बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा और बाढ़ नहीं आएगी।

हमारे देश में प्रो. के.एल. राव ने देश की नदियों को जोड़कर इन समस्याओं से निजात पाने की सोची थी, लेकिन इस योजना पर सबसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में चर्चा शुरू हुई और काम आगे बढ़ा। अगर सभी नदियां जुड़ जाएंगी तो जहां ज्यादा पानी बरसेगा, वह पानी सभी नदियों में बिखर जाएगा और बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सकेगा। इसलिए सब नदियों को जोड़ने का काम प्रारंभ किया गया।

नदियों के जोड़ने से जल संचयन, जल संग्रहण, जल प्रबंधन और जल वितरण का काम हो जाएगा। जल का सही ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से रोकने का प्रबंधन किया जाए, तभी बाढ़ और सूखे का स्थायी निदान कर सकते हैं।

---

* Speech was laid on the Table

यदि केन्द्र सरकार में दिशा हो, दृष्टि हो, संकल्प हो, तो तूफान भी रुकेगा, अकाल भी रुकेगा और बाढ़ भी रुकेगी। जब से यू.पी.ए. की सरकार आई है तब से इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

यदि देश में नदियों को जोड़ने का काम आगे बढ़ता तो देश में सूखे के समय नदियों के पानी को सूखे क्षेत्रों की नदियों में भेजा जा सकता था और बाढ़ के समय बाढ़ वाले क्षेत्रों की नदियों के पानी को देश के सूखे वाले भागों की नदियों में भेजा जा सकता था। इससे न तो देश में बाढ़ की विभीषिका सताता और न सूखे के समय पानी की कमी सताती। नदियों को आपस में जोड़ने से देश में अन्न और बिजली का इतना उत्पादन होता कि हम पड़ोसी देशों को अन्न निर्यात करने तथा देश की जरूरत से बची अतिरिक्त बिजली को बेचने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में बनी वर्तमान सरकार ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया और देश के किसानों, गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, पहाड़ी और दूरदराज में बसे लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। यही कारण है कि हमारे देश में हर वर्ष कहीं न कहीं बाढ़ और सूखा आता ही रहता है।

प्रति वर्ष देश को एक तरफ जहां सूखे का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर बाढ़ की भारी तबाही झेलनी पड़ती है। इसके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है। दुर्भाग्यवश उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इस वर्ष हरियाणा एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों की नदियों में आई बाढ़ से काफी तबाही हुई है। सभी देशवासी इस मुद्दे पर अत्यंत चिंतित हैं।

पिछले दिनों जब हरियाणा में बाढ़ आई तो वहां की राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अत्यधिक जल प्रवाह के कारण हरियाणा से बाढ़ आई है। इस प्रकार से जो प्रदेश प्रभावित होता है वह अपने पड़ोसी प्रदेशों पर दोषारोपण करता है। हरियाणा में घग्गर नदी के बांध में दरार के चलते आई बाढ़ से एक लाख क्विंटल गेंहू का नुकसान हुआ। हरियाणा में हाल ही में आई बाढ़ से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार से लगभग 1369 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की । गत दिनों में हरियाणा के अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद व सिरसा जिलों में भारी बाढ़ से नुकसान हुआ। लगभग 2 लाख एकड़ धान की खेती को नुकसान हुआ है। 21 लोगों की इसमें जानें गई, जिसमें 11 लोग अम्बाला तथा 10 कुरुक्षेत्र में मौतें इसी बाढ़ के दौरान हुई हैं। बाढ़ें आती हैं तो किसान की खेती तबाह हो जाती है। तीन-चार वर्षों तक इस पर खेती नहीं की जा सकती। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। किसानों को राहत देना जरूरी है। इसी प्रकार दिल्ली में भी भारी वर्षा और हरियाणा के ताजेवाला डैम से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। ताजेवाला से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी में जलस्तर काफी ऊंचा हो गया है।

जैसे मैदानी भागों में बाढ़ की वजह से नुकसान होता है वैसे ही पहाड़ों में बादल फटने से अपार जन-धन की हानि होती है। वहां अचानक बादल फटने से करोड़ों-अरबों लीटर पानी एक साथ एक ही स्थान पर इतनी जोर से गिरता है कि गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। उनका नामो-निशान मिट जाता है। हाल ही में लेह में बादल फटने से भारी जान-माल का नुकसान हुआ। मिट्टी धंसने से कई पुल टूट गए। इस प्रकार से वहां के लोगों को भीषण यातनाएं झेलनी पड़ रही है। गत वर्षो से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर तथा अन्य पहाड़ी राज्यों में बादल फटने के कारण जान व माल का नुकसान हुआ है। इस और सरकार असहाय ही दिखी है।

बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सी.आर.ए.एफ. और एन.सी.आर.ए.एफ. नामक दो निधियां हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सहायता से कुछ सीमा तक लोगों को राहत प्रदान करती हैं। आजकल अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। जिससे वस्तुतः किसानों को भारी नुकसान होता है। यद्यपि देश बहुत ही गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है किंतु केन्द्र सरकार ने अभी तक एक स्थायी आपदा प्रबंधन तंत्र विकसित नहीं किया है। केन्द्र सरकार को इस संबंध में दीर्घावधि उपाय करने होंगे।

बाढ़ अथवा सूखे के कारण देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में अत्यधिक कमी आई है जिसके कारण जमाखोरी और कालाबाजारी होती है और अंततः कीमतों में वृद्धि होती है। वास्तव में इसका आम आदमी पर असर पड़ता है। पीड़ित लोगों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार राज्य में अध्ययन करने तथा बाढ़ की विभीषिका का पता लगाने के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल भेजती है, परन्तु कभी-कभी वह केन्द्रीय दल विद्यमान स्थिति का पता लगाने में समर्थ नहीं हो पाता है। अतः राहत देने में विलम्ब होने का यही एक मुख्य कारण रहा है। प्रदेशों को आपदा राहत निधि से निधियां प्राप्त होती हैं, परन्तु मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से संबंधित है। राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में बहुत से मदों को शामिल नहीं किया जाता है।

देश में कहीं अत्यधिक वर्षा कहीं सूखा पड़ने की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं। सन् 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और दिसम्बर, 2009 में कोपनहेगन में सम्मेलन हुआ । सारे विश्व में पर्यावरण गर्म हो रहा है। यह भी संभावना है कि 2100 के अंत तक अर्थात् इस शताब्दी के अंत तक तापमान में 5 डिग्री से भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों को कहना है कि यह वृद्धि 9 डिग्री तक भी जा सकती है। इस तापमान को बढ़ाने की सबसे बड़ी एजेंसी इनर्जी यानि ऊर्जा है। तापमान को बढ़ाने में इनर्जी का 25 परसेंट, लैंड यूज और फॉरेस्ट्री के अंदर अदल-बदल करे तो 8 परसेंट, एग्रीकल्चर का 6 परसेंट, इंडस्ट्रीयल प्रोसेस का 1.5 अथवा 2.00 परसेंट और वेस्ट का 1.5 परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तापमान में एक डिग्री की वृद्धि भी गेहूं के उत्पादन को हमारे देश में लगाग 6 मिलियन टन प्रति वर्ष घटा देगी। जहां तक वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव का संबंध है, भारत सर्वाधिक असुरक्षित देश है। हिमालय के हिमखंड

पिघलने शुरू हो गए हैं। इन खंडों के पिघलने और तापमान से समुद्री तल में वृद्धि होगी जिससे पर्यावरणीय प्रकोप होंगे।

सबसे ज्यादा तापमान बढ़ाने या पर्यावरण में परिवर्तन लाने का काम धनी देशों का है। दुनिया के 8-10 बड़े देश हैं। कुल मिलाकर बड़े और छोटे विकसित देश 20 हैं, इनके पास सारी ऊर्जा है, सारे स्रोत हैं। इन्होंने प्राकृतिक स्रोतों पर कब्जा किया हुआ है इसलिए बाकी देशों में ऊर्जा का अभाव है। अब यह कहा जा रहा है कि ऊर्जा में तो गड़बड़ हो गई, पर्यावरण में विकृति आ गई, लेकिन अब इसे ठीक करेंगे और ऐसा करते हैं कि अब आप अपने यहां पेड़ उगाइए, ज्यादा कार्बन पैदा कीजिए ताकि कार्बन-डाईऑक्साइड एब्जार्ब हो जाए और हमें कार्बन डाईआक्साइड बनाने दीजिए। हम आपको पैसा दे देते हैं, आप और पेड़ लगाइए। आप कार्बन-डाईऑक्साइड एब्जार्ब कीजिए। आजकल विकसित देश, कोपनेगन और इससे पहले के सम्मेलनों में, संस्थाओं के सामने हमारी चिंताओं और समस्याओं को केवल इसी बात पर मूलतः आधारित करते हैं कि उन्हें ऊर्जा उत्पादन करने दीजिए। हम बाजार बने रहें, वे बिजली पैदा करते रहें, हम उसे खरीदते रहें। वे विकास करते रहें और हमारा विनाश होता रहे। दुनिया के 16 प्रतिशत लोग सारी दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों पर, सारी दुनिया के उत्पादन पर और सारी दुनिया के उपभोग पर स्वामित्व रखते हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यदि तापमान इसी प्रकार बढ़ता रहा तो जो आइस ध्रुवों पर जमा है, वह भी पिघल जाएगा।

आज सारी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के नाम पर एक भय पैदा किया जा रहा है। भारत और विकासशील देशों को डराया जा रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन में भारत का उतना हिस्सा नहीं है। अमेरिका और चीन अकेले सारी दुनिया में 20 प्रतिशत ग्रीन गैस हाउस का उत्सर्जन करते हैं। विकसित देश कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन पर एक सांझा रणनीति बननी चाहिए। दुनिया पर जो ग्रीन हाउस का भार पड़ा है, वह अमेरिका और यूरोप के विलासिता के चलते पड़ा है, हमारी गरीबी और दरिद्रता के चलते नहीं, लेकिन हमें सांझा रणनीति बनाकर उसमें बराबरी का हिस्सेदार बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यह उचित नहीं है।

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस संकेन्द्रण इस स्तर तक पहुंच गया है कि इसके कारण जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भारत भी इन परिवर्तनों से प्रभावित है। भारत विश्व के सबसे प्रभावित क्षेत्रों में से है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी जीवन रेखा मानसून में आमूलचूल बदलाव आएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 तक धरती के तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से विश्व में प्रभावित 375 मिलियन लोगों में से अधिकतर भारत सहित विकासशील देशों के होंगे। वर्ष 1952 और 2000 के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में विकसित देशों का हिस्सा 72 प्रतिशत रहा है। इस स्थिति का कारण प्राकृतिक संसाधनों और विश्व के सार्वजनिक संसाधनों का अवैध और अविवेकपूर्ण दोहन है। आज उत्सर्जन के संबंध में लचीलेपन की बातें की जा रही हैं।

मेरा सरकार को सुझाव है कि वह सबसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भू.पू. प्रधानमंत्री के समय में प्रारंभ की गई नदियों को जोड़ने की योजना पर तत्काल कार्य प्रारंभ करे। इससे ही हम देश में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे बदलावों को रोकने में वास्तव में सफल होंगे। इससे जहां बाढ़ एवं सूखे की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं देश में अरबों और खरबों रुपए की प्रति वर्ष होने वाली सम्पत्ति एवं बहुमूल्य जानों की रक्षा कर पायेंगें। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि बाढ़ प्रभावित राज्यों के साथ दलीय भावना से ऊपर उठकर सहायता एवं बचाव कार्य करने हेतु केन्द्र सरकार की ओर से तत्काल सहायता प्रदान की जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र का विकास एवं उसे मजबूत किया जाना नितान्त आवश्यक है। राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में जो मदें शामिल नहीं हैं, उन्हें शामिल किया जाना जरूरी है।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Deputy Speaker Sir, we are witnessing drought in some parts of the country and we are coming across furious floods in some other parts. This is happening due to vagaries of nature. Thus I am not altogether blaming the Central Government or the State Governments. Nature is changing and transforming every now and then. The ground water level in going down gradually. Rainfall is becoming deficient because the area under forest cover is shrinking. Only 18% of the total land is today covered by forests whereas at least 1/3 should be thickly forested. This is adversely affecting our environment. Due to perennial floods and droughts, scores of people are losing their property, land and even life. Crops are being destroyed, cattle and livestocks are being wiped out. There is devastation everywhere. Which leads to loss of crores of rupees.

Therefore I have a proposal to offer. During the NDA regime the policy of inter-linking of rivers was adopted. This policy should be revived and implemented if water management can be properly done, if flood water can be successfully channelized then destruction will be much less. That water can be utilized for agricultural purposes which in turn will lead to increase crop production and food security. This aspect must be kept in mind.

Whenever there is excess rainfall, the rainwater should be preserved by digging canals or by any other means. Rainwater harvesting should be done to get maximum benefit from excessive rainfall. Irrigation can be facilitated through this process.

You are aware that last year the agricultural output was merely 2% against an estimate of 4%. Thus the promise of food security could not be fulfilled. The development of our country depends mostly on the agricultural production. So the issue of flood and drought must be discussed elaborately and more time should be devoted to this problem. Last year there was 'Aaila' in our state West Bengal which caused massive destruction. The Central Government did not extend a helping hand generously. This year 11 districts of Bengal are reeling under severe drought. The Government has already announced a

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

relief package of Rs.5000 crores but all the funds have not been released as yet. I request the Government to release the funds immediately.

The course of Teesta river is changing. Both river Teesta and river Brahmaputra have large quantum of water. But due to various international prohibitions, we do not get the water. Bangladesh and China have a share in it. Our Government must initiate a dialogue with both the countries to sort out the matter. Rivers are slowly drying up. So canals must be dug to conserve the water and raise the water table. If that is done then agriculture activities will get a boost and the cultivators will prosper which will lead to socio-economic development of our country.

Therefore I request that there subjects should be discussed at length in this august House and the Government must take definite steps in order to minimize the adverse effects of natural calamities in future.

With these words I am concluding my speech here.

*__श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा):__ मैं उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड के बांदा/चित्रकूट जिलों से चुनकर आया हूं। मैं भी किसान हूं। कई सालों से लगातार कम वर्षा के कारण इस क्षेत्र का किसान सूखे की चपेट में है। कई वर्षों से पानी कम बरसने से नदी, नालों, तालाबों, पोखरों एवं कुओं का पानी सूख गया है। हैण्डपम्प सूखे पड़े हैं। वर्तमान में माह अगस्त का अन्त हो रहा है। अभी तक बुन्देलखंड एवं रीवांचल तथा इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि मण्डलों का किसान धान की रोपाई नहीं कर सका है। धान की फसलों वाला क्षेत्र खाली पड़ा है।

बुन्देलखंड में सिंचाई की सुविधाओं की कमी है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोवा, ललितपुर, झांसी, जालौन जिलों में असिंचित गांवों में गहरे नलकूप लगाने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से निम्नलिखित बिन्दुवार मांगें करना चाहता हूं।

1. सूखा प्रभावित क्षेत्रों एवं जिलों के सभी किसानों को 5000/- रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सूखा पीड़ित को मुआवजा दिया जाए।
2. सूखा पीड़ित जिलों के किसानों के हर प्रकार के कृषि ऋण माफ किए जाएं तथा सीधे किसानों को लाभ दिया जाए।
3. सूखा पीड़ित जिलों के किसानों को खाद एवं बीज मुफ्त में दिया जाए।
4. सूखा एवं बाढ़ प्रभावित किसानों को 20 घंटे बिजली दी जाए।
5. सूखा पीड़ित क्षेत्रों विशेषकर बुन्देलखंड में प्रत्येक असिंचित गांवों में एक से दो गहरे सिंचाई सरकारी नलकूपों का निर्माण कराया जाए।
6. प्रत्येक सूखा पीड़ित एवं बुन्देलखंड के प्रत्येक जिले में प्रति जिला 5000 नए हैण्डपम्प पेयजल हेतु लगाए जाने हेतु धन दिया जाए।
7. प्रत्येक असिंचित जिलों में बुन्देलखंड सहित पठारी क्षेत्रों में गहरे सिंचाई बड़े-बड़े ब्लाटिंग कूपों का निर्माण कराया जाए।
8. बुन्देलखंड सहित सूखा पीड़ित जिलों में सिंचाई हेतु निजी नलकूप लगाने हेतु किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए।
9. बुन्देलखंड सहित सूखा पीड़ित सभी क्षेत्रों को निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु निःशुल्क विद्युत लाइन नलकूपों तक दी जाए। (निःशुल्क ऊर्जीकरण किया जाए।)
10. बुन्देलखंड सहित सभी सूखा पीड़ित क्षेत्रों में बड़े-बड़े गहरे तालाबों का निर्माण कराया जाए।
11. बुन्देलखंड के चित्रकूट जिले में यमुना नदी पर यमुना बैराज बनया जाए जिससे सिंचाई हेतु पानी मिल सके।

---

* Speech was laid on the Table

12. उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित जिला चित्रकूट में 4000 मेगावाट का एनटीपीसी का पाव प्लांट बगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाए।

13. केन, बेतवा नदी जोड़ने हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत परियोजना को तत्काल शुरू किया जाए।

14. सूखा पीड़ित क्षेत्र के किसानों के पशुओं को चारा हेतु एवं पशुओं के इलाज की व्यवस्था की जाए।

15. कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृत्रिम सिंचाई हेतु फौहारा सिंचाई पाइप सेट (स्प्रिंगलर सेट) मुफ्त में वितरित कराया जाए।

16. कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु बीज, खाद मुफ्त में दिए जाएं।

17. सूखा प्रभावित क्षेत्रों की नहरें पक्की करके पानी की बर्बादी को रोका जाए।

18. सूखा पीड़ित पहाड़ी क्षेत्रों एवं बुन्देलखंड में बड़े-बड़े बांधों का निर्माण कराया जाए तथा पुराने बांधों एवं नहरों की मरम्मत करायी जाए।

19. जल संचय हेतु कार्यक्रम चलाए जाएं।

20. सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों एवं पेड़ों को लगाया जाए तथा पहाड़ो एवं जंगलों तथा नदी एवं नालों एवं तालाबों आदि पर अतिक्रमण करने वालों को रोका जाए।

21. नदी, नालों, पहाड़ों एवं वन क्षेत्रों की सीमा की पैमाइस कराकर अवैध कब्जे हटाए जाएं।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरी उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सूखा पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को स्पेशल पैकेज देकर उसमें मेरे द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर कार्य योजना तैयार की जाए।

***अशोक अर्गल (भिंड):** मान्यवर, मैं अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति चाहता हूं।

आज देश के कई राज्य बाढ़ एवं सूखे से परेशान हैं। कभी बिहार में बाढ़, कभी बंगाल में तो कभी असम में और कभी-कभी कई राज्य सूखे की मार भी झेलते हैं। आज हम देखते हैं कि बारिश के पानी को हम रोक नहीं पाते हैं जिसके कारण बारिश का पानी बहकर निकल जाता है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र भिण्ड / दतिया एवं बगल का मेरा पुराना क्षेत्र मुरैना एवं श्योपुर, इस क्षेत्र से क्वारी, चंबल, सिंध, कूनो, झिलमिल, आन, साक आदि नदियां गुजरती हैं।

प्रतिवर्ष जमीन से जल स्तर नीचे गिर रहा है। पहले किसान अपने कुओं से सिंचाई करते थे। जिन कुओं में पानी 60-60 फीट रहता था, वे आज सूख चुके हैं। जिन नदियों में बारह माह पानी चलता था, आज उनकी हालत अच्छी नहीं है। पानी सूख जाता है जिससे पशु, पक्षी और जानवर आज प्यास से दम तोड़ रहे हैं। पर्यावरण वन मंत्रालय जनवरों के रख-रखाव में करोड़ों रूपए प्रति वर्ष खर्च करता है। मैं चाहता हूं कि केंद्र की सरकार एक सर्वे कराए कि किन-किन नदियों पर पानी का रोकने की आवश्यकता है? जिस तरह चंबल क्षेत्र में क्वारी, आसन, सिंध, चंबल और कूनों से लाखों क्यूसेक पानी बहकर निकलता है, उन पर छोटे व बड़े बांध बनाए एवं सूखे खेतों को पानी दिलाया जाए। इससे जमीन का वाटर लेवल बढ़ेगा एवं जो पुराने कुएं सूख गए हैं, उनमें सुधार होगा। जहां से पानी बहकर निकलता है, वह कई राज्यों में तबाही मचाता है। फिर उस पर सरकार बाढ़ पीढ़ितों के राहत हेतु हजारों करोड़ रूपए खर्च करती है। करोड़ों रूपए सूखे पर खर्च किए जाते हैं। चंबल क्षेत्र की जीवनदायिनी चंबल नहर है, जो राजस्थान से होकर निकलती है, लेकिन वहां राजस्थान पानी देने में अन्याय करता है।

बाढ़-सूखा इस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। सूखे के कारण आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं। आज जलवायु परिवर्तन के कारण जो बारिश लगातार 15 दिनों तक होती थी, लेकिन आज लोग घंटों में हिसाब लगाते हैं कि चार घंटे या छः घंटे बारिश हुयी। 10 हजार करोड़ रूपए उ. प्र. की सरकार बाढ़ से निबटने हेतु मांग रही है, लाखों-करोड़ रूपए बाढ़ व सूखा पर खच्र किए जा चुके हैं। यदि प्रतिवर्ष हजारों, करोड़ों बांटने के बजाय, पानी को रोकने पर खर्च करें। नदियों
को जोड़ने की जो योजना एनडीए की सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू की थी आज उसे अधर में डाल दिया है।

आज चंबल नदी के कारण प्रति वर्ष कृषि भूमि बीहड़ों में परिवर्तित हो रही है। इस हेतु सरकार कोई योजना बनाये एवं बीहड़ी भूमि को कृषि भूमि बनाकर एवं उसका समतलीकरण कर बेरोजगार युवाओं को दे अथवा वहां कोई रोजगार के अवसर की योजना बनायी जाए।

---

* Speech was laid on the Table

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज बहुत से सम्माननीय सदस्यों द्वारा नियम 193 के तहत बाढ़ के इश्यू पर सारे देश की जो चर्चा चल रही है, उस में उन्होंने अपने इलाके की बात की। मैं बोलना चाहता हूं कि बाढ़ में खेती का, किसान का, गरीब लोगों का नुकसान होता है और जब सूखा होता है तो सूखे में भी गरीब का, किसान का और भूखे लोगों की खेती का नुकसान होता है। इस देश में सरकार ने कृषि के लिए कई पैकेज की घोषणा की। पंजाब और हरियाणा में बाढ़ के कारण जो 13 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, इसी तरह से सूखे के कारण देश के कुछ इलाकों में, जैसे बिहार, झारखण्ड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में सूखे से नुकसान हुआ। वेस्ट बंगाल में 19 में से 11 जिले सूखे की चपेट में हैं।

वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस सूखे से मुकाबले के लिए कल केबिनेट की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कृषि विज्ञानी भी थे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सूखे से मुकाबले के लिए केन्द्र सरकार से मांग की, डिमांड की कि 11 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा रेनफॉल नहीं हुआ, वहां 50 परसेंट रेनफॉल डैफीसिट है और पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इससे कड़ा मुकाबला करने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और मुकाबले के लिए स्थिर किया कि हर जी.बी. में 2-2 गांव के वहां सीड गांव बनाएगी और किसानों को पशुपालन के लिए मदद देगी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 50 हजार करोड़ से 70 हजार करोड़ रुपये कल देने की घोषणा की थी और सूखे से मुकाबले के लिए नरेगा में मजदूरों को, लेबर को काम देने के लिए कहा है। उसने केन्द्र सरकार से 1400 करोड़ रुपया इसके लिए मांगा है।

लेकिन दुख की बात है, पिछले साल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नरेगा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार से 1,700 करोड़ रूपए डिमांड किया, लेकिन केंद्रीय सरकार की तरफ से पिछले साल 172 करोड़ रूपए दिए गए। वर्ष 2009 में आइला हुआ था। इस सदन में माननीय फाइनेंस मिनस्टर ने ऐलान किया था कि आइला से मुकाबला के लिए वेस्ट बंगाल को 1,000 करोड़ रूपए इलेवेंथ प्लान से देंगे, लेकिन अभी तक वह 1,000 करोड़ रूपए वेस्ट बंगाल को गवर्नमेंट से नहीं मिले। वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा नार्थ बंगाल है। हमारे यहां नदी जालधाका है, तीस्ता है, तोरसा है, करजानिया है, ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यह नदी भूटान से आती है। भूटान में जब डैम से जल चलता है, ज्यादा पानी होता है, तो फ्लड हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय हमारी मांग है कि वेस्ट बंगाल की जो नदियां हैं, जलधाका, सिंगीमारी, तीस्ता, तोरसा इन सबको कंट्रोल करने के लिए सरकार भूटान गवर्नमेंट से बात करे। जब डैम से जल छोड़ेंगे, तो बातचीत करके ही छोड़ेंगे। इसलिए इसकी आलोचना नहीं करे। जब वहां से जल चलता है तो ज्यादा फ्लड होता है। इसलिए रिवर को कंट्रोल

करें, जैसे चीन ने ह्वांगहो नदी में डिजरिंग किया। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गंगा रिवर, बृह्मपुत्र बेसिन सहित जितनी नदियां हैं, वहां डिजरिंग करना चाहिए। जब डिजरिंग होगा, ...(व्यवधान) बारिश से फ्लड नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : तो बारिश नहीं होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Thank you very much sir to give me the opportunity to take part in this discussion under 193 on flood and drought situation in our country.

Last year most of the North Indian States were affected by drought. This year the situation is changed. The above States are affected by heavy flood.

Due to climate change, the agriculture production is collapsed completely. The productivity and production of agriculture commodities are reduced tremendously. The reason for price rise also is the consequences of this natural calamity of flood and drought.

Water management and forecasting of drought and flood situation mechanism should be enhanced.

In order to protect and preserve the surplus water which are occurring due to flood can be channalised by establishing a National river from Kashmir to Kanyakumari. Then there will be no problem of dispute between each state regarding water sharing. The National river water can be channalized to water scarce States. It can be useful for making cultivation extensively. The food production can be increased.

In order to meet out the damages caused by flood and drought, our Central Government provides a lot of funds from calamity relief fund. The relief funds are sometimes utilized properly by some States. In some areas are misused.

The Cooperation between States and Centre is essential to mitigate the flood and drought situation of various States. “Prevention is better than cure”

By making various forecasts, each and every State Government should take various steps to enhance the river capacity by embankments. The Channels must be repaired. The bonds be desilted and must be deepened. Then only the flood water can be preserved.

The cause for price rise of various essential commodities is mainly due to flood and drought. In this regard, the government should take various steps and the Centre should coordinate and bring various plans to meet the flood and drought situation.

---

* Speech was laid on the Table

*SHRI N.CHALUVARAYA SWAMY (MANDYA) : Hon. Deputy Speaker Sir, I am very grateful to you for giving me this opportunity to speak on this discussion on flood and drought situation in the country under rule 193.

I, on behalf of J.D.(S) party would like to point out that certain things pertaining to my state. Last year my state Karnataka was severely affected by floods. As we are aware the Government of India had sent an official team to study the problems of the people in flood affected districts in Karnataka. Besides this Hon. Prime Minister Shri Manmohan Singh ji and the chairperson of the UPA Smt. Sonia Gandhi ji also visited and had witnessed the agony of millions of flood victims. Then the Union Government had released Rs. 1,500/- crore to Karnataka for immediate rehabilitation and relief measures.

Sir, the natural calamities like flood and drought are occurring time and again in almost all parts of our country. States like Karnataka, Maharashtra, Bihar, Tamil Nadu and Andhra Pradesh are experiencing the fury of floods almost every year. Since independence Union Government and all the State Governments have been making efforts to deal with such natural calamities. This sort of discussions are going on in our Parliament as well as the State Legislative Assemblies. But we have failed to find out a permanent solution for this perennial problem. It is very very unfortunate.

Sir, I would like to draw your kind attention to the fact that for the last one and a half decades the state of Karnataka has been badly affected whenever there has been heavy downpour in Maharashtra. Many of the villages in Belagaum, Bijapur, Gulbarga and Raichur districts of Karnataka were inundated. It has resulted in severe damage to property and loss of human life and livestock.

Sir, I would like to know from the Union Government as to how much amount has been released for relief and rehabilitation work to the flood affected states in the country and whether these financial assistance has been utilized properly by the concerned State Governments or not? What is the present status of relief and rehabilitation works in different states? Whether the Government is aware of this mismanagement of funds by the State Governments. If so who is to be made accountable for such irregularities?

---

* English translation of the speech originally delivered in Kannada

What action has been taken to prevent such irregularities. If not what is the necessity of spending such a huge amount.

Sir, I hope the Hon. Minister in his reply would give all these details. I would like to say that if the Government is not serious it is very difficult to find out a permanent solution for the problems arising out of natural calamities. I feel it would have no meaning if you simply release the funds without any accountability.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please conclude.

SHRI N.CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA) : Another thing I would like to mention is that it is very very unfortunate that even today we are following the laws made by colonial Britishers to deal with the problems of farmers and agriculture community. If a farmer suffers a loss due to natural calamities or if a farmer's land is to be acquired we give a very very paltry amount as a compensation to our poor farmers. But in the case of legislators we increased the salaries by bringing amendments to our existing laws. And also in the case of Government Employees their salaries are being increased as per the recommendations of the Pay Commission set up by the Governments.

It is a matter of great concern that the Government is giving a meagre amount of Rs. 500/- per acre in case of crop failure due to floods. Compensation for farm land acquisition by the Government is also very meagre. All these are happening because even today we are following the colonial laws.

That is why we need to have a re-look into our laws pertaining to agriculture and farming community. Otherwise our farmers may feel that democracy is in no way better than the colonial rule. We also need to think that whether our democratic system is really helping our farmers. If not, we should do something for the betterment of our agriculturists to lead a happy life.

Sir, my next point is about miserable condition of the flood victims in the state of Karnataka. Flood victims were allotted a very small plot measuring 10" X 20" feet to construct a house. Even today those victims are living in temporary sheds. There is no pucca house for them to live in. Flood victims are to live with their family and livestocks in those small sheds. They are to sleep over there and cook and eat there. So, I request the

Government to set up a House Committee and send it to look into the problems of farmers and try to find out a solution for this.

With these words I thank the chair once again and conclude my speech.

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड जो देव भूमि, वीर भूमि और ज्ञान भूमि है, वहां प्रकृति ने ऐसा तांडव किया जिसका वर्णन करना संभव नहीं होगा। ऐसी वर्षा, भूस्खलन, बादल का फटना, बाढ़ आदि से सारे जनपद बुरी तरह से प्रभावित हैं। इस समय सौ गांव ऐसे हैं जिनका पुनर्वास करना बहुत आवश्यक हो गया है। करीब 73-74 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ, केदारनाथ को जोड़ते हैं, जगह-जगह से टूट गए हैं। वहां आज आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आज नदियों में जो बाढ़ आ रही है, उसका मेन कारण यह है कि रिवर बैड उठ रहा है। फॉरैस्ट एक्ट और माइनर मिनरल कनसैशनल रूल के अंतर्गत आपने पत्थर के चुंगान पर पाबंदी लगा दी है, जिससे नदियों का बैड बढ़ रहा है और बाढ़ का पानी गांवों और शहरों में आ रहा है।

यहां जल संसाधन मंत्री जी बैठे हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर जब बाढ़ आती है तो खेत कट जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों में खेत उपजाऊ हो जाते हैं। इससे वहां काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकारों ने नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी उन प्रस्तावों को स्वीकृत करने की कृपा करें।

इस समय उत्तरकाशी, टेहरी, पौढ़ी, खटीमा, मुनस्यारी आदि कई जगह बहुत नुकसान हुआ है। सब जानते हैं कि किस तरह 18 बच्चों का असामायिक मृत्यु हुई। मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और बार्डर रोड्स इतनी बुरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं कि उन पर युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। उसमें हमारे कई यात्री भी फंसे रहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि हमें प्रधान मंत्री राहत कोष से पैसा दिया जाए। आज राज्य सरकार क्या मदद कर रही है? जिनके घर पार्शियली डैमेज्ड हैं, उन्हें 2 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और जो मकान बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, उन्हें कुल 35 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। पुरी-भटवाड़ी बाजार जो गंगोत्री से पहले है, पूरा खत्म हो गया है, गांव खत्म हो गया। 2 हजार रुपये और 35 हजार रुपये का आपदा का जो कम्पैनसेशन है, वह बिल्कुल कम है। इससे जनता में बड़ा असंतोष है। मैं कहना चाहता हूं कि आपदा के मानक को बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर गांव के पुनर्वास के लिए 1500 करोड़ रुपये और 2 हजार करोड़ रुपये लोगों को राहत देने के लिए मांगे हैं।

मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तराखंड में एक उच्च स्तरीय समिति भेजें जो पूरे नुकसान का अवलोकन करे और उन्होंने जिस तरह लद्दाख के भूस्खलन में मदद की, उसी तरह उत्तराखंड राज्य को भी आर्थिक सहायता देने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़कर उत्तराखंड, जो दैवी आपदा से प्रभावित है, उसकी आर्थिक मदद करें और वहां के लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाएं।

*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): बारिश की पहली फुहार पड़ते ही आबो-हवा के साथ् इंसानी चेहरों की रंगत भी बदल गई। नहीं बदला तो केवल बुंदेलखंड और उसके बाशिदों के चेहरे की मुरझाइयां। वहां धूल भरी आंधियां हैं, पानी के लिए जगह-जगह मरे पड़े, सड़ते जानवरों की लाशें हैं, कुछ कुंवारों के गांव भी है, क्योंकि लोग उन गांवों में अपनी बेटियों की शादी नहीं करते- इसलिए कि वहां पानी नहीं है। रात में पानी की चोरी करते किसान हैं, पानी के लिए लाठियां चटकाते फौजदारी करते भाई-बंधु हैं और मीलों तपती धरती से नंगे पैर पानी भरकर लाती हुई औरते हैं। ये बुंदेलखंड की भयावह तस्वीर है, जहां आज की तारीख में कवेल 50 से 95 सेमी वर्षा होती है। बुंदेलखंड में सूखे और अकाल का इतिहास बहुत पुराना है। यहां तक कि 744 हिजरी में इब्नबतूता बुंदेलखंड आया तो उसे यहां अकाल के दीदार हुए और उसने अपनी पुस्तक 'रेहला' में इसका जिक्र भी किया। यह भयावह सूखा उन घने जंगलों को धीरे-धीरे लील गया जिसमें बाबर द्वारा शिकार खेलने का जिक्र मिलता है। चंदेलों का राजकीय चिह्न शार्दूल जो कि भारतीय शेरों की एक प्रजाति थी, आज केवल पत्थर के स्मारकों में सुरक्षित है।

बुंदेलखंड का इतिहास चंदेलों, बुंदेलों, मराठों और अंग्रेजों के आगोश में अंगड़ाइयां लेता है। शुरूआती दिनों में चंदेलों ने कुओं की तरफ खूब ध्यान दिया। कुएं ही पेयजल और खेती के मुख्य साधन थे। टीकमगढ़ में आज भी देश के सबसे ज्यादा कुएं पाए जाते हैं, लेकिन जलस्तर नीचा होने, विषम-कठोर धरातल, बिखरी हुई बस्तियों के कारण तालाबों ने जल्द ही कुओं का स्थान लेना शुरू किया और तालाबों का एक खूबसूरत नेटवर्क पूरे बुंदेलखंड में बनना प्रारम्भ हुआ। चंदेल राजाओं ने इसे एक धार्मिक और सामाजिक ताना-बाना भी दिया। चंदेल राजाओं ने अपने नाम से यहां तक कि पुत्र-पुत्रियों, पूर्वजों और पौराणिक पात्रों के नाम से भी तालाब बनवाए। पूरे बुंदेलखंड में 700 तालाब इसी अवधि में अस्तित्व में आए। चंदेलों ने कुछ तालाबों के भीतर मंदिर बनवाकर उन्हें ऐतिहासिक स्वरूप भी दिया। इस दौर में ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जिसमें सजायाफ्ता दुश्मन राजा को तालाब निर्माण के रूप में जुर्माना भरने को कहा गया। ये तालाब जीविकापार्जन का साधन भी बने। चंदेल शासकों ने जलीय कृषि करने वाली स्थानीय जातियों को इस बात की छूट दी कि वे तालाबों में मछली पालन करें, सिंघाड़ा, मुरार और कमलगट्टा की खेती करें, इस शर्त पर कि वे तालाबों का रख-रखाव भी करते रहें। इन समवेत कारणों से तालाब बुंदेलखंड की सामाजिक-धार्मिक परम्परा पूरी तरह कदमताल करते नजर आए । बुंदेला राजाओं ने उतने महत्वपूर्ण नए तालाब तो नहीं बनाए, लेकिन इन तालाबों का स्वरूप जरूरत बरकरार रखा। चरखारी और अजयगढ़ में कुछ सुंदर तालाब भी बने।

बुंदेलखंड में उत्तराधिकार जब मराठों से अंग्रेजों को हस्तातरित हुआ तो अंग्रेजों ने बुंदेलखंड की सैन्य महत्ता को देखते हुए यहां खुद को स्थापित करने का निर्णय लिया और जलीय संकट के निवारण के लिए बांध निर्माण की योजना बनाई। बांध निर्माण की प्रक्रिया आज भी तब से अनवरत जारी है। दुर्भाग्य से बुंदेलखंड की परम्परागत जल

* Speech was laid on the Table

संचयन प्रणाली अब ध्वस्त है। कुएं, बावड़ियां और तालाब सब भूमाफियाओं के कब्जे में हैं। 1930 में शुरू हुई नलकूप प्रणाली ने बुंदेलखंड की परम्परागत जल संचयन व्यवस्था का विध्वस कर डाला है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि देश में 1930 में जहां तीन हजार नलकूप थे, वहीं इनकी संख्या अब पाच लाख है। जल संचयन अब केवल सरकारी मकहमे की जिम्मेदारी है। जैसे-जैसे जलस्तर नीचे जा रहा है, हैंडपंप पानी देना बंद कर देते हैं। प्रशासन इसे री-बोर कराकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेता है। गर्मियां शुरू होते ही गांवों में पानी को लेकर जब हाहाकार मचता है तब पानी की चोरी और जल संसाधनों पर कब्जे की घटनाएं कानून एवं व्यवस्था की एक बड़ी समस्या बन जाती है। यह भी एक अजीब विरोधाभास है कि जहां बुंदेलखंड की खेती पानी के अभाव में दम तोड़ रही है वहीं देश की 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ में जलमग्न है। कहर मचाते इस जल संसाधन का समान वितरण कैसे किया जाए, इस पर देश के योजनाकारों का ध्यान नहीं जा रहा है। बुंदेलखंड में किन साजिशों के तहत जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, तालाबों पर खेती की जा रही हैं, इसके निवारण के लिए बुंदेलखंड की अवाम को अपने बीच से ही भगीरथ पैदा करना होगा। बुंदेलखंड में पिछले 9 वर्षों में 8 बार सूख पड़ा है। बेतवा नदी को जोड़ने की योजना को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता है।

*SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir, Assam and flood is extremely a synonymous one. In every year Assam reeled under severe flood. Flood not only hit Assam once in a year but nearly four to five wave of flood affected Assam and huge land is eroded and many lives lost.

For long, we have been demanding that flood in Assam be treated as a national problem. As the dimension of flood is huge, it is beyond the administrative capacity of State Government to control flood in Assam.

Sir, Majuli the river island is the largest one of this kind. This island is the nerve centre of Vhaisnavite culture of propagated by Guru Sri Sankardev in 16th century. There were nearly fifty major Vhaisnavite satra (Religion-cultural centre) but fifteen *satras* are completely eroded by river Brahmaputra.

Sir, Assam is like a big bowl. It is surrounded by hill states like Maghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Bhutan also in the Northern side.

Water form all these hill states cascading to Assam.

When there is huge flood in Bhutan, flood gate of Kurashu river flung open and flood water of the river washed away lives and property of the bordering district of Assam.

Lakhimpur, Dhamaji, Jonaai, Silasgar, pats of Kamrup, Goalpara and parts of Barrack valley reeled under flood. Corrupt Government of Assam Government did not use the Central Government's funds for proper control of flood. All the embankments of rivers are not properly constructed. And contractors with the connivance of corrupt officials did not use right kind of materials required for construction of embankments. As a result embankments were breached even in the first wave of flood.

Moreover, big dams always a very dangerous proposition, especially for Assam proposed huge dam in lower Sovansiri river in Arunachal Pradesh will threatened entire Lakhimpur, Dhemaji, Silasagur and parts of Tinsukia district of Assam. Ecologist's, Environmentalist's, Geo-scientist's are of the opinion that as NE region is earth-quake

* Speech was laid on the Table

prone zone, stones of the hills are not mature in the eventuality of earth-quake huge dams will be a potential danger.

Hence I urge upon the Government that instead of big dams, construction of small dams on the upper reaches of the river will be more helpful.

Sir, through you I urge upon the Government to find out a positive way to control food menace in Assam.

19.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय : सात बज गये हैं, अभी इस विषय पर छः-सात माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। उसके बाद जीरो ऑवर भी है। अगर सदन की मंजूरी हो, तो एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : इसमें दोनों बातें हो जायेंगी। आधा घंटा इस विषय पर लग जायेगा और आधा घंटा जीरो ऑवर में लग जायेगा। ...(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बाढ़ और सूखे की स्थिति पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद इस प्राधिकरण का जो कार्य होना चाहिए था, वह कार्य ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। आज सारा देश बाढ़, सूखे की चपेट में आया हुआ है। राज्य सरकारें, जिनको अच्छी तरह से काम करना चाहिए, वे सरकारें भी काम नहीं कर पा रही हैं। मैं खासकर महाराष्ट्र के बारे में यहां बोलना चाहूंगी। महाराष्ट्र में पिछले तीन-चार सालों से सूखा था, लेकिन इस साल बाढ़ आने के कारण वहां काफी नुकसान हो गया। वर्ष 2006 में महाराष्ट्र में बाढ़ आयी थी, जिसके कारण हजारों-लाखों लोगों के घर बह गये, किसानों की खेती बर्बाद हो गयी, फिर भी सरकार ने वहां पर राहत नहीं दी। उसके बाद वर्ष 2010 में फिर से वहां बाढ़ आयी। उसके बाद भी सरकार को जो उपाय करने चाहिए थे, वे उपाय वहां पर नहीं किये गये। मैं कहना चाहती हूं कि वहां पुनर्वास का कार्य भी नहीं किया गया। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, खासकर मैं अपने क्षेत्र दी गयी थी, वहां बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ था। जब मैं वहां गयी, तो मेरे पास कई महिलाएं आ गयीं, सारे लोग इकट्ठे हो गये। वहां तकरीबन 900 घरों में पानी चला गया था, जिसके कारण वे लोग अपने घरों में नहीं रह सकें। राज्य सरकार ने कुछ प्रबंध किया, लेकिन वह प्रबंध भी पूरा नहीं हो सका। मैं यहां यह बताना चाहूंगी कि वर्ष 2006 में भी इसी शहर में, इसी गांव में पानी आया था।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भावना जी, आप संक्षेप में बोलिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती भावना पाटील गवली : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट और दीजिए, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है। ...(व्यवधान) वर्ष 2010 में बाढ़ आने के बाद भी सरकार ने वहां कोई राहत नहीं दी, जिसकी वजह से पुनर्वास नहीं हो पाया। मैं कहना चाहूंगी कि केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार के पास पुनर्वास के लिए तकरीबन 400 प्रस्ताव पड़े हुए हैं। वहां कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस कारण वहां लोग आज बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं। ...(व्यवधान) मै यह कहना चाहूंगी कि जितना किसानों का नुकसान हुआ है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दो मिनट पूरे हो गये हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती भावना पाटील गवली : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट के लिए कहा था, वह दो मिनट पूरे हो गये हैं। अब दो-दो मिनट करके हम कितना समय बढ़ायेंगे?

...(व्यवधान)

श्रीमती भावना पाटील गवली : जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां किसानों का भी बड़ा नुकसान हुआ देखते हैं। किसानों को भी राहत नहीं मिलती। मैं कहना चाहूंगी कि किसानों को राहत दिलाने की बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात मैं रिवर लिंकिंग के बारे में कहना चाहूंगी। यह प्रस्ताव एनडीए सरकार लायी थी। आज रिवर लिंकिंग न होने के कारण जब बाढ़ आती है, तो एक प्रदेश में सारा पानी चला जाता है, जिससे काफी नुकसान होता है। कई जगहों पर सूखा पड़ता है। अगर हम रिवर लिंकिंग का प्रौजेक्ट बनाते हैं, तो हम अच्छी तरह से अपने देश में कार्य कर सकते हैं और इससे किसानों को भी राहत मिल सकती है। इसके साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण के लिए हम जो राष्ट्रीय नीति बनाने जा रहे हैं, उसके लिए राज्यों ने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, ऐसा हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने यहां पर बताया था। अगर यह नीति नहीं बनती है, तो हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पायेंगे।

मेरी मांग है कि जल्द से जल्द यह नीति हम तय करें और हमारे देश के किसानों को, जो लोग पुनर्वास से वंचित हैं, उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाई जाए। राज्य सरकार वहां पर अच्छे तरीके से काम करे। मैं बताना चाहूंगी कि जब हमारी सरकार थी, हमने किसानों के लिए अच्छी तरह से योजना बनाई थी, योजना को लागू किया था जिससे किसानों को अच्छी तरह से लाभ हुआ था, लेकिन आज केन्द्र और राज्य में जो सरकारें हैं, वे कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। दस वर्षों से वे सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि जल्द से जल्द अच्छी राष्ट्रीय नीति बनाई जाए ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): महोदय, भारतवर्ष में बाढ़ एक बड़ी समस्या है जिससे देश का 75 प्रतिशत भाग प्रभावि होता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में जनहानि होती है, अरबों रुपये की संपत्ति नष्ट हो जाती है, इसके लिए हमें बड़ी-बड़ी नदियों में उद्‌गम स्थल से ही गाद व गंदगी के प्रभावी नियंत्रण की सख्त आवश्यकता है। गंदगी व गाद के चलते नदियों की जल संग्रहण क्षमता काफी कम हो गयी है। इसके अलावा सूखा भी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी समस्या है जिससे जूझने के लिए शासन को हजारों करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हालात आमतौर पर बद से बदतर ही रहते हैं। बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं नियंत्रण प्राधिकरण का केन्द्र व राज्य स्तर पर प्रभावी गठन किया जाना चाहिए तथा केन्द्र से राज्य को व राज्य से केन्द्र को सूचनाओं का संप्रेषण भी त्वरित होना चाहिए। साथ ही, इस मामले में कोताही बरतने पर अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने का प्रावधान होना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीक की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। सूखे व बाढ़ का मूल कारण हमारे देश में वनक्षेत्र का तेजी से समाप्त होना है। यदि वृक्षारोपण के लिए केन्द्र व राज्य के स्तर पर जमीनी कार्यक्रम व प्राधिकरण बनाकर युद्धस्तर पर व्यावहारिक रूप से सघन वृक्षारोपण कराया जाए व देशवासी वृक्षों के महत्व को समझें, तो निश्चित ही दोनों समस्याएं काबू में आ सकती हैं। वृक्षारोपण केवल शासकीय प्रयासों से ही संभव नहीं है, इसके लिए आम जनता में गंभीर चिंता व वृक्षों के अभाव से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए जनजागरण के कार्यक्रम भी बेहद जरूरी हैं। सघन वृक्षारोपण का सपना तभी साकार हो सकता है, जब देश के आम आदमी को इसमें भागीदार और जवाबदेह बनाया जाए। इसके लिए संसद से लेकर गांव की चौपाल तक, शहर से लेकर नुक्कड़ व बाजार तक, हर स्तर पर राष्ट्र हित में हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण अपने लिखित भाषण सदन के पटल पर रख दें।

श्री जगदम्बिका पाल

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का समय दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका एक मिनट बहुत लंबा होता है। मुझे पता है।

श्री जगदम्बिका पाल : आपने मुझे कंक्लूड करने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं बड़ी भारी मन से बात कह रहा हूं।...(व्यवधान)

महोदय, जिस इलाके से मैं आता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की नीयति है बाढ़। हमारे तमाम माननीय सदस्य जानते हैं कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की नियति हो गयी है बाढ़। मैं इस चर्चा में इसलिए भाग लेना चाहता था क्योंकि मैं सोचता था कि कम से कम इस चर्चा में, जहां बाढ़ और सूखे पर चर्चा होगी, कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं होगा।

मैंने बीएसपी के सदस्यों की बात भी सुनी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप विषय पर बोलें, किसी ने क्या कहा, इस पर न जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल : सब माननीय सदस्यों ने जो कहा, उससे ऐसा लगता है कि बाढ़ प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी केन्द्र की है, जबकि फ्लड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उसके बावजूद भी जिस राज्य में बाढ़ आती है, बाढ़ आपदा प्रबंधन की तरफ से केन्द्र द्वारा उसे मदद दी जाती है. भारत सरकार ने फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चाहे बाढ़ प्रबंधन की बात हो, बंधों के कटावरोधी की बात हो, चाहे समुद्री कटावरोधी की बात हो, चाहे निकासी का सवाल हो, इन सारे मुद्दों पर फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत मदद दी जाती है।

सन् 2009 में सूखा पड़ा था। यह भी सही है कि देश के 15 राज्यों में 352 जिलों में सूखा पड़ा था। यह कहा गया कि जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं, वहां पर पैसा दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने बिहार में 1200 करोड़ रुपए दिए, जबकि वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। पंजाब में हमने 800 करोड़ रुपए दिए।

उपाध्यक्ष महोदय: वह सब मंत्री जी बताएंगे।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आज उत्तर प्रदेश में चाहे गंगा हो, रामगंगा हो, राप्ती हो, बूढ़ी राप्ती हो या जमुवार हो, इन सभी नदियों के जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हैं। आज खीरी लखीमपुर से दुधवा पलिया की रेल लाइन बंद है। दुधवा में नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क है, वह सारा पानी से भरा हुआ है। मैं समझता हूं कि दुधवा के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया है। वहां की दस ट्रेंस कैंसिल हो चुकी हैं। नेपाल से शारदा में 70,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, नारयणी में भी नेपाल से 2,40,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। आज उस पानी के यहां आने से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बहराइच, गोंडा में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।

यह दुर्भाग्य है कि जब चेरापूंजी में बारिश होती थी, तो कहा जाता है कि देश में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है, हम बचपन में ऐसा पढ़ा भी करते थे। लेकिन आज वहां सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए यह कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज जून, जुलाई और आधे अगस्त तक बारिश नहीं हुई, 42 प्रतिशत मानसून उत्तर प्रदेश में कम था, 27 प्रतिशत बिहार में कम था।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं अब केवल उत्तर प्रदेश की ही बात कहूंगा और वह बात कहूंगा जो अभी चर्चा में नहीं आई है। उससे आपका भी ज्ञान बढ़ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने उत्तर प्रदेश की भी बात कह दी है, अब आप अपनी बात समाप्त करें। वैसे मुझे भूगोल के बारे में पता है।

श्री जगदम्बिका पाल : आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए और बाढ़ राहत कार्यों के लिए काम करना चाहिए, जो कि राज्य सरकार नहीं कर रही है। यह मैन मेड बाढ़ है। बिहार में 2007 से लेकर 2009 में जो वहां चार नदियां है, उनके बंधे हमेशा कटते रहे, तटबंध कटते रहे। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी तटबंध कटते रहे और वहां बाढ़ आती रही। जब ऐसा होता है तब तक सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स सोए रहते हैं। वे चाहते हैं कि जब तटबंध कट जाएंगे, फिर केन्द्र से या राज्य से पैसा आएगा, उसमें भ्रष्टाचार करेंगे। मैं समझता हूं कि बाढ़ से ज्यादा इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले तक सूखा था, लेकिन अभी कुछ दिनों की बारिश से वहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इसी तरह दिल्ली में यमुना में पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। पंजाब और हरियाणा में भी यही स्थिति है। जहां हम जून-जुलाई में सूखे की बात कर रहे थे, अचानक अगस्त में जिस तरह से मानसून की बारिश हुई, तो बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देकर तुरंत बाढ़ राहत कार्य शुरू करने चाहिए।

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Sir, I hail from a constituency, Joynagar of South 24 Parganas District of West Bengal, the district, which is reeling under drought. Last year also, due to Aila cyclone, this district faced the wrath and the farmers could not cultivate due to marooning of land with the salty water and even flooding of the ponds with salt water. Like some other districts of our State, Purulia, Bankura and West Midnapore also last year faced reduced rainfall and similarly they are facing misery and hunger.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please be brief.

DR. TARUN MANDAL : I am very brief.

The West Bengal Government has already declared 11 districts as drought affected and demanded Rs.1400 crore from the Centre. But I suppose with declaring only as drought affected, they have completed their duties. The immediate works, which are needed, like supply of foods, drinking water, fodder for the animals and, particularly exemption of loans of the farmers and fees of the students, are extremely necessary in these conditions.

All India Kisan and Khet Muzdoor Sanghatans and also Socialist Unity Centre of India (Communist) are launching movements for these demands. I believe this is a joint responsibility of the Centre and the State Governments. Whatever money the State Government has demanded, should be immediately released by the Central Government. At the same time, it should be looked into that it is properly utilised for the particular purpose it has been given.

I am very sorry to say that it is a shame for the nation that after 63 years of independence we could not bring out a permanent policy for this perennial cyclical problem of flood and drought. Flood is the most common natural calamity in this country. Even no assessment has been made as to how much wealth we have lost due to these natural calamities. So, I will request the Central Government and the State Governments to bring about some permanent projects to save our countrymen from this perennial problem of flood and drought.

श्री हेमानंद बिसवाल (सुन्दरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज सूखा और बाढ़ के बारे में, नियम 193 के हिसाब से मुझे बोलने का मौका दिया गया है, मैं आपका आभारी हूं। यह साल ऐसा विचित्र साल है जिसमें हम बाढ़ भी देख रहे हैं और सुखाड़ भी देख रहे हैं। उड़ीसा प्रदेश को भारत के लोगों ने और विश्व के लोगों ने देखा है कि वर्ष 1999 में यहां बाढ़ भी आई और सुपर-साइक्लोन भी आया। ये दोनों अलग चीजें हैं क्योंकि अपर-स्ट्रीम ऑफ द रिवर में बाढ़ आ रही है और समुद्र के किनारे साइक्लोन आ रहा है, सुपर-साइक्लोन आ रहा है। अब तक उड़ीसा सरकार इसके लिए कुछ भी कर नहीं पाई है। लम्बी अवधि में ऐसी परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए आज भी कोई प्लानिंग नहीं हुई है। हमारे यहां डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, उसमें ये लोग कुछ सुझाव देते होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के लिए इन लोगों के सुझाव क्या हैं और इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार, उड़ीसा सरकार, इसके लिए क्या कदम उठा रही है, इस पर भी गहराई से सोचना चाहिए।

भारत में आज इतनी बारिश हो रही है कि भारत के सात राज्यों को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में बाढ़ के बारे में चर्चा हो रही है। दिल्ली में दस दिनों से बारिश हो रही है और दिल्ली चेरापूंजी की तरह नजर आ रही है। लगता है कि यहां जो कॉमनवैल्थ गेम्स हो रही हैं उसे प्रकृति होने देना नहीं चाहती है। लेकिन दुःख की बात यह है कि जब हम बाढ़ के बारे में, चारों तरफ चर्चा देख रहे हैं, सूखे के बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा के 30 जिलों में से 7 जिलों को छोड़े देने के बाद, 23 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। महोदय, छह राज्य सूखा प्रभावित घोषित हो चुके हैं, लेकिन उड़ीसा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दस राज्यों में 30 से 50 प्रतिशत कम बारिश हुई है और 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 प्रतिशत से कम बारिश हुई है। यह 18 तारीख तक की रिपोर्ट है। आज 27 तारीख है और आप आज तक देखेंगे कि अभी तक इन इलाकों में बारिश नहीं हुई है। उड़ीसा में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे तीन-चार ब्लाक हैं, जहां आज तक कुल पांच सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहां पीने का पानी भी नहीं है। हमारी कलेक्टर से भी बात हुई थी, लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं की गई। झारखंड बार्डर, छत्तीसगढ़ बार्डर आदि के पास जितने ब्लाक्स हैं, वहां पानी की समस्या बनी हुई है। यह काम राज्य सरकार को करना चाहिए, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

उड़ीसा में 23 डिस्ट्रिक्ट आज के समय में सूखा प्रभावित हैं, फिर भी सूखा प्रभावित घोषित नहीं किए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री हेमानंद बिसवाल : वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो, इस बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने यह रिपोर्ट भी दी है कि पीने के लिए जो हम पानी नीचे से निकाल रहे हैं, वह आने वाले 35 सालों के बाद वह भी घट जाएगा। हमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा बनाने चाहिए। माइनर इर्रिगेशन के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो पैसा दे रही है, उसका सही ढंग से वितरण नहीं होता है, इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे : महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे : महोदय, सचिवालय का स्टाफ सुबह से काम पर आया है, लेकिन इस वक्त उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती भावना पाटील गवली : उपाध्यक्ष महोदय, स्टाफ के खाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे : महोदय, हमें खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन स्टाफ के लिए कैंटीन में खाने की सुविधा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपनी अपनी बात कह दी है, आप बैठ जाएं। मंत्री जी आपसे कुछ बोलेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले तय नहीं हुआ था कि आज देर तक सदन की कार्यवाही चलेगी। सत्र के शुरूआत में किन्हीं कारणों से कुछ दिन तक सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी, इसलिए काम आगे बढ़ता गया।

मैं मानता हूं कि यह बात सही नहीं है। अगर 8 बजे तक हो तो मैं खाने का इंतजाम जरूर करना चाहिए। अब दो दिन की बात है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं...(व्यवधान) अगर 30 और 31 दो दिन और हाउस चलना है, अगर उन दिनों भी हाउस लेट बैठेगा तो खाने के लिए इंतजाम पहले किया हुआ होगा और अगले सैशन में कभी ऐसा नहीं होगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहस हो रही है। जरूर इस देश के किसान बाढ़ और सुखाड़ से तबाह हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस देश के किसान केवल बाढ़ और सुखाड़ से ही तबाह नहीं हैं, वे इस देश की सरकार से भी तबाह हैं।...(व्यवधान) मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं, उनका कोई एग्रीकल्चर मैनेजमेंट नहीं है। आज इसी के खिलाफ जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जिसमें एग्रीकल्चर पदाधिकारी काम करने वाले हैं, कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर इत्यादि जो हैं, उन सब लोगों ने टॉर्च लाइट प्रोसैशन कर रखा है और मोमबत्ती का प्रोसैशन किया हुआ है। वे जूलूस लेकर जंतर मंतर पर आए हुए हैं। इसीलिए हमने आपका समय लिया और मैं सरकार से मांग करता हूं कि एग्रीकल्चर में काम करने वाले पदाधिकारियों का एग्रीकल्चर कैडर मैनेजमेंट और उनकी देखभाल और जो कृषि की बात जानते हैं, कृषि के विशेषज्ञ हैं, जब उनकी तरफ ही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वे किसान की क्या सहायता करेंगे? इशलिए उनकी मांग जो हैं, उनको पूरा किया जाए।

श्री पवन कुमार बंसल : चर्चा समाप्त हो गई है। उसके बाद 30 को इसका जवाब होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हाउस एग्री करता है तो ज़ीरो ऑवर लेते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वहां स्पीकर साहब के ऑफिस में बात की है, उसी दिन एससीएसटी वाला भी साथ ले लिया जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माकन सिंह सोलंकी- अनुपस्थित।
श्री ए.एम.आनंदम- अनुपस्थित।

श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण (साबरकांठा) : महोदय, आपको मालूम ही है कि देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी वर्षा हो रही है। इसके फलस्वरूप किसानों को बड़ी मात्रा में यूरिया फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, परंतु उन्हें आज आसानी से यूरिया नहीं मिल रहा है। एक ओर किसान यूरिया के लिए दर-दर भटक रहा है। किसान अपनी बुआई का काम छोड़कर एक थैली यूरिया प्राप्त करने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहता है फिर भी उसे निराशा ही प्राप्त होती है। पुलिस लाठीचार्ज करती है। यूरिया न मिलने पर किसान हैरान परेशान है तो दूसरी ओर लाखों टन यूरिया बंदरगाहों पर रेलवे वैगन आदि न मिलने की वजह से जमा हो रहे हैं। इससे खाद्यान्न उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। देश के यूरिया संयंत्र अपनी पूरी क्षमता पर काम करने के बावजूद मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें आयात का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार जानती है कि अब तक 65 लाख टन उर्वरकों का आयात किया जा चुका है जबकि पिछले 13 लाख टन उर्वरकों का आयात किया गया था और अभी मांग बढ़ती जा रही है। पूरे देश में एक ओर यूरिया की तीव्र शॉर्टेज है वही दूसरी ओर कंडता बंदरगाह पर 70 लाख टन यूरिया और मुंदरा बंदरगाह में भी लगभग 2 लाख टन यूरिया पड़े-पड़े पत्थर हो गया है और अब उन्हें मजदूर लगाकर तुड़वाया जा रहा है। हमारे उर्वरक मंत्री जी ने 22 जून, 2010 के एक पत्र के माध्यम से सभी सांसदों को बताया गया था कि देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार केंद्र सरकार किसानों एवं सांसदों को गुमराह कर रही है। एक तरफ तो आप खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से खाद्यान्न बढ़ाना चाहते हो और दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। हमारे राज्य गुजरात एवं हमारे मत क्षेत्र साबरकांठा एवं अमरेली जिले में यूरिया की तीव्र मांग हो रही है। इस मार्ग को तत्काल पूर्ण किया जाए। कृषि यूरिया की तात्कालिक आपूर्ति कराकर कृषि एवं किसानों को बचाया जाए।

SHRI NRIPENDRA NATH ROY (COOCH BEHAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to bring to the attention of this august House that in my Constituency, Cooch Behar, West Bengal, there is a Block named Sitai which is divided into two parts by the River Jaldhaka (Singimari). The total population residing in these areas is more than three lakhs. In the month of February, 2009, the hon. PWD Minister of the Government of West Bengal had inaugurated the construction of a Bridge over the River so that more than three lakh people of Sitai and Sitalkuchi Block can be benefited by this Bridge. This Bridge is not only important from the point of view of local people, but also important from the point of view of our border security as the Forces have to travel a long distance and also had to waste a lot of time in traveling due to lack of this Bridge. In case any exigency occurs in border areas, our Forces cannot reach there on time. But unfortunately the construction work on this Bridge has not started so far.

I, therefore, request the hon. Minister to grant and release Central fund for the construction of this Bridge so that the work can be started and completed on time and the people of my area can be benefited from this as these areas are rich in tobacco and jute farming, along with the border forces.

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am coming from Ahmedabad representing the Ahmedabad West Constituency. Recently, in Ahmedabad, Sardar Vallabhbhai Patel International Airport Terminal II was constructed on which more than Rs. 300 crore had been spent. Unfortunately, since substandard material was used, besides corruption issues, the Airport Terminal Building is not up to the mark. Recently, in Ahmedabad, it was inaugurated on the 4th of July by the hon. Minister of Civil Aviation. Just after that, there was a heavy rain, and the entire building was leaking as it was happening in the Commonwealth Games' Stadiums in Delhi. This building is not operational at present. The hon. Minister has declared it to be operational from the 15th of August, but unfortunately, it has not been operational. According to the information available with me, substandard materials or materials mentioned in the tender documents were not used and that is the reason why it is not up to the mark.

I demand that the International Airport Terminal Building II should be started at the earliest, and good, quality materials should be installed in it. The Old Airport Building was submerged in two to three feet of water and the Airport Building is not up to the mark. I, therefore, demand for an inquiry into the whole matter, and also the use of good materials so that it can be operational as early as possible. Tendered items should be given priority in construction

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): महोदय, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एफसीआई के गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल वितरित किया जा रहा है। यह चावल घटिया किस्म का है। मध्याह्न भोजन में बच्चे इसे खाने योग्य नहीं समझते हैं।

यह बीपीएल परिवार के खाने लायक नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बालाघाट जिले में जितने भी एफसीआई गोदाम हैं, उन सबकी जांच की जाए और उनमें जो घटिया चावल रखा हुआ है, उस चावल की भी जांच की जाए और जिन अधिकारियों ने घटिया चावल वहां रखना स्वीकृत किया है, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा लाई गई आवास योजना 2006-2007 एच02 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस आवास योजना के तहत प्राधिकरण द्वारा उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के लिए कुल 1050 फ्लैटों के आबंटन हेतु जनता से आवेदन मांगे गये थे। जिसमें सफल आवेदकों को अधिकतम तीन वर्ष के अंदर मकानों का कब्जा देने की बात कही गई थी। जिसका विवरण उनकी विवरण पुस्तिका में दिया हुआ है। लेकिन सफल आवेदकों को अभी तक कब्जा देना तो दूर उनका आबंटन भी नहीं किया गया है। जबकि चार साल पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इस विलम्ब के कारण जिन आवेदकों को फ्लैट मिलने थे, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आबंटन और कब्जे में देरी से न्यूनधारक आवेदकों को बैंक को भारी-भरकम मासिक किस्त अधिकतम ब्याज दर पर चुकानी पड़ रही है। इसके कारण खासकर अल्प आय वर्ग के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जबकि प्राधिकरण ने साढ़े तीन साल पहले फ्लैटों की पूरी कीमत अग्रिम के रूप में वसूल कर रखी है। मकान मिलने में देरी होने के कारण आबंटियों का बजट गड़बड़ा गया है। क्योंकि जिन्हें मकान की सख्त आवश्यकता थी, वे अभी भी किराये के मकानों में बसर कर रहे हैं। साथ में ऋण की राशि भी मासिक तौर पर देनी भारी पड़ रही है। यह आवास योजना गरीब आवेदकों के गले की फांस बन गई है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि नोएडा प्राधिकरण को स्पष्ट निर्देश दिये जाएं कि वह जल्द से जल्द मकान आबंटित कर जनता को कब्जा दिलाये, ताकि सफल आवेदकों को और परेशानी न झेलनी पड़े। मेरी मांग है कि इस पर सरकार जल्दी कदम उठाये।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में शून्य काल के माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल के जनमानस की चिर-परिचित मांग केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि नेपाल सीमा से सटा हुआ मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल पड़ता है। इस क्षेत्र में मधेपुरा का कुछ भाग और सुपौल जिला आता है। यहां पर बेहतर शिक्षा हेतु केन्द्रीय प्रायोजित एक भी विद्यालय नहीं है, जिसके कारण मेधावी छात्र एवं ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। गृह मंत्रालय, रेलवे, विद्युत मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय कार्यालयों के साथ यहां कई औद्योगिक इकाईयां स्थापित हैं, जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित हैं और जिनके बच्चे केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। जबकि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के समय तय किया गया था कि जहां केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं औद्योगिक इकाईयां होंगी, वहां केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

महोदय, सांसद कोटे से केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन का कूपन भी मेरे क्षेत्र में विद्यालय नहीं होने के कारण मेरे कार्यालय की शोभा बढ़ा रहा है, जिसका मैं उपयोग नहीं कर पाता हूं। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के जिला मुख्यालय में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना अविलम्ब करायें, जिससे कि लोगों को उत्तम शिक्षा मिल सकें और मैं अपने अधिकार का भी उपयोग कर सकूं, अर्थात् मुझे जो कूपन मिलता है, मैं उसका उपयोग कर सकूं।

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, Tamil Nadu is lagging behind in the development of railway network in the country and we need adequate attention for the development of railway lines. Various railway works like gauge conversion, doubling, electrification and new lines pertaining to the State are running much behind schedule.

One of the important projects is the doubling and electrification of Maduri-Virudunagar-Kovilpatti-Tirunelveli-Kanyakumari section. Madurai, Tirunelveli, Courtalam, Nagercoil, Kanyakumari and Rameswaram are important places of tourist attraction in southern Tamil Nadu. A large number of people from within the country and abroad visit these places throughout the year. There is heavy traffic on this route. People going to Rameswaram and Trivandrum also use this route.

Presently, doubling is sanctioned for Villupuram-Dindigul section. Ongoing doubling work between Dindigul-Madurai is likely to be completed shortly. Hence, doubling between Madurai-Kanyakumari via Tirunelveli should be taken up on priority. If doubling is done, the people residing at Virudhunagar, Kovilpatti and Maniyachi will also be benefited as it will open connectivity to those places. There is also simultaneous demand from Kerala for doubling of Nagercoil-Kanyakumari-Trivandrum section. This will facilitate large number of tourists visiting both the States. Many of the trains which were running up to Madurai earlier were extended to Tirunelveli in the recent years. If the doubling and electrification of Madurai-Virudhunagar-Kovilpatti-Tirunelveli-Kanyakumari came into reality, it will facilitate large number of people from all parts of the country visiting Tamil Nadu and Kerala.

I shall urge upon the hon. Minister of Railways to take up the doubling and electrification of Madurai-Virudhunagar-Kovilpatti-Tirunelveli-Kanyakumari on priority and allocate adequate funds without delay.

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र खजुराहो के पन्ना जिले की एनएमडीसी की हीरा खदान की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार 20.6.2009 को माननीय वीर भद्र सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री ने पुन: उद्घाटन किया था। यह रिजर्व फॉरेस्ट के बफर जोन में आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसे पुनः चालू कराया गया। 15 साल की अतिरिक्त लीज़ थी एवं 1 वर्ष बाद 1.7.2010 समाप्त हो गई है जिस कारण से बंद पड़ी हुई है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में राज्य् सरकार का प्रस्ताव लम्बित पड़ा हुआ है। यह परियोजना आज बंद पड़ी हुई है। मेरा कहना है कि पूरे बुन्देलखंड क्षेत्र में ऐसी खदान है जिसे एनएमडीसी चलाती है। यह हीरे की एक मात्र खदान है जिससे बुंदेलखंड के बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिलता है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुये निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि पन्ना जिले की हीरे की यह खदान की लीज को भारत सरकार तुंरत स्वीकृति दिलाये जिससे पन्ना जिले के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री जगदम्बिका पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थ नगर में नदियों- जमुआर, कूढ़ा, भोगी के कटान के कारण कई गांव महथावल,लोटन और गढ़मोर हैं, कटकर विलीन हो गये हैं। उन गरीबों की सारी पूंजी नदियो के कटान के कारण नष्ट गई है लेकिन उनके रिहैब्लिटेशन का काम राज्य सरकार नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आयी है जिसमें 50 लोगों की मृत्यु हो गई है.। जो दैविक आपदा में राहत दी जाती है, वह नहीं दी गई है।

उपाध्यक्ष जी, सिद्दार्थ नगर से जो रास्ता नेपाल जाता है- वाया सोहास, वह बंद हो गया है। आज आवागमन बंद हो गया है। नदी पर कंछुलिया का जो पुल पड़ता है, आज उस पर पानी बह रहा है, कम से कम यह दो फीट है। जिस तरह सिद्धार्थ नगर का नेपाल से संबंध विच्छेद हो रहा है, बाढ़ के कारण जुगिया ब्लाक, लोटन ब्लाक, कम से कम काफी गांव बाढ़ प्रभावित हो गये हैं. उनको सुरक्षित स्थानों पर अभी नहीं पहुंचाया गया है.।

यही स्थिति इस नाते भी है कि आज उत्तर प्रदेश में गिरिजापुरी बैराज से 1 लाख 46 हजार 169 क्यूसेक ...(व्यवधान) पानी छोड़ा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट पहले भी बोला था। हर बार एक मिनट बोलकर बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : शारदा बैराज से 1,14,012 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, गोपिया बैराज से 4,550 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, घाघरा नदी में 2,64,731 क्यूसेक पानी है, बलरामपुर में राप्ती खतरे के निशान पर है। रामपुर में जो कोशी नदी में आयी है, उसमें भी बैराज का पानी छोड़ा गया है। पीलीभीत में दूनी बैराज से 17 हजार 351 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बनबसा, जो पीलीभीत में पड़ता है, 1 लाख 47 हजार 600 क्यूसेक और लखीमपुरी खीरी में शारदा खतरे में है। गोंडा में सरयू का जल स्तर है और सिद्धार्थ नगर एरिया में राप्ती...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं? वह बोलिये।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं भारत सरकार से यह चाहता हूं कि भारत सरकार ने तो कई प्रोजेक्ट दिये हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को जो पैसा फ्लड मैंनेजमेंट के लिए दिया है, आज राज्य सरकार उसे नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कम से कम इस बारे में लिखे कि जो तटबंध कट रहे हैं, जो प्रोजेक्ट स्वीकृत होकर गये हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर काम कराया जाये। जो मृत हो गये हैं, उन्हें दैवीय आपदा में एक-एक लाख रूपया अनुमन्य होता है, उन गरीब और पीड़ित परिवारों के आश्रितों को वह पैसा दिया जाये। जिनके मकान नदियों में विलीन हो गये हैं, उन्हें

रिहैबिलिटेट करने की कार्यवाही की जाये। जो गांव नदियों में आ गये हैं, उन्हें दूसरी जगह पर सुरक्षित बसाने की कार्य योजना बनायी जाये। मैं यही कहना चाहता हूं।

*SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA): Hon. Deputy Speaker Sir, Railway line between Bangalore and Hassan was laid in the year 1996, when our J.D.(S) party supremo Shri H.D. Devegowda ji was the Prime Minister of India. The total length of this railway line is about 150 Km., out of which only 70 kilometre work has been completed. 20 kilometre old railway line from Bangalore to Nelamangala is already there. Remaining 60 kilometre from Shravana Belagola to Nelamangala has not been completed in the last 14 years. This railway line passes through five Parliamentary constituencies like Hassan, Mandya, Tumkur, Bangalore North and Bangalore Rural. This railway line is running parallel to N H 4. Even after 70 percent works have already been completed why this line is being ignored by the railways? If the remaining 30% work is not completed will it not be a national waste? Why it should be kept pending so long? It is unfortunate that even after 14 years this 30% work has not been completed.

We were assured by Hon. Railway Minister Kum. Mamata Banerjee ji that it would be taken up on priority basis. Hon. Railway Minister for state Shri. K.H.Muniyappa ji hails from our own state Karnataka. I would like to request both of them to take immediate steps to complete it. Several railway projects are being announced every year in the budget but unfortunately most of them are merely on paper. These projects have not seen the light of the day. Like the railway line between Hassan and Bangalore many railway projects like doubling of Mysore-Bangalore railway line, railway line between Mysore-Chamaraj Nagar have not been completed. Many projects in North Karnataka still remain on paper. Instead of introducing new railway lines, on going railway projects should be given priority. It would be a national waste if the ongoing railway lines are not completed. Hence I urge upon the Hon. Minister of Railways to take all steps to complete expeditiously the on going railway projects including Hassan – Bangalore railway line.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तराखंड राज्य में जंगली जानवरों के द्वारा खड़ी फसल को नष्ट किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53 हजार 483 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें से 35 हजार 651 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है और इसी वन क्षेत्र से यहां के काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि लगी हुई है। वनों से लगी होने के कारण इन काश्तकारों के खेतों में जंगली सुअर, हाथी, बंदर, भालू, शाही आदि घुसकर इनकी फसलों को तबाह कर देते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ बहुत छोटे-छोटे होते हैं और इनमें किसान बहुत मेहनत करके फसल उगाता है। ये जंगली जानवर उसकी फसल को समाप्त कर देते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इसमें क्रॉप इंश्योरेंस दे ताकि काश्तकार को मुआवजा मिल सके। इसके साथ-साथ वन विभाग उसमें इलैक्ट्रिक फेन्सिंग करे, जिससे जंगली जानवर खेतों को नष्ट न कर सकें और वे जंगल के अंदर ही रहें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Monday, the 30th August, 2010 at 11.00 a.m.

19.49 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 30, 2010/Bhadrapada 8, 1932 (Saka).